(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के अष्ठम् सत्र का 28 वां दिवस [संख्या 18

1] [2

मंगलवार

दिनांक 3 अप्रेल, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 वजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री तुलसी राम ।

नियंत्रित कपड़े के वितरण की नीति

432. श्री तुलसी राम (केकड़ी) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्ष 1983 में नियंत्रित कपड़े का कितना आवंटन किया गया ?

(2) राज्य में नियंत्रित कपड़े के वितरण की क्या नीति निर्धारित है ?

(3) क्या यह सही है कि नियंत्रित कपड़े को राज्य में फ्री सेल कर दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) यदि नियंत्रित कपड़ा फ्री सेल पर नहीं है तो प्रति व्यक्ति या प्रतिकार्ड कितना कितना कपड़ा दिया जाता है ?

(5) होलसेलर्स को कपड़ा आवंटन हेतु क्या नीति है ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) राज्य में वर्ष 1983 में नियंत्रित कपड़े की 9828 गांठों का आंवटन किया गया है ।

(2) नियंत्रित कपड़े का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर कराया जाता है ।

(3) जी नहीं

(4) तीन माह में एक बार 5 मीटर प्रति यूनिट के हिसाब से राशन कार्ड पर नियंत्रित कपड़े का वितरण किया जाता है ।

(5) राज्य सरकार ने आवंटित नियंत्रित कपड़े को मंगाने के लिये राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया हुआ है जो क्रय विक्रय सहकारी समितियों को नियंत्रित कपड़ा उपलब्ध कराता है तथा ये समितियां उचित मूल्य की दुकानों को कपड़ा उपलब्ध कराती हैं ।

श्री तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 83 में जो 9000 गांठों का आवंटन किया गया है वह किस किस व्यापारी को किया गया है ?

श्री घासीराम यादव : यह तो अलग से प्रश्न है। 83 का पूछा है, मैं यह बता सकता हूँ कि किस किस माह में कितना कितना किया गया है। सारे राजस्थान में किस किस व्यापारी को कितना कितना कपड़ा दिया गया, यह तो अभी बताना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : प्रश्न के भाग (3) में कहा गया कि फ्री सेल में किसी को नहीं दिया गया। क्या यह सच है कि 83–84 में 6 फर्मों को फ्री सेल में कपड़ा बेचने की इजाजत दी गयी है। चरणजीत अग्रवाल आदि जो 6 फर्में हैं उनको जो कपड़ा आवंटन किया गया था वह उन्होंने फ्री सेल में बेचा है।

श्री घासीराम यादव : मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, फ्री सेल से आपका क्या अभिप्राय है ?

श्री घासीराम यादव : बिना निर्धारित कीमत के चाहे जिसको जो बेचा जाय, उसको फ्री सेल कहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : जिस व्यक्ति को आपने कपड़े का आवंटन किया है वह उसका विक्रय नहीं कर पाता है, वह कपड़ा बिक नहीं पाता है तो मजबूरन आपको फ्री सेल का कपड़ा बेचने की इजाजत देनी पड़ती है और ऐसी इजाजत दी गयी है।

श्री घासीराम यादव : ऐसी कोई समस्या नहीं आयी है। ऐसी कोई इजाजत नहीं दी गयी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों, जिनको कपड़ा बेचने के लिए आवंटित किया गया है, ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है कि हम यह कपड़ा कंट्रोल में ही बेच सकते हैं कोई लेता नहीं है, इस कीमत पर नहीं बेच सकते हैं या निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं बेच सकते हैं इसलिए इसको बाजार में बेचने की राज्य सरकार इजाजत दे ?

श्री घासीराम यादव : न तो इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गयी है और न ही स्वीकार की गयी है।

श्री तुलसीराम : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिलता है और यह सारा कपड़ा बाजार में बिकता है। इसके क्या कारण हैं ?

श्री घासीराम यादव : यह तो क्रय विक्रय सहकारी समिति खरीदती है। फिर जिलों के हिसाब से रोस्टर प्रणाली से कपड़ा बांटा जाता है।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी दूं जो बढ़िया किस्म का कपड़ा होता है

(श्री सुजानसिंह यादव)

जिसका कि लूगड़ा बनता है वह तो किसानों को देहात में मिलता ही नहीं है, सारा का सारा ब्लैक होता है। इसकी क्या व्यवस्था करेंगे आप कि यह गरीबों को, किसानों को मिले ?

श्री घासीराम यादव : ऐसा तो कोई कपड़ा आता ही नहीं है, मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं कि जो कपड़ा आता है उसकी कीमत और बाजार की कीमत में ज्यादा फर्क नहीं होता है। दो तरह का कपड़ा आता है, एक तो धोती जोड़ा आता 112/9 सेंटीमीटर का 23.70 रु0 के हिसाब से, जो कि बाजार में 25 रु0 का मिल जाता है। और दूसरा 3 61 रुपये प्रति मीटर है। इन दोनों में ही कोई शिकायत नहीं आयी है कि ब्लैक में बिक जाता है। यदि किसी माननीय सदस्य को ध्यान हो तो बता दें, उसमें मैं जांच करा लूंगा।

श्री सुजान सिंह यादव : दूसरी जानकारी यह है कि जो धोती जोड़ा मिलता है उसको लेते समय दुकानदार दूसरा कपड़ा लेने के लिए भी जोर डालता है। उसको जबरदस्ती वह कपड़ा लेना पड़ता है जो कि बाजार में कम रेट में मिल रहा होता है। मंत्री महोदय उनको आइंदा के लिये पाबंद करें कि वे कपड़े को ठीक ढंग से बेचें, उसमें ब्लैक नहीं करें और अतिरिक्त कपड़ा लेने के लिए विवश नहीं करें।

श्री घासीराम यादव : मेरी जानकारी में नहीं है कि इस प्रकार से दूसरा कपड़ा दिया जाता है। यदि माननीय सदस्य को हो तो मैं उसकी जांच कराने को तैयार हूं। मेरे पास तो एक भी जानकारी नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि गांवों में जो कंट्रोल की दुकानें हैं उनमें हजारों की संख्या में ऐसी दुकानें है जिनके पास आज तक कभी एक मीटर भी कपड़ा नहीं पहुंचा है, कन्ज्यूमर को एक मीटर भी कपड़ा नहीं दिया गया है। सब ब्लैक में बेचा जाता है ?

श्री घासीराम यादव : हर जिले में कपड़े का अलाटमेंट होता है उसमें से जहां कि मांग आती है वहां पर ही कपड़ा दिया जाता है। जहां से मांग नहीं आती है वहां कपड़ा नहीं दिया जाता है। चूंकि भाव अब बढ़ा दिये गये हैं और 23.70 और बाजार भाव 25 में कम ही अन्तर है इसलिये ब्लैक की शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री तुलसीराम : मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो दुकान है वहां पर गरीबों को, किसानों को कपड़ा नहीं दिया जाता है, वह बाजार में मिलता है। ऐसी दुकान है जो ब्लैक करती है ...

श्री अध्यक्ष : बैठ जाएं। अगला प्रश्न।

श्री तुलसीराम : गरीबों को कोई फायदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, बैठ जायें।

अगला प्रश्न, श्री उम्मेद सिंह।

पंचायत समिति डीडवाना द्वारा मोटर साइकिल का दुरुपयोग

433. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डीडवाना में जो मोटर साइकिल है उसका समिति द्वारा दुरुपयोग किया जाता है?

(2) क्या इस बारे में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधीश नागौर द्वारा जांच करवाई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) इस सम्बन्ध में जिलाधीश नागौर से विस्तृत जांच करवाई जा रही है।

(2) जी हां। जिलाधीश, नागौर के आदेशानुसार उप जिला विकास अधिकारी नागौर द्वारा की गई जांच के परिणाम अस्पष्ट एवं अपूर्ण होने के कारण जिला-धीश, नागौर को विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन भिजवाने का आदेश दिया गया है।

श्री उम्मेद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जांच किस अधिकारी के द्वारा करवाई जा रही है, किस स्तर पर चल रही है, और कितना समय लगेगा ? जिलाधीश को यह आदेश कब दिया गया ? जांच रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ?

श्री शीशराम ओला : जिलाधीश को लिखा गया है कि विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट तथ्यों के अनुसार स्पष्ट नहीं है इसलिए दुबारा जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

श्री उम्मेद सिंह : किस तिथि को आदेश दिया गया ?

श्री शीशराम ओला : अभी दिया है। रिपोर्ट सही नहीं लगी इस कारण दिया गया।

श्री उम्मेद सिंह : कौनसी तारीख को दिया गया ?

श्री शीशराम ओला : इससे क्या, तारीख तो फाइल पर है ही। जिलाधीश को लिखा गया है कि विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मोटर साइकिल जांच की नहीं हो पा रही है। बहुत घपले हो रहे हैं, किसी की जांच नहीं हो पाती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री उम्मेद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहूँगा कि इस मोटर साइकिल की जांच हो चुकी है, इनके मीटर पकड़े गये हैं, ये पता लगता है कि उस मोटर में गड़बड़ी की गयी है। कम से कम सदन को ये तो जानकारी दें कि किस स्थिति में है और आप क्या जांच करते हो या आपके पास क्या रिपोर्ट है उसकी ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्पष्ट है कहीं कुछ कहते हैं, कहीं

(श्री शीशराम ओला)

कुछ कहते हैं। जांच पूरी तो हो। जांच पूरी होने के बाद कुछ कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

मत्स्याखेट हेतु दी गयी अनुमति

434. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या मत्स्य पालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में राज्य के जलाशयों में मत्स्याखेट के ठेकेदारों को राजकीय जलाशयों से पकड़ी मछलियां सुखाने की अनुमति विभागीय अधिकारियों द्वारा दी गयी है? यदि हां, तो कितने जलाशयों के लिये? कृपया वर्षवार सूची व आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसी अनुमति व स्वीकृति देना नियमानुसार है? यदि नहीं, तो ऐसी अनुमति/स्वीकृति देने के लिये जिम्मेदार किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

राज्य मन्त्री, मत्स्य पालन (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) जी हां। 21 जलाशयों के लिये केवल वर्ष 1979-80 में अनुमति जारी की गयी थी। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मन्त्री महोदय, आपने प्रश्न (2) के अन्तर्गत कहा है, "जी हां।" मैं अपना प्रश्न फिर दोहराना चाहती हूं। क्या ऐसी अनुमति देना नियमानुसार है? आपने इसके लिये "जी हां" कहा है।

श्री रामकिशन वर्मा : मैंने जिसके लिये "जी हां" कहा है...

श्रीमती विद्या पाठक : कौन से नियमों के अन्तर्गत है?

श्री रामकिशन वर्मा : मत्स्य पालन नियम, 1958 के अन्तर्गत प्रावधान है कि अनचाही मछलियां हमारी व्यवसायी मछलियों को बाधा, रुकावट पैदा करती हों उनको सुखाने की अनुमति सिर्फ एक ही बार 1978-79 में दी गयी। मेरे समय में कभी नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मन्त्री महोदय, क्या यह ठीक है कि सन् 82 में आपने इस तरह परमिशन दी है? छोटी मछलियां जो पकड़ते हैं तो छोटी मछलियां पकड़ने का आपके नियमों में प्रावधान नहीं हैं बल्कि इसकी मनाही है कि 9 इंच से छोटी मछली न पकड़ी जाय और मछलियां सुखायी न जायं क्योंकि सूखी मछलियों के पैसे वसूली में दिक्कत हो जाती है और उनके वजन में कमी हो जाती है, उनकी क्वालिटी भी गिरती है, घाटा लगता है और करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है? इसकी आपने परमिशन दी है, क्या यह सही है?

श्री रामकिशन शर्मा : हमने इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी है बल्कि जो

(श्री रामकिशन वर्मा)

परमिशन दी गयी है वह आपके समय में दी गयी है। मैं तो यह कहता हूँ कि जिन लोगों ने, जिन ठेकेदारों ने मछलियां पकड़ीं उनकी तलाश करवायी और उनके ऊपर केस चल रहा है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय, आपने अपने प्राधिकार में, आपने अपने कार्यकाल में परमिशन दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को मत्स्य विभाग का आदेश नंबर डब्ल्यू 9554-56 का हवाला देकर बताना चाहती हूँ कि इन्होंने उस विभाग में सुखायी जाने वाली मछलियों के वजन, मात्रा तथा जाति के बारे में न केवल ठेकेदारों को परमिशन दी है, सहकारी समितियों को भी दी है। आपके रिकार्ड में इससे संबंधित कोई नियम है ही नहीं, न परमिशन देने का ही प्रावधान है। इसकी वजह से आपके विभाग में बन्दरबांट पैसों का हो रहा है। इसकी वजह से सेल्स विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। मैंने बताया था कि सिर्फ परमिशन दी जा रही है, सुखायी जाने वाली मछली के वजन और मात्रा तथा जाति के बारे में लिखित में विभाग को सूचित करके उसके बाद में मछलियां निकाली जा सकती हैं। जिला अलवर के लिये छोटी मछलियों के पकड़ने के लिये एकल अनुमति प्रदान की जाती है। यह भी आपके विभाग से दी गयी है 29.9.82, राजस्थान सरकार...

श्री रामकिशन वर्मा : मेजर मछलियां जैसे कतला, माधू, रेहू नरेन, डेढ़ किलो से कम और आधा किलो तक पकड़ने वालों के खिलाफ हमने कार्यवाही की है। उनके ऊपर केस चल रहा है। परमिशन देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है। परमिशन देने वालों के खिलाफ....

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने आदेश संख्या पढ़कर सुनायी है। यह आदेश....

श्री अध्यक्ष : इसको पूरा पढ़ दीजिये। शुरू से आखिर तक।

श्रीमती विद्या पाठक : "मत्स्य तोल जयसमन्द केन्द्र पर आप को राजसंघ द्वारा जो मछलियां तोलकर दी जाती हैं उनमें से काफी मछलियां आप सुखाते हैं, ऐसा ज्ञात हुआ है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में सूचित कर देना चाहिये था। अब भविष्य में आप जब भी मछलियां सुखाएं, इस सम्बन्ध में सुखायी जाने वाली मछलियों की वजन की मात्रा तथा जाति के बारे में लिखित में प्रभारी, मत्स्य तोल केन्द्र, जयसमन्द को सूचित करें। इसके अतिरिक्त जब भी आप उन सूखी मछलियों को ले जाएं तब इसकी सूचना लिखित में देवें जिसमें ले जायी जाने वाली मछलियों की जाति, वजन की, लागू होनी चाहिये। कृपया इन निर्देशों का पालन करें।" यही लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : तो इसमें अनुमति कहां हुई, ऐसा मालूम हुआ, सुखाते हैं। और सुखाते हैं तो सूचना दें।

श्रीमती विद्या पाठक : यह अनुमति की संज्ञा में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : उनके बारे में उन्होंने कहा है...

श्रीमती विद्या पाठक : विभाग को सूचित करके ले जायेंगे, इससे....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप ऐसा करने से बाज आयें। यह आदेश नहीं हुआ तो...

श्री रामकिशन वर्मा : मैंने कहीं छोटी मछली पकड़ने की स्वीकृति नहीं दी है और इस प्रकार की कोई कमजोरी नियम में कहीं पर नजर आती हो तो हम उसका सुधार कर देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : और क्या चाहिये। सब ठीक हो गया।

श्रीमती विद्या पाठक : जिसके कारण संभावना लाखों करोड़ों....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कहा गया है कि आप....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं ...

श्री अध्यक्ष : बातें न करें माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि बताइये। मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां पर ठेकेदार मछलियां, जो छोटी भी होती हैं, मार करके सुखाते हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है ? और अगर नहीं है, तो इसकी जानकारी करके कार्यवाही करें।

श्री रामकिशन वर्मा : किसी भी राज्य में कोई रुकावट नहीं है। जो मछलियां नुकसान पहुंचाती हैं उसके लिये हमारी कहीं मनाही नहीं है। जो व्यवसायी मछलियां हैं, अगर ऐसी छोटी मछलियां पकड़ते हैं तो उनके ऊपर रोक है। उनके ऊपर चालान किये हैं और केस चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज।

वाटर सप्लाई चैनल से मोहनगढ़ के आस-पास सिंचाई

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वाटर सप्लाई चैनल से इस वर्ष मोहनगढ़ के आसपास 50 हजार एकड़ की सिंचाई के लिए पानी देने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो इस चैनल से अब तक कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई हुई है ?

(2) यदि घोषणा का पालन नहीं हुआ है तो उसके क्या क्या कारण हैं ?

मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री चन्दनमल वैद) : (1) 50000 एकड़ क्षेत्र में नहरें बनाने का लक्ष्य था जिसमें से 10100 एकड़ क्षेत्र में नहरी पानी सुविधा

(श्री चन्दनमल जैन)

उपलब्ध की गयी व 12 बीघा भूमि में काश्त की गयी।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछूं उससे पहले मैं आपकी एक खूबसूरत किताब "राजस्थान नहर परियोजना : बढ़ते कदम" के पेज नं0 28 का पैरा नं0 2 पढ़ना चाहूँगी। "1200 आर. डी. तक मुख्य नहर मोहनगढ़ के पास अन्तिम छोर तक आर. डी. 1460 तक वाटर सप्लाई चैनल तथा सागरमल गोपा (लीलवा) शाखा की सुल्ताना वितरिका के निकलने के स्थान पर वाटर सप्लाई चैनल को अक्टूबर, 83 तक पूरा बना कर इन नहरों के लिये 17 अक्टूबर, 83 को पानी छोड़ दिया जावेगा। इस कार्यक्रम के अनुसार रबी 1983 में जैसलमेर जिले में 20 हजार हैक्टेयर (50 हजार एकड़) क्षेत्र में प्रथम बार सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।"

अब, अध्यक्ष महोदय ..

श्री चन्दनमल बैद : आपके पढ़ने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि 50 हजार एकड़ का हमारा लक्ष्य था।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरा सवाल यह है, क्या यह सही है कि 2 जनवरी, 84 तक इस वाटर सप्लाई चैनल से मोहनगढ़ तक पानी पहुंचाने को योजना थी ? क्या यह भी सही है कि इस वाटर सप्लाई चैनल के टूट जाने से योजना की क्रियान्विति नहीं हो सकी ?

श्री चन्दनमल बैद : यह ठीक है कि 17 अक्टूबर को पानी छोड़ा गया था। हमारा अंदाज यह था कि 2 जनवरी तक पानी मोहनगढ़ तक पहुंच जायेगा। लेकिन वाटर सप्लाई चैनल के 2 जगह टूट जाने से वह पानी नहीं पहुंच सका। इस वास्ते जो हमारा लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो सका। वह वाटर सप्लाई चैनल टूटने के पहले 10 हजार हैक्टेयर जमीन के लिए हम पानी उपलब्ध करा चुके थे। चूंकि किसान वहां नहीं थे इस वास्ते केवल 12 बीघा में ही पानी से काश्त हो सकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि 2 जनवरी के बाद भी वाटर सप्लाई चैनल में अर्थ वर्क चल रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : जब वाटर सप्लाई चैनल टूट गयी तो यह जरूरी था कि मरम्मत कराई जाय। इस वास्ते वहां काम चला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वाटर सप्लाई चैनल टूट गयी, उस पर काम कराया, इसमें कोई आपत्ति नहीं। क्या यह सही है कि 2 जनवरी तक मोहनगढ़ पानी ले जाने की क्षमता बनाने के लिए जिस प्रकार का निर्माण कराया गया, वह ठीक नहीं था, और 2 जनवरी के बाद भी अर्थ वर्क हुआ ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह सम्भव है। यह सही है, हमको यह अंदाज था कि अमुक जगह 15 दिन के बाद पानी पहुंचेगा, तो 15 दिन पहले ही उस जगह काम नहीं करके 15 दिन के बीच में ही काम हो जाय, यह असम्भव बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा प्रश्न सीधा है, आपने दो जनवरी तक मोहनगढ़ तक पानी ले जाने की घोषणा कर दी। आपका कहना है कि वाटर सप्लाई चैनल टूट गयी वरना 2 जनवरी तक पानी पहुंच जाता। मेरा प्रश्न है कि 2 जनवरी तक जितना अर्थ वर्क होना चाहिये था वह नहीं हुआ, 2 जनवरी के बाद से आज तक भी चल रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : 19–20 दिसम्बर को वाटर सप्लाई चैनल टूट गयी, तो जो काम 2 जनवरी तक करना था, 2 जनवरी तक पानी नहीं ले जाया गया। इस वास्ते यह सम्भव हो सकता है कि वहां 2 जनवरी तक काम पूरा नहीं हुआ हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे हैं कि 20 जनवरी को चैनल टूट गयी ...

श्री चन्दनमल बैद : 20 जनवरी नहीं 20 दिसम्बर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, 20 दिसम्बर। 20 दिसम्बर और 2 जनवरी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 2 जनवरी को पानी ले जाने की घोषणा कर चुके थे, अब यह भी मान लें कि 20 दिसम्बर को सप्लाई चैनल टूट गयी इस वास्ते पानी नहीं पहुचा, लेकिन वहां पानी आज तक भी क्यों नहीं पहुंचा ?

श्री चन्दनमल बैद : इस वास्ते कि ब्रीचेज हुए, उनको ठीक किया गया। उन ब्रीचेज़ को ठीक करने के बाद 15 फरवरी को पानी चलाया गया। आज तक करीब करीब 100 आर. डी. तक पहुंच चुका होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पिछली दफा अभी वहां गया था तो उस समय यह पता लगा था कि 82 आर. डी. तक पानी पहुंच चुका था। अब कितने आर. डी. तक पहुंच चुका होगा, यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, करीब 100 आर. डी. हो सकता है। वहां कुल आर. डी. जितनी है वह करीब 250 के ऊपर है, तो उसमें तो टाइम लगेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह भी सही है कि चारणवाला हैड से जिस दिन पानी छोड़ा, वह पानी छोड़ने के बाद, 3 दिन के बाद, पानी रुकवा दिया ? इसका कारण यह था कि मेन कैनाल के ऊपर जितना काम होना चाहिए था, नाचना तक वह नहीं हुआ ? लाइनिंग का काम भी रुका हुआ था जो बाद में करवाया।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेन कैनाल का पूछ रहे हैं जब कि वाटर सप्लाई चैनल का प्रश्न पूछा गया है।

यह सही नहीं है कि पानी बंद कर दिया गया था। ओपनिंग सेरेमनी हुई 17 अक्टूबर को, तो ट्रायल के तौर पर 2 अक्टूबर को पानी चलाया था। वह पानी बराबर चलता रहा, 17 अक्टूबर के बाद भी चलता रहा। उसके बाद एक नवम्बर को, जहां तक मुझे याद है ठीक-ठीक नहीं पता, 131 आर. डी. तक पानी पहुंच चुका था। 19–20 दिसम्बर को 2 जगह से सप्लाई चैनल टूट गयी, उसके कारण उसे रोकना पड़ा और रोक कर मरम्मत का काम करना पड़ा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष

(श्री देवीसिंह भाटी)

महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया, हमने वाटर सप्लाई चैनल से 10 हजार बीघा भूमि में पानी की सुविधा उपलब्ध करवा दी थी लेकिन काश्तकार पानी लेने के लिए तैयार नहीं थे। आगे, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि 12 बीघा में काश्त हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ, क्या यह सही है कि वहां फसल बरबाद हो चुकी है, पानी नहीं मिला है?

श्री चन्दनमल बैद : 15 फरवरी को फिर पानी उपलब्ध कराया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि आपने सिंचाई सुविधा के लिए कितने क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाया? सवाल यह है कि 12 बीघा में, आपने कहा काश्त की गयी, वह 12 बीघा में भी खतम हो गयी। आप कहते हैं कि 10 हजार बीघा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी है, जबकि 12 बीघा वालों को ही मार दिया तो 10 हजार में क्या सुविधा उपलब्ध करेंगे?

श्री चन्दनमल बैद : 15 फरवरी को पानी उपलब्ध करवाया गया है। कितने भू-भाग में काश्त नहीं हुई, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हिमालय का पानी पहली बार जैसलमेर क्षेत्र में गया, वहां उससे काश्त की। यह हमारे लिए गर्व करने की बात है।

श्री देवीसिंह भाटी : गर्व करने की नहीं, XXX

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 10 हजार की घोषणा करना और केवल 12 बीघा में पानी ले जाना, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए।

श्री चन्दनमल बैद : हां, यह महत्वपूर्ण है कि जैसलमेर एरिया को पहली बार मानसरोवर, हिमालय का पानी पहुंचा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नहीं होते तो जैसे पाना हिलता ही नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : कम से कम आप से तो यह होता नहीं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चन्दनमल बैद : यह गर्व मुझे मिला है, आपको इसमें जलन क्यों है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है कि राजस्थान कैनाल में आपको काम करने का मौका मिला, और आप इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं कि वहां पानी ले गये। लेकिन यह भी सही है कि चन्दन मल जी ने 50 हजार क्षेत्र में पानी ले जाने की घोषणा करने के बाद केवल 12 बीघा में पानी पहुंचाया।

श्री चन्दनमल बैद : इसका श्रेय मिलना है तो कांग्रेस पार्टी को ही मिलना है, आपको नहीं मिलना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो घोटाले वहां हुए, उसका भी आप ही को मिलना है।

श्री चन्दनमल बैद : आपके घोटाले हैं

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चन्दनमल बैद)

इसका जवाब दिया तो जवाब सुनने के लिए आप हाजिर हीं नहीं थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी सुनाऊंगा जवाब राजस्थान नहर पर बहस रखिये, तब घोटाले कितने हैं, पता लग जायेगा ।

(व्यवधान)

सारे राजस्थान नहर में भागीरथी पानी नहीं पहुंचा बल्कि सारा राजस्थान भ्रष्टाचारी जटा में फंसा हुआ है ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय है । तो वहां जो मजदूर लग रहे हैं, इंजीनियर लग रहे है, यहां की जनता का पैसा लग रहा है, क्या उनको श्रेय नहीं है और कांग्रेस पार्टी को श्रेय है ?

श्री चन्दनमल बैद : निश्चित रूप से है । वहां मजदूर जिस मेहनत से काम कर रहा है, इंजीनियर जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, वह इस वास्ते कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चौकस ढंग से काम करा रही हैं और कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : यह कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : चम्बल से 500 मजदूर भेजे थे जिनको....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हमने जैसलमेर में पानी पहुंचाने की घोषणा की थी । जैसलमेर में पानी पहुंच चुका है, पहली बार पहुंचा । वाटर सप्लाई चैनल टूटने के बाद भी पहुंचा । 20 साल में राजस्थान कैनाल पूरी होने के लिए कांग्रेस पार्टी को श्रेय जाता है, श्रीमान

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य ।

अगला प्रश्न । श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मुझे अधिकृत किया गया है और आपकी अनुमति....

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी गई ।

प्रदेश में शराब की बिक्री किये जाने, न किये जाने बाबत गठित समिति

436. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) [श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) की अनुपस्थित में]: क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई शराब विक्रय किये जाने, न किये जाने के विनिश्चय के लिए कमेटी कब बनी थी और इस कमेटी की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ?

(2) उक्त कमेटी का क्या उद्देश्य था ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) उक्त कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कमेटी की इस संदर्भ में कोई रिपोर्ट तैयार हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जावेगी ?

आबकारी मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ 6 (1) प्र. सं.-5/83 दिनांक 21-3-1983 के द्वारा राज्य में शराब बन्दी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में सुझाव देने हेतु वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं।

(2) उक्त कमेटी का निम्नांकित कार्यक्षेत्र (उद्देश्य) निर्धारित किया गया था :–

1. राज्य में शराब बन्दी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में सुझाव देना।

2. शराब बन्दी से होने वाली आबकारी आय में कमी की पूर्ति के लिये सुझाव देना।

3. अवैध मदिरा के उत्पादन एवं बिक्री की रोकथाम के लिए सुझाव देना।

(3) वर्तमान में उक्त कमेटी में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नांकित सदस्य हैं :–

1. श्री श्रीराम गोटेवाला, राज्य मन्त्री

2. श्री नवलकिशोर शर्मा, एम. पी.

3. श्री दौलतमल भण्डारी

4. श्री छीतरमल गोयल

(4) जी नहीं, विचार विमर्श जारी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय बतला रहे हैं, कमेटी की चार मीटिंग हुई। तो कृपया उन 4 मीटिंग की तारीखें आप बतला दें कि कब कब मीटिंग हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह अभी मेरे पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा, शराबबन्दी कार्यक्रम लागू करना इस कमेटी का उद्देश्य है, जैसा मैं समझ पाया हूँ, तो आप कृपया यह बतलायें कि क्या इस कार्यक्रम को ठीक प्रकार से लागू कर पाये हैं और विद्यालयों के पास से, मन्दिरों के पास से, मस्जिदों के पास से किन किन नगरों और कस्बों में शराब की दुकानें हटाई गई हैं ? और नहीं हटाई गई हैं, तो क्यों ? क्या यह नीति के अन्दर नहीं आता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखा गया है, जो भी आवंटन हो उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार की दुकानें विद्यालयों के पास नहीं हों, मन्दिरों के पास नहीं हों, मस्जिदों के पास नहीं हों। सिर्फ झगड़ा एक बात का चल रहा है, विभागीय कमेटी में फर्क इस बात का

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लगता है कि मन्दिरों की जगह पर, किन-किन को मन्दिर माना जाय । देवस्थान विभाग ने जिन मन्दिरों की सूची विभाग को दी है उनको मन्दिर मान लिया गया है ।

श्री राजबहादुर : मन्दिर को छोड़िये, विद्यालयों की बात लीजिये । क्या विद्यालयों के पास दुकानें नहीं हैं ? क्या यह बात भी सही नहीं है कि एक भी नगर में, एक भी क़स्बे में ये दुकानें नहीं हटाई गई हैं ? मजदूरों की बस्तियों में दुकानें नहीं होंगी, इस प्रकार के नियम बने हुये हैं । विद्यालयों की बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां जहां की हमारे पास शिकायतें आई हैं वहां अगले साल बन्द कर देंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहता हूँ कि देवस्थान विभाग ने कौन कौन से मन्दिरों की सूची दी है ? क्या आधार माना है, विद्यालयों के पास, मंदिरों के पास.....

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य । यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : देवस्थान विभाग ने जिन मन्दिरों की सूची दी है उनको आधार माना गया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कमेटी की चार मीटिंग हुई हैं, उनकी तारीखें मन्त्री महोदय के पास नहीं हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 मीटिंगों में और एक वर्ष की अवधि में, आपने इस क्षेत्र में क्या प्रगति की किसी भी तरह की, किसी भी मामले में ? एक बात । दूसरी बात, उक्त चार मीटिंग में क्या सुझाव आये ? वह बता दें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अलग अलग प्रोसिडिंग्स हैं । गोकुल भाई भट्ट से भी बात की है । 11 तारीख को मुख्य मन्त्री जी से बात करेंगे और विचार विमर्श करके किसी भी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है एक बार भी मीटिंग नहीं हुई है । अगर मीटिंग हुई है तो उसकी प्रोसिडिंग्स सदन की मेज पर रख दी जायं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न आया है इसका जवाब यह है कि प्रोसिडिंग्स सारी की सारी सदन की मेज पर आ जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्रसिंह ।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, प्रोसिडिंग्स बता नहीं रहे हैं । मैं यह निवे-

(श्री कमलेन्द्र सिह)

दन करना चाहता हूँ कि अभी जो आरक्षण किये गये हैं वह 2 साल के लिये किये गये हैं। फिर मीटिंग में कैसे करेंगे और क्या निर्णय लेंगे और किस प्रकार से लागू करेंगे ? और दूसरी बात....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह गवर्नमेंट की पालिसी है कि दो साल के लिये आरक्षण किया जाय। इसके बारे में कमेटी विचार करेगी...

श्री कमलेन्द्र सिंह : उनको अगले साल कैसे हटायेंगे ? दो साल तक तो जो भी निर्णय होंगे उनको क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे आप...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री हीरा-लाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि सार्व-जनिक स्थानों, बस स्टेण्ड, विद्यालयों

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री हीरालाल आर्य, : वहां पर दुकानों....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री मांगीलाल आर्य।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया मन्दिरों के पास, स्कूलों के पास शराब की दुकानें...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा मैंने निवेदन किया कि...

श्री मांगीलाल आर्य : लेबर कालोनी में, हरिजन बस्तियों में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिये, ऐसी राज्य सरकार की नीति है। मैं मन्त्री महोदय से यह जान-कारी करना चाहूँगा कि क्या इस प्रकार की हरिजन बस्तियों में, लेबर कालोनी में शराब की दुकानें हटाने की कार्यवाही की गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां जहां की शिकायतें आती हैं वहां से हटा दी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैंरू लाल भारद्वाज।

श्री भैंरू लाल भारद्वाज (जमवा राम-गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कमेटी के ध्यान में यह बात लाई गई है कि ठेकेदार अपने ठेके सब लेट कर देते हैं और वह लोग ऐसे स्थानों पर दुकानें खोल लेते हैं। दूसरी बात यह है कि देवस्थान विभाग ने जो सूची दी है, जो भी मन्दिर है उसको मानना चाहिये। केवल देवस्थान विभाग की सूची को ही आधार नहीं मानना चाहिये। ऐसे स्थानों के आस-पास शराब के ठेके नहीं होने चाहिये, क्या कमेटी के ध्यान में यह बात लाई गई है ? और यदि नहीं लाई गई है, तो क्या मन्त्री महोदय लायेंगे ?

श्री मांगीलाल आर्य : भरतपुर में मन्दिरों के नीचे और मस्जिदों के नीचे शराब की दुकानें चल रही हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कमेटी इस पर विचार करेगी और उसके बाद गवर्नमेन्ट विचार करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : कमेटी क्या विचार करेगी यह नियम तो पहले से ही बने हुये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां जहां की शिकायत आई हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियम बने हुये हैं, इन नियमों का किस सीमा तक पालन किया जाय क्या यह कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है लेकिन जहां जहां की शिकायतें आई हैं और कई जगह पर बन्द भी करवाई हैं....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मालाराम। श्री कैलाश मेघवाल।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा जारी जाली सम्मन

437. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाली के एक मुन्सिफ एवं न्यायिक दण्डनायक न्यायालय की मुहरों का उपयोग कर दिल्ली व आगरा के कई लोगों को गंभीर अपराधों के अभियुक्त होने के सम्मन जारी करने की राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिक जांच कराई थी ?

(2) यदि हां, तो इस प्राथमिक जांच के आधार पर कहां कहां के रहने वाले कितने लोगों को किस किस अपराध के अन्तर्गत सम्मन जारी किये गये और इस तरह सम्मन जारी करने का क्या उद्देश्य था एवं वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है ?

(3) क्या जाली सम्मनों के शिकार लोगों को सरकार क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस रूप में व कब तक ?

विधि मन्त्री (श्री अहमद बक्श सिन्धी) : (1) जी हां।

(2) जी हां। इस प्राथमिक जांच के आधार पर दिल्ली के 19 एवं हरियाणा के 2 व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/434 में सम्मन जारी किये गये। सम्मन जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है। सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही चल रही है। उद्देश्य के बारे में अभी कहना मुश्किल है। वह इन्क्वायरी के बाद ही कहा जा सकता है।

(3) जी नहीं। उन लोगों द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार की जानकारी में यह मसला आने के बाद किसी स्तर पर विचार करके यह बात हुई है कि मिसयूज ऑफ दी प्रोसेस आफ ला फ्यूचर में नहीं हो इसके लिये तत्परता बरती जाय ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी के फलस्वरूप जो नतीजा सामने आयेगा, उसको सामने रखकर ही विचार और निर्णय लिया जा सकता है, उससे पहले कहना सम्भव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा जो प्रारम्भिक जांच की गई उस जांच के परिणाम स्वरूप यह जानकारी मिली कि फर्जी सम्मन जारी किये गये और फर्जी मुहर को उपयोग में लाया गया ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : प्रारम्भिक जांच के बाद ही तो निलम्बित किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : हाई कोर्ट के किसी जज द्वारा कोई इन्क्वायरी करना मेरे नोटिस में नहीं है लेकिन इन्क्वायरी हाई कोर्ट द्वारा ही की जा रही है और उस प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के फलस्वरूप ही उस आदमी को सस्पेण्ड कर दिया गया है। जांच के बाद यह बात निकलेगी कि फर्जी कार्यवाही की गई है और क्या किया गया। जो बात सामने आयेगी उसके अनुसार दण्डित किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी जिस किसी ने भी की हो, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के बाद यह बात सिद्ध हो गई कि फर्जी सम्मन जारी किये गये और ऐसा करने के लिए फर्जी मुहर का उपयोग किया गया ?

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : माननीय अध्यक्ष महोदय, It is putting the cart before the horse.

इन्क्वायरी के बिन्दु इन्क्वायरी आफिसर के सामने क्या आये, उसका जवाब देना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के बारे में पूछा है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के आधार पर ही उसको सस्पेण्ड किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि उसको इसलिए निलम्बित किया गया कि उसके द्वारा फर्जी मुहर और फर्जी सम्मन का उपयोग किया गया ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जब प्राइमाफेसी मामला ऐसा हुआ तभी उसको सस्पेण्ड किया गया।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : तब तो काग्नीजेबल आफेन्स है और जांच की आवश्यकता नहीं थी और चालान करना चाहिये। आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या आपने एफ. आई. आर. लॉज की थी ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, अगर इन्क्वायरी से यह जाहिर

(श्री अहमद बख्श सिन्धी)

हुआ कि काग्नीजेबल ऑफेन्स है क्योंकि अभी प्रिजम्पशन लिया है, उसको इन्नोसेन्ट माना गया है।

श्री अध्यक्ष : जुडिशियल ऑफिसर हैं।

श्री अहमद बख्श सिन्धी : हां, जुडिशियल ऑफिसर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कानून में कोई एक्सेप्शन है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अहमद बख्श सिन्धी : पहले एक का जवाब दे दूं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा, यह कृपया हमको समझा दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूर्व में व्यवस्था दे दी कि जब तक कोई विवाद नहीं हो और मुझे निर्णय नहीं देना हो, उसको समझने की मेरी जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मन्त्री महोदय का जवाब हम तो नहीं समझे।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ सकते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया, उसको निलम्बित इसलिए किया गया कि उन्होंने फर्जी मुहर का उपयोग किया और फर्जी सम्मन जारी किये। यदि यह सच है तो मैं पूछना चाहूँगी, क्या यह काग्नीजेबल ऑफेन्स नहीं बनता है ? और यदि बनता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री अहमद बख्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी और थोरो इन्क्वायरी में डिफरेन्स है। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी से ऐसा मालूम हुआ कि ऐसा किया गया, तो उसको सस्पेन्शन का दण्ड दिया। थोरो इन्क्वायरी के बाद जो नतीजा सामने आये वह प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के खिलाफ भी हो सकता है। आप भी वकील हैं, इस बात को जानती हैं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के बाद केस रजिस्टर हुआ, फौजदारी का केस है, 467 में काग्नीजेबल ऑफेन्स नहीं है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अहमद बख्श सिन्धी : यह हाई कोर्ट का काम है, मेरा नहीं है।

(व्यवधान)

वह ऑफिसर हाई कोर्ट का था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्रिमनल ऑफेन्स गवर्नमेन्ट के अधीन होते हैं, राजस्थान सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। कोई जुडिशियल डिपार्टमेन्ट का आदमी अगर चोरी कर ले तो क्या यह कहा जायगा कि हाई कोर्ट का कर्मचारी है इसलिए एक्शन नहीं लिया जा सकता।

श्री अहमद बख्श सिन्धी : यह हाई

(श्री अहमद बक्श सिन्धी)

कोर्ट के जज का सोल डिस्क्रिशन है वह उसको छोड़ दे, इस्तगासा दायर करे या उसको पुलिस में दे।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : कोई मजिस्ट्रेट कतल कर दे तो क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : The law has been violated and you must take action under the law. पुलिस को काग्नीजेन्स लेने का पूरा अधिकार है। जब केस प्राइमाफेसी एस्टेब्लिश हो गया तो सारे अधिकार गवर्नमेन्ट को हैं, आपका कर्तव्य है कि केस रजिस्टर करा कर उसको प्रोसीक्यूट किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, मुझे हमदर्दी है माननीय सदस्य से....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मुझे तरस है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : आप तो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, पार्लियामेन्ट के मैम्बर रहे हैं....

(व्यवधान)

पार्लियामेन्टरी अफेयर्स के मिनिस्टर रहे हुए हैं, मैं क्या बताऊं, जुडिशियल ऑफिसर न तो गवर्नमेन्ट अपाइन्ट करती है और न ही....

(व्यवधान)

सुनिये आप, तबादला करना, इन्क्वायरी करना, सजा देना या क्या कार्यवाही करनी है यह जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में वेस्ट करता है। राज्य सरकार का इसमें कोई लेना-देना नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : मान लीजिये, जुडिशियरी का कोई आदमी कतल करे तो एक्शन कौन लेगा ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : हाइपोथिकल सवाल न करें।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक अपराधी को देश की दाण्डिक प्रक्रिया के अनुसार ही दण्ड देने का प्रावधान है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, एक सरकारी ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर और एक आर्डिनरी मेन में फर्क है, लॉ में भी फर्क है।

(व्यवधान)

एक मिनट ठहरिये। जुडिशियल कार्यवाही करते वक्त in exercising his judicial power कोई काम करता है और जुर्म करता है तो आर्डिनरी आदमी की हैसियत के अनुसार काग्नीजेबल ऑफेन्स है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे, क्या यह सही है कि पाली के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने ....

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नहीं था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसने फर्जी सम्मन जारी किये और फर्जी मुहर का उपयोग इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज किया है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह प्रिज्यूम किया जायगा कि इसके पास यह केस है, मिसल है और अगर नहीं तो सजा मिलेगी....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपसे ज्यादा कानून जानता हूं, मोहतरमा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। यह पाली जिले का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के लॉ मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान के लॉ मिनिस्टर इस तरह के जवाब देते हैं तो इनके जवाब को सदन की कार्यवाही से निकाल देना चाहिये क्योंकि इससे राजस्थान सरकार की बदनामी होती है कि ऐसे ऐसे लॉ मिनिस्टर हमारे यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

अगला प्रश्न। श्री छोतरलाल आर्य श्री हीरालाल आर्य।

बून्दी में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की शिकायत

438. **श्री छोतरलाल आर्य** (अटरू) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बून्दी में आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे मकानों में बरती जा रही अनियमितताओं की शिकायत सरकार को वहां के नागरिकों से प्राप्त हुई ?

(2) क्या उक्त मामले की जांच की गई? यदि हां, तो उसमें क्या त्रुटियां पाई गई?

(3) क्या सरकार उक्त भवनों में पाई गई अनियमितताओं को शीघ्र दूर करने व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करेगी ?

श्री दुलाराम (आवासन मन्त्री) : (1) जी हां। आवासन मण्डल को प्राप्त हुई थीं।

(2) जी हां। जांच के दौरान कोई अनियमितता व त्रुटि नहीं पाई गई।

(श्री दुलाराम)

(3) चूंकि जांच के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई गई अत: किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि यह जो शिकायतें बून्दी जिले के अन्दर आवासन मण्डल के भवनों के बारे में थीं उसमें मुख्य मुद्दे क्या क्या थे, यह शिकायतें किस के द्वारा की गयी हैं और क्या उन सभी की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ?

श्री दुलाराम (आवासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, बून्दी जिले के अन्दर आवासन सम्बन्धी एक तो मैटीरियल के बारे में और विकास के बारे में नाली और सड़कों आदि के बारे में शिकायतें आई थीं, यह कुल मिला कर 18 शिकायतें थीं और हमने 18 ही शिकायतों की जांच करवायी। इसके अलावा भी अगर माननीय सदस्य के पास कोई और शिकायतें हों तो आप मुझे बतावें मैं उनकी शिकायतों की दुबारा जांच करवा लूंगा ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, बून्दी जिले के लोगों ने जो शिकायतें पेश की थीं वह मुख्यत: मकान के आवेदन पत्रों के देते समय जो शर्तें मकान बनाकर देने की थीं उनके अनुसार मकान नहीं बनाये जाने के बारे में थीं। मकान जो दिये गये वह साइज में छोटे हैं। जो मकान बने हैं उनमें न तो खिड़कियां हैं और न किवाड़ ही लगे हुए हैं और न ही आलमारियां वगैरह बनी हुई हैं। इसके अलावा जिस तरह के मकान वहां बनाये जाने थे उस तरह के मकान नहीं बनाये गये, जैसे उन मकानों में फर्श बननी चाहिये थी सीमेन्ट की, वह सीमेन्ट की नहीं बनाकर पत्थर की बनायी गयी। लोगों को अलाटमेन्ट तो मकानों के हो गये पर उन लोगों को पजेशन उन मकानों का नहीं मिला है, वह लोग अलाटमेन्ट लैटर लिये हुए इधर उधर डोल रहे हैं। इसके अलावा सड़क की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है। जो मैटीरियल उन भवनों में लगा है वह निम्न श्रेणी का लगा है। जब बरसात होती है तो वह मकान बरसात में चूते हैं। अब और कीमत बढ़ा दी गयी है। मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कह दिया कि हमने जांच करवायी और उस कार्य में त्रुटि नहीं पायी गई। यह तथ्य सही नहीं है।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये आवासन मण्डल में एक समिति बनी हुई है जो कि जांच करती है। जो 18 शिकायतें प्राप्त हुईं उन 18 शिकायतों की जांच करवा ली गयी है। अगर इसके बाद में भी माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि और शिकायतें हैं तो मैं उनकी दुबारा जांच करवाने के लिये तैयार हूँ। जहां तक सवाल मैटीरियल का है वह तो सही है।

इसके अलावा जो कीमत की बात है, तो कीमतें तो बढ़ती रहती हैं और बढ़ेंगीं भी, जैसे मकान होंगे उनकी उस तरह की कीमतें होंगी। जैसे एम. आई. जी. एच., एल. आई. जी. एच., ई. एस. डब्ल्यू. और जिस एरिया में जैसे मकान मांगे जाते हैं उस तरह के अलाट किये जाते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जैसे आवेदन में देने के लिये कहा गया था वैसे मकान नहीं हैं।

श्री बुलाराम : अध्यक्ष महोदय, अगर इसकी शिकायत कोई है तो उसकी जांच करवा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : आपने जो यह शिकायतें आई हैं उसमें किससे जांच करवायी थी ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आपने मैटीरियल की जांच किस अधिकारी से करवायी ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, वरसात में मकान चूते हैं और मकानों की ऐसी हालत है कि वह कभी भी गिर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, लोगों के जीवन का प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि हमने जांच करवा ली तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने मैटीरियल की जांच किससे करवायी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जांच करवायी है वह किस अधिकारी से करवायी है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न। स्थगित प्रश्न।

श्री रामधन।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 मार्च, 1984)

पंचायत समिति लाडनूं में गरीब को छप्पर योजना में लाभान्वित व्यक्ति

259. **श्री रामधन चौधरी** (लाडनूं) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति, लाडनूं में वर्ष 1983-84 के लिये गरीब को छप्पर योजना के तहत कितने परिवारों को ऋण दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, लाडनूं की 25 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ तीन ग्राम पंचायतों के लोगों को ही उक्त योजना का लाभ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजनैतिक तौर पर पक्षपात करके अन्य ग्राम पंचायतों को इस लाभ से वन्चित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत बाकलिया को इस योजना का आधे से ज्यादा लाभ दिया गया ? यदि हां,

(श्री रामधन चौधरी)

तो क्यों ? क्या इस पंचायत क्षेत्र के परिवारों के चयन में भारी पक्षपात किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि गरीब को छप्पर योजना के तहत 1981-82 में 21 परिवारों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी, जिसका भुगतान नहीं हुआ है यदि हां, तो क्यों ? क्या ये 21 परिवार सिर्फ एक ही गांव के हैं ? क्या आज तक भुगतान नहीं करना सरकार की नीति के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि गरीब को छप्पर योजना के तहत परिवारों के चयन एवं भुगतान में पक्षपात किये गये हैं, फर्जी हस्ताक्षर करवा कर सही भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) वर्ष 1983-84 में पंचायत समिति लाडनूं को एल. आई. सी व जी. आई. सी ऋण योजना के तहत 277 परिवारों को ऋण दिया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति, लाडनूं की 4 ग्राम पंचायतों को उक्त ऋण योजना का लाभ मिला है तथा 4 ग्राम पंचायतों को अनुदान योजना का लाभ मिला है। इस प्रकार कुल आठ पंचायतों को लाभ मिला है। अन्य ग्राम पंचायतों के व्यक्तियों ने ऋण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत बाकलिया के व्यक्तियों द्वारा ऋण योजना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। गरीब को छप्पर अनुदान योजना में पंचायत समिति क्षेत्र के 61 व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 24 व्यक्तिय बाकलिया के लाभान्वित हुए हैं। परिवारों के चयन में कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं। वर्ष 1981-82 में गरीब को छप्पर अनुदान योजना में कुल 140 व्यक्तियों को स्वीकृति दी गई थी। उनमें से 1981-82 में 96 व्यक्तियों को व 1982-83 में 7 व्यक्तियों को अनुदान का भुगतान कर दिया गया था। शेष 37 व्यक्तियों द्वारा शर्तों के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ नहीं करवाये जाने के कारण उनकी स्वीकृति रद्द कर अन्य व्यक्तियों को अनुदान दिये जाने की स्वीकृति 1983–84 में दी गई। ऐसे 21 परिवार किसी एक गांव के नहीं हैं जिनको भुगतान न किया गया हो। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं। जांच करवाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पहला प्रश्न यह है कि तहसील लाडूनं के ग्राम डेडना में 81–82 व 82–83 में 26 व्यक्तियों का चयन हुआ था उनको पेमेन्ट पिछले दिनों में हुआ है, मेरा यह निवेदन कि जिन 26 व्यक्तियों का गरीब को छप्पर के तहत चयन किया गया था उनको पेमेन्ट क्यों नहीं हुआ ? जब उनको अनुदान राशि नहीं मिलेगी तो वह मकान कैसे बनायेंगे, अभी करीब 20 दिन पहले वहां पर लोगों को भुगतान किया गया है इसका क्या कारण है ?

इसके अलावा तीसरे प्रश्न के जवाब में मन्त्री महोदय ने जो कहा है, "जी नहीं," इसका कारण यह बताया है कि वहां पर लोगों के द्वारा ऋण योजना के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । अध्यक्ष महोदय, यह जो 750 रुपये सब्सिडी के मकान बनाने के लिये गरीब लोगों को गरीब को छप्पर के तहत दिये जाने थे, उन लोगों का चयन हो जाने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला । जब गोविन्द-सिंह जी राज्य मन्त्री जी लाडनूं आये थे तब उनके सामने लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये थे उसके एक साल बाद उन लोगों को भुगतान किया गया जबकि उन्हें यह 750 रुपया पहले ही मिल जाना चाहिये था। मन्त्री महोदय को जो रिपोर्ट मिली है वह पंचायत समिति के आधार पर ही मिली है । मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वह इसकी जिला अधिकारियों के द्वारा जांच करालें । इसमें गड़बड़ी हुई उसका साबित होना भी पाया गया है ।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, गरीब को छप्पर योजना के तहत अनुदान की राशि 750 रुपया उन गरीब लोगों, जिनका कि चयन हुआ, को दी गयी । इसमें तो गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को ही यह पैसा दिया जाना था । अगर माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वह लोग ऐसे नहीं हैं तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें कई ऐसे लोगों को पैसा मिला है जो कानूनी हकदार नहीं थे । सही मायने में जिन लोगों का चयन किया गया था वह 26 व्यक्ति थे । जिनका सन् 82–83 में चयन किया गया था उनको दो साल तक पैसा नहीं दिया गया । दो साल का डिले हुआ इसके क्या कारण थे, इसकी निष्पक्ष जांच करवायें और इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही करें ।

इसके अलावा ग्राम बाकलिया में जिन लोगों को सब्सिडी के पैसे दिये गये उस पैसे में तो मकान बन नहीं सकता । उन्होंने ऋण के लिये भी आवेदन दिये हैं....

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्षजी, यह सब्सिडी के 750 रुपये का भुगतान जो किया गया है वह तो गरीब को छप्पर योजना के तहत किया गया है और लोन की जो बात है वह अलग बात है । यह दोनों ही अलग अलग बातें हैं ।

माननीय सदस्य अगर इसमें चाहते हैं कि कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो मैं इसकी निष्पक्ष जांच करवाने को तैयार हूं । इसमें अगर कोई दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे तो मैं

(श्री शीशराम ओला)

दोषी लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लूंगा।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान की राशि गरीब को छप्पर योजना के तहत मिल रही है। जो ऋण देने की बात है, इसमें पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर में भी गरीब को छप्पर योजना के तहत पैसा मकान बनाने के लिये नहीं दिया गया है। वहां पर भी इसके बारे में काफी f कायतें हैं।

(12.00 मध्यान्ह)

वहां पैसा पूरा उठा लिया गया है, कोई मकान नहीं बना है, किसी गरीब को पैसा नहीं मिला है। मैं खुद पंचायत समिति में गया था, मैं कुछ पंचायत समितियों के नाम बताऊंगा जहां गरीबों के नाम से 750 रुपये के हिसाब से पैसा उठाया गया है और गरीबों को एक भी पैसा नहीं मिला। इस बात की हमने पहले जिलाधीश महोदय को भी शिकायत की थी लेकिन कोई जांच नहीं हुई है। यदि कोई जांच अधिकारी या अन्य साथ आना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, वहां उनको एक भी पैसा नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न, माननीय सदस्य यह लाडनूं पंचायत समिति के बारे में है।

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में एक सरपंच और जिला विकास अधिकारी के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक लाडनूं में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह बात साबित हो चुकी है कि उस आदमी का अगूंठा नहीं है, एस. सी. के व्यक्ति के नाम से भुगतान फर्जी हुआ है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सिनवार ग्राम पंचायत में मेघवाल नाम के व्यक्ति के नाम से पैसा उठाया गया लेकिन वह उसे नहीं मिला। उसने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, उसकी जांच हुई, जांच से साबित हो गया कि वह इस ग्राम के क्षेत्र में नहीं आता है उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। विकास अधिकारी और सरपंच कहता है कि हम उसे जानते हैं यह आदमी मांगी लाल है। लेकिन वह पंचायत समिति के क्षेत्र में नहीं था। विकास अधिकारी और सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री शीशराम ओला : सरपंच बताता है विकास अधिकारी को कि वह व्यक्ति क्षेत्र में आता है या नहीं। यदि सरपच कहता है कि व्यक्ति वही है तो यहां से सीनियर डिप्टी कमिश्नर भेजकर कलेक्टर की सहायता से उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जायेगी और जो तथ्य सामने आयेंगे उसके तहत कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या मन्त्री महोदय यह कृपा करेंगे कि जिस-जिस पंचायत समिति में गरीब को छप्पर योजना के अन्तर्गत ऋण या अनुदान दिया गया है, उसकी पंचायत समिति के स्तर पर एक लिस्ट प्रकाशित करवाई जाये ताकि आम जनता को यह जानकारी मिल सके कि अमुक व्यक्ति को, अमुक गांव वाले को पैसा मिला है ?

श्री शीशराम ओला : यह बहुत अच्छा सुझाव है, मैं यह कार्य कराऊंगा कि पंचायत समितियों की लिस्ट प्रकाशित करवाई जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बांध दीजिये इसकी।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर का मन्त्रिमण्डल द्वारा दौरा

548. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के मन्त्रिमण्डल के राजस्थान नहर दौरे की निरीक्षण सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय टिप्पणी संख्या 206 से 216 पर सितम्बर 1982 को मुख्य अभियन्ता कार्यालय, बीकानेर में विचार-विमर्श कर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वरिष्ठ अधिकारी राजस्थान नहर स्थल का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण नहीं करते हैं? यदि यह सही है, तो राज्य सरकार ने भविष्य के लिये क्या-क्या निर्देश अधिकारियों के पालन के लिये जारी किये हैं? कृपया निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजस्थान नहर का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण नहीं करने के निष्कर्ष राजस्थान राज्य के मंत्रिमण्डल द्वारा निकाला गया था। मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 206 से 216 की अनुपालना में एक संयुक्त बैठक आयुक्त क्षेत्रीय विकास, राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर की अध्यक्षता में दिनांक 8.9.82 को बुलाई जाकर निर्णय लिये गये थे। इन निर्णयों को मुख्य अभियन्ता राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक 2542–47 दिनांक 1.10.82 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाकर निर्देश दिये गये थे कि दृढ़ता से पालन हो।

कोटा ड्रेनेज व नहरों के लिये अवाप्त भूमि

549. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा जिले में नहरों व ड्रेनेज कार्यों के लिये अवाप्त की गई भूमि का कितना मुआवजा देना अभी शेष है? मुआवजा अभी तक नहीं चुकाया जाने का क्या कारण है? सूची निम्न तालिका में सदन के पटल पर रखने की कृपा करें:–

1) नाम कृषक व पता 2) कितनी भूमि अवाप्त की 3) किस हेतु अवाप्त की 4) अवाप्ति का दिनांक 5) कितना मुआवजा बना 6) अब तक नहीं चुकाने का कारण।

(2) क्या सरकार जन हित को मद्देनजर रखते हुए उक्त मुआवजे को शीघ्र चुकाने

(श्री हीरालाल आर्य)

की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। मुआवजा चुकाने में देरी होने का कारण रिक्वीजिशन भिजवाने के उपरान्त राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत एवाड्स जारी करने तक की प्रक्रिया में अधिक समय लगना व आर्थिक कठिनाई है। कुछ अवाप्तियों द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने में विलम्ब भी एक कारण रहा है। निर्धारित तालिका में सूची संलग्न है।

(2) जी हां, यथा शीघ्र।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान नहर प्रथम व द्वितीय चरण में भूमि आवंटन

550. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर), **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) व **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान नहर के प्रथम तथा द्वितीय चरण में कितनी-कितनी भूमि का आवंटन किया गया तथा कितनी–कितनी भूमि का आवंटन शेष है ?

(2) आवंटित भूमि में से कितनी भूमि में सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है ?

(3) जो भूमि आवंटित करनी है, उसमें किस-किस श्रेणी के लिए कितना–कितना आरक्षण किया हुआ है ?

(4) आरक्षित व्यक्तियों को आवंटन करने के लिए कब–कब आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए और कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ?

(5) इन आवेदन-पत्रों का कब तक और किस प्रकार निपटारा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर के प्रथम चरण के क्षेत्र में जनवरी, 84 तक 797737 एकड़ कमाण्ड, 644376 एकड़ अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 1442113 एकड़ भूमि का स्थाई आवंटन किया गया है और 25160 एकड़ कमाण्ड, 25690 एकड़ अनकमाण्ड कुल 50850 एकड़ भूमि आवंटन से शेष है।

(2) द्वितीय चरण के क्षेत्र में जनवरी, 84 तक चक प्लान्स प्राप्त होकर भू-अभिलेख तैयार हुये क्षेत्र में 50589 एकड़ कमाण्ड, 10808 एकड़ अनकमाण्ड कुल 61397 एकड़ भूमि का स्थाई आवंटन किया गया है और चक प्लान्स प्राप्त होकर भू-अभिलेख तैयार हुए क्षेत्र में 66399 एकड़ कमाण्ड, 101830 एकड़ अनकमाण्ड कुल 168229 एकड़ भूमि आवंटन से शेष है।

7.33 लाख एकड़ भूमि में पानी दिया जा रहा है।

(3) प्रथम चरण के क्षेत्र में आवंटन

(राजस्थान नहर मंत्री)

से शेष 50850 एकड़ भूमि में केवल 11717 एकड़ भूमि विशेष आवंटन के लिए आरक्षित है। शेष 11877 एकड़ 5 बीघा तक के छोटे भू-खण्डों की 11502 एकड़ 5 बीघा से बड़े भू-खण्डों की 8078 एकड़ जोहड़पायतन की व 7876 एकड़ बड़े कस्बों की 8 मील की परिधि में स्थित भूमि है जो सामान्य आवंटन की जा सकेगी। द्वितीय चरण में वर्तमान में चक प्लान्स प्राप्त होकर भू-अभिलेख तैयार हुए क्षेत्र में जो 1,68,229 एकड़ भूमि आवंटन से शेष है, उसमें से तहसील कोलायत नं. 1,2,3 में कुल 15992 एकड़ भूमि केवल विशेष आवंटन के लिए आरक्षित की गई है। द्वितीय चरण के क्षेत्र में 39062 एकड़ भूमि भूतपूर्व सैनिकों, सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व कर्मियों, युद्धों में शहीदों के आश्रितों व भूतपूर्व विकलांग प्रतिरक्षा कर्मियों के लिए आरक्षित की जानी है। उपलब्ध राजकीय भूमि का 50% भाग विशेष आवंटन हेतु आरक्षित किया जाना है। भारत पाक युद्ध, 1971 में आये पाक विस्थापितों को 44634 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। पोंग बांध विस्थापितों, जैसलमेर फायरिंग विस्थापितों, चूरू, नागौर, जोधपुर व अन्य जिलों के आवंटियों जिनको भूमि आवंटित है के 50% भाग में सिंचाई नहीं होती है व इन जिलों के उन आवंटियों जिनके कब्जे नहीं लेने से आवंटन निरस्त कर दिये गये व भूमियां अन्य को आवंटित कर दी गई हैं, उनके लिए भूमि आरक्षण दिया जाना है। ये आरक्षण अभी भौतिक रूप से नहीं किये गये हैं। शेष भूमियां अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों को तथा अन्य भूमिहीन किसानों को उनकी प्राथमिकता के क्रमवार आवंटित की जावेंगी। विशेष आवंटन के लिए जो आरक्षित की जायेगी उस भूमि में से महाजन फायरिंग रेन्ज व एयर फील्ड हनुमानगढ़ के विस्थापितों को भूमि आवंटन की जा सकेगी।

(4) प्रथम चरण के क्षेत्र में आवंटन से शेष भूमि में केवल विशेष आवंटन के लिए भूमि आरक्षित है। उसके आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि 20.3.84 रखी गई थी। यह क्षेत्र रोजड़ी फार्म का क्षेत्र है जिसमें विशेष आवंटन में पत्र देने में काश्तकार रुचि कम ले रहे हैं। प्रथम चरण के क्षेत्र में पूर्व में जो भूमि आवंटित है, उसमें वर्ष 1960 से 1983 तक आवेदन पत्र आमंत्रित विभिन्न वर्गों के किये जाकर निम्नानुसार आवंटन किया है :–

क्र. सं	आरक्षण की श्रेणी	तादाद आवेदक	आवंटित क्षेत्रफल (एकड़ों में)
1	2	3	4
1.	युद्धों में शहीदों के आश्रित, व विकलांग सैनिक तथा शौर्य पदक विजेता।	1232	17186
2.	पोंग बांध विस्थापित	9181	105921

(राजस्थान नहर मंत्री)

1	2	3	4
3.	भूतपूर्व जागीरदार	951	27629
4.	कृषि स्नातक	157	2377
5.	भोखड़ा भूमिहीन	1388	37805
6.	स्वतन्त्रता सेनानी	36	568
7.	कृषि फार्म जैतसर	–	13331
8.	उदयपुर विश्वविद्यालय	–	1267
9.	दुग्ध उत्पादन संघ	–	741
10.	विशेष आवंटन	1066	12015

द्वितीय चरण के क्षेत्र में विशेष आवंटन के लिए 15992 एकड़ भूमि विज्ञापित की गई है। जिसके लिए अभी तक आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये गये हैं। जो अब शीघ्र ही किये जावेंगे। द्वितीय चरण के क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों, राजस्थान के भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मियों, सेना, सुरक्षाबल के भूतपूर्व कर्मियों एवं विभिन्न युद्धों के शहीदों के आश्रितों व विकलांगों के लिए आवंटन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 1. 6. 83 से 31 .8. 83 तक आमंत्रित किये गये थे। जिलाधीशों के यहां से प्राप्त सूचना के अनुसार जिलावार प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। प्राप्त आवेदन पत्रों में जिलाधीशों ने जांच उपरान्त जो आवेदन पत्र अपने प्रमाणीकरण सहित उपनिवेशन विभाग को भेजे हैं उनका विवरण भी सूची "क" में उपलब्ध है। शेष प्रस्तावित आरक्षणों के वर्गों के आरक्षणों को अंतिम रूप दिये जाने पर उनके आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

(5) विभिन्न प्रकार के आरक्षण जिनके आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिये गये हैं, आमंत्रित करने शेष हैं। उनका निपटारा शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है। निपटारे की प्रक्रिया राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में निर्धारित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

इटावा ब्रांच केनाल विनायका गांव की असिंचित भूमि

551. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इटावा ब्रांच केनाल व विनायका गांव के बीच करीब 2000 बीघा जमीन में सिंचाई नहीं होती है?

(2) क्या यह भी सही है कि डोरली के नाले से यदि उक्त क्षेत्र के लिए नई नहर निकाली जाय तो उक्त क्षेत्र में आसानी से सिंचाई हो सकती है?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) क्या सरकार जनहित को मद्दे-नजर रखते हुए उक्त क्षेत्र में नई नहरें निकालने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) विस्तृत सर्वे करवाये बिना बताया जाना सम्भव नहीं है ।

(3) उक्त कार्य का सर्वे एवं निर्माण इस विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है ।

मुख्य नहर में लाईनिंग हेतु सीमेंट व टाइल्स का उपयोग

552. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय),
सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) व
श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मुख्य नहर के आर. डी. 1120 से 1200 तक में लाईनिंग के लिए कितनी बोरी सीमेंट तथा टाइल्स का उपयोग हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इन बुर्जियों के बीच में बैड में टाइल्स के टुकड़े डालकर इन पर केवल मात्र सीमेंट का छिड़काव किया गया है ?

(3) इन बुर्जियों के बीच किस-किस बुर्जी के बीच का कार्य ठेकेदारों से कराया गया तथा किस-किस बुर्जी का कार्य विभाग से कराया गया ?

(4) क्या यह सही है कि निर्धारित मापदण्ड के आधार पर नहर के किनारों व बैड की लाईनिंग नहीं होने के कारण पूरी मात्रा में पानी बहने की स्थिति में नहर के टूटने का खतरा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्तर

(1) मुख्य नहर की बुर्जी 1120 से 1200 तक लाईनिंग के लिए 3.55 लाख बोरी सीमेन्ट तथा 365 लाख टाइल्स का उपयोग हुआ है ।

(2) यह सही नहीं है कि इन बुजियों के बीच गेट में टाइल्स के टुकड़े डालकर सीमेन्ट का छिड़काव किया गया है । बैड का कार्य साधारणतया स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही हुआ है । नहर के बैड में और साइड्स में टाइल्स के टुकड़े भी इस्तेमाल किये जाते हैं । चूंकि टाइल्स की मोटाई कम है, इसलिए उनको भट्टे से नहर तक लाने में, बार बार हैण्डलिंग से कुछ टाइल्स टूट जाती हैं तथा इन टूटी हुई टाइलों को बैड में और साइड्स में पूरी टाइलों के साथ उपयोग किया जाता है । साइड्स में जो ऊपर की परत होती है उन में यथा सम्भव पूरी टाइल ही लगाई जाती है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(4) नहर का कार्य साधारणतया स्पेसिफिकेशन के अनुसार हुआ है और पूरी मात्रा में पानी चलने की स्थिति में नहर टूटने का कोई अंदेशा नहीं है । अगली बन्दी के समय नहर के तल का विस्तृत निरीक्षण कर यदि कोई कमी पाई

(श्री चन्दनमल बैद)

गई तो उसे ठीक करवा लिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राजस्थान नहर की निर्माणाधीन नहरें

553. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सिंचित क्षेत्रय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर वितरक प्रणाली को पक्का किया गया ? नहरों की कुल कितनी कि. मी. लम्बाई है जिसमें से मार्च, 1983 तक कितने कि. मी. लम्बी नहरों का कार्य हो चुका था तथा मार्च, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक कितनी कि. मी. नहरों का कार्य किया जा चुका है ?

उत्तर

सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत फरवरी, 1984 तक कुल 24.98 कि. मी. वितरण प्रणाली को पक्का किया गया। राजस्थान मुख्य नहर के सिंचित क्षेत्रय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निकलने वाली वितरण प्रणाली की नहरों की कुल लम्बाई 1879 कि. मी. है, जिसमें से मार्च, 1983 तक कुल 1814.72 कि. मी. लम्बाई में काम हो चुका था तथा मार्च, 1983 के पश्चात् दिसम्बर, 83 तक 18.52 कि. मी. कार्य हुआ। जिसके फलस्वरूप फरवरी, 1984 तक कुल 1839.70 कि. मी. लम्बाई में कार्य पूरा हो चुका है।

द्वितीय चरण (राजस्थान नहर) निर्माण में एंन्टी साल्ट ट्रीटमेंट प्रावधान

554. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर),
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) व
श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के द्वितीय चरण के निर्माण में "एन्टी साल्ट ट्रीटमेन्ट" का प्रावधान रखा गया था ? यदि हां, तो कब-कब से तथा किस-किस प्रकार का ?

(2) क्या यह सही है कि प्रारम्भ में डामर डालने का प्रावधान था ? यदि हां, तो यह कब बदला गया, और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि डामर के स्थान पर एक फुट मिट्टी डालने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो कब से और इस पर अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना व्यय हुआ है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना के स्पेशिफिकेशन में "एण्टी साल्ट ट्रीटमेंट" का निम्नलिखित प्रावधान है-soil in all reaches will be tested for salt contents before lining is started. In reaches where the total salt content is between 0.5 to 1.0% or sudium sulphate 0.2 to 0.36%,

(राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री)

the first layer of tiles shall be in 1:3 mix. used on ordinary soils, where the salt content is above 1.0 % or sodium sulphate is over 0.36 %. in addition to the use of rich cement morter 1:3, the sub-grade will be first covered with 1/1 6" (0.16 cm.) thick layer of maxphalt 30/40. To get a good borad of bitumen with soil crude oil at the rate of one gallon per sft. (48.96) litres per sqm. be sprayed over it in advance of the spraying of bitumen जो सन् 1979 में अनूपगढ़ शाख की कुछ लम्बाइयों में काम आया।

(2) राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में जहां कि मिट्टी रेतीली है और ऐसे भागों में जहां नहर को चट्टाने काट कर बनाया जाना था, उपरोक्त ट्रीटमेन्ट तकनीकी कारणों से उपयुक्त नहीं समझा गया। उपरोक्त ट्रीटमेन्ट के स्थान पर सब-ग्रेड के ऊपर एक फीट मोटी शुद्ध टीबा रेत की परत देना अधिक उपयुक्त समझा गया। इस संबंध में तकनीकी बिन्दुओं की जांच राजस्थान नहर मण्डल की स्टेंडिंग टेक्निकल कमेटी ने अपनी दिनांक 26.9.83 को हुई बैठक में की और इस कमेटी की सिफारिशों पर राजस्थान नहर मण्डल ने अपनी 105 वीं बैठक, जो कि दिनांक 10.11.83 को हुई, में विचार कर अनुमोदित किया।

(3) जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि डामर के स्थान पर एक फीट रेत की परत डालने का निर्णय दि. 10.11.83 को हुई राज. नहर मण्डल की 105 वीं, बैठक में लिया गया। इस कार्य पर वर्ष 1983–84 में लगभग 7.00 लाख रुपये खर्च एण्टी साल्ट ट्रीटमेंट के नाम हुआ है।

झुंझुनू वृत्त आबकारी अधिकारी का कार्यालय

555. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सीकर, झुन्झुनू वृत्त का आबकारी अधिकारी का मुख्यालय जयपुर है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के पास सीकर एवं झुन्झुनू के अलावा अन्य काम नहीं है?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकारी के यहा रहने से वहां के कर्मचारियों के आने जाने में समय एवं धन की भारी बरबादी होती है? यदि हां, तो पिछले साल सीकर एवं झुन्झुनू से सरकारी काम से इस अधिकारी के पास आने जाने पर कितनी ड्यूटी लीव दी गई एवं कितने टी. ए., डी. ए. का भुगतान हुआ?

(4) क्या उपरोक्त कारणों को देखते हुए इस अधिकारी का मुख्यालय सीकर करने का सरकार का इरादा है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 31-3-79।

(आबकारी मन्त्री)

(2) जी हां।

(3) सीकर एवं झुन्झुनू वृत्त का आबकारी मुख्यालय जयपुर है लेकिन सीकर एवं झुन्झुनू राजस्व जिला मुख्यालयों पर एक एक सहायक आबकारी अधिकारी नियुक्त हैं जिससे आबकारी से संबंधित काफी कार्यवाही वहीं सम्पादित हो जाते हैं। जो कर्मचारी जयपुर आते हैं, वे या तो ज्यादातर आबकारी अभियोगों के नमूने परीक्षण हेतु सार्वजनिक प्रयोगशाला, जयपुर में जमा कराने हेतु तथा जयपुर स्थित न्यायालय के कार्य से आते हैं। इसलिये जिला आबकारी अधिकारी का मुख्यालय जयपुर होने से कर्मचारियों के आने जाने से समय एवं धन की भारी बबादी हुई है, ऐसी बात नहीं है।

(4) आबकारी विभाग का पुनर्गठन करते समय इस बिन्दु पर विचार किया जावेगा।

अजमेर के व्यक्तियों में आबकारी की बकाया राशि

556. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आबकारी अधिकारी, अजमेर के क्षेत्राधिकार में किस किस व्यक्ति में किस किस मद में आबकारी एकाकी विशेषाधिकार व अन्य देय राशियां कब-कब से बकाया हैं? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन राशियों की वसूली हेतु विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है और इन राशियों हेतु कौन-कौन मोतबिर जामिन थे और उनसे वसूली की क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) जिन मामलों में न्यायालयों से स्थगन आदेश हैं उनको छोड़कर अन्य में भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही जारी है।

(2) वर्ष 1981-82 से ही जमानत लेने का प्रावधान किया गया है। अतः उससे पूर्व कोई जामिन नहीं थे। जामिनों के खिलाफ कार्यवाही तभी की जावेगी जबकि मूल बाकीदार से वसूली किया जाना संभव न हो।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

देशी विदेशी मदिरा लाइसेंसधारी द्वारा मासिक किस्त जमा कराना

558. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देशी व विदेशी मदिरा के प्रत्येक लाइसेंसधारी को एकाकी विशेषाधिकार की राशि की मासिक किस्तें पूरी एवं समय पर जमा कराने की सुनिश्चितता निमित्त धरोहर राशि के बराबर मोतबिर जमानत भी प्रस्तुत करनी होती है?

(2) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये अजमेर नगर के देशी व विदेशी मदिरा के लाइसेंसधारियों ने किस किस की जमानत प्रस्तुत की है? कृपया

(श्री कैलाश मेघवाल)

नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, व्यवसाय, आवास एवं उसके द्वारा दी गई जमानत की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

उपयोजना क्षेत्र के जनजाति आदिवासियों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा ऋण

559. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जनजाति उप–योजना क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को वर्ष 1980 से 1983 तक जनजाति विकास सहकारी निगम वाणिज्यिक बैंकों से विभेदी ब्याज पर चार प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण प्राप्त कर वितरण करता है? यदि हां, तो यह योजना कब से प्रारम्भ की गई है और अब तक उपयोजना क्षेत्र के कितने आदिवासियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है? कृपया तहसीलवार लाभान्वित व्यक्तियों की वर्षवार संख्या सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

यह सही है कि विभेदी ऋण योजना के अन्तर्गत केवल वर्ष 1980 में एक बार राजस संघ ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया से 25.00 लाख रुपया का ऋण विभेदी ब्याज 4 प्रतिशत की दर पर प्राप्त किया था। यह योजना अक्टूबर, 1980 में प्रारंभ की गई थी तथा इसके अन्तर्गत लेम्पस को उपलब्ध कराई गई रकम का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इस योजना के अन्तर्गत आदिवासियों को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित नहीं किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

आवासन बोर्ड द्वारा गांधी गृह का निर्माण

560. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

आवासन बोर्ड द्वारा वर्ष 1980 से जनवरी 1984 तक गांधी गृह कहां-कहां और कितनी संख्या में बनाये जा रहे हैं?

उत्तर

कहीं नहीं बनाये गये।

चित्तौड़गढ़ हरिजन बस्तियों में बिजली व पेयजल व्यवस्था

561. **श्री नंदलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्ष 1983 84 में जिले के समस्त प्रधानों एवं नगरपालिकाओं के चेयरमैनों से अपने क्षेत्र में रहने वाले हरिजनों की बस्तियों में पेयजल एवं बिजली व्यवस्था रहित बस्तियों की सूची चाही गई थी? यदि हां, तो जिले में अब कितनी

(श्री नंदलाल मीणा)

हरिजन बस्तियां हैं जहां उक्त सुविधाओं का अभाव है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त बस्तियों में से वर्ष 1984-85 में कितनी बस्तियों में बिजली व पानी उपलब्ध करवा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह शिकायत प्राप्त हुई है कि हरिजन बस्तियों में उपलब्ध करवायी गई पेयजल सुविधा का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है ? जिले में अब तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची अनुच्छेद (क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस विषय में निर्णय लिया जा रहा है।

(3) जिले में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

कोटा में पत्थर पालिश करने की मशीन

562. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा स्थित आवासन मण्डल कार्यालय द्वारा पत्थर की पालिश करने हेतु कोई मशीन लगाई गई है ? यदि हां, तो कब और कहां पर, तथा उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(2) वर्तमान में इस पर किस-किस श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(3) गत दो वर्षों में वह फैक्ट्री कब-कब बन्द रही व क्यों ? गत 2 वर्षों में कितना कार्य उक्त फैक्ट्री ने किया व उक्त फैक्ट्री के पत्थर को कहां-कहां किनको किस शर्त पर दिया गया ?

(4) गत 2 वर्षों में फैक्ट्री की आय का ब्यौरा कृपया सदन के पटल पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1980-81 में चार मशीनें खरीदी गई जिनकी कीमत 89,000/- रुपये थी तथा इस योजना में कुल व्यय सन् 1981 में 51548/- रुपये हुआ है। मशीनें अभी लगाई नहीं गई हैं।

(2) देखभाल हेतु ठेके पर सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है।

(3) चूंकि मशीनों का इन्स्टालेशन कार्य पूरा नहीं हुआ है अतः प्रश्न नहीं उठता है।

(4) कार्य प्रारम्भ न होने से कोई आय नहीं हुई।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपलब्ध मकान

563. श्री जीतमल जैन (अलवर) एवं **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जीतमल जैन)

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1971 व 1973 में पंजीकृत आवेदकों में से कितने व्यक्तियों को मकान उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा कितने शेष हैं? आवंटियों में से कितने व्यक्तियों को वास्तविक कब्जा दिला दिया गया है? वर्ग एवं श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामान्य पंजीकरण योजना 73 में निर्धारित मकानों की श्रेणियों एवं आय वर्गों में पंजीकरण के पश्चात् कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या 73 के आवेदकों को पुरानी श्रेणियों में ही रखा गया है या उनके लिये वैकल्पिक प्रावधान की सुविधा भी रखी गई है?

(3) क्या इन आवेदकों को परिवर्तनों की सूचना देकर अगली श्रेणी एवं आय वर्ग में विकल्प देने की, न्यायोचित सुविधा एवं अवसर प्रदान कर उचित आय वर्ग में रखा गया है?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में वर्ष 1971 एवं 1973 में क्रमशः 5291 एवं 25978 आवेदकों का कुल पंजीकरण किया गया। उनमें से क्रमशः 3871 एवं 14143 आवेदकों को मकान उपलब्ध करा दिये गये हैं एवं इनमें से वर्ष 71 के 3842 एवं वर्ष 1973 के 13,009 आवंटियों को वास्तविक कब्जा दे दिया गया है। वर्ष 1971 के अब कुल 81 आवेदक एवं वर्ष 1973 के 7827 आवेदक शेष बचे हैं। वर्ग एवं श्रेणीवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां, 1973 के आवेदकों को पुरानी श्रेणी में ही नहीं रखा गया है, इसके लिये वैकल्पिक प्रावधान को भी सुविधा रखी गई थी।

(3) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मारवाड़ जंक्शन रानी व देसूरी के लघु उद्योगों को धन

564. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लघु उद्योगों के लिए किन किन लोगों को किस-किस उद्योग के लिए कब-कब कितना-कितना रुपया दिया गया? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

पं. स. चित्तौड़गढ़ में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना

565. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति चित्तौड़ में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत अब तक कितने अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण दिये गये हैं ?

(2) ऋण देने योग्य व्यक्तियों को छांटने का क्या मापदण्ड निर्धारित है ? क्या यह सही है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी ऋण दिया गया है जिनकी मासिक आय 600/– रुपये से अधिक है ? यदि हां, तो ऐसे सम्पन्न व्यक्तियों को ऋण व अनुदान किस दृष्टिकोण से दिया गया है ? सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1978–79 से माह फरवरी, 84 तक 1318 अनु. जाति के परिवारों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

(2) लघु कृषक, सीमान्त कृषक, कृषक मजदूर, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण दस्तकार एवं अन्य परिवार जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 700/–रू. से कम हो, उनका ही इस कार्यक्रम में लाभान्वित करने हेतु चयन किया जाता है। परिवार की आय का अनुमान निर्धारित मानदण्डों (norms) के आधार पर किया जाता है।

इस कार्यक्रम में जितने भी परिवारों को लाभान्वित किया गया है, उनकी चयन के समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 700/-रू. से अधिक नहीं थी। अतः किसी भी सम्पन्न परिवार को ऋण व अनुदान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं दिया गया है।

सांचौर क्षेत्र में गोचर या कृषि भूमि में पंचायत भवन, स्कूल व सब–सेन्टर

566. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में किस-किस ग्राम में पंचायत भवन, स्कूल व सब सेन्टर, गोचर या कृषि भूमि में कब से बने हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त संस्थानों को पट्टे दिए जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक दिये जायेंगे ?

(3) क्या ऐसे मामले राजस्व अभियान में नहीं निपटाए गए ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) तालिका में अंकित मामलों में से पंचायत भवन हाडेचा व चौरा, तथा स्कूल भवन खारा व वासनदेवडा के मामलों का नियमन जिलाधीश, जालौर द्वारा किया जा चुका है। शेष मामलों के नियमन हेतु भी पत्रादि राजस्व अभियान के समय तैयार किए जाकर जिलाधीश, जालौर को भिजवाए गये थे जो कुछ कमियों के कारण तह-

-(पंचायत मन्त्री)

सीलदार, सांचोर को वापस भिजवा दिए गये हैं। नियमन की कार्यवाही शीघ्र ही की जानी प्रस्तावित है।

(3) राजस्व अभियान के दौरान तहसील सांचोर की सभी 44 पंचायतों के मुख्यालयों पर शिविर रखे गये थे व सभी ग्राम पंचायतों से ऐसे मामले प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी। किन्तु केवल संलग्न तालिका में वर्णित मामले ही प्राप्त हुए जिनमें से चार मामले निपटाए जा चुके हैं। शेष मामलों को नियमित किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पं. स. जैतारण (पाली) में अध्यक्षों व सदस्यों के रिक्त पद

567. **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या पंचयात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति जैतारण जिला पाली में स्थायी समितियों के सदस्यों व अध्यक्षों के कुछ स्थान रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थायी समिति में कौन-कौन से पद रिक्त हैं और कब से रिक्त हैं? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त जो भी पद रिक्त हैं, उनको भरने हेतु चुनाव किस अधिकारी को कराने थे और कब तक कराने थे? क्या चुनाव करा दिए गए हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक करा कर यह पद भर दिये जायेंगे? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। उत्पादक कार्यक्रम व शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्षों एवं शिक्षा स्थायी समिति के एक सदस्य का पद दिनांक 18-5-83 से रिक्त है।

(2) उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चुनाव राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (स्थायी समितियों का गठन) नियम, 1965 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त नियमों में निर्धारित अवधि के दौरान करवाये जाने थे जो अभी तक नहीं करवाये गये हैं। रिक्तियों की नियमानुसार अतिशीघ्र पूर्ति करवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु जिलाधीश, पाली को निर्देशित किया जा चुका है।

सांगानेर-चाकसू तहसील के गांवों में प्राथमिक स्कूल

569. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांगानेर और चाकसू में ऐसे कितने गांव हैं जिनकी आबादी 300 या इससे अधिक है और वर्तमान में उनमें प्राइमरी स्कूल नहीं हैं? कृपया तहसील व पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वे सभी गांव सड़क से जुड़े हुए और हैण्ड पम्प युक्त हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से गांव में उक्त सुविधायें नहीं हैं? तहसीलवार, गांववार सूची सदन की

(श्रीमती विद्या पाठक)

मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तहसील सांगानेर और चाकसू में 24 ऐसे ग्राम हैं जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 300 या इससे अधिक है तथा जिनमें वर्तमान में प्राथमिक शालाऐं नहीं हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

ग्राम पंचायत भगवन्तपुरा (भिनाय) की सीमेंट आदि की शिकायतें

570. श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भगवन्तपुरा पंचायत समिति भिनाय (अजमेर) के सरपंच के विरुद्ध सीमेंट गायब करने व फर्जी हाजरियां भरकर रकम उठा कर गबन करने की शिकायतें दि. 16.2.82 व उसके बाद कई बार की गई ?

(2) यदि हां तो इन शिकायतों की जांच कब किसके द्वारा कराई गई और जांच के क्या परिणाम रहे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भिनाय के पास सरपंच के विरुद्ध केवल एक शिकायत दिनांक 18.2.82 को प्राप्त हुई है।

(2) शिकायत की जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भिनाय के द्वारा की जा रही है।

पंचायतों का पुनर्गठन

571. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार पंचायतों व पंचायत समितियों को पुनर्गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो पुनर्गठन कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व अतारांकित प्रश्नों के स्थगन की सदन में सूचना

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा, पहले भी एक बार आपको निवेदन कर चुका हूँ और आपने यह व्यवस्था दी थी कि जो प्रश्न सदन में पूछे नहीं जाते, जब जानकारी करने के लिए माननीय सदस्य विधान सभा सचिवालय में प्रश्नों का लिखित उत्तर लेने की चेष्टा करते हैं तो जवाब मिलता है कि प्रश्न स्थगित किया गया है। यही स्थिति अतारांकित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रश्नों की है। आपने पिछली बार यह व्यवस्था दी थी कि जो प्रश्न पूछे नहीं जायें और स्थगित कर दिये जायें उनके स्थगन किये जाने की सूचना विधान सभा में दी जायेगी और इसी प्रकार से अतारांकित प्रश्नों की सूचना दी जायेगी । मैंने कल सारे प्रश्नों की जानकारी ली, अधिकांश प्रश्नों के बारे में लिखा हुआ मिला कि प्रश्नों का उत्तर स्थगित कर दिया गया। यदि आप चाहें तो मैंने पूरी लिस्ट बना ली है कि यह प्रश्न स्थगित कर दिया गया है और विधान सभा में यह बताया है कि कोई जानकारी नहीं दी गई। इस सम्बन्ध में आप कोई व्यवस्था फरमायें।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि अपेक्षाकृत इस सत्र में बहुत ही कम प्रश्न स्थगित किये गये हैं। आप, विपक्ष के नेता महोदय, ने मुझे यह जानकारी दी है, मैं थोड़ी देर बाद जब अपने चेम्बर में जाऊंगा तब इस सम्बन्ध में जानकारी लेकर उचित व्यवस्था करूंगा। लेकिन स्थगित नहीं किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किये गये हैं। आपने घोषणा नहीं की है, यह सही है।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं हो सकता कि जो प्रश्न पूछे नहीं जायें वह ज्यादातर स्थगित हों। अगर स्थगित करने के लिए सरकार ने कह दिया तो स्थगित प्रश्न पूछे जाते हैं। वही स्थगित प्रश्न यहां पर मंत्री महोदय कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह स्थगित हुए नहीं समझे जायेंगे । जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आप कहते हैं, जो नहीं पूछे जाते उनके बारे में वह नहीं कहते। मैंने लिस्ट बनाई है जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। उसकी जानकारी करने पर पता चला है कि यह प्रश्न स्थगित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। एक-दो प्रश्नों के बारे में कह नहीं सकते। स्थगित करने के लिए सरकार की ओर से आ गया हो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अधिकांशतः महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपके कितने प्रश्नों को स्थगित किया गया है ?

श्रीमती विद्या पाठक : दो तारांकित और दो अतारांकित। एक अतारांकित प्रश्न का आप चाहें तो मैं विषय भी बता दूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । सदन के अन्दर सरकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो प्राब्लम है।

श्री अध्यक्ष : यह तो मालूम नहीं हो सकता कि किस प्रश्न को आज लिया जायेगा, प्रश्न आपके सामने आते हैं। ऐसा कोई निवेदन सरकार की तरफ से नहीं आया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह निवेदन नहीं किया, यही तो कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा, इस संबंध में जानकारी लेकर व्यवस्था करूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है, यही हम चाहते हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्थां।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों को सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) सर्वश्री त्रिलोकसिंह, गोपाल पचेरवाल व राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर के किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये गये प्रदर्शन और आगामी 21 मई को गंगानगर बन्द के आह्वान के विषय में।

(2) श्री बन्शीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल क्षेत्र तथा अन्य स्थानों पर खनिज भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से इमारती पत्थर निकालने के विषय में।

(3) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में बिहारी बाजार तथा इन्दिरा बाजार में बनाये गये बरामदों में शटर लगाने से वाहनों के खड़े करने की समस्या के विषय में।

(4) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 31 मार्च को ब्यावर में चन्द्र प्रकाश पटवारी द्वारा एक ग्रामीण श्री पीरू पर गोली चलाने की घटना के विषय में।

(5) श्री देवीसिह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 1 अप्रेल को बीकानेर, दिल्ली मेल के स्टापेज बन्द करने, के विरोध में नापासर की जनता पर पुलिस व प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के विषय में।

(6) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही परियोजना की दाईं नहर टूटने के कारण गत 15 मार्च से नहर में पानी छोड़ना बन्द कर देने के विषय में।

(7) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उनके विधान सभा क्षेत्र के सायरा थाने में एक चोरी के मामले में गत 1 अप्रेल को पुलिस की पिटाई से पन्ना गिरासिया की मृत्यु के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(8) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, बारां के अधिशासी अभियन्ता द्वारा रिश्वत लेने की शिकायतों के विषय में।

(9) श्री अनंग कुमार जैन व श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में काश्तकारों

(41)

श्री अध्यक्ष)

। जबरन वसूलियां व तहसीलदार पिड़ावा द्वारा दुर्व्यवहार करने के विषय में।

(10) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ रेन्ज में एक फारेस्ट गार्ड द्वारा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के विषय में।

इन प्रस्तावों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सरकार को भेजा जा रहा है।

(11) श्री छीतरलाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र अटरू में अनाज की मण्डी में सब यार्ड न रख कर कृषि उपज मण्डी घोषित करने के विषय में। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है:–

(1) श्री भगवानदास शास्त्री-सेठ मुरलीधर कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा की एक छात्रा के साथ सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दुर्व्यवहार। सरकार ने सूचित किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध जुर्म सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है।

(2) (क) श्री बन्शीलाल पटवा-भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा आजाद नगर व राधाकृष्णन नगर में बने हुए मकानों को तोड़ना। सरकार ने सूचित किया है कि राधाकृष्णन नगर में कोई मकान नहीं गिराया गया है और आजाद नगर में एक अर्द्ध निर्मित मकान के मालिक को विधिवत नोटिस देकर सक्षम अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण के कारण तोड़ा गया है।

(ख) श्री बन्शीलाल पटवा-भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल में तालाबन्दी का वेतन श्रमिकों को देना। सरकार ने सूचित किया है कि अवैध तालाबन्दी की अवधि का पूर्ण वेतन दिये जाने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध प्रबन्धकों द्वारा उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक रिट याचिका दायर की गयी है और सम्बन्धित श्रमिकों ने प्राधिकारी के समक्ष अभी तक कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

(3) श्री रामकिशोर मीणा-सवाई-माधोपुर जिले के महावीरजी तथा नादोती क्षेत्र में मूर्तियों की चोरी। सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मूर्तियों को चोरी की दोनों घटनाओं में मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(4) (क) श्री गुलाबचन्द कटारिया-उदयपुर जिले की भिण्डर पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के समय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज। सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस द्वारा इस अवसर पर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया और न कोई लाठी चार्ज ही किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(ख) श्री गुलाबचन्द कटारिया--सहकारी उपभोक्ता भण्डार, उदयपुर में गबन व गोलमाल। सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में की गई जांच में गबन पाया गया है और संबंधित कर्मचारियों को निलम्बित करके आवश्यक विभागीय कार्यवाही तथा पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(5) श्री हीरालाल आर्य—बूंदी जिले में एक ट्यूब वैल में मोटर गिर जाने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि ट्यूब वैल में दूसरी मोटर पम्प डालकर नलकूप को चालू कर दिया है।

(6) श्री गोपाल पचेरवाल–ग्राम पंचायत ढवायचा, पंचायत समिति खेरवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत न करने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि विद्यालय को क्रमोन्नत करते समय छात्र संख्या, भवन तथा स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर व्यवस्था

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों माननीय शिवदानसिंहजी ने माननीय भैरूं सिंहजी गुर्जर पर अनर्गल चार्जेज, बलात्कार जैसे चार्जेज लगाये थे। उसके बारे में प्रिविलेज मोशन रखा हुआ है....

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) आपको तो एक ही बात आती है।

श्री यदुनाथ सिंह : एक बात नहीं है छोटी-मोटी बात नहीं है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आपको कई बातें आती हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य इस पर एक अथवा दो दिन में मैं व्यवस्था दे दूंगा सदन में।

श्री त्रिलोक सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रस्ताव थे, एक तो आगरा से बीकानेर नेशनल हाइवे नम्बर 11 से मेरे जिले को पूरे को पार किया है

श्री अध्यक्ष : यह महत्वपूर्ण है, इस पर जानकारी मंगवा रहा हूँ, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : कब गया ? आज दस बारह दिन हो गए। सरकार यही कहती है....

श्री अध्यक्ष : अभी सत्र चल रहा है। सत्रावसान पूर्व यह जानकारी मंगवा लेंगे, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : दूसरा, एक प्रस्ताव 20 तारीख को रखा था। अलवर में कोई मोहर सिंह नाम के व्यक्ति को पुलिस ने लाकर लोहे के तख्त पर सुला कर बिजली

श्री त्रिलोक सिंह)

गा दी, उसके हाथ-पैर कट गये। उसका वाब आज तक नहीं आया। 20 तारीख ने प्रस्ताव रखा और आज 3 तारीख है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी बात सुन ली। इसके संबंध में व्यवस्था कर रहा हूँ, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 तारीख के लिए आपने सी.ए.डी. के लिए फरमाया था पिछली बैठक में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग और सी0ए0डी0 द्वारा मिल कर कोटा में सी0ए0डी0 कर्मचारियों के प्रति ऐसा क्रूर मजाक किया जा रहा है जिसे देखकर साधारण व्यक्ति भी एकदम दयनीय हो जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा निन्दनीय मजाक किया है, आपको बड़ा आश्चर्य और दुःख होगा, जो सी0ए0 डी0 की काफी बरसों से सेवा करते आ रहे थे ईमानदारी और निष्ठा से, राजनैतिक द्वेष की भावना से प्रेरित होकर अचानक उनकी छंटनी कर दी गयी, निकाल दिया गया। जब सब ने एक होकर आन्दोलन किया और सरकार से वापस लेने की मांग की तो उन्हें मीठे रूप से धोखा देकर, आश्वासन देकर जैसलमेर भेजा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता बाईं नहर खंड प्रथम, द्वितीय सी0ए0 डी0 चम्बल कोटा दिनांक 9-3-84 पत्र क्रमांक 4042195 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर, जैसलमेर को लिखा। उस पत्र में साफ लिखा कि इनको ले लिया जाये और, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन कर्मचारियों को भी पत्र दिया साथ में। उस पत्र के तत्काल बाद यह पत्र लिखा, अध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रशासक, राजस्थान नहर, जैसलमेर ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जैसलमेर को दिनांक 1 फरवरी, 84 को, जिसका क्रमांक एफ.-1101 आर0सी0पी0 83 है। इस पत्र में स्पष्ट लिखा कि इनको मोहनगढ़ जैसलमेर में ले लिया जाये। बेचारे गरीब भूखे-प्यासे लोग इधर-उधर जो आशा लगा कर बैठे हुए थे, उम्मीद के साथ उस पत्र को लेकर एडीशनल चीफ इन्जीनियर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जैसलमेर के पास गये। उन्होंने वचन पत्र लिखा है, वचन पत्र के आधार पर उनको नौकरी दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वचन पत्र है। कर्मचारियों को आफिसर्स ने वचन पत्र लेकर काम पर लगा लिया मोहनगढ़ में। तनख्वाह कम है फिर भी नौकरी की आशा में वे वहां गये। उसके कुछ दिनों बाद ही दूसरा आदेश उनको पकड़ा दिया। उस आदेश में लिखा हुआ है, आपकी यहां आवश्यकता नहीं है, आप जाइये अपने घर। यह सरकार का आदेश है, यह मंत्री जी का आश्वासन है। मोहनगढ़ 500 कर्मचारी गये उनकी क्या दुर्दशा हुई ? सरकार द्वारा खुली धोखाधड़ी हुई। 420 का केस है सरकार के ऊपर फोर्जरी का। सरकार ने फोर्जरी की और फोर्जरी किन के ऊपर ? जो पीड़ित थे, दुखी थे, सताये हुए थे उनके साथ क्रूर मजाक किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि सरकार तत्काल अपना वक्तव्य दे कि ऐसा मजाक क्यों किया। इनको वह गरीब लोग ही मिले

(श्री हरीश शर्मा)

क्या ? ऐसा उपहास करने के लिए क्या वही लोग मिले आपको और कोई नहीं मिला ? ऐसा निन्दनीय कार्य आपने उनके साथ किया, उनकी आह आपको खायेगी। उनकी पत्नियां रो रही थीं, उनकी मातायें रो रही थीं, वह आंसू बहा रही थीं, यहां बच्चे लेकर आये थे। वह चन्दनमलजी बैद से मिले थे, वह बृजसुन्दर जी से भी मिले लेकिन आज उनके लिए सब जगह के दरवाजे बन्द हैं। क्या हालत होगी उनकी? वह वापस लौट गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय तत्काल इस पर वक्तव्य दें, यह बड़ा गम्भीर मामला है। आप सुन रहे हैं, कोटा में रोजाना हत्यायें और मर्डर क्यों हो रहे हैं ? यह आप ही करवा रहे हैं। यह सरकार का आदेश है और ऐसे लोग आप पैदा कर रहे हैं नौकरी से हटा कर। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनको नौकरी पर वापस लिया जाये और इस पर सरकार से तत्काल वक्तव्य दिलायें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं।

अध्यक्ष महोदय, कोटा और बूंदी जिले की महत्वपूर्ण विकास योजना है सी.ए.डी., जिनके काम की राज्य सरकार ने ही प्रशंसा नहीं की बल्कि पड़ोस के दूसरे प्रान्तों ने और वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी जो इसके माध्यम से विकास कार्य हुए हैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है और योजना आयोग ने भी इसकी प्रशंसा की है।

श्री अध्यक्ष : सिवाय दाऊदयालजी जोशी के।

श्री हीरालाल आर्य : नहीं, इन्होंने भी प्रशंसा की है। विकास के कामों की सब प्रशंसा की है लेकिन पता नहीं क्यों इ सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना क समाप्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, समाप्त ही नहीं किया उसका गला घोंट कर एक तरफ उसको डाल दिया है। न तो बिलकुल समाप्त कर रहे हैं और न ही इसको चालू कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोटा और बूंदी जिले का विकास कार्य सिर्फ अवरूद्ध ही नहीं हुआ है, बल्कि वहां कार्यरत सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। ऐसे सैकड़ों कर्मचारी जो वर्षों से इस परियोजना में काम कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जब परियोजना के उन कर्मचारियों को हटाया जा रहा था तब उनके प्रतिनिधि राज्य सरकार से और उस इलाके में जो प्रभारी मंत्री हैं माननीय बृज सुन्दर जी शर्मा उनसे मिले और सी.ए.डी. के मंत्री महोदय वहां पधारे थे उनसे भी चर्चा की थी। इन सबने उनको आश्वासन दिया कि आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जायेगा और आप लोगों को अन्य स्थानों पर, दूसरी परियोजनाओं में समायोजित किया जायेगा। इनके आश्वासनों के आधार पर उन मजदूरों को यह आशा बंधी थी कि कोई बात नहीं, घर छोड़ना पड़ेगा लेकिन हमें काम मिल जायेगा। इनके लिखित आदेश लेकर मजदूरों को वहां भेजा गया और उनसे शपथ पत्र भरवाये कि इन शर्तों पर हम वहां पर जाने को तैयार हैं। उन सभी मजदूरों ने कहा, कोई बात नहीं हमारी नौकरी तो बरकरार रहेगी, जैसलमेर तक जाने को तैयार हो गये।

(श्री हीरालाल आर्य)

इनके पत्र लेकर करीब 500 कर्मचारी, जिनमें अक्सर कुलियां थीं, बेलदार थे, मेड थे, मुन्शी थे और इस तरह के छोटे-छोटे कर्मचारी थे, अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर पहुँचे लेकिन वहां पर यह कह करके मना कर दिया कि यह लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अजीब बात है। शपथ पत्र लिखकर दिये हुए हैं कि जिस तरह का भी काम आप हमसे लेना चाहें हम करने को तैयार हैं लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार किस तरह से XXX तथ्यहीन बयान यहां पर देती है। एक तरफ वहां घोषणायें करती है····

श्री अध्यक्ष : XXXशब्द कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री हीरालाल आर्य : असत्य घोषणायें वहां करती है कि हम उनको दूसरी परियोजनाओं में समायोजित कर रहे हैं लेकिन वहां असत्य बात कहते हैं कि ये काम करने को मना करते हैं इसलिए हम यहां नहीं रखेंगे। जब उन्होंने शपथ पत्र भरकर दे रखे हैं, वे दिखा रहे थे तब भी उनको काम पर नहीं लिया गया तो वे 500 मजदूर वापस लौट कर हमारे पास आये और उन्होंने कहा कि यह हालत हो रही है। सरकार उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। एक तरफ सरकार बड़ी-बड़ी योजनायें बना कर लोगों को रोजगार देने का ढोंग रचती है, दूसरी तरफ सी.ए.डी. और जे.के. लोन से श्रमिकों को निकालकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह अजीब बात है। यदि यह बात सही है कि सी.ए.डी. मंत्री ने उनको आश्वसान दिया था कि हम आपको दूसरी योजनाओं में समायोजित करेंगे तो वचन देने के बाद अपनी बात से हट कर, मुकर कर उनके जीवन के साथ जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह सरकार जो मजदूर वर्षों से वहां पर काम कर रहे थे, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करे और जैसलमेर में या माही में या कहीं भी उनको समायोजित करे। कोटा में बड़ी सुविधायें हैं, अध्यक्ष महोदय, खास तौर से पानी की, मजदूरी की, सब कुछ है लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए रेगिस्तान जाने को तैयार थे किन्तु जब उनको नियमित करने की गारंटी नहीं मिली तो मजबूर होकर उनको यहां पर लौटना पड़ा। इसलिए यह सरकार, जिसने उनको वायदा किया था कि दूसरी जगह समायोजित करेंगे, उनको समायोजित करें। इसके साथ ही सी.ए.डी. की जो हालत गला दबा कर कर रखी है उसके बारे में निर्णय करे। इसको चालू करें कोई न कोई निर्णय आप करें। सी.ए.डी. को पुनः चालू करके उसमें से जिन कर्मचारियों को हटाया था उनको पुनः सेवा में लें या कहीं न कहीं समायोजित करें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार ने हमारे स्थगन प्रस्ताव पर इस पूरी विधान सभा को भी भ्रमित किया है।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आपने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देते समय बताया था कि राज्य सरकार ने बताया है कि चार्ज बेसिस पर वे लोग काम नहीं करना चाहते थे इसलिए वे लोग वहां पर वापस आ गये। राज्य सरकार ने आपको यह सूचित किया है और आपने सदन को यह सूचित किया है। अध्यक्ष महोदय, आप राज्य सरकार से समस्त पत्रावली मंगवाकर देख लीजिए, 525 मजदूर, मेट, मजदूर, बेलदार, कुली, 22 साल से लेकर और 60 साल तक के बुड्ढे, वृद्धा, कोटा से मोहनगढ़ पहुँचे। केवल 35 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। इस सरकार को मैं चैलेन्ज देकर कहता हूँ, 525 में से केवल 35 हैं जिन्होंने यह लिख कर दिया है कि हमसे चार्ज बेसिस पर यदि काम लिया जायेगा तो हम काम करने को तैयार नहीं हैं। बाकी 35 से 36वां हस्ताक्षर राज्य सरकार आपको बता दे। आपने जैसी व्यवस्था दी है, राज्य सरकार से जवाब आया है उसके आधार पर मैं, श्रीमान्, आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, आप राज्य सरकार से पत्रावली मंगवाकर देख लीजिए, कोटा के इन गरीब मजदूरों के साथ जो मजाक किया गया है वह एक अत्यन्त निंदनीय कार्य है। 60 साल के बुड्ढे, बुड्ढी तीन दिन तक जब थोड़ी ठंड थी, ठंड की रात थी, हीरालालजी के यहां, हरीशजी के यहां, मेरे यहां खुली छत पर ओढ़ कर पड़े रहे, दाल बाटी बनाकर खाई। मोहनगढ़ से आने के बाद जो उनका जीवन यापन का ढंग था, उनके साथ जो नेता थे, उन नेताओं ने क्या किया....

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में आपके पास जो तथ्य हों, मुझे चैम्बर में बताने का कष्ट करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं इतनी सी बात कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, आखिर यह सारा जो एग्रीमेंट हुआ, यह कांग्रेस के आन्दोलन के समान हुआ ...

श्री अध्यक्ष : आगे बहस नहीं होगी, पत्रावली मुझे बताने का कष्ट करें।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री हीरालाल आर्य।

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो रिजेक्ट हो चुके थे।

श्री अध्यक्ष : मैंने एक का समाप्त किया तब समझ लिया कि सभी समाप्त हो गये।

श्री भगवानदास शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल पटवा। आपने दो प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था दी है, कृपया दोनों के संबंध में एक साथ बोल दें।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रस्ताव हैं। एक तो....

श्री अध्यक्ष : नगर विकास न्यास और दूसरा स्पिनिंग मिल।

श्री बंशीलाल पटवा : भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल के बारे में और

(श्री बंशीलाल पटवा)

दूसरा नगर विकास न्यास द्वारा तोड़े गये मकानों के बारे में ।

मेरे पहले प्रस्ताव में जो आज नगर में मकान तोड़े गये....

श्री अध्यक्ष : एक ही मकान तोड़ा है, ऐसा बताया है।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा निवेदन तो आप सुन लीजिये।

गत दिसम्बर में बारी-बारी से दूसरी बस्तियों में मकान तोड़े गये। सरकार ने जो सूचना दी है वह असत्य सूचना है। आजाद नगर में मकान ज्यादा तोड़े गये। ऐसे व्यक्तियों के मकान तोड़े गये हैं जिन्होंने भूमि रूपान्तरण के लिये पैसा जमा करा दिया है और जो अल्प आय वाले हैं, जैसे गूजर हैं, कई ब्राह्मण फोर्थ क्लास के हैं। इस प्रकार से पांच मकान तोड़े। ज्यादा मकान तोड़ने की योजना थी। दूसरा, नोटिस भी नहीं दिया गया। यह बिलकुल असत्य रिप्लाई दिया गया है। मैं आपको बताऊं, घटना किस प्रकार घटी। मकान तोड़ने के कारण को लेकर वहां लोग आन्दोलित हुए और नगर विकास न्यास के चेयरमैन को घेर लिया। पुलिस के घेरे में रात भर पड़े रहे, फिर जाकर वह मामला शांत हुआ। अल्प आय वालों के मकान तोड़े गये। मेरा इस बारे में आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि इस तरह से जहां भी अरबन एरियाज में कृषि भूमि पर मकान बना दिये गये हैं उसके बारे में अपनी निश्चित राय बना लें और राय बनाकर जिन्होंने भूमि रूपान्तरण के पैसे जमा करा दिये हैं उनके मकान तोड़ने के बजाय एक इस तरह का डिमार्केशन कर लें ताकि सामूहिक रूप से उनको नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर उनका रूपान्तरण कर दिया जाय। नये मकान न बनें, इस तरह की भी नीति निश्चित करें। लेकिन पड़ोस के किसी मकान को तोड़ा जा रहा है और पड़ोस में वैसा ही सिमिलर मामला है उसको नहीं तोड़ा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि राजनैतिक द्वेषता के आधार पर, राजनैतिक चश्मे के आधार पर तथा भेदभाव के आधार पर इस तरह से आजाद नगर में मकान तोड़े गये हैं और यदि यही क्रम चलता रहा तो आन्दोलन होगा। इसलिये सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिये। नीति बनाकर जिन्होंने भूमि रूपान्तरण के पैसे जमा करा दिये हैं और जो आपके रूल्स के तहत आते हैं उनका तो रूपान्तरण जल्दी हो जाय और बिना कारणों को ले करके राजनैतिक आधार पर मकान नहीं तोड़े जाय, यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल में पिछली बार अवैधानिक हड़ताल हुई। राज्य सरकार ने उस हड़ताल को गैर कानूनी हड़ताल माना और गैर कानूनी हड़ताल मानने के उपरान्त इसी सदन में श्रम मन्त्री द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उस स्टेटमेंट के दौरान यह वचन दिया गया कि इस गैर कानूनी हड़ताल के तहत जितने भी श्रमिक हैं जिनको वेतन नहीं मिला उनको वेतन दिलाया जायगा। सरकार ने अपने रिप्लाई में कहा कि कोर्ट में रिट चल रही है, याचिका चल रही है

(श्री बंशीलाल पटवा)

और श्रमिकों ने कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है। मेरा निवेदन है, समय-समय पर लेबर मंत्री जी भीलवाड़ा गये हैं, इनसे मजदूर भी मिले हैं और उस लेबर ने समय-समय पर रिप्रजेन्टेशन भी दिया है। उन्होंने चाहे कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया लेकिन सदन में कमिटमेंट किया है श्रम मन्त्री जी ने भी कि भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल में गैर कानूनी हड़ताल की अवधि का वेतन दिलाया जायगा। लेकिन वेतन दिलाने की बात तो दूर रही, इस गैर कानूनी हड़ताल का वेतन नहीं मिल सके, इसके लिये स्पिनिंग मिल के अधिकारी एक तरह का टेरर पैदा कर रहे हैं कि उनकी धीरे-धीरे छंटनी कर दी जायगी। इस तरह की स्थिति आज भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल में है। तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि श्रम मन्त्री और सरकार ने जो वचन दिया है, गैर कानूनी हड़ताल की अवधि का वेतन उनको दिलाया जाय चाहे श्रमिकों ने वाद प्रस्तुत नहीं किया हो। सरकार को इस बारे में इन्टरवीन करना चाहिये क्योंकि एक श्रमिक की मन्थली आमदनी जो होती है वह अल्प आय वर्ग के बराबर होती है और महीने के अन्तिम दिनों में श्रमिक के घर में बर्तन बोलते हैं। तो मेरा निवेदन है श्रम मन्त्री और सरकार को कि गैर कानूनी हड़ताल की अवधि का वेतन श्रमिकों को बीच-बचाव करके, कोई रास्ता निकाल कर के दिलाया जाय। टेरर पैदा न करके सरकार अपना दबाव डाल-कर नीतिगत व्यवहार के आधार पर श्रमिकों को गैर कानूनी हड़ताल की अवधि का वेतन दिलाये। यदि नहीं दिलाया गया और यही स्थिति चलती रही, मिल की तरफ से इसी तरह का टेरर चलता रहा और छंटनी होती रही तो, मैं समझता हूँ, वहां का मजदूर फिर से आंदोलित होगा और आन्दोलन होने से परिणाम क्या निकलेगा, यह भविष्य के गर्भ की बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशोर मीणा। सवाईमाधोपुर जिले के महावीर जी तथा नादौती क्षेत्र में मूर्तियों की चोरी के बारे में।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिले के महावीरजी तथा नादौती क्षेत्र में दो साल से मूर्ति चोरों का एक गिरोह सक्रिय है। अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजनैतिक प्रश्रय की वजह से चोर बच जाते हैं और जो निरपराध व्यक्ति हैं उनको पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है और बेरहमी से पीटा जाता है। गत 6 फरवरी को एक चोरी हुई थी, अध्यक्ष महोदय, तालसेरा के अन्दर। एक बैरवा परिवार के घर एक मुस्लिम व्यक्ति, जो कि दरियां बेचता था, गया। उन लोगों ने उससे कहा कि अच्छे, स्टेण्डर्ड के कपड़े क्यों नहीं लाते ? तो उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वहां के लोगों ने कहा, चोरी वगैरह कर लो, आजकल तो बहुत डकैतियां वगैरह हो रही हैं। उसने भी कह दिया, ठीक है, साहब, कर लूंगा। तो अनायास ऐसा हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि उसी रोज उस बैरवा परिवार के यहां डकैती पड़ गई। उन्होंने उस मुस्लिम, जो दरी बेचता था, का नाम बता दिया। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, उस व्यक्ति की दाढ़ी का एक-एक बाल उपाड़ लिया पुलिस वालों ने।

श्री अध्यक्ष : मूर्ति चोरी से इसका क्या सम्बन्ध है ? कानून और व्यवस्था का अलग प्रश्न है।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित है। गुढ़ाचन्द्र जी के अन्दर बलदाऊ भगवान की मूर्ति चोरी हो गई थी। मूर्ति पाषाण की थी। मूर्ति बरामद नहीं होने की वजह से 27 गांव के व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हुए। वे लोग लगातार चोरियां होने से बहुत परेशान थे। शहर चौक में बलदाऊ जी का मन्दिर है, गत वर्ष उसमें से मूर्ति चोरी हुई। उसके अन्दर, अध्यक्ष महोदय, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वे व्यक्ति प्रभावशाली थे, गिरवाड़ा के निवासी थे। अध्यक्ष महोदय, गढ़ थाना में उनको अरेस्ट किया गया और उनके यहां से मूर्ति बरामद भी की गई थी। उनमें एक गंगापुर के तत्कालीन विकास अधिकारी का भतीजा होने के नाते और राजस्थान सरकार के निर्माण मन्त्री जी का बहुत निकटस्थ होने के नाते उनको छुड़ा करके ले आये। उसके साल भर बाद में बलदाऊ भगवान की मूर्ति चोरी हो गई तो उस समय भी, माननीय मन्त्री महोदय, अनायास ही....

श्री अध्यक्ष : आप मन्त्रीजी को बीच में न लायें। आपके स्थगन प्रस्ताव के अन्दर कहीं भी जिक्र नहीं है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसी में दिया है। वहां जनता में बहुत आक्रोश है। अध्यक्ष महोदय, बेरहमी से पिटाई की गई है।

श्री अध्यक्ष : आरोपित करने वाले प्रश्न यहां न लायें। आप अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में ही कहें।

(व्यवधान)

विषयान्तर हो रहे है।

श्री रामकिशोर मीणा : चोरी बरामद होने से जाहिर है...

(व्यवधान)

यह, अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी में दिया है। एक के बाद एक चोरी हुई और हमारे निर्माण मन्त्री जो स्वयं छुड़ाकर लाये। जिन आदमियों को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं उन सबको छुड़ा लाते हैं इसलिये गांव वालों ने यह तय किया कि मूर्ति चोर और कोई नहीं है स्वयं निर्माण मन्त्री जी हैं और इस इलाके के होते हुए चोरी करवाते हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, वहां पर आम जनता में यह बात है। इसके बारे में अखबार में छपा है। वहां पर जिस तरह से मूर्तियों की चोरियां हो रही हैं, बरामदगी के आधार पर एक्चुअल में जो व्यक्ति चोर हैं उनको छोड़ा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को एस. पी., सवाईमाधोपुर ने आश्वासन दिया था इस मूर्ति चोरी के बारे में कि किरवाड़ा को चोरी के जो चोर हैं और जो नामजद किये गये हैं, पुलिस वालों ने जिनको छोड़ दिया है उनकी दुबारा से तफ्तीश को जायेगी, जांच की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है, उन व्यक्तियों से आज तक पूछताछ नहीं

(श्री राम किशोर मीणा)

की गई। सवाईमाधोपुर के एस. पी. का 8 तारीख का एश्योरेन्स है। तो, अध्यक्ष महोदय, इस तरह लगातार जो चोरियां हो रही हैं उसके कारण क्षेत्र में आतंक है। यह गिरोह मूर्तियों की तस्करी करता है। राजनैतिक प्रश्रय मिलने की वजह से जांच नहीं हो रही। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जांच होनी चाहिये ताकि इस तरह की कार्यवाहियों को रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया। आपके दो स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था है। एक तो उदयपुर जिले की भिण्डर पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के समय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, और दूसरा है, सहकारी उपभोक्ता भण्डार, उदयपुर में गबन व गोलमाल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, जो उत्तर सरकार ने दिया उसको पढ़कर बताया कि किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं हुआ है। श्रीमन्, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज के दिन आप किसी एक आदमी को अपाइन्ट करके अपनी तरफ से भेज दीजिये जो उस क्षेत्र में जाकर लोगों से पूछताछ करके अपनी रिपोर्ट दे दे। अगर वास्तव में वह यह आ करके कहे कि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो आप जो कुछ भी कहेंगे, मैं वह सजा सदन में भुगतने को तैयार हूँ। अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख के दिन अविश्वास प्रस्ताव था। जनता पार्टी का वहां प्रधान है इसलिए एक बस में 32-33 सरपंच भरकर लेकर आये और जिला प्रमुख, जिनकी वह पंचायत समिति है, स्वयं ने उस गाड़ी का जब फाटक खोला तो पुलिस ने फाटक से लेकर अन्दर तक एक ऐसी लाइन बना दी कि अन्य कोई बीच में नहीं आ सके और एक एक को ले जायें। लोगों ने कहा कि यह नहीं हो सकता, पुलिस का काम एक सीमा तक है उस सीमा तक हमको बता दो कि इससे आगे हम नहीं बढ़ें। उस बीच के घेरे में जब चले गये तो वहां स्वयं एडीशनल एस. पी. थे उन्होंने आर्डर नहीं दिया, वहां एस. डी. ओ. मौजूद थे उन्होंने लाठीचार्ज का कोई आर्डर नहीं दिया लेकिन स्वयं जिला प्रमुख के आदेश के आधार पर वहां लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज केवल एक दो मिनट तक नहीं हुआ, 3–4 लोगों को तो ऐसा टार्गेट बना दिया था पुलिस ने कि दूरदराज तक, जहां-जहां तक वह भागे थे, खेतों में वे गिर गये थे उन गिरे हुए लोगों को मारा। वहां जाकर के मैंने उनको छुड़ाया। उसके बाद एक टेकरी पर एक बालक को 10–20 लाठियां मारीं। इस तरह से लगभग 20–30 लोगों को मारा। हमारे वहां से भारतीय जनता पार्टी के पहले जो सांसद रहे हैं, श्री भानुकुमारजी शास्त्री उससे कोई 200 मीटर दूर थे, एक स्थान पर खड़े 3–4 लोगों से बातें कर रहे थे। उनकी पीठ पीछे थी उस भीड़ को भगाते भगाते उनको जाकर के एक लाठी मारी। हमारे वहां के महामन्त्री को 3–4 लाठियां मारीं, एक उनके माथे पर लगी, एक उनके हाथ पर लगी। इसके बाद भी अगर सरकार यह कहती है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ तो मुझे इससे बड़ा दुख हुआ और मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपसे इतनी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप इस बात की जरूर तहकीकात करा दें। अगर वास्तव में लाठीचार्ज नहीं हुआ और

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैंने गलत चीज उठा कर सदन का समय खराब किया है तो निश्चित रूप से मेरे खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए जिससे कम से कम कोई भी सदस्य इस प्रकार की बात को नहीं उठा सके।

दूसरा प्रश्न, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया उसमें आपने यह स्वीकार किया कि ढाई लाख का गबन हुआ। श्रीमान्, यह ढाई लाख का गबन जिस ढंग से पकड़ा गया, रसीद बुकें अलग-अलग प्रकार की रख रखी हैं, रसीद बुकें तो काट देते हैं लोगों का पैसा जमा कर लेते हैं उनको रसीद भी दे देते है लेकिन वह रसीद बुकें अन्य रसीद बुकों से अलग रखी जाती हैं इस तरह कि जमा खर्च में वह नहीं आयें। यह केवल थोड़े समय की नहीं बड़े लम्बे समय से यह प्रोसेस चल रहा है। सौभाग्य से इस बार 8 तारीख के दिन जो लेखापाल कैश बुक लिख रहा था उसके हाथ में वह रसीद बुक भी आ गयी। जब बण्डल उठाकर लिया तो उसमें वह रसीदें भी कटी हुई थीं। दिसम्बर की 28 तारीख को और 22 तारीख को जो पैसा जमा हुआ वह रसीद बुकें हमेशा छिपाकर रखीं। ऐसी चलने वाली गलत रसीद बुकें उसमें आ गयीं। उसने जब उसको लगाकर बैलेंस मिलाया और बैलेंस मिलाने के बाद जब लगा कि इसमें तो ढाई लाख रुपये कम पड़ते हैं तो सेफ का ताला खोलकर कैश चैक किया और व्यवस्थापक को बताया कि इस प्रकार को अनियमितता हो गयी है, इस प्रकार कैश बुक में कैश नहीं आया। व्यवस्थापक ने गिनने के बाद यह तय किया कि वास्तव में ढाई लाख का गबन हुआ। श्रीमान् यह कब पता लगा? यह 8 जनवरी के दिन पता लग चुका था। उन कर्मचारियों को सस्पेण्ड कर दिया जिनके बारे में उनको लगा कि ये लोग इसमें हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस लेखापाल ने इसको लिखा और लिखने के आधार पर जिसने यह पहली रिपोर्ट दी कि ये-ये रसीद बुकें गलत रख लीं गयीं और नहीं आने के कारण से यह पैसा कम पड़ रहा है तो उसको भी उनके साथ सस्पेण्ड क्यों किया? कोई हर्जा नहीं; जांच हो जायेगी लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि वह व्यवस्थापक जो इस सारी व्यवस्था को देखता है जिसके पास डबल लाक की चाबी रहती है, जो हमेशा कैश को गिन कर रखता है, बैलेन्स को मिला कर रखता है, क्या उस आदमी का कोई दोष नहीं? वह व्यवस्थापक किस प्रकार सब तरीकों से बरी है? यह उसकी स्वयं मिलीभगत के कारण से लगातार कई बार गबन होता रहता है। यही नहीं, उदयपुर के इस थोक भण्डार से चोरी का हर दो साल के बाद एक मुकदमा दर्ज होता है। एक अकाउन्ट मिलायें कि ये-ये सामान चोरी हो गया। 8 साल में 4 चोरियां होने के बाद आज दिन तक वह सामान बरामद नहीं हुआ, एक चोरी के बारे में भी पता नहीं लगा सका। यह नियमित क्रम है वहां का। यह सारा होने के बाद मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा: आप ने कहा कि यह बात सही है, तो इन लोगों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुआ? आखिर तीन महीने इस आठ तारीख को पूरे हो जायेंगे। इस गबन के बारे में पता लगने के बाद, यह मानने के बाद कि गबन हुआ है, चालान पेश क्यों नहीं हुआ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

साथ ही उस व्यवस्थापक को दोषी क्यों नहीं मानते ? हमारी इस प्रकार की मानसिक स्थिति क्यों बनती जा रही है कि हम बड़े आदमी को, बड़े अधिकारी को बचा करके छोटे–मोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना करके केवल उन पर ही यह दोष थोपते हैं कि वे इस प्रकार के गबन करते हैं । क्या उनकी मिली भगत के बिना, उनकी शह के बिना, बिना उनसे सम्बन्ध के इस प्रकार का गबन हो सकता है जबकि डबल लाक की चाबी उनके पास रहती है ? रोजाना कैश चैक करके उनको रखना चाहिए। अगर नहीं रखा तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी गलती किसी की है तो व्यवस्थापक की है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इसकी जांच हो· कर तुरन्त इसका चालान पेश किया जाय ताकि दोषी कौन है उसको ठीक प्रकार से सजा मिल सके और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं दोहरायी जा सके । उस व्यवस्थापक को भी आज की तारीख में सस्पैण्ड किया जाय। जब सामान्य कर्मचारी को सन्देह में सस्पैण्ड किया जा सकता है तो फिर इस व्यवस्थापक को सस्पैण्ड नहीं करने के पीछे आखिर क्या कारण है ? यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य, ट्यूबवैल की मोटर जल जाने के विषय में।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : वह ठीक करवा दी, पानी ठीक आ रहा है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव आपने जानकारी के लिए भेजा है, रिजेक्ट किया है। दो मिनट बोलने का मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी आने दीजिए।

श्री अनंग कुमार जैन : आपने आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा है और रिजेक्ट कर दिया। जानकारी के लिए भेजा है । आवश्यक कार्यवाही ...

श्री अध्यक्ष : आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है इसके मायने यह हैं कि वह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है इसलिए उसको आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, रोजाना लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। दो मिनट बोल लेता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिला पिछले तीन साल से लगातार अकालग्रस्त घोषित होता रहा है । वहां पर अकाल की भीषण छाया के कारण से पिछले 2-3 सालों से लोगों से वसूली नहीं हो पा रही है और लगान की वसूली बढ़ते बढ़ते काफी मात्रा में हो गयी है। इस वर्ष जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से लगान वसूली में जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है....

(व्यवधान)

नहीं, पढ़ नहीं रहा सब ।

अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के

(श्री अनंग कुमार जैन)

अन्दर जिला प्रशासन की शह पर पटवारियों और राज्य कर्मचारियों द्वारा गांवों के अन्दर जाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है उनसे लगान वसूली में अमानवीय व्यवहार किया जाता है। 50 गांव के लोगों के बीच में 1-2 लोगों को पीटा जाता है ताकि उनके अन्दर डर उत्पन्न किया जा सके। इस तरह के कुछ उदाहरण में आपको कुछ जगह के बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोशनबाड़ी गांव में 4 व्यक्तियों को तहसील पिड़ावा के अन्दर बुलाया, उनसे लगान की वसूली के लिए सख्ती की गयी, उनको दिन भर धूप में खड़ा रखा। जब उन्होंने कहा कि हमको 7 दिन का समय दिया जाय, हम लगान लाकर जमा करा देंगे तो वह नहीं माने और उनको धारा 107 और 151 के अन्दर थाना पिड़ावा के अन्दर बन्द करवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर तहसीलदार, एस. डी. ओ., जिलाधीश और पटवारी, इन सब की मिलीभगत होती है। धारा 107 और 151 में उनका चालान पेश करवाने के बाद एस. डी. ओ. कोर्ट में उनकी जमानत नहीं ली गयी जब कि धारा 107 काबिले जमानत है। उनकी जमानत इस बात को कह कर रिफ्यूज कर दी गयी कि जमींदार है, वह मुअतबिर आदमी नहीं है तहसील की तस्दीक लेकर आयें। अध्यक्ष महोदय, अब वही एस.डी.ओ. साहब जमानत लेने वाले और तहसील की तस्दीक भी उन्हीं तहसीलदार साहब से मांगी जा रही है जिसने 107 और 151 के अन्दर उन्हें बंद कराया। आखिर 8 दिन तक उन लोगों को बिना वजह जेल के अन्दर रहना पड़ा। 8 दिन के बाद जब उनके घर वालों ने लगान जमा करा दिया उसके बाद ही एस.डी.ओ. द्वारा उन लोगों की जमानत ली गई। तो, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार एक ओर तो यह घोषणा करती है कि इस प्रकार का कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जायेगा, वह स्वयं कानून और व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेगी और दूसरी तरफ ग्रामीण काश्तकारों के साथ, गरीब काश्तकारों के साथ इस प्रकार की मारपीट का रवैया अपनाया जाता है, कानून और व्यवस्था स्वयं जिला प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बिगाड़ी जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो अमानवीय कार्य जिला प्रशासन द्वारा और वहां के एस.डी.ओ. द्वारा, वहां के तहसीलदार द्वारा किये जा रहे है वह नहीं किये जायें। राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि उनको इस प्रकार के आदेश प्रसारित करे कि लगान वसूली के अन्दर इस तरह की अवैधानिक कार्यवाही और अमानवीय व्यवहार न करें।

श्री बालचंद आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री बालचंद आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट। मेरा नाम भी है।

श्री अध्यक्ष : किसमें ?

श्री बालचंद आर्यवीर (डग) : इसमें, वसूली में ही।

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय भी हम जब अपनें जिलें में गये थे तो किसानों ने इस प्रकार की सारी शिकायतें की थीं कि उनकी मारी फसलें नष्ट होने के बाद भी उनसे राजस्व वसूली की जा रही है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों के साथ इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रोका जाये। इस प्रकार के कुछ अधिकारी वहां जिला प्रशासन में बैठे हैं जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमनें जिलाधीश महोदय को भी बताया कि इस प्रकार औरतों तक के साथ धक्का-मुक्की हो रही है। लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है और लगातार इस प्रकार वसूलियों में किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि झालावाड़ जिले में जबरदस्ती जो वसूलियां हो रही हैं और किसानों के साथ, गरीबों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है इसको रोका जाये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पीपल्दा क्षेत्र में कृषि भूमि के कटाव को रोकने के लिए पठार स्थिरीकरण एवं कंदरा सुधार परियोजना के अंतर्गत चल रहे चैक डेम्स वृक्षारोपण तथा प्लाण्टेशन कार्य में शिथिलता

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में कई नदियां बहती हैं जिन में चम्बल, कालीसिंध, पार्वती, सूकनी हैं। इन नदियों के साथ-साथ कई बड़े नाले बहते हैं। वहां की जो कृषि भूमि है वह इन नदियों के पानी से कट रही है और वहां पर कन्दरायें बढ़ती जा रही हैं। उस इलाके की जो अच्छी उपजाऊ भूमि है वह कटती जा रही है और इस तरह से हजारों हैक्टेयर भूमि दिनों दिन खराब होती जा रही है। उस इलाके में कृषि भूमि खराब नहीं हो और जैसी सरकार की नीति है कि कृषि कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जावे, किसानों की समस्याओं को दूर किया जावे, उन समस्याओं को दूर करने के लिए उस क्षेत्र के लिए छः करोड़ की कन्दरा सुधार और पठार स्थिरीकरण की एक परियोजना स्थापित की गई थी। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना पर 78-79 से कार्य प्रारम्भ हुआ है। इस परियोजना के अन्तर्गत लाडपुरा, सुल्तानपुर और इटावा पंचायत समितियों के गांवों में काम होने वाला था। लाडपुरा और सुल्तानपुर के काम तो, अध्यक्ष महोदय, करीब-करीब पूरे हो गए। पीपल्दा तहसील, जो खास तौर पर इन सारी नदियों से घिरी हुई है और जिसका सबसे अधिक एरिया प्रभावित है, में भी काम प्रारम्भ हुआ था। काम प्रारम्भ करने के लिए वहां पर चार सब-डिवीजनों की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष महोदय, इन चार सब-डिवीजनों के अन्तर्गत काम प्रारम्भ हुआ, 79-80 और 80-81 में इन चारों सब-डिवीजनों के अन्तर्गत काम हुआ। इस योजना के अन्तर्गत वहां पर मेड़ बन्दी और बण्ड बनानें का काम किया

(श्री हीरालाल आर्य)

गया और जहां पर अधिक कटाव था वहां पर पक्के स्ट्रक्चर बना कर कटाव को रोकने का प्रयत्न किया गया। इस कटाव को रोकने से वहां के किसान बडे प्रसन्न थे और इस काम की बड़ी सराहना की जा रही थी लेकिन पता नहीं क्यों, इस सरकार की उदासीन प्रवृत्ति और उपेक्षा प्रवृत्ति से इस महत्वपूर्ण परियोजना के काम को समाप्त कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 82-83 में इस परियोजना के अन्तर्गत पीपल्दा क्षेत्र में 17 लाख रुपये खर्च किए जाने वाले थे लेकिन उस वर्ष में केवल 2 लाख 40 हजार रुपये ही खर्च किए गए जो नहीं के बराबर थे। जो चार सब-डिवीजन थे उनमें से एक सब-डिवीजन को तोड़ कर अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस पर वहां के अधिकारियों ने, पंचायत समिति ने, जिला परिषद ने बार-बार इस महत्वपूर्ण परियोजना पर काम नहीं होने की शिकायत की और राज्य सरकार को पंचायत समिति से निर्णय लेकर, जिला परिषद से निर्णय लेकर बार-बार निवेदन किया गया कि किसानों के हित की इतनी महत्वपूर्ण परियोजना जिस पर 82-83 में 17 लाख रुपया खर्च होना चाहिए केवल मात्र 2 लाख 40 हजार रुपया खर्च किया जा रहा है। इस वर्ष 83-84 में इस योजना पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ इसके फलस्वरूप जो तीन सब-डिवीजन यहां पर बने हुए हैं उसके सारे के सारे कर्मचारी हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे। मैंने एक प्रश्न के माध्यम से इस बात को उठाया था कि वर्ष 83-84 में इस योजना के अन्तर्गत जो अलाटेड फण्ड था उस फण्ड के पैसे आवंटित नहीं करने का क्या कारण था? तो सरकार ने गलत जवाब दिया। इस परियोजना के अन्तर्गत वण्ड बनाने का कार्य था। दूसरे कार्य जैसे प्लांटेशन और पौध संरक्षण का काम है, अध्यक्ष महोदय, पौधे लगाने और प्लान्टेशन करने का कार्य तो वन विभाग ही वहां पर कर रहा है यह जो कन्दरा सुधार और पठार स्थिरीकरण का कार्य स्पेसिफिक है, जिसके लिए यह परियोजना थी इस पर पिछले साल 83-84 में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। वहां की पंचायत समिति जिला परिषद बार-बार सरकार को लिखती रही, हमारे वहां के अधिकारी लिखते रहे। वहां के अधिकारियों ने जब लिख कर दिया तो यहां से मुख्य वन संरक्षक ने लिखा कि इस परियोजना पर इस साल कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। उनका लेटर है उसमें उन्होंने यह लिखा कि उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उक्त योजना हेतु इस वर्ष कोई राशि उपलब्ध नहीं है अतः कार्य प्रारम्भ न करें। मुख्य वन संरक्षक ने इस तरह की बात वहां के परियोजना निदेशक को लिखा। वहां के परियोजना निदेशक ने वन मन्त्री को पत्र लिखे और मैंने भी बार-बार निवेदन किया कि यह इस इलाके की महत्वपूर्ण परियोजना है, सैकड़ों किसानों का जीवन इस पर आधारित है, इस परियोजना पर फण्ड बजट में अलाट किया हुआ है, आप इस फण्ड का आवंटन कीजिए ताकि वहां पर कार्य प्रारम्भ कर सकें। वन राज्य मन्त्री महोदय ने यहां से लेटर लिख कर हमारे परियोजना निदेशक को लिखा है—

(श्री हीरालाल आर्य)

"विषय : पीपल्दा कन्दरा सुधार हेतु धनराशि

उपरोक्त विषय में आपके पत्र दिनांक 8-9-83 के संदर्भ में लेख है कि पीपल्दा कन्दरा सुधार कार्य हेतु अगले वर्ष बजट प्रावधान रखा जाकर कार्य किया जावे।"

मतलब 83-84 में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। उस इलाके का जो काम प्रारम्भ हुआ था चारों सब-डिवीजनों के अंतर्गत, वह काम जहां का तहां है। जो मिट्टी के डैम बने थे, बण्ड बने थे वे अधूरे हैं। उस नहर के चारों ओर पक्के स्ट्रक्चर बनाए जाने थे। जहां पर कई ट्रक पत्थर जैसे के तैसे पड़े हुए हैं, वहां के कर्मचारी जिनकी संख्या सैंकड़ों में है, तीन सब-डिवीजनों के कर्मचारी हैं जिनमें सहायक अभियन्ता हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, सर्वेयर हैं, मुंशी और मिस्त्री आदि हैं, चुपचाप बैठे हैं। वे इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि कब राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण परियोजना पर पैसे खर्च करे और हम यहां पर कार्य करें।

अध्यक्ष महोदय, वन राज्य मंत्री महोदय के पत्र के आधार पर मैं बीच-बीच में मंत्री महोदय से निवेदन करता रहा और मंत्री महोदय मुझे और उनके विभाग के कर्मचारियों को, वहां के निदेशक को बराबर आश्वासन देते रहे कि हम आपको फण्ड अलाट कर रहे हैं, फण्ड अलाट कर रहे हैं। इस हेतु मैं मुख्य वन संरक्षक से मिला था। उन्होंने कहा था कि मैं इस हेतु शीघ्र फण्ड आवंटित कर रहा हूँ। लेकिन झूठे आश्वासन देते रहे और हमारे इलाके की यह महत्वपूर्ण योजना ठप्प पड़ी रही। राज्य मन्त्री महोदय के इस पत्र के आधार पर हमने यह सोचा था कि वर्ष 83-84 और 84-85 में वहां पर कुछ काम होगा, पैसा अलाट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो वहां पर इस वक्त तीन सब-डिवीजन हैं उन तीनों सब डिवीजनों के कर्मचारियों को भी वहां से साबी, जहां पर आपकी इसी तरह की कन्दरा सुधार और पठार स्थिरीकरण की योजना चल रही है, में शिफ्ट किया जा रहा है जो हमारे इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से और इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो यह सरकार किसानों के हित के लिए तरह-तरह की घोषणायें करती है लेकिन दूसरी तरफ मेरे इलाके की जो महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको सेंटर ने एप्रूव किया है, सेंटर के माध्यम से यह योजना स्वीकृत हुई है और छठी पंचवर्षीय योजना में इसके अन्तर्गत छः करोड़ रुपया खर्च होने वाला था, वर्ष 82-83 और 83-84 में यहां पर तो आपने पैसा दिया नहीं, पैसा नहीं दे करके अन्याय किया ही है हमारे साथ लेकिन इस वर्ष भी इस बजट में उस इलाके में जो स्टाफ है उसको अन्यत्र शिफ्ट कर रहे हैं, फण्ड अलाट नहीं कर रहे हो यह उस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों के हित की इतनी महत्वपूर्ण योजना को यदि आप वहां से दूसरी जगह स्थानान्तरित करते हैं तो इस बात को लेकर उस इलाके में बहुत बड़ा रोष होगा। यदि आपने वहां का स्टाफ शिफ्ट किया और जो अधूरे काम हैं उनको पूरा नहीं किया तो उस इलाके का असंतोष

(श्री हीरालाल आर्य)

आन्दोलन के रूप में बदलेगा और आन्दोलन उस इलाके में जबरदस्त होगा, उस आन्दोलन के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उस इलाके में भूतपूर्व महाराजाओं ने इस कटाव को रोकने, जमीन को सुरक्षित रखने के लिए स्थान-स्थान पर मिट्टी के चैक डेम बनाए थे। भूतपूर्व महाराजाओं ने चैक डेम्स को बनाया था उस बाबत में भी हमने इस सरकार को बार-बार निवेदन किया कि भूतपूर्व महाराजाओं ने कटाव को रोकने के लिए, कृषि की जमीन सुरक्षित रहे इसके लिए जो चैक डेम बनाए थे अब वे स्थान-स्थान पर टूट गए हैं और ये चैक डेम कम से कम 42 स्थानों पर टूटे हैं। मंत्री महोदय ने मेरे को इस प्रश्न के जवाब में यह उत्तर दिया कि हम इसकी योजना बना रहे हैं और निश्चित रूप से इसकी मरम्मत करायेंगे। लेकिन वह भी साल निकलते जा रहे हैं।

(1.00 म. प.)

वहां भी खाले निकल रहे हैं और कंदराएं दिनों-दिन चौड़ी होती जा रही हैं। अधिकांश कंदराएं और खाले बढ़ते जा रहे हैं। इनको यदि शीघ्र ही समय रहते दुरुस्त नहीं करवाया गया तो और अधिक बढ़ते जायेंगे और किसानों के खेतों को समाप्त कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, किसानों के हित में यह महत्वपूर्ण परियोजना थी। भूतपूर्व राजा/महाराजाओं द्वारा चैक डेम बनवाये गये, उनको ठीक करायें। सरकार इस पर पुनर्विचार कर शीघ्र ही ध्यान दे और वहां फण्ड अलाट करे। और जो सॉयल सब डिवीजन समाप्त किये जाने का आपने आदेश दिया है उसको तुरन्त ही रुकवायें और फण्ड दिलवायें ताकि लोगों को काम मिले और काम पूरा हो। लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। आप इस योजना में फण्ड अलाट करें ताकि कार्य प्रारंभ किया जा सके। इसी हेतु मैंने राज्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव रखा था। मुझे आशा है, आप इस महत्वपूर्ण परियोजना पर पैसा खर्च करेंगे और इसके लिये फण्ड देंगे ताकि काम प्रारंभ किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, वन) : अध्यक्ष महोदय, पीपलल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, इस संबंध में वस्तु स्थिति निवेदन है।

कंदरा स्थिरीकरण योजना वर्ष 1969-70 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम कटी हुई कंदरा को कृषि योग्य बनाना व गहरी कंदरा में वृक्षारोपण करना तथा कृषि योग्य भूमि के कटाव के विस्तार को रोकना है। इन कार्यों में कृषि भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाना तथा मिट्टी के बहाव को रोकना एवं पानी को कृषि भूमि में रोक कर उसका उपयोग करने के लिये था।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 69-70 से 73-74 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 560

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि को कृषि योग्य बनाया गया तथा 1500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया जिस पर 60.40 लाख रुपये व्यय हुए।

वर्ष 74-75 से 78-79, पंचम पंचवर्षीय योजना में 417.96 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया गया तथा 600 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया जिस पर कुल 148.29 लाख रुपये व्यय किये गये।

वर्ष 79-80 में यह योजना केन्द्र प्रवर्तित नहीं रह कर स्टेट प्लान के अन्तर्गत ली गई और इसका नाम परिवर्तित कर पठार सुधार व कन्दरा स्थिरीकरण कार्यक्रम कर दिया गया। इस नये कार्यक्रम के अन्तर्गत कन्दराओं को समतल कर कृषि योग्य बनाने का कार्य समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर कन्दराओं के किनारे पर स्थित खेतों के कटाव को रोकने हेतु बन्ध बनाना तथा वर्षा के पानी के निकास हेतु ड्राप स्पिल वेज तथा रिटेनिंग वाल आदि के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया तथा वृक्षारोपण कार्य भी किया गया। पीपल्दा क्षेत्र में वर्ष 80-81 में 28.30 लाख रुपये इस योजना के अन्तर्गत व्यय किये गये। 10,284 हैक्टेयर क्षेत्र में कम्पास सर्वे, 1367 हैक्टेयर में कन्टूर सर्वे का कार्य किया गया। 6 अधूरे पड़े भवनों को पूर्ण किया गया। 1950 हैक्टेयर क्षेत्र में कन्दरा नियंत्रण कार्य किया गया, कृषि भूमि संरक्षण हेतु तटीय बन्ध का निर्माण एवं अन्य पक्के निर्माण कार्य कराये गये। 500 हैक्टेयर क्षेत्र में बीज बुवाई व वृक्षारोपण कार्य किया गया तथा 300 हैक्टेयर क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य किया गया।

1981-82 में पीपल्दा क्षेत्र में 26.10 लाख रुपये व्यय किये गये। इस राशि से 4743 हैक्टेयर क्षेत्र में सर्वे कार्य तथा 3626 हैक्टेयर क्षेत्र में कन्दरा नियंत्रण कार्य किया गया। 300 हैक्टेयर क्षेत्र में सोइल वर्किंग कार्य किया गया एवं 3775 हैक्टेयर क्षेत्र में पुराने प्लान्टेशन का संधारण किया गया।

1982-83 में 24.30 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जिसमें से 1628 हैक्टेयर क्षेत्र में कम्पास सर्वे, 671 हैक्टेयर क्षेत्र में कन्टूर सर्वे तथा 50.40 कि. मी. क्षेत्र में एल. सैक्शन सर्वे का कार्य किया गया। 1054 हैक्टेयर क्षेत्र में कन्दरा नियंत्रण कार्य किया गया, 400 हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम वानिकी तथा 300 हैक्टेयर में बीज बुवाई व पौध संरक्षण का कार्य किया गया। 3775 हैक्टेयर क्षेत्र में पुराने प्लान्टेशन के संधारण का कार्य किया गया।

1983-84 में लगभग 13.00 लाख रुपये इस योजना के अन्तर्गत व्यय किये गये जिससे 400 हैक्टेयर क्षेत्र में बीज बुवाई व वृक्षारोपण कार्य करवाया गया तथा 4075 हैक्टेयर क्षेत्र में पुराने प्लान्टेशन का संधारण कार्य करवाया गया।

जैसा कि पूर्व में कहा गया है यह योजना केन्द्रीय योजना के रूप में 1969-70 में प्रारम्भ की गई थी। उस समय पूर्ण धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। प्रारम्भ में इस योजना के अन्त-

59

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

गत 120 पद सृजित किये गये थे। परन्तु जैसे जैसे कार्य में प्रगति होती गई उन पदों की उपयुक्तता समाप्त होने, स्टाफ के वेतन बढ़ने के कारण खर्चा बढ़ने तथा मितव्ययता के कारण केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार योजना के कुल खर्च में से स्टाफ आदि पर 30 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिये, इसलिए वर्ष 1982-83 में इस योजना के अन्तर्गत कुछ पद समाप्त किये गये तथा कुछ पद 1983–84 में समाप्त किये गये। अब इस योजना के अन्तर्गत लगभग 61 कर्मचारी कार्यरत हैं।

वर्ष 1984-85 में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 17–18 लाख रुपये व्यय किये जाने के प्रस्ताव हैं जिसमें से स्टाफ पर लगभग 6.61 लाख रुपये व्यय होंगे जो भी निर्धारित मापदन्डों से अधिक है। इस योजना को सप्तम पंचवर्षीय योजना में भी चालू रखने के प्रस्ताव हैं। जैसे जैसे राशि उपलब्ध होगी उसके अनुसार वृक्षारोपण, कन्दरा स्थिरीकरण व पठार सुधार के कार्य किये जावेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी कुछ मुद्दे ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किये हैं। वर्ष 83–84 में इस कार्यक्रम को पूरी तरह से नहीं किया गया इस बात को मुझे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण कार्य पर पूरा खर्चा नहीं हुआ है एवं वृक्षारोपण एवं दूसरे कार्यों पर अधिक खर्चा हुआ है।

दूसरा, आपने कहा कि कुछ काम अधूरे हैं। उनकी सामग्री और वहां का स्टाफ वहीं रहा है। इसके संबंध में मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि मैंने इस पूरी फाइल का आज अवलोकन किया है और मैंने आदेश दिये हैं कि जिन स्थानों पर सामग्री पड़ी हुई है उन पर कार्य कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : दुबारा आप थोड़ी गति दें, बाकी ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जी हां।

दूसरा, आपने फरमाया स्टाफ के लिये। तो, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार 30 प्रतिशत से अधिक स्टाफ एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च नहीं होना चाहिए। अभी जो खर्चा हो रहा है, उसके हिसाब से काफी ज्यादा खर्चा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार का और इस कार्यक्रम से संबंधित खास तौर से जो इलाका है जिसमें कन्दरा सुधार का कार्यक्रम चल रहा था, उसी इलाके में डाकूग्रस्त क्षेत्र के विकास के नाम से केन्द्रीय योजना है जिसका पूरा पैसा केन्द्र सरकार हमें देगी जो 1984 से प्रारंभ होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि यह जो बाकी के काम हैं इस योजना के तहत बाकी का स्टाफ है उसको इसी योजना के तहत रखने की कोशिश करेंगे।

आपने एक सवाल भूतपूर्व राजा–महाराजाओं के संबंध में पहले भी उठाया था। मैंने इसका सर्वे कराया है। सर्वे कराने के बाद इसका एस्टिमेट बनाया गया है जिसके अनुसार इस पर 40 लाख रुपया खर्च होगा। मैंने सोइल कन्जरवेशन विभाग से इस

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

काम को करने के लिये निवेदन किया है क्योंकि यह बड़ा डेम है और वन विभाग अमूमन ऐसे काम को नहीं करता है। उनसे निवेदन किया है कि वे यह काम करें। राज्य सरकार से भी निवेदन किया है, चूंकि और दूसरे काम हम कर रहे हैं, यह पुराना काम है अगर यह पूरा नहीं किया जायेगा तो उनका संरक्षण नहीं होगा और जो योजना है, उसकी जो उपलब्धियां हैं वह कम हो जायेंगी। इसलिये इस काम को कराने की हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न कर रहा हूँ। मन्त्री महोदय ने जो फर्माया है पिछली बार जैसे कृषि कार्यों पर काम नहीं हुआ और केवल वेतन और प्लान पर ही खर्च हुआ। इस साल आपने फण्ड्स अलाट किये है उसके लिये धन्यवाद देता हूँ। यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्टाफ है उसको आप शिफ्ट नहीं करें क्योंकि वह वहां को जो आवश्यकता है उसके अनुरूप है। वहां पर स्टाफ लगाया जाये। आपने स्पष्ट रूप से यह नहीं फरमाया है कि स्टाफ को शिफ्ट नहीं करेंगे। वहां काम अधूरे हैं।

इसके अलावा यह जो पूरी योजना है उस के अन्तर्गत जब तक पूरी नदियों के आस-पास बांध नहीं बनेंगे तब तक इस इलाके का संरक्षण नहीं हो सकता है। इसलिये जो अधूरे काम हैं, वे जब तक कम्पलीट न हों, योजना पूरी होने तक स्टाफ को वहीं पर रखेंगे, ऐसा आश्वासन मंत्री महोदय देने का कष्ट करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पूर्व में भी कह चुका हूँ....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने स्पष्ट बात बता दी है। मेरे ख्याल से अब इस पर चर्चा समाप्त कर दी जाये।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री सुखलाल सैणचा के झूंठा के सेठ संबंधी प्रश्न पूछने पर उनके खिलाफ षडयंत्र।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर): पाइन्ट आफ प्रिविलेज।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ प्रिविलेज कैसा ?

श्री सुखलाल सैणचा : जरूरी है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूँगा। मैंने इस विधान सभा का सत्र शुरू होते ही पीपलिया के पूंजीपति और झूंठा के सेठों के खिलाफ इस हाउस में एक प्रश्न किया था जो कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आर्डर, आर्डर। आसन को सूचित करें कि आप किस नियम के अन्तर्गत चर्चा उठाना चाहते हैं ?

श्री सुखलाल सैणचा : मैं लिखित में दे रहा हूँ परन्तु हाउस को इत्तिला करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप नियमों के अन्तर्गत उठावें।

श्री सुखलाल सैणचा : मेरी और मेरे

(श्री सुखलाल सैणचा)

परिवार की जान को खतरा है। आपका संरक्षण चाहता हूँ। विधान सभा के अन्दर प्रश्न करने के बाद में मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये जा रहे हैं, षड़यंत्र रचे जा रहे हैं। वहां पर सरपंच....

(व्यवधान)

एक आदमी की लाश पड़ी है जो बुरी तरह से, अध्यक्ष महोदय, सड़ गयी है। नाटक हो रहा है। मैं आपका संरक्षण चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय। चलती हुई विधान सभा में हमारे साथ ऐसा हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : गंभीर मामला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेम्बर्स के साथ किस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। इन हालातों को सही नहीं किया जा सकता ? तीन दिन पहले आपने एक हरकत देखी और अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैंने प्रश्न पूछा उसके परिणाम-स्वरूप मेरे ऊपर दुनिया भर के टार्चर हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा...

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, आप इस सदन के नियमों और प्रक्रिया से परिचित हैं। इन सभी प्रश्नों को नियमों के अन्तर्गत उठाया जा सकता है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि नियमों के अन्तर्गत इन प्रश्नों को उठावें और इनको मैं सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। इससे अधिक और क्या कहूँ ? आर्डर प्लीज।

श्री सुखलाल सैणचा : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया धरी रह जायेगी। हमारे पर जो जुल्म हो रहा है हम आपको क्या कहें। चलती विधान सभा के अन्दर गुण्डागर्दी हो रही है। एक आदमी की लाश पड़ी है। बोलने वाले के खिलाफ, मेरे खिलाफ षड़यंत्र रचा जा रहा है। शासन प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो, अध्यक्ष महोदय, हम कहां पर जायें ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो विशेषाधिकार प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष : मैंने, आप नहीं थे तब कहा था कि एक अथवा दो दिन में निश्चित रूप से जितने भी प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन हैं उन पर व्यवस्था दूंगा।

श्री सुखलाल सैणचा : मैं यह सारी सूचना चेम्बर में मिल कर व्यक्तिगत रूप से आपको दे रहा हूँ। आप सरकार को निर्देश दें कि वह पुलिस की व्यवस्था करे। कोई पुलिस नाम की चीज नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से चेम्बर में मिलने का कष्ट करें। इस पर व्यवस्था करा दी जायेगी।

अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की घोषणा....

आर्डर प्लीज। आपस में बात न करें।

अंकित न हो।

श्री सुखलाल सैणचा : XXX

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मेरा, अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मोशन इसी से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

इसलिये यह सारी गड़बड़ियां माननीय सदस्य के साथ हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था शीघ्र दूंगा।

एक माननीय सदस्य : धमकी दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्य ने यह कहा कि जैसी भाषा बोलेंगे XXX इसका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : मैं इस कार्यवाही को देख लूंगा।

श्री सुखलाल सैंणचा : यह भी शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन्होंने गालियां बोली हैं और लोगों ने उस पर पीटा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आसन पैरों पर है।

व्यवस्था

कटौती प्रस्ताव पर बोलने की प्रक्रिया

अनुदानों की मांगों एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्रक्रिया।

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित होगा कि मांगें समूह में प्रस्तुत की जायेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह संभव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसी कि पिछले वर्षों से परिपाटी रही है सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ समझा जाये और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये वे अपने साधारण कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिल सके. उनके आग्रह पर सरकार की ओर से सम्बन्धित माननीय सदस्य को लिखित उत्तर मिल जाये, ऐसा मेरा निवेदन है। मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिए मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 2 घण्टे 10 मिनट जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय सम्मिलित होगा। अन्य दलों के लिए समय विभाजन निम्न प्रकार होगा—

भारतीय जनता पार्टी	45 मिनट
जनता पार्टी (जे. पी.)	20 मिनट
लोकदल	15 मिनट
कांग्रेस (श)	10 मिनट
सी.पी.आई.	10 मिनट
सी.पी.एम.	10 मिनट

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह 5 बजे तक के समय का बंटवारा है।

श्री अध्यक्ष : यदि बोलने वाले सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो जैसी पूर्व में व्यवस्था रही है, समय माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु बढ़ा दिया जाता है।

श्री सूर्यकुमार जैन (नैनवां) : आज तो 5 बजे तक का ही समय रखा जाये क्योंकि अन्तरिक्ष यात्रा टेलीकास्ट होगी।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्ताव के लिखित उत्तर

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : आसन से जो व्यवस्था दी गई है उसके बारे में निवेदन है ..

श्री अध्यक्ष : आसन की व्यवस्था के विरुद्ध कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं उसको चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं परन्तु एक सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, आसन से जो व्यवस्था दी जाती है कि विभाग द्वारा इन कटौती प्रस्तावों के उत्तर दिये जायें और विधान सभा सचिवालय द्वारा बार बार विभाग को निर्देश जाते हैं परन्तु विभाग विधान सभा के निर्देशों की परवाह नहीं करते हैं, यह एक गंभीर प्रश्न है। इसलिए आप से निवेदन कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सबसे निवेदन कर दिया कि इसके लिए व्यवस्था की जायेगी।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : गत वर्ष भी यह निवेदन किया गया था और आज मैं वह लाया हूँ। कटौती प्रस्ताव का जो जवाब आया है वह 24 फरवरी, 1984 का है।

बजट सैशन 1983 का जवाब 24 फरवरी, 1984 को आया है, मैं यह इसलिए लाया हूं। मैंने गत वर्ष भी यह निवेदन किया था कि आप अपनी व्यवस्था में यह बाध्य करें कि कितने दिन के अन्दर-अन्दर इन कटौती प्रस्तावों के जवाब भिजवा देंगे मांग के बाद या विधान सभा के सत्रावसान के बाद, तो ये व्यवस्थाएं उचित रहेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखिये एक विभाग का है

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव उचित हैं, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : केवल खनिज डिपार्टमेंट का ही जबाव आया है और किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : समस्या पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो माननीय सदस्य आग्रह करेंगे उनका ही उत्तर आयेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनको आग्रह ही मान लिया जाये, इसलिए उत्तर सबके आने चाहिए। आपने जो आग्रह शब्द का प्रयोग किया है....

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य जो कटौती प्रस्ताव देंगे उनको उत्तर भिजवा दिया जायेगा, इस हिसाब से संशोधन कर दिया गया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : हमारा तो कोई उत्तर आया नहीं।

श्री अध्यक्ष : वह मैं समझूंगा, इसके लिए अलग से मिलें अगर माननीय सदस्यों को कोई कठिनाई है तो। इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि सभी माननीय सदस्यों को समय पर कटौती प्रस्ताव के उत्तर मिलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उत्तर नहीं मिला इसमें आब्जेक्शन नहीं है, इसमें हमारे हाउस और माननीय आसन से व्यवस्था होती है उसका यदि कोई पालन नहीं करे तो यह हमको गंभीरता से लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : इसकी व्यवस्था की जाती है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

आय-व्ययक बजट, 1984-85 द्वितीय अवस्था अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। मांग प्रस्तुत की जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,12,59,20,000 (एक अरब बारह करोड़ उनसठ लाख बीस हजार) रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण),

श्री माणकमल मेहता (पाली)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के द नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर र्चा के लिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

2. टोंक सहादत अस्पताल को क्रमो-त नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा लिए ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री दीपचन्द (सादुंलपुर)

3. चिकित्सालयों में चिकित्सा हेतु वाइयों की कमी पर चर्चा के लिए ।

4. कालेज आफ नर्सिंग को पूर्ण वतन्त्रता देने के लिए चर्चा के लिये ।

5. स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा नागौर जले में किए जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध चर्चा के लिए ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री असलम खां (बाली)

6. पाली जिले के रानावास मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को स्टाफ भेजने की आव-यकता पर चर्चा के लिए ।

7. पाली जिले में प्रत्येक पंचायत मुख्यावास पर उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर)

8. पंचायत समिति रानी के खिवोड़ा गांव में अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

9. देसूरी तहसील के गांव कोट सोले कियान, केसूली एवं वनदार में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की चर्चा के लिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

10. आबादी के अनुपात में चिकित्सा व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये ।

11. भानपुरकलां (जमवारामगढ़ पी. एच.सी. में) समुचित स्टाफ की व्यवस्था न होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रा.)

12. कृषि उपज मण्डी समिति उदय-पुर की डिस्पेन्सरी का भवन छोटा है बड़ा कराने पर चर्चा के लिये ।

13. कृषि उपज मण्डी समिति उदय-पुर की डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत किये जाने पर चर्चा के लिये ।

14. उदयपुर कृषि उपज मण्डी चिकि-त्सालय में दन्त चिकित्सा के लिए उपकरणों की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव)

15. जैसलमेर जिले के ग्राम देवी कोट में डिस्पेन्सरी खोलने पर चर्चा के लिये।

16. बाड़मेर जिले के गडरारोड ग्राम में डिस्पेन्सरी भवन के निर्माण पर चर्चा के लिये।

17. बाड़मेर जिले के ग्राम गिराब में डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

18. सूरजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में डाक्टरों एवं दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

19. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

20. तहसील बेगूं में जावदा, ठुकराई, रायता एवं एकलिंगपुरा व मोतीपुरा के ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधायें दिलाने हेतु नई डिस्पेन्सरीज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. बेगूं में एस.डी.एम. हैडक्वार्टर की डिस्पेन्सरी को रेफरल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

22. डिस्पेन्सरियों में चिकित्सा स्टाफ की कमियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

23. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुवि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

24. उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्टाफ अभाव में बंद पड़े रहने से जनता में व्या असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

25. चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से फैले जन असंतोष पर चर्चा लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथान

26. सांवलपुरा तंवरान में डिस्पेन्स खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. नीमकाथाना में मातृशिशु कल्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

28. जिला बांसवाड़ा की पंचा समिति बागीडौरा के अन्तर्गत ग्राम पंच यत बारी ग्राम में सब सेन्टर व हे सेन्टर खोलने में सरकार की असफल पर चर्चा के लिये।

29. बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचाय फुप्रेल में हैल्थ सेन्टर खोलने में सरक की असफलता पर चर्चा के लिये।

30. राज्य सरकार बांसवाड़ा जि के ग्राम पंचायतोंबार चिकित्सा एवं स्वा

बहादुरसिंह)

न उपलब्ध कराने में असफल रही पर चर्चा के लिये ।

31. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला में परियोजना के अन्तर्गत आने वाले पितों की नयी कोलोनियों में चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था करने में असफल जिस पर चर्चा के लिये ।

32. राज्य सरकार बांसवाड़ा के मा गांधी अस्पताल में चयनित परि- के लिए निःशुल्क दवाई व इलाज की था करने में असफल रही जिस पर के लिये।

33. राज्य सरकार मांही परियोजना न्तर्गत विस्थापित क्षेत्र व डूब क्षेत्र ग्राम पंचायत आबापुरा, केशरपुरा या, महेशपुरा, खेड़ा बड़लीपाड़ा में पी. सी. की व्यवस्था करने में असफल रही पर चर्चा के लिये ।

34. घोड़ी तेजपुरा जिला बांसवाड़ा ब सैन्टर पर स्टाफ व दवाइयों की से आम लोगों को तकलीफ होने पर के लिये ।

35. छोटी सरवन के पी. एच. सी. के र्गत चलने वाले सब सैन्टर पर नर्सों पूरी व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के ।

36. छोटी सरवन पी. एच. सी. न बांसवाड़ा में लेडी डाक्टर की स्था न करने पर चर्चा के लिये ।

37. दानपुर हैल्थ सैन्टर में डाक्टर/कम्पाउंडर व दवाइयों की व्यवस्था करने में असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

38. राजस्थान में न्यूरो सर्जरी हेतु केटश केनर मशीन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

39 राजस्थान के अस्पतालों में अधिकांश मरीजों को निःशुल्क औषधि प्रदान करने की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।

40. ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले डाक्टरों के लिये अधिक आर्थिक लाभ योजना प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

41. उदयपुर नगर में जिला होस्पिटल की अलग से स्थापना करने हेतु चर्चा के लिये ।

42. उदयपुर नगर के विस्तार को ध्यान में रखते हुये हिरणमगरी से. नं. 3-4-5-6-7-8 में एक डिस्पेन्सरी खोले जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री बन्सी लाल पटवा (भीलवाड़ा)

43. चितरंजन मोबाइल यूनिट उदयपुर में लाखों रुपयों की दवाइयों का उप-

(श्री बन्सी लाल पटवा)

योग नहीं होने से अवधि पार हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिये।

44. उदयपुर जिले के कई चिकित्सालयों में डाक्टरों के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं इस पर चर्चा के लिये।

श्री असलम खां (बाली)

45. पंचायत समिति बाली, जिला पाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेड़ा में जीप की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. बाली उपखण्ड, जिला पाली के औषधालय को क्रमोन्नत कर रेफरल चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. पंचायत समिति बाली के सेवाड़ी ग्राम में औषधालय या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

48. ग्राम हाडेचा में जनता द्वारा भवन निर्माण के वायदे के बावजूद अस्पताल नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

49. पेयजल के टैंकों की सफाई एवं इनमें दवाइयां डालने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

50. चिकित्सालयों में रोगियों को चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

51. चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग अपने निजी कार्य में लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. चिकित्सा विभाग में रेफ्रिजरेटर तथा कूलरों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

53. प्रचार शाखा परिवार कल्याण संस्थान में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

54. फागी के अस्पताल को तीस बैड का नहीं बनाने से रोगियों को होने वाली असुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

55. गावों में चिकित्सा सुविधा पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

56. सांचौर पी. एच. सी. के भवन का विस्तार करके उसे रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

57. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के हिम्मतगढ़ सब सैन्टर का हेड क्वार्टर चेंज करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये।

58. कुशलगढ़ क्षेत्र के चिकित्सालयों में दवाइयों की समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

59. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के सब सैन्टरों पर नर्सें भिजवाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

(श्री फते सिंह)

60. राज्य सरकार छोटा डूंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों के लिए एक्स–रे मशीन उपलब्ध कराने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

61. राज्य सरकार कुशलगढ़ रेफरल अस्पताल में पूरा स्टाफ लगाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

62. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में जनता को समय पर दवाइयां उपलब्ध कराने एवं उनका उपचार करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

63. राज्य सरकार प्रदेश में जनता को चिकित्सा सुलभ कराने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

64. राज्य सरकार चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

65. आयुर्वेद औषधालय, चन्दन निवास अजमेर में फर्जी मेडिकल बिल पास होते हैं इस पर चर्चा के लिये।

66. आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश में हुयी अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

67. आयुर्वेद विभाग में ड्राइवरों की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. आयुर्वेद विभाग में कर्मचारियों के स्थानान्तरण में हुयी धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. आयुर्वेद विभाग में निलम्बित कर्मचारियों को चार्जशीट न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. आयुर्वेद निदेशालय के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

71. आयुर्वेद विभाग में वाहनों पर अनियमित व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

72. तहसील डीडवाना जिला नागौर में अस्पतालों व सब सेन्टर की कमी व डीडवाना होस्पिटल में अव्यवस्था के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्य वीर (डग)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

73. कोटा के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था, अनियमितता व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

71. इटावा, जिला कोटा के अस्पताल को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

75. पीपल्दा क्षेत्र मांगरोल व इन्द्रगढ़ अस्पतालों को रेफरल अस्पतालों में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

76. इटावा अस्पताल में महिला चिकित्सक का पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री हीरालाल आर्य)

77. इटावा चिकित्सालय में जच्चा खाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

78. पीपल्दा कलां व बमोरी कलां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

79. गैंता व सुमेरगंज मंडी में डिस्पेन्सरी खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. लुहावद में प्रथम श्रेणी के कम्पाउन्डर का पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

81. बिनायका, अयानी में डिस्पेन्सरी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

82. इटावा खातौली, मांगरोल, इन्द्रगढ़, अयाना अस्पताल में दवाइयों की समुचित व्यवस्था करने एवं बेड्स की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. अयाना व खातौली में डिस्पेन्सरी हेतु भवन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. दुर्जनापुरा ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये।

85. डूंगरली, बोरदा, जोरावरपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया (रतनगढ़)

86. चिकित्सा विभाग द्वारा बरती जा रही शिथिलता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

87. एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को 5 वर्ष तक अनिवार्य राज्य सेवा में रखने हेतु चर्चा के लिए।

88. जिला चिकित्सालयों में सरकार द्वारा कीमती दवाइयां सुलभ करवाई जावें इस पर चर्चा के लिये।

89 चिकित्सा, मुख्यालयों पर महिला यूनिट में रात्रि को 8 से प्रात: 8 बजे तक महिला डाक्टरों की नियुक्ति पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर)

90. जालौर राजकीय चिकित्सालय में 50 अधिक बैड स्वीकृत करने की चर्चा के लिए।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

91. आयुर्वेद विभाग द्वारा राजस्थान से बाहर के आशार्थियों को नियुक्ति देने के संबंध में चर्चा के लिए।

92. आयुर्वेद विभाग के सहायकों की वरिष्ठता सूची में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

93. आयुर्वेद विभाग में पदोन्नतियों के संबंध में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

(श्री फतेसिंह)

94. आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में अध्ययनरत नर्स/कम्पाउण्डरों को स्टाईपण्ड समय पर न देने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में हो रहे विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पोखराम (टीबी: 81)

96. टी.बी. निर्वाचन क्षेत्र में अपर्याप्त चिकित्सालयों पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

97. राजकीय चिकित्सालयों व सब सेन्टरों में दवाइयों की भारी कमी से गरीब रोगियों को होने वाली असुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

98. जैसलमेर व पोकरण चिकित्सालयों में रोगी शय्याओं की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. आधुनिक उपचार सुलभ कराने हेतु एस.एम.एस. होस्पिटल जयपुर में केट-स्केन, वाडीस्केन, लीवरस्केन के उपकरण स्थापित करने हेतु चर्चा के लिए।

100. कैंसर उपचार हेतु कोबाल्ट थेरापी के तहत एस.एम.एस. होस्पिटल जयपुर में लिनीयर ऐक्सलरेटर उपकरण स्थापित करने हेतु चर्चा के लिए।

101. जैसलमेर जिले में राजकीय चिकित्सालयों व उपकेन्द्रों में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों व नर्सों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. जयपुर एस.एम.एस. होस्पिटल में कई महीनों से आपरेशन थियेटर में वातानुकूलन संयत्र के खराब पड़े रहने से मरीजों एवं चिकित्सकों को भारी कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिए।

103. कैंसर रोगियों के उपचार हेतु एस.एम.एस. होस्पिटल जयपुर में कीमोथेरापी की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

104. जैसलमेर जिले में क्षय रोग की रोकथाम व उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

105. राज्य सरकार कुशलगढ़ रेफरल होस्पिटल में सफाई व बिजली पानी की पूरी तरह व्यवस्था करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

106. ग्राम पंचायत भरनी में आयुर्वेदिक औषधालय में स्टाफ एवं दवाइयों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. टोंक जिला अस्पताल में आपरेशन थियेटर की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. दृष्टि विकार और अन्धता नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम के लाभ से टोंक जिले को वंचित रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

109. देशी दवाइयों को, टौंक जिले में प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110 टौंक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु रोग योजना की विफलता पर चर्चा के लिये।

111. निवाई क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. ग्राम पंचायत मेन्दवास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. टौंक पंचायत समिति क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

114. जनाना अस्पताल जयपुर में मरीजों एवं अटेन्डेन्ट्स के लिये उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

115. जनाना अस्पताल टौंक को क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

116 नकली दवाइयों की रोकथाम में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

117. आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

118. विभिन्न स्तरों के चिकित्सालय एवं आयुर्वेदिक औषधालय खोलने में पक्षपात से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

119. भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न देशों से सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त सहायता और उपकरणों का सही ढंग से उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

120. विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सहायता का समुचित उपयोग न होने पर चर्चा के लिये।

121. ग्राम पंचायत बगड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. टौंक जिले के विभिन्न अस्पतालों में दवाईयों एवं उपकरणों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. टौंक सहादत अस्पताल में घाटे, अव्यवस्था एवं गन्दगी के कारण उत्पन्न रोग पर चर्चा के लिये।

124. टौंक के टी.बी. क्लीनिक भवन की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. टौंक के टी.बी. क्लीनिक को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. टौंक जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. ग्राम कुरेड़ा पचायत समिति

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

टोंक में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. अनक्वालिफाइड चिकित्सकों को चिकित्सा अधिकार देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

129. महावीर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र टोंक की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

130. राजस्थान के अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा, जांच आदि कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. राजस्थान में विभिन्न चिकित्सा सेवाओं के रिक्त पदों के कारण मरीजों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिए।

132. छठी पंचवर्षीय योजना काल में चिकित्सा सेवाओं के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

133. टोंक पंचायत समिति के स्वास्थ्य उप केन्द्र घास, मण्डावर, डोडगडी, सोनवा, दाखिया, वगडी, छान, डारडाहिन्द एवं वम्बोर में अव्यवस्था एवं स्टाफ नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. टोंक जिले में भ्रमणशील चिकित्सा इकाई द्वारा केम्प आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. प्रदेश में चिकित्सा प्रशासन पर व्यय बढ़ने एवं उसके अनुपात में चिकित्सा सेवा व्यय में घटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

136. प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में पड़े लाखों रुपयों के उपकरणों का उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137. टोंक जिले में हैल्थ गाइड स्कीम व बहुद्देशीय कार्यकर्ता योजना की विफलता पर चर्चा के लिए।

138. राज्य में बाल मृत्यु दर बढ़ने एवं विभाग द्वारा प्रभावी उपाय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

139. टोंक जिले में 'वृद्धावस्था को जीवन्त बनाइये' कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये।

140. टोंक जिले में शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिए।

141. राज्य में औषधियों के 'नमूने विश्लेषण योजना' की विफलता पर चर्चा के लिये।

142. जयपुर स्थित टी. बी. अस्पताल में अनियमितताओं एवं अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. टोंक जिले में स्वास्थ्य मार्ग दर्शकों को प्रशिक्षण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

144. पीपलू ग्राम पंचायत में अस्पताल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

145. ग्राम पंचायत बम्बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

146. नैनवा विधान सभा क्षेत्र की 39 पंचायतों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर)

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन)

147. बाड़मेर जिले के चिकित्सालयों में नर्सेज, कम्पाउण्डर एवं दवाइयों की कमी से लोगों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़)

148. कस्बा बहरोड़ में रैफरल अस्पताल एवं ग्राम तसींग, हुडिया कलां, कापसा ग्राम में "एडपोस्ट" बनाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई)

149. निवाई विधान सभा क्षेत्र की 38 पंचायतों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

150. सोजत क्षेत्र में अस्पतालों में चिकित्सा की अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

151. पाली जिले के अस्पतालों में चिकित्सा की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

152. सवाईमाधोपुर जिले के अस्पतालों में चिकित्सा की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

153. करौली क्षेत्र में चिकित्सा के अभाव के बारे में चर्चा के लिये।

श्री तकीउद्दीन अहमद (जौहरी-बाजार)

154. जयपुर शहर में चिकित्सा व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

155. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा के नये सब सेन्टर खोलने पर चर्चा के लिये।

156. राजकीय नाहटा अस्पताल बालोतरा में रोगियों के बैड 50 से बढ़ाकर 100 कराने हेतु चर्चा के लिये।

157. पचपदरा राजकीय सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

158. राजकीय प्राइमरी हैल्थ सेन्टर माडली भवन का जीर्णोद्धार, मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमरराम चौधरी)

159. राजकीय नाहटा अस्पताल बालोतरा में आपरेशन टेबल और अन्य सामान की कमी को पूरा करने पर चर्चा के लिये।

160. बालोतरा में प्रसूति गृह नहीं खोला जाने पर चर्चा के लिये।

161. पचपदरा क्षेत्र के ग्राम पारलू, करेऊ व कल्याणपुर में नयी डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

162. सराड़ा जिला उदयपुर में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

163. कोटा जिले के मोड़क में रेफरल चिकित्सालय के लिये डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, उपकरण उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

164. कोटा जिले के मोड़क के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चेचट स्थानान्तरण न करने पर चर्चा के लिये।

165. कोटा में पी. एन. आर. सी. के प्रवेश में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम कांचरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

167. कोटा जिले की पंचायत समिति के ग्राम कांचरी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द आर्य वीर (डग)

168. कालेज ऑफ नर्सिंग जयपुर में कम्पाउण्डरों की कमी पूर्ति हेतु छात्राओं के साथ छात्रों को ट्रेनिंग के लिये व्यवस्था करने हेतु, इसे क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

169. कालेज ऑफ नर्सिंग जयपुर में पुस्तकालय और साज-सामान के अभाव पर चर्चा के लिये।

170. महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा में सफाई व मरीजों को समुचित देखभाल न होने पर चर्चा के लिये।

171. कोटा जिले में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

172. कोटा जिले के रामगंज मण्डी कस्बे में फैल रही बीमारियों को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

173. कोटा जिले के चिकित्सालय एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों का अभाव रहने पर चर्चा के लिये।

174. झालावाड़ व कोटा जिले में महिलाओं की नसबन्दी करने में सावधानी नहीं बरतने के संबंध में चर्चा के लिये।

175. झालावाड़ व कोटा जिले में चिकित्सालयों को गरीबों के लिये मिलने

(श्री बालचन्द आर्य वीर)

वाली दवाइयों को अधिकारियों द्वारा बाजार में बेच दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

176. कोटा के महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में डाक्टरों द्वारा दी जा रही मरीजों को नकली दवाइयों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

177. जयपुर नगर के जनाना अस्पताल में बन्द पड़ी लिफ्टों से उत्पन्न होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

178. जनाना अस्पताल में महिलाओं की इस्तेमाल शुदा गंदी रूई और पैड्स तथा वेस्टेज को जलाने की व्यवस्था न होने से एवं पिनारों द्वारा इस गन्दी रूई को ठीक कर बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

179. जयपुर नगर के सवाई मानसिंह अस्पताल की अधिकांश लिफ्टों के निरन्तर खराब रहने से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

180. जनाना अस्पताल में महिलाओं के लिए बिस्तरों की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

181. मानसिक चिकित्सालय जयपुर में अधिकांश दरवाजे, खिड़कियों के टूटे किवाड़ों की मरम्मत न किये जाने से उत्पन्न होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

182. जनाना अस्पताल द्वारा डी. सी. एम. से प्राप्त होने वाले रुपये इस्तेमाल न किये जाने तथा लैप्स हो जाने से विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

183. मानसिक चिकित्सालय जयपुर में बिजली के पंखों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

184. क्षय अस्पताल, मानसिक चिकित्सालय, कुष्ट अस्पताल, जे. के. लोन अस्पताल आदि जयपुर के विभिन्न अस्पतालों में मेन्टीनेंस फण्ड को उच्च अस्पतालों की आवश्यकतानुसार उन्हें फण्ड आवण्टित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

185. चित्तौड़गढ़ जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं में लम्बे समय से पद रिक्त हैं इस पर चर्चा के लिये ।

186. उपखण्ड प्रतापगढ़ की स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों को भरने एवं दवाइयों के लिए बजट आवंटन के संबंध में चर्चा के लिए ।

187. प्रतापगढ़ सार्वजनिक चिकित्सालय के लिए भवन निर्माण करवाने बाबत चर्चा के लिये ।

188. चित्तौड़गढ़ जिले में मानसिक,

(श्री नन्दलाल मीणा)

क्षय तथा नेत्र चिकित्सालय खोले जाने बावत चर्चा के लिये।

189. नकली दवाइयों की रोकथाम के लिये सख्त कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

191. राज्य में वर्ष 1981 से अब तक राज्य सरकार ने हैजे, दस्त, उल्टी, व आंत्रशोध से मारे गये व्यक्तियों को मुआवजा नहीं देने के बारे में चर्चा के लिये।

192. उपखण्ड प्रतापगढ़ में वर्ष 1980 से अब तक एक भी स्वास्थ्य संस्था न खोले जाने के विषय में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

193. ग्राम डांसरोली में नई डिस्पेन्सरी एवं ग्राम खाद में रेफरल अस्पताल तथा ग्राम रानोली में एम. सी. डब्लू. सी. खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर)

194. अमृत कौर अस्पताल ब्यावर में टी बी. वार्ड चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

195. राजकीय चिकित्सालय हस्तेड़ा में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

196. राजकीय चिकित्सालय चौमू में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिए।

197. ग्राम चीथवाड़ी में चिकित्सालय खोले जाने पर चर्चा के लिए।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर)

198. ग्राम चानुर एवं रामसिण तथा माडा में नई डिस्पेन्सरी खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

199. जिला सवाई माधोपुर में परिवार नियोजन में डाक्टरों की लापरवाहियों से महिलाओं की मौतें होने पर चर्चा के लिये।

200. जिला सवाईमाधोपुर में अस्पतालों में स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

201. जयपुर के अस्पतालों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

202. राज्य में सैटेलाइट अस्पतालों की कमी पर चर्चा के लिए।

203. डाक्टरों के अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर के मामले महीनों, वर्षों से न निब-

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

टाने और अनाप-शनाप तबादले किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

204. भानपुलां जिला जयपुर की पी.एच.सी. में पिछले दो वर्ष से डाक्टरों के अभाव से तथा अधिकतर सेवा कर्मियों के डेपुटेशन पर होने से तथा बीमारों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

205. राज्य में दन्त चिकित्सकों की कमी से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिए।

206. सवाई मानसिंह अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की कमी से गन्दगी पर नियंत्रण न कर पाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

207. कुत्ते के काटे के इन्जेक्शन समय पर पूरे उपलब्ध न कराये जाने हेतु चर्चा के लिए।

208. जयपुर की डिस्पेन्सरी में टट्टी, पेशाब, थूक, रक्त आदि की जांच की व्यवस्था न होने से रोगियों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिए।

209. सरकारी दवाइयों की दुकानों की मात्र जयपुर में एक सेवा होने से बीमारों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिए।

210. राज्य के अस्पतालों में गरीबों को दवा उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

211. देशी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा को एलोपैथिक के मुकाबले कम प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिए।

212. राज्य की लेबोरेटरीज में T.3 T.4 तथा पी.बी.आई. की जांच न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

213. सरकारी दवाइयों की दुकानों पर सभी दवाइयां उपलब्ध न होने से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिए।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

214. भीलवाड़ा तहसील के दांथल व बरडोद में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

215. भीलवाड़ा, महात्मा गांधी अस्पताल के प्रत्येक वार्ड व यूनिट में रात्रि को अलग डाक्टर की ड्यूटी न लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

216. भीलवाड़ा जिले के अस्पतालों में रोगियों को बैड, बिस्तर, कम्बल, चद्दर न मिलने के संबंध में चर्चा के लिए।

217. नागरिकों को खाद्य सामग्री शुद्ध न मिलने के संबंध में चर्चा के लिए।

218. भीलवाड़ा नगर व जिले के

(श्री बंसीलाल पटवा)

अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों तथा उपकेन्द्रों की सफाई व्यवस्था ठीक न होने के संबंध में चर्चा के लिए।

219. भीलवाड़ा नगर के नेहरू रोड के पास राधाकृष्णन व नई आबादी में डिस्पेन्सरी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

220. भीलवाड़ा गांधी अस्पताल में आपरेशन तथा अन्य गंभीर कारणों को लेकर बिजली जनरेटर लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. भीलवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल "ए" क्लास होने के बाद उसके अनुरूप व्यवस्थायें जुटाने के संबंध मे चर्चा के लिए।

222. पेशेन्ट्स को अस्पताल में चिकित्सा व दवाइयों की सुविधा न मिलने के संबंध में चर्चा के लिए।

223. गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में कमजोर वर्गों एवं गरीबों को दवा व एक्सरे आदि की सुविधा न होने के संबंध में चर्चा के लिए।

224. भीलवाड़ा नगर के शास्त्री नगर, बापू नगर, सांगानेर कोलोनी में डिस्पेन्सरी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

225. बड़ा महुआ (तहसील भीलवाड़ा) में डिस्पेन्सरी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

226. भीलवाड़ा नगर के लगभग 20 उप नगरों, कमजोर वर्गों की नगरीय बस्तियों में भ्रमण चिकित्सा की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिए।

227. राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में फर्जी प्रमाण-पत्र व भ्रष्ट कार्यवाहियों की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

228. भीलवाड़ा के गांधी अस्पताल में कुछ डाक्टरों द्वारा दवाइयां लिखने में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

229. बाड़मेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में सब सेन्टर पर नर्सों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

230. बाड़मेर जिले के ग्राम नोखड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व होड एवं रावतसर में डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति सिणधरी के ग्राम सरली, नोसर, सणपा, कोशलू कगाऊ, कमण्ठाई, खुण्डाला खुडसा, नेहरों की ढाणी, बोडवा, जूनो उन्दड़ी, जालीखेडा, टाकूबेरी, रामसर का कुआ में सब सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति धोरीमन्ना के सब सेंटर उण्डा व भाखरपुरा के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. बाड़मेर जिले की पंचायत

(श्री हेमाराम चौधरी)

समिति बाड़मेर के ग्राम गरल, हाथीतला एवं बूट जैतमालोत में सब सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति धोरीमन्ना के ग्राम कोजा, खारी कबूली, माणकी, बोंल, कोठाला, भाली-खाल, रतनपुरा लूणवा जागीर, पादरड़ी, बांटा, बेरीगांव, भलीसर, गोलियां कल्ला में सब सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

235. खण्डेला विधान सभाई क्षेत्र के ग्राम चाला-चौकड़ी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

236. खण्डेला क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था की कमी पर जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिए।

237. खण्डेला विधान सभाई क्षेत्र के चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर)

238. सूरसागर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के भारी अभाव तथा बने हुए भवनों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

वैद्य भैरूलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़)

239. जमुवारामगढ़ पंचायत समिति के आंधी-थौलाई में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शीघ्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की अनिवार्य उपस्थित रहने की पाबन्दी पर चर्चा के लिये।

241. नकली औषधियों के निर्माताओं, विक्रेताओं को कड़ी सजा दिलाने में ढ़िलाई व संबंधित अधिकारियों की मिली भगत पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

242. देवली एवं ग्राम टोडारायसिंह के चिकित्सालय को क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राजसमंद)

243. गांव कुरज जिला उदयपुर में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

244. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज-समन्द जिला उदयपुर को परामर्श चिकित्सालय बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं)

245. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की दयनीय स्थिति तथा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर)

246. सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

247. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के भूदोली कस्बे में डिस्पेन्सरी खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

248. नीमकाथाना में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का भवन बनाया हुआ है उसे चालू कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

249. कपिल चिकित्सालय नीमकाथाना को रेफरल हास्पिटल बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

250. प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं के मरीजों की जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल के हड्डी वार्ड में मरीजों के बेड्स की अत्यधिक कमी के कारण समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

251. ग्रामीण क्षेत्रों के औषधालयों में सरकार द्वारा स्टाफ की समुचित व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगन सिंह (बयाना)

252. राज्य के नर्सिंग स्टाफ में सेवा शर्तों के संबंध में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

253. सन् 50 से पूर्व मिल रहे मैसिंग भत्तों में सुधार न करने पर चर्चा के लिये।

254. नर्सिंग स्टाफ को रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश के बदले विशेष अवकाश देने हेतु चर्चा के लिये।

255. चिकित्सा विभाग के नर्सिंग स्टाफ को अनुभव के आधार पर आर. एम. पी. के समान मानने हेतु चर्चा के लिये।

256. नर्सिंग कालेज में सेवारत कर्मचारियों के लिये पोस्ट बेसिक कोर्स चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

257. नर्सिंग कालेज में सीटें बढ़ाकर लड़कियों के साथ लड़कों को भी प्रवेश देने के बाबत चर्चा के लिये।

258. नर्सिंग स्टाफ को वर्दी, धुलाई भत्ता स्वीकृत करने हेतु चर्चा के लिये।

259. नर्सिंग स्टाफ की पदोन्नति समय पर एवं नियमानुसार करने हेतु चर्चा के लिये।

260. नर्सिंग स्टाफ को अन्य डिप्लोमाधारियों के समान वेतनमान देने के बारे में चर्चा के लिये।

261. नर्सिंग स्टाफ को टेरीकाट की वर्दी एवं गर्म वर्दी देने के बारे में चर्चा के लिये।

262. मोबाइल सर्जिकल यूनिट में

(श्री जगन सिंह)

कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को ओवर टाइम अलाउन्स अथवा विशेष वेतन देने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

263. पंचायत समिति गिर्वा की पंचायत टीडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन पूर्ण हो गया है जिसमें स्टाफ नियुक्ति शीघ्र कराई जाने पर चर्चा के लिये।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना)

264. बाड़मेर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी को क्रमोन्नत कर रेफरल अस्पताल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

266. सवाईमाधोपुर में टी. बी. हास्पिटल नहीं होने के कारण मरीजों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

266. सवाईमाधोपुर जनाना हास्पिटल में एक्सरे मशीन तथा स्टाफ की कमी को पूरा करने पर चर्चा के लिये।

267. जिला सवाईमाधोपुर में डाक्टरों की लापरवाही से परिवार नियोजन कैम्पों में कई महिलाओं की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

268. जिला सवाईमाधोपुर हैडक्वार्टर पर डाक्टरों की लापरवाही के कारण जनता में भारी असंतोष है इस पर चर्चा के लिये।

369. सवाईमाधोपुर हास्पिटल में मरीजों को भोजन व दूध नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

श्री बालचन्द आर्य वीर (डग)

270. राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा की व्यवस्था करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री चाव खां (कामां)

271. कस्बा पहाड़ी के अस्पताल में जच्चा घर बनवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री कुन्जी लाल (बामनवास)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

272. चिकित्सालयों में ब्लड बैंकों, लेबोरेटरियों एवं अन्य सामग्रियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

273. सवाईमाधोपुर जिले में आयुर्वेदिक औषधालयों एवं चिकित्सालयों की कमी पर चर्चा के लिये।

274. परिवार नियोजन कैम्पों में बढ़ती हुयी मृत्यु दरों पर एवं चिकित्सा सुविधाओं पर चर्चा के लिये।

श्री जेठामल बरबड़ (परबतसर)

275. परबतसर रेफरल चिकित्सालय के भवन-निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

276. पी. बी. एम. चिकित्सालय, बीकानेर में एम्बूलेन्स एवं पूछताछ के लिए अलग-अलग टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

277. जिला बीकानेर के ग्राम बरसलपुर व भलूरी में आयुर्वेद औषधालय में वैद्य के गत तीन वर्षों से अनुपस्थित रहने पर चर्चा के लिये।

278. जिला बीकानेर में आयुर्वेद औषधालयों में दवाइयां पूरी मात्रा में नहीं देये जाने पर चर्चा के लिये।

279. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के होमियोपैथिक चिकित्सालय बरसलपुर में गत चार वर्ष से चिकित्सक की अनुपस्थित पर चर्चा के लिये।

280. बीकानेर शहर व कस्बों में खाद्य पदार्थों की मिलावट की रोकथाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

281. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के गांवों में गत तीन माह से ज्वर से लगातार पीड़ित ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराने में विभाग द्वारा निष्क्रियता बरतने पर चर्चा के लिये।

282. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम सुरजड़ा, गांधी, सेवड़ा, गुडा, हाडला, भाटियान में आयुर्वेदिक औषधालय सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के गांव बरसलपुर में स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. ग्रामीण अंचल में परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रचार व लक्ष्य प्राप्ति में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

285. ग्रामीण अंचल बीकानेर एवं जैसलमेर में स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

286. जिला बीकानेर, जैसलमेर के प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों पर सांप काटों की अन्य जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

287. जिला जैसलमेर एवं बीकानेर की तहसील कोलायत में भ्रमणशील चिकित्सा वाहन की स्थाई व्यवस्था की उपयोगिता पर चर्चा के लिये।

288. जिला बीकानेर एवं जैसलमेर में क्षय रोग के नियन्त्रण में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

289. जिला बीकानेर एवं जैसलमेर में मलेरिया उन्मूलन में शिकायतों के उपरान्त भी विभाग द्वारा निष्क्रियता बरतने पर चर्चा के लिये।

290. प्राकृतिक चिकित्सा के विस्तार

(श्री देवी सिंह भाटी)

व प्रचार में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

291. जिला बीकानेर एवं जैसलमेर के स्वास्थ्य केन्द्रों में विभाग द्वारा पूरी दवाइयां वितरण नहीं करने में सरकार की निष्फलता पर चर्चा के लिये।

292. जैसलमेर एवं बीकानेर शहर व अन्य कस्बों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

293. पी. बी. एम. चिकित्सालय बीकानेर, जैसलमेर एवं अन्य चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को उपलब्ध खाद्य सामग्री सुविधा में घटिया खाद्य सामग्री वितरण करने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

294. आयुर्वेद विभाग की उदासीनता के कारण जड़ी-बूटी उत्पादन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

295. आयुर्वेद विभाग में सेवारत वैद्यों व उप वैद्यों द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा को प्रोत्साहन दिये जाने से आयुर्वेद पद्धति के विकसित न होने पर चर्चा के लिये।

296. आयुर्वेद चिकित्सा को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में अधिकाधिक चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

297. ग्रामीण क्षेत्र के आयुर्वेद औषधालयों में सेवारत वैद्यों के लिये आवासीय सुविधा बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

298. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर प्रशासनिक व्यय में कमी लाने से दवाइयों की व्यवस्था पर अधिक जोर देने हेतु चर्चा के लिये।

299. जयपुर जिले के बस्सी आयुर्वेदिक औषधालय को "ए" श्रेणी में क्रमोन्नत किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

300. पंचायत समिति, तहसील अथवा नगर पालिका मुख्यालय पर एक-एक आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

301. जयपुर जिले के आयुर्वेदिक औषधालय माधोगढ़, देवगांव काशीपुरा तूंगा, एवं सोभरिया में उप वैद्यों को नियुक्त किये जाने पर चर्चा के लिये।

302. आयुर्वेदिक विभाग द्वारा अच्छी किस्म की दवाइयां उपलब्ध कराये जाने में विफलता पर चर्चा के लिये।

303. सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में मरीज की मृत्यु के बाद तीन घन्टे के भीतर पोस्टमार्टम कर लाश परिवारजनों को दिये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

304. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी को नयी जीप दिलाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

305. डाक्टर्स की, अस्पताल में भर्ती हेतु, निजी चिकित्सा प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. उप स्वास्थ्य केन्द्र बडवा (बस्सी) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

चर्चा के लिये ।

307. ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स अथवा अन्य कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

308. ग्रामीण क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों की अनुपस्थिति के संबंध में चर्चा के लिये ।

309. आकस्मिक दुर्घटना के मामलों में तत्काल उपचार देने हेतु सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में एक्सीडेन्ट इमरजेंसी विभाग में एक सीनीयर डाक्टर की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

310. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

311. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने पर चर्चा के लिये ।

312. राज्य में खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में हो रही मिलावट को रोकने हेतु शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाने पर चर्चा के लिये ।

313. जयपुर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र देवगांव में वर्ष 1977 में भवन बनने के बाद आज तक स्टाफ की नियुक्ति नहीं करने के कारण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये ।

314. ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी (जयपुर) में एक्सरे सुविधा सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

315. एडपोस्ट बैनाड़ा (जयपुर) के बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

316. जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख कस्बा जटवाड़ा, कानोता, महादेवपुरा में नवीन मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना करने हेतु चर्चा के लिये ।

317. जयपुर जिले में बांसवाड़ा डिस्पेन्सरी के लिये गत 7 वर्ष से डिस्पेन्सरी भवन व डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स आवास गृहों के अभाव को चली आ रही स्थिति को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

318. विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ग्राम बडवा या देवगांव (जयपुर) में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये ।

319. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी में पिछले चार वर्षों में नई डिस्पेन्सरी व उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित न होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

320. जयपुर जिले की बांसखोह एवं तूंगा डिस्पेन्सरी को सहायक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

321. सड़क दुर्घटनाओं के लिए तत्काल उच्च स्तर की चिकित्सा सेवा उप-

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

लब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर-आगरा रोड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी में 50 रोगी शैयाओं की व्यवस्था युक्त केन्द्र बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

322. ग्राम पंचायत हरचकेड़ा (टौंक) के साडागांव, चौकी, मोहम्मदपुरा, नया गांव, रूपपुराखेडा, बारेडी, हरचन्देडा में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगांना)

323. राजस्थान में नर्सिंग स्कूलों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

324. सरकार द्वारा राजस्थान कालेज आफ नर्सिंग के लिये एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में प्रावधान न किये जाने पर चर्चा के लिये।

325. राजस्थान कालेज आफ नर्सिंग को पब्लिक हैल्थ सेन्टर के प्रिंसिपल के नीचे रखने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

326. एलोपैथिक चिकित्सालयों में कम्पाउण्डर, नर्सेज के कमी पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

327. नाथद्वारा टाउन हास्पिटल में एक्सरे मशीन खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

328. मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

329. नाथद्वारा टाउन हास्पिटल में सी.एस. के स्वीकृत पदों में सर्जन विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

330. गांव पचीद में खोली गई डिस्पेन्सरी के पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर चर्चा के लिये।

331. नाथद्वारा क्षेत्र के गांव नमाना में एडपोस्ट नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

332. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव देलवाडा में, पी.एच.सी. में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

333. नाथद्वारा में जिला हास्पिटल की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

334. आयुर्वेद में चिकित्सा व्यय निरंतर घटने एवं प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

336. अलवर जनरल अस्पताल में डाक्टरों द्वारा अस्पताल के निर्धारित समय में उपस्थित न रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री जीतमल जैन)

337. अलवर जनरल अस्पताल में गत कई माह से खराब पड़ी एक्सरे मशीनों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सागांनेर)

338. आयुर्वेद विभाग की फार्मेसी में गमले, लोहे का सामान, पौधे एवं अन्य सामानों की खरीद में, अनियमितता पर चर्चा के लिये।

339. अस्पतालों में रोगियों के अटेंडेण्टों को रहने की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

340. राज्य में भुखमरी एवं गरीबी और गंदगी से बढ़ने वाले रोगों में वृद्धि पर चर्चा के लिये।

341. राज्य में चल रहे प्राइवेट डायगानोस्टिक क्लिनिकों में रिपोर्ट अनक्वालिफाइड व्यक्तियों द्वारा लिखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

342. गत वर्ष भारी संख्या में आंख फोड़ काण्ड होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा ऐसे केसों की रोकथाम व पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई प्रभावी ठोस कदम नहीं उठाया गया है इसकी चर्चा के विषय में चर्चा के लिये।

343. राज्य में उपभोक्ता संघ की जयपुर की दवाइयों की दुकान से, मरीजों के बिलों में फर्जी रूप से दवाइयां लिखकर अधिक पैसा उठाने से उत्पन्न हुई परिस्थिति के विषय में चर्चा के लिए।

344. राज्य में पेंशन भोगी कर्मचारियों को जयपुर में मुफ्त दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाने की चर्चा के लिये।

145. राज्य में कीटनाशक औषधि के सेवन से वर्ष 83-84 में हुई अनगिनत मृत्यु के विषय की चर्चा के लिए।

346. सरकारी अस्पतालों में मरीजों से बाजार से आवश्यकता से अधिक दवाइयां खरीदवाकर उन्हें इस्तेमाल नहीं करने और दवाइयां बार-बार बदलने पर पुरानी रखी दवाइयां मरीजों को नहीं लौटाने के विषय में चर्चा के लिए।

347. राज्य में एक्सरे निदान व्यवस्था के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होने वाले रोगों की सम्भावनाओं के विषय में चर्चा के लिए।

348. राज्य में एक्सरे क्लिनिकों एवं राज्य सरकार के संस्थानों में एक्सरे निदान व्यवस्था के विषय में उपयुक्त एवं नियमानुसार सावधानियां नहीं बरतने के क्रम में चर्चा के लिए।

349. राज्य में स्थान-स्थान पर खसरा, ओरी, मलेरिया व अन्य ऐसी बीमारियों से हो रही भारी संख्या में लोगों व बच्चों की मृत्यु के विषय में चर्चा के लिए।

350. राज्य में अधिकांश तपेदिक के अस्पताल शहरों में आबादी के बीच किराये के भवन में चलाये जाने से क्षय रोग अधिक फैलने की सम्भावनाओं के विषय में चर्चा के लिए।

(श्रीमती विद्या पाठक)

351. अस्पतालों में रोगियों को दवा उपलब्ध नहीं होने के क्रम में चर्चा के लिए।

352. क्षय अस्पतालों में दवाइयों का अभाव, भवनों की अनुपयुक्तता से रोगियों के जीवन को खतरे के विषय में चर्चा के लिए।

353. सवाई मानसिंह अस्पताल व जेकेलोन अस्पताल की सड़कों पर भारी वाहन चलने से रोगियों को उत्पन्न अशांति के विषय में चर्चा के लिए।

354. सांगानेर स्थित मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के बाहर से सब्जी मण्डी हटाने के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

355. ग्रामीण क्षेत्रों के डाक्टरों द्वारा मारपीट के केसों में संदिग्ध, स्पष्ट व गलत रिपोर्ट देने में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा के लिए।

356. राज्य में गत वर्ष गार्डिनल व अन्य ऐसी सेडेटिव व मानसिक चिकित्सा सम्बन्धी दवाइयों के उपलब्ध न होने से मानसिक रोगियों का इलाज होने में कठिनाई के विषय में चर्चा के लिए।

357. राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्य 50 प्रतिशत से कम पूरे होने की चर्चा के विषय में चर्चा के लिए।

358. धौलपुर और अजमेर आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रों को निर्धारित संख्या से बहुत अधिक सरकारी मनोनयन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

359. अजमेर व धौलपुर आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर केन्द्रों में फर्जी मेरिट बनाकर भर्ती करने पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

360. गत तीन वर्षों से राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद विभागों को दिया जाने वाला औषधियों का बजट लैप्स होता जा रहा है, पर चर्चा के लिए।

361. होमियोपैथिक चिकित्सकों द्वारा रोगी प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने के अधिकार से वंचित न रखने के लिए चर्चा के लिए।

362. आयुर्वेद चिकित्सकों को राजपत्रित अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

363. आयुर्वेद विभाग द्वारा राज्य में अपना निजी भवन चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने हेतु बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

364. आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रति उपेक्षावृत्ति बरतने व एलोपैथिक चिकित्सा पर अनाप-शनाप व्यय किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

365. कोटा नगर में स्थित महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में एवं जेकेलोन हास्पिटल में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी)

366. कोटा स्थित महाराव भीमसिंह चिकित्सालय के कर्मचारियों द्वारा कार्य के प्रति उपेक्षा व प्रशासनिक अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

367. कोटा स्थित महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में एवं जेकेलोन हास्पिटल में व्याप्त गंदगी की चर्चा के लिए।

368. राज्य में तेज गति से मेडिकल स्टोरों पर नकली एवं नशीली दवाओं की बिक्री रोक पाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

369. फार्मेसिस्ट के हजारों प्रार्थना-पत्र विभाग के पास कई सालों से पड़े हुए हैं किन्तु उन पर कार्यवाही न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

370. राज्य में मिलावट की रोकथाम करने में विभाग असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिए।

371. आयुर्वेद विभाग स्थानीय व्यक्तियों के स्थान पर राज्य से बाहर के लोगों को वैद्यों के पदों पर नौकरियां देता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए।

372. भारतीय चिकित्सा परिषद (इंडियन मेडिसन बोर्ड राज.) जाली योग्यता प्रमाण पत्रों पर पंजीयन कर रहा है, इस पर चर्चा के लिए।

373. ग्राम धुमेट तहसील सांगोद में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

374. दीगोद विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में एक भी एलोपैथिक औषधालय नहीं खोला गया, पर चर्चा के लिए।

375. दीगोद विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों से एक भी आयुर्वेदिक औषधालय न खोलने पर चर्चा के लिए।

376. विभाग राज्य में राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड, जिसमें राज्य का लाखों रुपया लगा हुआ है व जो शुद्ध एवं क्वालिटी की औषधियां बनाता है, से औषधियां न खरीद कर बाजार से अधिक कमीशन की नकली दवायें अपने चहेतों से एलोपैथिक दवायें खरीदने के संबंध में चर्चा के लिए।

377. राज्य में शीघ्र आयुर्वेद चिकित्सा निर्माण निगम की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

378. राज्य के एलोपैथिक हास्पिटल में डाक्टरों के कई वर्षों से रिक्त पड़े पद भरने हेतु चर्चा के लिये।

379. सांगोद में गत 6 वर्षों से लेडी डाक्टर की पोस्ट स्वीकृत होने के बावजूद भी नियुक्ति न करने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

380. राज्य में आयुर्वेद विभाग में कार्यरत इन्सपेक्टर्स के रिक्त पदों को भरने एवं इनको सही वेतनमान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)
श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर)

381. चिकित्सालयों में दवा निर्माताओं

(श्री देवी सिंह भाटी)

द्वारा नमूने के तौर पर दी जाने वाली दवाइयों की बिक्री रोकने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

382. तहसील चौहटन के विभिन्न गांवों में मार्च 1984 में ओरी से 51 बच्चों की मृत्यु होने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

383. पी. बी. एम. हॉस्पिटल बीकानेर में सफाई के अभाव में हॉस्पिटल की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

384. पी. बी. एम. हॉस्पिटल बीकानेर में गत दो वर्षों में चिकित्सकों की लापरवाही से सैकड़ों बीमारों की मृत्यु होने पर जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

385. पी. बी. एम. हॉस्पिटल बीकानेर के आउटडोर में नियत दिनों पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा बीमारों को नहीं देखने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

386. अवधि समाप्त दवाओं की बिक्री रोकने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

387. जिला चूरू में मिलावटी तेल की बिक्री से सैकड़ों व्यक्तियों के बीमार होने से विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

388. सस्ते मूल्य के अनाज की दुकानों पर गले सड़े एवं मिलावट पूर्ण राशन को वितरित होने से रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

389. जिला बीकानेर के ग्राम उदयरामसर का आर. एच. टी. सी. में डाक्टर का मुख्यालय नहीं रहने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

390. पी. बी. एम. हॉस्पिटल, बीकानेर में गत दो वर्ष से आक्सीजन सिलेन्डर का अभाव होने से समय पर ऑपरेशन नहीं करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

391. रेडियोग्राफर प्रशिक्षणार्थियों को सन् 1962 से 60/– प्रतिमाह स्टाइपेण्ड में बढ़ोतरी नहीं करने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

392. तहसील पोकरण के ग्राम झालरिया में ओरी बुखार व दस्त से एक पखवाड़े में बीस जनों की मृत्यु होने से विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

393. "स्वास्थ्य नीति" का निर्माण न करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

394. "सबके लिये स्वास्थ्य" लक्ष्य प्राप्ति में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

395. जिला जोधपुर के ग्राम सोलंकिया तला, पटेलनगर में ब्रोकाईटस, निमोनिया, पुराना क्षय रोग व ओरी जैसी बीमारियों की समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी)

396. वर्ष 1982 में राजस्थान में सर्वाधिक 5998 धनुषटंकार जैसी प्राणघातक बीमारी के मामले होने पर विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

397. "राजस्थान मेडिकल एसोसियेसन" के सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा अमल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

398. सस्ते मूल्य के अनाज की दुकानों पर वितरीत गला सड़ा राशन वितरित होने से तहसील बालोतरा में मई 1983 में 28 व्यक्तियों की मृत्यु होने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

399. जिला बीकानेर के कस्बा गंगाशहर, मोहल्ला पंजाबगरान, पुरानी गिन्नाणी, मोहल्ला रथखाना, इन्डस्ट्रियल एरिया में नाली की व्यवस्था न होने से व्याप्त गन्दगी की विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

400. बीकानेर शहर के सूरसागर क्षेत्र, कच्ची बस्तियों की गलियों व नालियों में फिनाइल छिड़क कर गन्दगी से फैलने वाले रोगों की रोकथाम में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

401. बीकानेर शहर के इन्द्रा कालोनी में खड्डों में पानी भरने से मलेरिया आदि रोगों के फैलने से रोकने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

402. प्रत्येक चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र, उप-केन्द्र पर प्राकृतिक चिकित्सा व्यवस्था भी करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

403. जिला बीकानेर के ग्राम गंगापुरा खारी, हाडलां रावलोतान, मोखा, हाडला भाटियान, आम्बासार में स्वास्थ्य केन्द्र न होने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

404. जिला बीकानेर के ग्राम कोलायत, गजनेर, आम्बासार में डिलीवरी केसेज एवं अन्य विशेष चिकित्सा व्यवस्था के लिये अच्छे चिकित्सकों के अभाव से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

405. चिकित्सकों की सेवा निवृति उम्र 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

406. नकली दवा की बिक्री रोकने में विभाग की पूर्णतया असफलता पर चर्चा के लिये।

407. ग्राम फतेहपुर तहसील बारां में गत अक्टूबर में विभाग की निष्क्रियता के कारण जहरीली डबल रोटी से बच्चों की मृत्यु व सैकड़ों व्यक्तियों के बीमार होने पर चर्चा के लिये।

408. चिकित्सकों को विदेश गमन से रोकने के लिये प्रदेश में ही उचित सुविधा देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

409. गांवों में चिकित्सा सेवाओं के अभाव को दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

410. ग्रामीण अंचल में चिकित्सा एवं

(श्री देवी सिंह भाटी)

दवाओं के अभाव में मृत्यु से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

411. रेगिस्तानी इलाकों में फैली बीमारियों के रोकथाम की व्यवस्था न करने से लोगों की मृत्यु से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

412. नकली चिकित्सकों द्वारा कई जनों की आखे फोड़ दिये जाने में विभाग की निष्क्रियता के कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

413. शल्य चिकित्सा के बाद डाक्टरों की लापरवाही के कारण 'टिटेनस हो जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

414. बीकानेर शहर के हनुमान हत्था, सार्दुल गंज सर्वोदय बस्ती, जयनारायण व्यास कॉलोनी में चिकित्सालय न होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

415. ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों पर पैरा मेडिकल कर्मचारियों के अभाव में चिकित्सा सुविधायें बन्द पड़ी होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

416. प्रदेश में ग्रामीण अंचल के स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पड़े पदों के विषय में चर्चा के लिये।

417. सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में मशीनों के अनुपयोग एवं व्यर्थ पड़ी रहने पर चर्चा के लिये।

418. सवाई मानसिंह अस्पताल के बड़े डाक्टरों द्वारा कान्फ्रेन्स के नाम प[र] वसूल की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे सर्वप्रथम इस मांग पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। पिछले वर्ष आम तौर से यह कहा गया कि हमारे अस्पतालों की व्यवस्था बहुत सन्तोषजनक नहीं है और मैंने इसके तीन कारण बताये थे। मैंने कहा था, अस्पतालों में स्थानाभाव के कारण से मरीजों को जगह नहीं मिलती, डाक्टर्स की और दवाइयों की कमी है। तो इस प्रकार से इन तीनों कमियों को मिलाकर अस्पताल अस्पताल नहीं रह जाता वह मरीज का घर सा रह जाता है या रह जाता है इन्फेक्शन ग्राफ कन्टेमीनेशन फैलाने के लिए इन्स्ट्रूमेन्ट। मैं सर्वप्रथम तो यह कहना चाहूँगा, क्या मंत्री महोदय और उनका विभाग इस संबंध में कुछ करेगा? इस बारे में मैंने पिछले साल भी कहा था, अब फिर दोहराना चाहता हूँ आपको एक लांग टर्म मेजर लेना पड़ेगा और एक शॉर्ट टर्म मेजर लेना पड़ेगा। शार्ट टर्म मेजर्स क्या सोचे हैं? क्या कोई एकमोडेशन किस तरह से बना सकते हैं। दवाइयों की कमी है। चोरी किस तरह से रोक सकते हैं, अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं उनके बारे में कुछ कर सकते हैं, जो उपचार होना चाहिए वह नहीं होता इस बारे में व्यवस्था कर सकते हैं? मैं यह मानता हूं कि आदर्श व्यवस्था हो। धनी हो, निर्धन हो, बड़ा हो

(श्री राजबहादुर)

या छोटा हो, गरीब हो, प्रभावशाली हो या बिना प्रभावशाली हो, बेसहारा हो, तो क्या उनको समान स्वास्थ्य के अवसर मिल सकेंगे। वह सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, इसीके लिए आपकी घोषणा होती है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हम सब एस. एम. एस. अस्पताल को इन्स्टीट्यूट का दर्जा देंगे, स्वागत योग्य है। लेकिन इन्स्टीट्यूट का दर्जा देने में किन किन चीजों की आवश्यकता है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है इसके बारे में आपको सबसे ज्यादा मालूम है। इस आधुनिक युग में कहां तक डायग्नोस्टिक इन्स्ट्रूमेन्ट फैल चुके हैं, कहां तक सूक्ष्म हो चुके हैं, कितनी क्षमता आ चुकी है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। मुझे तो मोटे तौर पर यह कहना है कि अस्पतालों में यह एक्सपेक्ट किया जाता है। एस. एम. एस. को इम्प्रूव करते हैं लेकिन इसमें जो भी टैस्ट आपको करने हैं पैथालोजीकल कैम्प लगते हैं, चाहे यूरिया का हो चाहे यूरिन के हों, चाहे और किसी चीज के हों, मरीजों को उसी अस्पताल में टैस्ट की सुविधा नहीं मिलती है। आज अस्पताल में लेबोरेटरी का अभाव है,

(1.25 म. प.)

(श्री सूर्यकुमार जैन, सभापति, पदासीन)

उसकी क्षमता का अभाव है तो क्या आप इसके लिए कुछ कर सकेंगे। अमीर तो करवा लेते हैं, अमीर और प्रभावशाली लोग तो अस्पताल के अन्दर टैस्ट करवा लेते हैं लेकिन जो प्रभावशाली नहीं हैं उनको बाहर से करवाना पड़ता है। बाहर उनका जो एक्सप्लायटेशन होता है, उसे यहां भी कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही अनहोली एलाइन्स, अनहोली ट्रैंड सा बना हुआ है। मुझे पता नहीं कि जोधपुर में, भरतपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, गंगानगर में इन अस्पतालों में भी डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस टैस्ट अस्पताल के अन्दर हो सकता है या नहीं। यहां भी डिजाइन करलें मानलें इस बात को कि बाहर भेजना ही पड़ेगा फिर इसमें वेस्टेड इन्टरेस्ट डवलप हो जाता है। माफ कीजिये जहां आप बदनामी को रोक सकते हैं वहां बदनामी का अवसर मिलता है। मैं तो आपके इन्टरेस्ट में ही कहता हूँ, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इन्टरेस्ट में कहता हूँ और जो एक्सपर्ट मेडिकल आफिसर हैं, उनके इन्टरेस्ट में कहता हूँ। उनका धर्म है, कर्तव्य है कि अस्पताल को सक्षम बनायें। गरीब आदमी टैस्ट के लिए बाहर क्यों जाये? टैस्ट अन्दर ही होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि एस. एम. एस. की लेबोरेटरी में कितने टैस्ट होते हैं और कितने बाहर होते हैं। क्या आप उसके आंकड़े बता सकेंगे? आपके जनरल वार्ड में जो मरीज दाखिल हैं उनके कितने टैस्ट बाहर करवाये जाते हैं। टैस्ट के बिना, डायग्नोसिस हो नहीं सकता। टैस्ट के बिना एक्स-रे के बिना डायग्नोसिस नहीं हो सकता। इसके बारे में क्या व्यवस्था है? क्या बात है बाजारों में हम देखते हैं कि एक्स–रे की दुकान, एक्स–रे के साधन बढ़ते जा रहे हैं? ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसलिए कि आपके अस्पताल में एक्स–रे हो नहीं पाता। एक्स–रे

(श्री राजबहादुर)

भी आवश्यक है दूसरे टैस्ट भी आवश्यक हैं तो इनके वास्ते आपके पास पर्याप्त साधन हैं या नहीं ? इसका जवाब आप हां में नहीं दे सकते. मैं जानता हूँ इसका उत्तर आप ना में देंगे। रोग कितना बड़ा है आप रोगों की तस्तीश करते हैं कि रोग क्या है, आप टैस्ट के बिना कोई भी रोग नहीं बता सकते। आज यह फैशन नहीं है, आवश्यकता है। बिना टैस्ट के कोई भी डाक्टर मेडिसन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तीन चीजें आती हैं टैस्ट भी हो गया, एक्स–रे भी हो गया और जो पेटेन्ट मेडिसन है, जो खर्चीली है क्या वह भी आपके अस्पताल से आम आदमी को मिल पाती है या नहीं ? आज किन को मिलती है ? क्षमा कीजिये, अमीर, प्रभावशाली लोगों को मिलती है। गरीब को डाक्टरों के सैम्पल मिल जाते हैं। इसलिए आप यह बतायें कि जो हैल्थ एण्ड मेडिकल की व्यवस्था है उसमें गरीब को, निर्धन को, बेसहारा लोगों को दवा देने की, उपचार करने की कोई व्यवस्था है या नहीं, कोई योजना भी है या नहीं ? योजना बड़े-बड़े अस्पतालों की है लेकिन इन टैस्टों के बिना एक्स-रे के बिना आप हण्ड्रेड पर्सेन्ट सक्षम नहीं हो सकते। कम से कम 50 पर्सेन्ट, 25 पर्सेन्ट कुछ बिगनिंग तो करें कि कुछ दवा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक्स-रे के बारे में मुझे खास तौर से मालूम हुआ कि कुछ वर्ष पहले एक सोसायटी को आपने मान्यता दी थी जिसके सचिव एक बहुत ही वयोवृद्ध, बहुत ही सम्मान प्रिय डाक्टर ताराचन्द गंगवाल हैं। उनके द्वारा और अन्य मित्रों से मालूम पड़ा। उस सोसायटी का नाम मेडिकल सर्विस सोसायटी है और इसको मान्यता सितम्बर, 1969 में मिली उसके बाद उसने बहुत अच्छा काम किया। हर साल उसकी ऑडिट रिपोर्ट आपके पास आयी। उसने 69 से लेकर 84 तक लगभग डेढ़ करोड़ की दवाइयां लोगों को बेची है। एक दुःख की बात यह है कि आपकी सहयोगी, सहकारी सोसायटी जो है, जो मेडिसन बेचती है, दवाई का क्रय विक्रय करती है उससे उनकी दरें 10 पर्सेन्ट कम होती है। वहां पर 10 पर्सेन्ट ज्यादा सस्ती मिलती है। आपके जो विभागीय कर्मचारी हैं उनको जो रिएम्बर्समेंट मिलता है वह सहकारी सोसायटी से दवा खरीदने पर हो सकता है। लेकिन जहां से 10 पर्सेन्ट सस्ती दवा मिलती है, उनको विथड्रा कर लिया गया, उनकी नत्थी कर ली है जब कि आपने मान्यता दी है। मैंने इस बारे में सवाल रखा था और जवाब भी आया है कि हमने मान्यता दी थी। लेकिन और सोसायटी को, दुकानदारों को कह दिया कि यहां से अगर विभागीय कर्मचारी दवा खरीदेंगे तो उसका रिएम्बर्समेंट नहीं होगा। इसका रिएम्बर्समेंट नहीं होगा, यह क्यों ? आप खुद सोचें गवर्नमेंट का कितना खर्च कम होगा। एक प्रश्न खड़ा हुआ, सहकारी समितियां हैं जिनकी दुकानें हैं एस. एम. एस. में भी वे दुकानें हैं वे उन कीमतों पर क्यों नहीं बेच सकती हैं जिन पर यह मेडिकल सर्विसेज सोसायटी बेचती है। वह सस्ती क्यों बेच पाती है ? अगर डेढ़ करोड़ की दवाइयां इस बीच में बेच दी है तो 15 लाख का मुनाफा उपभोक्ता को हुआ 10 प्रतिशत के हिसाब से, जो गरीब आदमी को हुआ है। फिर यह बात बतायें कि जब वहां पर 10 प्रतिशत के

(श्री राजबहादुर)

हिसाब से सस्ती मिल जाती है और दावे के साथ मिल जाती हैं, मैंने उनसे पूछा, डाक्टर साहब, सचमुच 10 प्रतिशत कम दे सकते हैं तो कहा, हां दे सकते है आप किसी भी दवाई के बारे में टैस्ट कर लें। तब फिर ये 10 प्रतिशत क्यों ज्यादा लेते हैं? इससे ही आपको लाखों का फायदा मिल जायेगा। एक मेरी बात यह है कि आपने बहुत दिनों रिएम्बर्समेंट के लिए सर्टिफाइड रखा। मांग उनकी है अभी चल रही है, उन्होंने सैक्रेटरी, हैल्थ डिपार्टमेंट को पत्र लिखा सी. एम. को लिखा लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं। इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस आधार पर, महंगाई के आधार पर या सरकारी नियंत्रण न होने के आधार पर या आडिट न होने के आधार पर वंचित किये हुए हैं? क्यों नहीं खोलते हैं? आप ऐसी सोसायटी को क्यों नहीं इन्करेज करते हैं? वह कंज्यूमर कोआपरेटिव सोसायटी है। चाहे कोआपरेटिव सोसायटी न हो लेकिन वह नो प्रोफिट नो लॉस पर काम करती है।

एक और लुत्फ की बात है रेडियोलोजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके पास फिल्में नहीं आती हैं। इन लोगों ने फिल्में मंगाना शुरू किया और फिल्म को भी नो प्रोफिट नो लॉस पर दिया है। उनके फिल्म मंगाने पर इतने मेहरबान हुए कि आपकी गवर्नमेंट ने 76 में 12 प्रतिशत सैल्स टैक्स माफ कर दिया उसके बाद 79 में जनता सरकार की गवर्नमेंट आयी उसने फिर सैलस टैक्स लगा दिया। यह तो आपका आरग्युमेंट हो सकता है कि हमने लगाया और आपने हटा दिया। लेकिन दुबारा आने के बाद सैल्स टैक्स आपने भी माफ नहीं किया बल्कि जो फिल्म देते थे वह भी खतम हो गयी। दूसरी जगह से लेने के लिये रिकमंड कर दिया। एक्स-रे करने की क्षमता आपकी है नहीं। एक्स-रे बिना काम नहीं चलता है, एक्स-रे बिना कोई डायग्नोसिस नहीं होता। उनको एक्स-रे के लिये दिल्ली विल्ली जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, जहां पर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जो सस्ते दामों पर फिल्म दे सकते हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को उनको आपने हटा दिया। यह सारी मान्यतायें हैं। और अब भी आप उनसे क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ कि जहां आप जनरल अस्पताल को वैल इक्यूप्ड करना चाहते हैं वहां वैल इक्यूप्ड करने के साथ-साथ आपको यह देखना है कि कोई आदमी निःसहाय हो जाय, अपना इलाज नहीं करा सके, वह निःसहाय रहे, शहरों में या गांवों में या कस्बों में तो आपके डिपार्टमेंट को क्रेडिट नहीं मिल सकता है, आपकी पालिसी को क्रेडिट नहीं मिल सकता है। मैं तो अटैक कर रहा हूँ आप पर, आपकी नीतियों पर कि आप इन अभावों के निदान के लिये क्या कर रहे हैं। क्या कोई लांग टर्म या शार्ट टर्म योजना है कि मरीजों को पर्याप्त स्थान मिले, पर्याप्त सफाई हो, पर्याप्त दवाई मिले? गरीब को दवाई मिल सकेगी, और एक्स-रे, पैथालोजिकल और क्लिनिकल टैस्ट के लिये पूरी सुविधा मिलेगी? जो सवाल मैंने पूछा है उसको टाल न जाइयेगा और मैं नहीं होऊं तब भी इसका जवाब दीजियेगा कि आप लेबो-

(श्री राजबहादुर)

रेटरी में कितने टैस्ट कर लेते हैं, कितने मरीज आपके पास होते हैं जनरल वार्ड में, कितने पर्सेंट पैथालोजिकल टैस्ट होते हैं, कितनों को बाहर जाना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है दवाइयों के लिये, क्यों जाना पड़ता है। आपके यहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं, सहकारी समितियों की दुकानों पर उपलब्ध नहीं होती हैं, बाहर जाइये ऐसी बात है। ऐसा विषम सर्कल है कि इसके बारे में, माफ करिये, बात हो सकती है स्केण्डल की, इसमें ख्वाहमख्वाह डाक्टर का नाम भी बदनाम होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक बात और निवेदन कर दूं कि डाक्टर बहुत बिजी होता है लेकिन किसी मरीज को तभी सैटिसफेक्शन होता है जब उसको उच्चतम डाक्टर देख ले जो कि उस रोग का है। क्या आप इन्श्योर कर सकते हैं अपने डिसिप्लीन का कि जो डिपार्टमेंट का बड़ा डाक्टर है उसको छोटे से छोटे आदमी को देखने का मौका मिल जायेगा। क्या यह सही नहीं है कि जब कभी यह बात आती है, सभापति महोदय, कि डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस अलाउ करनी चाहिए या नहीं। प्राइवेट प्रेक्टिस के नाम पर काफी गड़बड़ घोटाला सुनने में आता है, चर्चा होती है कि घर जायेगा दिखाने जब ही इलाज होगा। मैं भी पेशेंट हूँ लेकिन चुपचाप बैठा नहीं रहूँगा डर के मारे नहीं बोलूं यह मुश्किल है। मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। मेरा मतलब किसी पर आक्षेप नहीं है। आप डाक्टर को बचाइये, हास्पिटल को बचाइये, इन्स्टीट्यूट तो तब बनायेंगे जब साधन होंगे। उपकरण बेकार रहते हैं। बहुत दिनों तक यूरोलोजी का इक्विपमेंट पड़ा रहा, बहुत दिनों बाद वह काम में आना शुरू हुआ। आपके पास ब्लड एनेलाइजर आया हुआ पड़ा है जो आनन फानन में ब्लड एनेलाइजर कर सकता है। वह क्यों बेकार पड़ा है? ब्लड एनेलाइजर के लिये ट्रेनिंग भी हो गयी आज वह ट्रेनिंग के बाद भी पड़ा हुआ है जिससे कि बाहर की जो क्लिनिकल लेबोरेटरी है उसको बराबर काम मिल सके, बिजनेस मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आग्रह करता हूँ आपको रीति के लिये, नीति के लिये, दवाई के लिये पुनर्विचार करना होगा, इन बातों को ठीक करके आप कुछ जनता को राहत पहुँचाना चाहते हैं तो आप हैल्थ मिनिस्टर हैं वरना तो क्या हैं।

श्री सभापति : श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मांग आज हम पारित करने जा रहे हैं। वैसे तो जब हमारे खेतसिंहजी ने यह विभाग सम्भाला है तब से मेरे ख्याल से कोई शिकायत है नहीं। सभापति महोदय, ये विपक्ष वालों की तो आदत है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आदमी के पास फार्म हो तो उस पर खेती करता है। तो खेत तो सर्वदाता है, खेतसिंह जी भी सर्वदाता हैं, उनको फार्मसिंह कहें या खेतसिंह कहें लेकिन वे सर्वदाता हैं, यह सही है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मन्त्री बनाने की सिफारिश कर दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उनसे कहें, न बोलें।

श्री सभापति : बैठ जाइये। व्यवधान न डालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : घर में मिल जायेगा जो चाहिए।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदय, यह सही बात है क्या ?

श्री सभापति : व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : प्रशंसा की बात होगी तो करनी होगी। जो जैसा काम करेगा मन्त्री, जो सरकार बढ़िया काम करेगी उसकी प्रशंसा करेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रशंसा तो करनी ही होगी, अगर हम नहीं करेंगे, सरकार के काम की प्रशंसा जनता नहीं करेगी तो कौन करेगा। विधान सभा में हम नहीं करेंगे तो जनता को कैसे पता चलेगा। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से यह विभाग श्रीमान खेतसिंह जी साहब ने सम्भाला है, आप इसका पिछला रिकार्ड उठाकर देख लें इतने सब-सेंटर्स कभी नहीं खोले गये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : कहां खोले ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से कहें कि व्यवधान न डालें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कितने ही चिकित्सालयों के लिये दवाई उपलब्ध करायी, जितने पद रिक्त पड़े थे उनको ढूंढ ढूंढ कर खेतसिंह जी ने उन पर नियुक्तियां की हैं ताकि वहां के लोगों को चिकित्सा की सुविधायें मिल सकें जो कि, सभापति महोदय, विपक्ष वालों के सामने एक एग्जाम्पल है। आज से पहले इतने ए. एन. एम. की भर्ती नहीं हुयी थी। जितने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं यह आज इस बात का सबूत है कि गांवों के अन्दर चिकित्सा के लिये सब-सेंटर्स खोले जा रहे हैं उसके लिये हजारों की तादाद में ए. एन. एम. की ट्रेनिंग हो रही है, नर्सों की ट्रेनिंग हो रही है ताकि सब को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्री यदुनाथ सिंह : टिकट पक्का कर रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : नर्सों की वजह से खुश हैं।

श्री सभापति : कृपया शान्त रह कर सुनें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हम तो इसलिये खुश हैं कि....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका भी नम्बर आ जायेगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मैं नर्सों के बारे में कहना चाहूंगा कि माननीय अनंग कुमार जी की बहिनें हैं और जनता की सेवा करती हैं इसलिये मैं खुश हूं। तो सभापति जी, मेरा निवेदन यह था कि इस क्षेत्र में कुछ सुझाव भी मैं अपनी ओर से श्रीमान् चिकित्सा एवं

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

स्वास्थ्य मन्त्रीजी को दूंगा। मेरा निवेदन है कि सब-सैंटर्स जो खोलने का क्राइटेरिया है, सब-सैंटर्स किसी एक कार्यक्रम विशेष में न खोल करके इसके लिये एक नियम बना दिया जाय जिसे कंपलसरी रूप से लागू कर दिया जाय कि प्रत्येक पंचायत हैड-क्वार्टर, जहां चिकित्सा सुविधा नहीं है, पर सब-सैंटर खोल दिया जाय। इससे उस पंचायत क्षेत्र के अन्दर अगर आपका छोटा एरिया होगा, छोटा गांव होगा तो उनको सुविधा प्राप्त हो सकेगी। सभापति महोदय, ए. एन. एम. की ट्रेनिंग का 2 साल का पीरियड है। होता क्या है कि आज सब-सैंटर खोलते हैं तो उसके दो साल बाद ट्रेनिंग करके आने के बाद पोस्टिंग दी जाती है। मेरा निवेदन यह है कि इनको ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाय ताकि छः महीने में ट्रेनिंग खतम हो जाय और दो साल के अन्दर महीने-दो महीने की ट्रेनिंग उनको अलहदा कर दी जाय जिससे कि गांव वालों को जल्दी चिकित्सा सुविधा मिल जाय और जो रिक्त स्थान जहां जहां सब-सैंटर पर हैं उन रिक्त स्थानों की पूर्ति हो सके।

मैं इसके साथ ही सुझाव दूंगा, पिछली बार भी मैंने मंत्रीजी से आग्रह किया था, श्रीमान् खेत सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री थे और काफी हद तक उन्होंने इसकी पूर्ति भी की है। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें कंपलसरी रूप से लेडी डाक्टर की नियुक्ति की जाय। पंचायत समिति के अन्दर कम से कम एक लेडी डाक्टर का लेना आवश्यक है। महिलाएं जो संकोची स्वभाव की होती हैं अपने कई रोग पुरुष डाक्टर से बता नहीं पातीं, कई अन्य प्रकार के रोग होते हैं जो खुलकर डाक्टर को बता नहीं सकती, यदि महिला डाक्टर होगी तो सही मुआयना रोग का हो सकता है और सही प्रकार से एक महिला, एक महिला को अपना दुख दर्द कह सकती है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से मन्त्रीजी से आग्रह है कि जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीन-तीन, चार-चार पुरुष डाक्टर हैं वहां एक डाक्टर की कमी करके महिला डाक्टर को पदस्थापित करें। एक महिला डाक्टर का प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर होना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं विशेष कुछ नहीं कह कर परिवार कल्याण का जो तरीका आपने अपना रखा है, मंत्रीजी, जिसके तहत आप परिवार नियोजन के आपरेशन करते हैं, इसका जो प्रचार का तरीका है, इसका जो माध्यम अपनाया जाता है उसके बारे में निवेदन करूंगा राजस्थान के अन्दर 80 पर्सेंट लोगों गांवों में रहते हैं। जिस प्रकार का प्रचार होता है, जो तरीका है, फेमिली प्लानिंग का आपरेशन हो रहा है उस आपरेशन नाम से ही गांव के लोग भयभीत होते हैं, गांव की महिलायें भयभीत होती हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसमें थोड़ा-सा संशोधन कर दें। वर्तमान में जो लेप्रोस्कोपिक तरीके से आपरेशन किया जाता है उसमें, सभापति महोदय, मात्र इतना करना होता है, एक बड़ी निडल, सुई होती है वह एक मिनट में अपना काम कर देती है और परिवार नियोजन का आपरेशन हो जाता है, लेकिन उसका नाम है आपरेशन। तो आपरेशन

श्री भैरू सिंह गुर्जर)

नाम से अनपढ़ महिलायें, गरीब महिलायें, ो जानती नहीं हैं, घबरा जाती हैं कि गपरेशन होगा, न मालूम कितनी चीर-ाड़ होगी, क्या होगा। इसकी बजाय एक ोटा-सा, साधारण-सा गांव के तरीके का नाम दिया जाय कि परिवार नियोजन करने ो सुई लगाई जा रही है। तो सुई के ाध्यम से लोगों में इसका प्रचार होगा और ांव वाले, गांव की महिलायें उससे नहीं रेंगी और जो अनपढ़ लोग हैं उनमें भी सका प्रचार होगा। आप देखेंगे, अगर स प्रकार के प्रचार माध्यमों को अपनाया या तो गांव के अन्दर जहां कैम्प लगेगा हां पर लाइन लग जायगी और गांव-गांव चर्चा होगी कि परिवार नियोजन का या तरीका अपनाया जा रहा है, सुई लगा र परिवार नियोजन किया जा रहा है। लांकि कर तो हम वही रहे हैं लेकिन सका नाम है आपरेशन। आपरेशन के म से तो आप और हम भी, सभापति होदय, घबरा जाते हैं तो वे तो गांव की हिलायें हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ई लगाने के तरीके का प्रचार किया जाये कि गांव की महिलायें इसमें रुचि लें और ागे से आगे इसका प्रचार हो।

सभापति महोदय, मैं हमारे स्वास्थ्य त्रीजी को इस बात की बधाई देना चाहूँगा ं पिछले दिनों इन्होंने अपनी योग्यता का रिचय देते हुए एक योग्य चिकित्सक को मारे यहां मेडिकल कालेज का प्रिंसिपल युक्त किया है। निस्संदेह आप बधाई के त्र हैं। इस प्रकार आप योग्य डाक्टर्स को प्रोत्साहित करेंगे तो राजस्थान में तो क्या आपका नाम हिन्दुस्तान और संसार में होगा। मैं, सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से....

एक माननीय सदस्य : XXX से सावधान।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे इस प्रकार आरोप आप नहीं लगायेंगे।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : XXX शब्द को प्रोसीडिंग्स से निकाला जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या यह जरूरी है कि विधान सभा में आप रात-दिन हमको क्रिटिसाइज ही करें। अगर यही जरूरी हो तो फिर ये तय कर लीजिये। क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिये, कोई सही बात कहे तो सुनने की क्षमता रखिए।

श्री यदुनाथ सिंह : चार साल से सही बात नहीं की, आज क्या करेंगे ?

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, आपने पिछले चार सालों से देखा होगा, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो स्पष्ट कहता हूँ। अगर हमारी सरकार के लोग गलत काम करेंगे तो मैं निस्संदेह उनकी भी आलोचना करूंगा और पिछले समय में अगर ऐसी कोई बात रही है तो मैंने आलोचना की है लेकिन कोई अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशंसा के काम कर रहे हैं, तो फिर मैं उनकी जबरदस्ती बुराई कैसे करूं, सवाल इस बात का है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

कर रहा हूँ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी को मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे क्षेत्र के रानावत गांव के दौरे पर पधारे थे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : शान्त रहें कृपया। कृपया शान्त रहें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि लगभग 15–20 हजार की तादाद में लोगों ने माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का वहां पर स्वागत किया था और फूलों से इनको इस कदर लाद दिया था कि कार और ये नजर नहीं आ रहे थे। सभापति महोदय, उस समय वहां ग्रामवासियों ने मांग की थी, वहां पर पांच लाख की लागत से मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र भवन का निर्माण किया गया था जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी उस समारोह के मुख्य अतिथि थे उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि इस मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र का काम प्रारम्भ किया जा रहा है और अगले बजट में इसको रेगूलर कर दिया जायगा। तो मुझे तो पूरा विश्वास है ही लेकिन चूंकि आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का बजट पास होने जा रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से ये मांग करूंगा कि आज शाम जब आप सभी बातों का जवाब दें तो रानावात के मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र को रेगूलर करने की घोषणा भी फरमावें।

श्री यदुनाथ सिंह : कर दिया।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का, जिन्होंने मेरे जरा से आग्रह पर तत्काल निदेशक महोदय को फोन किया और तत्परता से वहां पर लेडी डाक्टर की पोस्टिंग की। जल्दी ही लेडी डाक्टर वहां पर कार्यभार संभाल लेंगी। वहां की महिलाओं के लिये उस पूरे सोजत सब-डिवीजन में पहला मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र होगा सभापति महोदय, इसलिए सारे क्षेत्र की जनता की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं, बधाई के अधिकारी हैं।

अंत में मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी को यह भी कहना चाहूँगा कि इतना कुछ कहने के बाद आप मेरा भी ध्यान रखें। जो नये अस्पताल खोलें, नये मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलें, सब-सैंटर्स खोलें उसमें मेरा भी ध्यान रखें। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी को पिछले दिनों मैंने एक महत्वपूर्ण गांव, जो बड़ा गांव दे, बड़ी तादाद में जिसकी आबादी है ...

एक माननीय सदस्य : इसे कार्यक्रम की सुई लगवा दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि मैंने तो आज से सवा साल पहले ही आपरेशन करा लिया है, आपकी जानकारी के लिए। आपने नहीं

(श्री भैरूंसिह गुर्जर)

कराया हो तो मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा आप मेरे साथ चलना...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्यों बैठे-बैठे व्यवधान डाला करते हैं। बैठे-बैठे न डालिये।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : सभापति महोदय, पिछले दो-तीन वर्ष से राजस्थान के अन्दर चिकित्सा केन्द्र खोले जा रहे हैं। शुरूआत में मेरे यहां भी एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया था लेकिन उसके बाद कई क्षेत्र में खुले। विशेषकर अरावली की तरह मेरा क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि थोड़ी देर आप हेमारामजी की ओर से ध्यान हटाकर मेरी ओर कर लें और मैं जो खीवाड़ा गांव बता रहा हूं उस खीवाड़ा गांव को नोट कर लें, जो इस 1984-85 के बजट में अस्पताल खोलने जा रहे हैं वहां पर एक अस्पताल खोलने की घोषणा कर दें तो ये आपकी मेरे ऊपर व्यक्तिगत कृपा होगी और आने वाला वर्ष बतायेगा कि हम आपकी कितनी प्रशंसा करेंगे, आपके कार्यों की कितनी तारीफ करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इसमें दो राय नहीं है, जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी तारीफ करना भी वाजिब है।

सभापति महोदय, इसी के साथ आपने समय दिया और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी ने मेरी बात पर गौर करके अपने पैन से टिप्पणियां लिखीं इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभारी हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, स्वास्थ्य एवं मेडिकल विभाग की मांगों पर चर्चा करते समय सबसे पहले बाबूजी ने एस.एम.एस. हास्पिटल का जिक्र किया। मैंने राजस्थान पत्रिका बात-करामात कालम में एक खबर पढ़ी थी कि एक व्यक्ति होटल में खाना खाने गया और उसने वेटर से पूछा कि इस होटल का मालिक कहां है। वेटर ने जवाब दिया, मालिक सामने वाली होटल में खाना खाने गये हैं। पूछा गया, क्यों? वहां खाना सस्ता और संरक्षित मिलता है, होटल के वेटर का जवाब था। इसी प्रकार से यह एक सटायर था कि स्वास्थ्य मंत्रीजी ने स्वयं के आपरेशन के लिये एस.एम.एस. अस्पताल की बजाय दुर्लभ जी हास्पिटल में जाना ज्यादा उचित समझा। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जयपुर की शान, राजस्थान की शान, सवाई मानसिंह अस्पताल की रेपुटेशन क्या हो सकती है। मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन जब बात चल पड़ी है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर्टीकूलर, कुछ विषय, कुछ पाइन्टस इस प्रकार के हैं जिनकी तरफ राजस्थान सरकार का, खास तौर से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूं। हमारे यहां बहुत से डाक्टर्स अपने-अपने सबजेक्ट्स में स्पेशलिस्ट हैं, राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में उन लोगों का नाम है और यह शान की बात भी है। किन्तु पर्दे के पीछे क्या स्थिति है, मरीजों की क्या हालत है अस्पतालों में, इसकी तरफ आपको गौर करना चाहिये। मैं

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

निवेदन करना चाहता हूँ एक उदाहरण देकर। यूरोलोजी डिपार्टमेंट के बारे में आश्चर्य होगा आपको जानकर, आप तहकीकात कर लें, यूरोलोजी डिपार्टमेंट के ओपरेशंस में आपरेशन के बाद 99./° आपरेशंस में इन्फेक्शन होता है। इसकी वजह क्या है? आप मालूम करवा लें, मैं बिलकुल निश्चित जानकारी के बाद यह बात कहता हूँ। आपको जानकारी होगी, हमारे यहां अस्पताल में इस प्रकार के हालात हैं, बड़े-बड़े डाक्टरों ने अलग-अलग प्रकार की संस्थायें बना रखी हैं, अलग-अलग सोसायटीज बना रखी हैं उन सोसायटीज के माध्यम से चन्दा इकट्ठा किया जाता है, कान्फ्रेंसेज की जाती हैं उन कान्फ्रेंसेज के माध्यम से बड़े डाक्टरों को बाहर से इन्वाइट किया जाकर उनसे दवाइयां डोनेट करवाई जाती हैं और उन दवाइयों को इन सोसायटीज के माध्यम से ब्लैक किया जाता है। उन सोसायटीज का मैम्बर बनने के लिए मरीजों को प्रैसराइज किया जाता है, चंदा मांगा जाता है, मैं सबूत के साथ निवेदन करना चाहता हूँ, बड़े डाक्टरों के बड़े प्रचार के पीछे पर्दे के पीछे असलियत क्या है, यह भी आपको देखना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वह निश्चित रूप से ठोस जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आपको जानकारी है या नहीं है मुझे पता नहीं, सेना के एक अधिकारी, जो कर्नल रैंक का है, झूठ नहीं बोल सकता, ने राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी को प्रतिलिपि भेजी है। सेना के उस अधिकारी ने प्रधान मंत्री को शिकायत की है। सेना के उस कर्नल ने हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति को शिकायत की है कि अस्पताल में आपरेशन के लिए एक साल तक टाइम मांगा गया, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला। उसके बाद उस डाक्टर के चपरासी ने कहा कि एक हजार रुपये की रिश्वत दे सको तो कल आपके आपरेशन की व्यवस्था करवा सकता हूँ। जहां हालात यह हों, यह तो रिकार्ड पर है और कर्नल जैसा अधिकारी झूठ नहीं बोल सकता, सेना का इतना बड़ा अधिकारी इस प्रकार गलत तथ्यों की जानकारी राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को नहीं दे सकता, आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर हालात किस स्तर तक गिरते जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे हास्पिटल्स को आप सुधारना चाहते हैं, निश्चित रूप से सुधारें, बहुत बड़े बजट आप दें। मुझे खुशी है इस बात की कि आप बहुत प्रयास करके इस हास्पिटल की हालत को सुधारना चाहते हैं क्योंकि यह हास्पिटल जयपुर की नहीं राजस्थान की एक नाक है, शान है। लेकिन वहां हालात क्या हैं यह आपको देखना पड़ेगा। बजट को आप किस प्रकार खर्च करें यह आपकी मान्यता है, बजट का आप किस प्रकार से एलोकेशन करें यह आपको सोचना है लेकिन मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ, कुल 42 लाख के बजट में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, यदि 23 लाख का गामा कैमरा खरीदा जाता है, ढाई लाख के उसके पार्ट्स खरीदे जाते हैं—साढ़े पच्चीस लाख केवल मात्र गामा कैमरे पर खर्च किये जाते हैं तो राजस्थान की गरीब जनता के स्वास्थ्य का हित नहीं हो सकता। मैं आवश्यकता समझता हूँ बजाय गामा कैमरे में 25 लाख खर्च करने के गांव-गांव में डिस्पेन्सरीज हों, गांव गांव में सब-सैन्टर्स हों

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

ताकि गरीब को राहत मिल सके, फ्री दवाइयां मिल सकें, फ्री इन्वेस्टीगेशंस हो सकें।

इन्वेस्टीगेशंस की चर्चा करते वक्त दुख होता है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, एस.एम.एस. हास्पिटल के इन्वेस्टीगेशंस की तरफ आप देखें। निश्चित रूप से यह सही है कि आप और हम लोग यदि वी आई.पी. के रूप में गिने जाते हों या आफिसर्स वी. आई.पी. के रूप में गिने जाते हों, या जिन लोगों की डाक्टर्स से जान पहचान हो उनका अच्छा ट्रीटमेण्ट वहां हो सकता है, उन लोगों के टैस्ट ठीक ढंग से हो सकते हैं लेकिन बाकी यदि आप असलियत जानना चाहें तो मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूं। बाहर लोग बैठे हुए हैं। बाहर क्लिनिक्स हैं, एक्स-रे के क्लिनिक्स खुले हुए हैं, टैस्ट के क्लिनिक्स खुले हुए हैं उनमें बड़े डाक्टर्स की साझेदारी या उनका कमीशन है। आप ताज्जुब करेंगे, मैं ओथेन्टिकली इस बात को कह सकता हूं, मरीजों को आपको सेवा में पेश कर सकता हूं, मरीजों को यह कहा जाता है कि आपको बाहर टैस्ट कराना पड़ेगा। भर्ती के बाद मशीनें खराब होने से टैस्ट बाहर होते हैं। बाहर टैस्ट में 200 रुपये खर्च होते हैं। हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट कह देता है, 100 रुपये मुझे दे दीजिए मैं फ्री टैस्ट करवा देता हूं। जहां गरीबों के साथ यह हालात हो तो फिर आप कौन सी सेवा करना चाहते हैं एस एम.एस. में।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मशीनें बन्द पड़ी रहती हैं। आज का मुझे पता नहीं लेकिन मुझे उदाहरण याद है, ग्लूकोज प्लांट बन्द पड़ा रहा ताकि यहां के एक बड़े सज्जन की जो ग्लूकोज की फैक्ट्री है उसका ग्लूकोज विकता रहे। एस. एम. एस. का ग्लूकोज का प्लांट बन्द पड़ा रहा। इस तरह के जहां हालात हों वहां आपको सोचना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, ताज्जुब होगा आपको यह जानकर, आपने बहुत बड़ी तारीफ सुनी होगी, रोज आपको लोग आकर मोटिवेट भी करते होंगे कि बड़ी बड़ी मशीनें आनी चाहिए, बड़ी बड़ी सेवायें की जा रही हैं लेकिन इन सेवाओं के पीछे क्या हालात चल रहे हैं? मेरे से पहले एक्स-रे प्लांट की चर्चा की गयी। आपको ताज्जुब होगा और सदन को भी आश्चर्य होगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पिछले दिनों एक्स-रे की यूज्ड फिल्म की चोरी हुई। यूज्ड फिल्म से चांदी प्राप्त होती है, उससे चांदी निकाली जाती है। आप ताज्जुब करेंगे, करीब 4 लाख रुपए की यूज्ड फिल्म, जो एस. एम. एस. में काम में आ चुकी थीं, नीलाम होने वाली थीं। करीब 100 क्विंटल फिल्म एस. एम. एस. अस्पताल से चोरी चली गयी। इस प्रकार से यदि 100 क्विंटल फिल्म चोरी चली जाय, पता नहीं चल सकता? मैं मानता हूं, 100 क्विंटल फिल्म चोरी करने के लिए ट्रक आया होगा, कई लोग आये होंगे, मजदूर आये होंगे लेकिन आज दिन तक पता नहीं लगा। मेरी यह स्पष्ट मान्यता है और मेरा यह आरोप है कि यदि 100–100 क्विंटल फिल्म इस तरह से चोरी चली जाती है तो वहां के अधिकारियों की मिली-भगत के बिना इस प्रकार का घपला हो

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

नहीं सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सबूत के साथ, आपको आश्चर्य होगा, चोरी एक बार नहीं हुई। एक बार चोरी हुई, उसके बाद दुबारा हुई, बारी बारी से चोरी होती चली गयी। आखिर यह राजस्थान की सरकार और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन वहां किस बात के लिए था? कम से कम देखना चाहिए था कि इस प्रकार के हालात क्यों होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपको आश्चर्य होगा जानकर, कोयले का एक ट्रक, जिसमें 170 क्विंटल कोयला था, रेल्वे स्टेशन से रवाना हुआ, ढेर के बालाजी से लोड हुआ, एस. एम. एस. पहुंचने वाला था, रास्ते में गायब हो गया। आखिर वह कोयला आज कहां है? आपकी पुलिस के पास एफ. आई. आर. मौजूद है। आज तक इन्क्वायरी का पता नहीं, आज तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, आज तक जानकारी नहीं। जहां यह हालात हों, केवल मात्र एस. एम. एस. के नाम से जनता प्रसन्न होने वाली नहीं है या गरीब का भला होने वाला नहीं है।

आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहूँगा कि आपके डबल ए..ओज की इन्क्वायरी, ए. ओज की इन्क्वायरी, आपके चीफ अकाउन्ट्स ऑफिसर के यहां से हुई इन्क्वायरी पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो हालात और बिगड़ते जायेंगे, गरीब की सेवा होने वाली नहीं है, दवाइयां बाजार में बिका करेंगी, पट्टियों की चोरियां होती रहेंगी। इस प्रकार के हालात हैं। जब कोयले जैसी चीजों का ट्रक गायब हो गया, 100 क्विंटल फिल्म चोरी हो गयी तो छोटी-मोटी चीजों का पता नहीं लगेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको इस बारे में सोचना चाहिए, इस वक्त निवेदन करते हुए एक बात जरूर निवेदन करूंगा। मुझे अधिक समय नहीं लेना है। सभापति महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने आपरेशन करवाया दुर्लभ जी में, इसी मामले में एक बात और जिक्र करना चाहता हूँ। दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर की शान है। मैं किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहता हूं, इस प्रकार के अस्पताल बनने चाहिए। वहां राजस्थान सरकार ने कुछ सुविधायें दी हैं। सस्ती रेट पर जमीन दी होगी, दूसरी सुविधायें दी होंगी। लेकिन वहां जिस प्रकार से गरीबों को लूटा जाता है इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। वहां पर आपको कुछ जानकारी नहीं कि किस प्रकार सरचार्ज लगाया जाता है, किस प्रकार दवाइयों की कीमत बढ़ा कर चार्ज की जाती है, किस प्रकार आपरेशन चार्जेज लिए जाते हैं। प्राइवेट बनिये की दुकान के रूप में यदि वह हो और वह यह कह दें कि बिजनेस का एक सेंटर है, गवर्नमेण्ट से फैसिलिटीज नहीं ली हों तो राजस्थान सरकार चैक नहीं करे, आंख मींच कर बैठ जाय मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि सरकारी संरक्षण प्राप्त है, सरकार उनको सुविधायें देती है तो सरकार ने उनको इसलिए इजाजत दी है कि लोगों को राहत मिले। अगर दूसरी तरफ यह लूट का अड्डा बन जाता है, सरचार्ज लिया जाता है, उन्हीं की दुकानों से दवाइयां खरीदी जाती हैं और स्वयं की दवाइयों के चार्जेज बाजार की दवाई से

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

ज्यादा होते हैं तो बहुत बड़ी दुखद स्थिति है, आपको इस तरफ सोचना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, आपके ऑफिसर, अकाउन्टेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का ऑफिसर वहां बैठना चाहिए जो सारी स्थिति को देख सके और गरीब जनता को लूट से बचा सके।

आपने निश्चित रूप से बहुत सब-सैन्टर्स खोले हैं, डिस्पेन्सरीज खोली हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रोम्प्टनैस जितनी आपने दिखाई है राजस्थान सरकार के किसी मंत्री ने नहीं दिखाई। 84–85 की मांग आज पास होने वाली है और आपने सब-सैन्टर्स खोल भी दिये। इतनी प्रोम्प्टनैस किसी और विभाग की नहीं है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं।

एक माननीय सदस्य : वह पिछले साल की हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : इस साल की भी खुल गयी।

श्री यदुनाथ सिंह : बजट पास होने से पहले ही खोल दिये ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : वरना हालात तो यह हैं, माफ करेंगे डांगी जी मुझे, डांगीजी को धन्यवाद दूंगा कि आयुर्वेद की डिस्पेन्सरीज टाइमली खोली थीं, आयुर्वेद डिस्पेन्सरीज के आर्डर हमको मिल गये, गांव में पहुंच गये, मन्त्री जी ने उद्घाटन कर दिया, आपने नहीं दूसरों ने, उसके बावजूद पता नहीं किस कारण स्टे हो गया। विधान सभा आने में जब 10 दिन रहे तो हम लोगों ने क्वेश्चन दे दिया तब जाकर पता लगा कि स्टे अब जाकर टूटा है और डिस्पेन्सरीज अभी खुली हैं। इसलिये भविष्य में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि डिस्पेन्सरीज या सब-सैन्टर्स खोलने हैं वह टाइमली खोलें जिस प्रकार से स्वास्थ्य मन्त्री, श्री खेतसिंह जी ने प्रोम्प्टनैस दिखाई है उसी प्रकार की प्रोम्प्टनैस आयुर्वेद विभाग में भी दिखावें और 200 आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज खोलनी हैं वह कम से कम टाइमली खोली जायं। केवल मात्र डिस्पेन्सरीज खोलने से ही काम नहीं होने वाला है उनमें दवाइयां होनी भी आवश्यक है। इसलिये आप कृपा करके प्रोम्प्टनैस दिखावें। अगर इस प्रकार से एक्शन लेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

(2 म. प.)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : डिस्पेन्सरीज खोलेंगे ये और उद्घाटन और किसी मन्त्री से करवायेंगे तो स्टे ही आयेगा और क्या होगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मुझे तो यही निवेदन करना है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। यह एक ऐसे कल्याणकारी विभाग से सम्बन्ध रखती है जिसका सम्बन्ध आम जनता से है और जो नीतियां हम बनाते हैं क्या उनका लाभ आम जनता को हो सकता है,

(श्री अनंग कुमार जैन)

जनता के अन्दर जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको चिकित्सा विभाग की नीतियों से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, राजस्थान वैसे भी चिकित्सा की दृष्टि से हिन्दुस्तान के अन्दर काफी पिछड़ा हुआ प्रदेश है। कुछ ऐसी जगहों को छोड़ दीजिये, जयपुर के एस. एम. एस. को छोड़ दीजिये वरना पूरे राजस्थान के अन्दर चिकित्सा सुविधायें दूसरे प्रदेशों के मुकाबले उपलब्ध नहीं हैं। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कुम्हेर कस्बे के अन्दर मलेरिया जैसी बीमारी से भी आदमी को मरने से नहीं रोक पायें, कई व्यक्तियों की मौत मलेरिया की बीमारी से हुई तथा क्लोरोक्वीन की गोली प्राप्त करने के लिये भी सुप्रीम कोर्ट में रिट करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि राजस्थान सरकार का कर्तव्य है कि क्लोरोक्वीन की गोली राजस्थान की जनता को उपलब्ध कराये। इस सदन के अन्दर चिकित्सा विभाग की कुछ उपलब्धियों के सम्बन्ध में जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं कि माननीय खेतसिंहजी ने कितनी प्रगति की है। लेकिन खेतसिंहजी के जमाने में यह स्थिति भी हुई है कि राजस्थान की जनता को क्लोरोक्वीन की गोली भी उपलब्ध नहीं हो सकी और मलेरिया जैसी मामूली बीमारी, जो वर्षों से क्यूरेबिल बुखार है, क्यूरेबिल डिजीज है. से कई लोगों को मरना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में रिट करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को यह आदेश दिया कि क्लोरोक्वीन की गोली राजस्थान की जनता को उपलब्ध कराये।

माननीय सभापति महोदय, आखिर यह स्थिति क्यों पैदा होती है? यह स्थिति पैदा होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो नीतियां तय करते हैं वह नीतियां कौन बैठ कर बनाता है? कुछ राजनेता और आई. ए.एस. अधिकारी मिल कर नीतियां बनाते हैं जिनका चिकित्सा विभाग से कोई संबंध नहीं है, चिकित्सा नीतियों से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो मेडिकल पालिसी को नहीं समझते हैं। वर्ल्ड हैल्थ असेम्बली की 1975 में जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने यह तय किया था कि जो नीतियां तय की जायं उसके लिये यह 7 पाइन्ट हैं। उन सात पाइन्ट में चौथा पाइन्ट यह तय किया था कि बेसिक मेडिकल केयर के लिये जो नीतियां तय की जायं उसके इम्पलीमेन्टेशन के लिए जो लोकल पापूलेशन है उसका भी इन्वाल्वमेंट उसके अन्दर होना चाहिये, यदि उसका इन्वाल्वमेंट उसके अन्दर होगा तो जो नीतियां तय होंगी उसके आधार पर चिकित्सा विभाग की जो प्रणाली है उसका राजस्थान की आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिल सकता है। आज राजस्थान के अन्दर चिकित्सा की दृष्टि से धीरे-धीरे थ्री टायर सिस्टम डवलप होता जा रहा है। थ्री टायर सिस्टम का पहला सिस्टम तो वह है जो वी.आई.पी. कैटेगिरी में आता है, दूसरा वह है 20 पर्सेन्ट लोग सिटीज के अन्दर रहते है, अरबन पापूलेशन में रहते हैं और तीसरा तबका, माननीय सभापति महोदय, वह है जो देश और प्रदेश का 80

(श्री अनंग कुमार जैन)

प्रतिशत तबका है जो गांवों में रहता है। उस 80 प्रतिशत तबके तक चिकित्सा की वह सुविधायें पहुँच ही नहीं पाती हैं जो 20 प्रतिशत तबके या प्रथम श्रेणी वी.आई.पी. लोगों तक पहुँचती हैं। यह बात भी, माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऐड की है। यह जो थ्री टायर सिस्टम राजस्थान प्रदेश के अन्दर डवलप हो गया है उस थ्री टायर सिस्टम को समाप्त करके इस प्रकार की प्रणाली अपनाई जानी चाहिये जिससे चिकित्सा सुविधा सुदूर ग्रामीण जनता को उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा भी लोक सभा के अन्दर यह मंजूर किया गया कि राजस्थान के अन्दर जीवन रक्षक औषधियों की भारी कमी है। एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि आज जीवन रक्षक औषधियों की राजस्थान के अन्दर काफी कमी है, उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की औषधियां राजस्थान के अन्दर आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए कोई पालिसी तय करें ताकि ये दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो सकें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, जयपुर के अन्दर यह स्थिति है कि लोकल कम्पनियों द्वारा जो दवाइयां बनाई जाती हैं उनकी रेट उन्होंने स्टेण्डर्ड कम्पनियों से भी अधिक कर रखी है वह गवर्नमेंट के द्वारा खरीदी जाती हैं। लोकल कम्पनियों द्वारा जो सब-स्टेण्डर्ड मेडिसन्स बनाई जाती हैं वह दवाइयां खरीदी जा रही हैं और वही दवाइयां पूरे राजस्थान के अन्दर सप्लाई की जा रही हैं। उन दवाइयों को खरीदने के लिये विशेष ऊंचा कमीशन दिया जाता है, इस तरह के केसेज पूर्व में भी माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाये गये हैं। अलवर की कई दुकानों के अन्दर सब-स्टेण्डर्ड दवाइयां पकड़ी गयीं। इस बात को तो यहां पर मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि छापा मारा गया, यह कहने में तो सरकार नहीं हिचकिचाती कि छापा मारा गया, सब-स्टेण्डर्ड मेडिसन्स पकड़ी गई। लेकिन जांच को दबाने की भी पूरी कोशिश की जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सब-स्टेण्डर्ड मेडिसन्स के धन्धे में प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : उनका चालान पेश कर दिया है।

श्री अनंग कुमार जैन : हां, वह तो अब कहोगे ही। उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने में सरकार को कई बार मुंह की खानी पड़ती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा, जब वह अपना जवाब दें तब यह भी बतायें, कि कितनी दुकानों पर छापा मारा गया और कितने व्यक्तियों के खिलाफ चालान पेश कर दिये गये हैं।

सभापति महोदय, विभाग में जो भर्तियां होती हैं या कोई ट्रेनिंग होती हैं उसमें सलेक्शन होता है पता नहीं वह किस प्रकार से

(श्री अनंग कुमार जैन)

होता है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूँगा कि कौन-कौन-सी भर्तियों के अन्दर मंत्री कोटा निर्धारित कर रखा है। जब विधान सभा में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आर.एम.आई.आर.सी. के लिये जो सलेक्शन होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेसक्राइब कर रखी है कि फर्स्ट ईयर टी.डी.सी. पास व्यक्ति होना चाहिये लेकिन अभी कोटा सेन्टर पर जो लड़के भेजे वह सब हायर सैकण्डरी पास थे। जब उनसे मालूम किया गया कि तुम्हारा सलेक्शन किस प्रकार से हुआ तो उन्होंने सीधे कहा कि मंत्री कोटे में हुआ है। मंत्री कोटे में सलेक्शन के लिये कोई योग्यता तय नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, मंत्री कोटा में मंत्री महोदय आपने ऐसे लोगों को भेजा है जो आर.एम.आई. आर.सी. के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है सलेक्शन करने की उससे कम योग्यता रखते हैं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर): उनको व्यावहारिक ज्ञान होगा।

श्री अनंग कुमार जैन: माननीय सभापति महोदय, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर के अन्दर आपने लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग स्टार्ट की है, 1983-84 से चालू की गई है। आपने उसके अन्दर बैकडोर एन्ट्री का रास्ता रखा है। लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग तो चालू कर दी है। वैसे हमेशा यह ध्यान में आया है, सभापति महोदय, कि किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग शुरू की जाय, किसी भी प्रकार की भर्ती की जाय उसके लिये गवर्नमेंट अपने नार्म्स तय करती है कि यह मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, इतनी ऐज होगी, इतने पर्सेन्टेज होगा। लेकिन उस ट्रेनिंग के लिये कोई योग्यता तय नहीं की गई लेकिन नार्म्स और सीधे यहां से जिन लोगों को भेजना था डायरेक्टर साहब या मंत्री महोदय को अपनी इच्छानुसार या इनके परम विश्वसनीय रामगोपाल हैं उनकी इच्छानुसार....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): यह रामगोपाल कौन हैं?

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): जिनसे कभी मंत्री महोदय घृणा किया करते थे।

श्री भंवरलाल शर्मा: रामगोपाल है कौन?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): आपके रिश्तेदार हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं। कृपया आपको बोलने का अवसर मिले तब पूछ लेना, अभी अनंग कुमारजी को डिस्टर्ब नहीं करें। कृपया बैठ जायं।

श्री अनंग कुमार जैन: तो, सभापति महोदय, तीन तरह के आदमी जो मैंने बताये हैं उनकी सिफारिश के आधार पर सारी भर्तियां की गई हैं। या तो मंत्री महोदय ने जिनको चाहा है उनको भेजा गया है या डायरेक्टर साहब ने जिनको चाहा है उनको भेजा गया या अपने परम विश्वसनीय रामगोपाल, जिनसे किसी जमाने में मंत्री महोदय घृणा करते थे लेकिन अब वापस प्यार करने लग गये हैं, की सिफा-

(श्री अनंग कुमार जैन)

रिश पर भेजा गया है। इस प्रकार के....

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : इस प्रकार की भर्तियां लैब टैक्नीशियन्स की अजमेर के अन्दर की गई हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अनंग कुमारजी, आप भी प्यार करने लायक हो जाइये।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत तरीके से भर्तियां हो रही हैं इन भर्तियों के बारे में भी आप अपने जवाब में बतायेंगे। इसको रोकने के लिये आप आइन्दा क्या उपाय करेंगे ?

दूसरा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा।

(व्यवधान)

सैशन, जज ने गिरफ्तारी के वारन्ट जारी किये उनके खिलाफ। वहां की कई फर्मों की यह शिकायत थी कि नाजायज तरीके से पैसा वसूल करते हैं और उनको धमकी देते हैं कि यदि आपने यह मन्थली नहीं दिया तो आपका लाइसेन्स केन्सिल कर दिया जायगा। इस प्रकार के केसेज अदालत में पेश हुए। जब आपको शिकायत की गई और इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां केस पेश हुआ, मुन्सिफ कोर्ट के अन्दर हुआ वहां से वारन्ट आफ अरेस्ट उनके खिलाफ जारी हुआ है। ऐसे मामलों के अन्दर आपने क्या कार्यवाही की, यह बताने की कोशिश करेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, आपने राजस्थान फार्मेसी कौंसिल का गठन किया। पहले तो इसमें एक मोहम्मद इशाक काम करते थे जो उसी विभाग में थे। वे वहां नियुक्त हुए और फिर उनको मेहरबानी से रजिस्ट्रार बना दिया। रजिस्ट्रार बनने के बाद वे रिटायर हो गये तो आपने उसमें एक नये व्यक्ति की नियुक्ति की। वहां पर करीब दस हजार एप्लीकेशंस पैंडिंग हैं रजिस्ट्रेशन के लिए. एक लम्बे समय से पैंडिंग हैं उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। आम शिकायत उनके बारे में यह है कि दस से पन्द्रह हजार रुपये उसके लिए डिमाण्ड की जाती है, जो व्यक्ति दस से पन्द्रह हजार रुपये देने को तैयार हो जाता है उसका तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है अन्यथा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आपने कोई नार्म्स तय किये होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। यदि कोई व्यक्ति उन नार्म्स के अन्तर्गत आता है तो नार्म्स के अन्तर्गत आने के बाद भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ? एक लम्बे समय तक उसकी एप्लीकेशन पैंडिंग रहे और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से यह होता है कि राशि वह नहीं पहुँचा पा रहा है, राशि पहुँचाने के बाद ही उसका रजि-

(श्री अनंग कुमार जैन

स्ट्रेशन होगा। इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं उन पर भी आप प्रकाश डालेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)
दो मिनट

झालावाड़ जिले के बारे में दो मिनट अर्ज करूं, साहब। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह फरमाया था कि झालावाड़ जिले के अस्पताल को क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा गया है। दूसरा, जो आपने हमको किताब दी इसके पेज नं. 18 पर आपने फरमाया है कि झालावाड़ अस्पताल की शैयाओं को बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। मैं आपसे, स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा, बजट भाषण में तो प्रावधान रखा गया है अस्पताल को क्रमोन्नत करने का, निष्पादन आय व्ययक 84-85 जो हमको दिया है उसमें भी शैयाओं को बढ़ाने का प्रावधान है लेकिन उसको क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार का विचार है या नहीं? और है, तो, कब तक?

श्री खेतसिंह राठौड़ : शैयाओं को बढ़ाने का मतलब है क्रमोन्नत करने का।

श्री अनंगकुमार जैन : यह टेक्निकल लैंग्वेज आप बता रहे हैं, बस ठीक है। मन्जूर कर लिया ना आपने।

दूसरा, सभापति महोदय, झालावाड़ जिले के अन्दर माइन्स होने की वजह से मजदूरों में क्षय रोगियों की संख्या काफी है। खास तौर से क्षय रोग मजदूरों के अन्दर ही ज्यादा पाया जाता है। झालावाड़ जिले के अन्दर वैसे 20 बैडेड हास्पिटल है। और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था कि इतने केसेज टी. बी. के डिटेक्ट होने चाहिये उससे डेढ़ सौ गुना ज्यादा केस डिटेक्ट किये गये। वहां एक लाख से अधिक लोग टी. बी. के पेशेंट डिटेक्ट हुए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के अन्दर टी. बी. की बीमारी है, लेकिन आपका जो हास्पिटल है उसके अन्दर स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोप्टिन जैसी टेबलेट्स भी वहां के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जब कि राज्य सरकार की यह नीति है क्षय रोगियों के निदान के लिये इस प्रकार की दवाइयां निःशुल्क अस्पताल से दी जायं। तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर क्षय रोग का इतना अधिक प्रभाव है, जहां क्षय रोग से इतने अधिक लोग पीड़ित हैं तो टी. बी. अस्पताल, जो 20 बैडेड है, के बारे में आप विचार करेंगे, उसमें बैड की संख्या और बढ़ाने का कष्ट करें।

दूसरा वहां पर टी. बी. के लिहाज से सिर्फ एक डाक्टर पोस्टेड है। इतनी बड़ी संख्या वहां पर रोगियों की है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब आप उसको क्रमोन्नत भी कर रहे हैं तो वहां कम से कम एक जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट जरूर क्रिएट करें ताकि वहां पर जो रोगी हैं उनका वास्तव में सही उपचार हो सके, उनका सही निदान हो सके।

श्री सभापति : माननीय श्रीराम रघुनाथ चौधरी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, आगे कई माननीय

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सदस्यों ने मन्त्री महोदय के लिये बहुत कुछ कहा है। वास्तव में इस वर्ष चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं और विरोध पक्ष के लोग भी इस बात से सहमत हैं कि वास्तव में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जितना कार्य पिछले वर्ष या इस वर्ष हुआ उतना पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ। इसलिए मैं सभी कामों की गणना करूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो समय-समय पर माननीय सदस्य आगे भी कहते रहेंगे। मैं आपका ध्यान यह जो वार्षिक प्रतिवेदन हमको दिया है, इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक मुद्दे पर आज कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, और वह है बी. एस. सी. नर्सिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षा के सम्बन्ध में। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमको जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है, प्रगति का मतलब तो यह है कि इन्होंने क्या किया और अब तक क्या हुआ, इस प्रगति प्रतिवेदन में इन्होंने यह बात कि वहां एक अमुक स्कूल चला रहे हैं, एक ट्रेनिंग सेन्टर चल रहा है, उसमें कितने विद्यार्थी आए, कितनों ने पास किया, उसकी आज की क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई बात नहीं बतायी। मन्त्री महोदय जितना इस विभाग को आगे दौड़ा रहे हैं, जितनी समाज की देहातों में, गांवों में चिकित्सालय खोल करके, सब सेन्टर खोल करके सेवा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उतना ही यह पिछड़ापन उनका विभाग दिखा रहा है। इस प्रगति प्रतिवेदन में यह समस्त चीजें होनी चाहिए थीं। यद्यपि कुछ चीजें इसमें आ गई हैं जो सदस्यों को यह बता रही हैं कि मन्त्री महोदय ने क्या किया. लेकिन मन्त्री महोदय ने जो प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं उसमें विभाग ने क्या किया, इनका विभाग जो शिक्षा देता है उसमें उसने क्या किया, उसकी क्या प्रगति हुई इसके बारे में, इस प्रगति प्रतिवेदन में एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। पूर्व के जो प्रगति प्रतिवेदन हैं उनमें कई टिप्पणियां आती थीं, इतने छात्र आये, इतनों ने प्रशिक्षण लिया, इतने पास हुए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिस्टर ट्यूटर पाठ्यक्रम है इसमें गवर्नमेंट ने स्वीकृति दी है कि 60 वेकेन्सीज हैं 60 प्रशिक्षणार्थी इसमें भाग ले सकेंगे। लेकिन मेरी यह जानकारी है कि उनकी जगह 45 आये, 45 में से तीन छोड़कर चले गये किसी कारण से, और 40 या 41 ट्रेनीज ने वहां ट्रेनिंग ली इस कोर्स में और उसके बाद मेरे ख्याल से घट करके यह संख्या 30 रह गई। इसकी जानकारी भी इस प्रगति प्रतिवेदन में नहीं है जो कि बहुत विस्तार से होनी चाहिये थी।

अब मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो शिक्षा दी जाती है, इसमें बी. एस. सी. नर्सिंग को भी साथ ले लिया गया। नर्सिंग कालेज एक विधिवत कालेज है, जो कि यूनिवर्सिटी के तहत आता है। इस कालेज को भी अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ले लिया तो फिर कालेज नहीं रहा। इसका मतलब हुआ कि यूनिवर्सिटी ने जो रिकग्नाइजेशन दिया है वह रद्द करना चाहिये। मुझे समझ में नहीं आता कि जो एक कालेज है, सेक्रेटेरियट के सेक्रेटरी जिसको चलाते हैं, जिसका डायरेक्टोरेट से कोई सम्बन्ध नहीं

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

है उसको भी अगर प्रशिक्षण केन्द्र, जो कि डायरेक्टोरेट के अण्डर में आता है, के अधीन ले लिया तो यह बिलकुल एक होच पोच सा मामला हो गया है। समझ में नहीं आता कि आखिर कोई इसमें सोचने-विचारने वाला भी है या नहीं। वहां पर जितने छात्र-छात्रायें पढ़ती हैं उनके भविष्य के साथ में क्या यह मखौल करना उचित है? इसलिए माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि आप जिस गति से राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं, जिस गति से राजस्थान के जन समुदाय को ये सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं उनमें कितना होच पोच आपके विभाग में हुआ है इसको आप देखकर ठीक करावें। मैं यह सब आपको जनरल नर्सिंग के पाठ्यक्रम से शुरू करने के लिये निवेदन करना चाहता हूँ। सामान्य नर्सिंग पाठ्यक्रम में पहले आपने यह क्वालिफिकेशन रखी थी कि जो मेल हैं वह हायर सैकण्डरी साइन्स होंगे और जो फीमेल हैं वह सैकण्डरी साइन्स होंगे, अगर साइन्स के उपलब्ध नहीं हों तो आर्ट्स वालों को सुविधा दी जायगी। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए किया गया था कि राजस्थान में महिलायें साइन्स में ज्यादा आती नहीं थी और यह ख्याल रखा गया होगा कि महिला को सुविधा देने के लिये, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आगे लाना चाहिये। अन्ततोगत्वा आपने इस साल इस क्वालिफिकेशन को बढ़ा करके फर्स्ट इयर साइन्स कर दिया। और फर्स्ट इयर साइन्स को भी डिफाइन किया है कि हायर सैकण्डरी के बाद एक साल कालेज पास करने के बाद में उसको जनरल नर्सिंग में एडमिशन दिया जाय। महिलाओं और पुरुषों के लिये कोई अलग क्वालिफिकेशन नहीं रखी है, मैं इसकी सराहना इसलिए करता हूं कि जिस तरह का एक ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ चाहिये जिसके हाथ में जनता का जीवन सुरक्षित रह सके वह इतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिये कि वह ट्रेनिंग ठीक प्रकार से ले ले।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने एक सिस्टर ट्यूटर पाठ्यक्रम रखा है। वह क्यों रखा है? वह इसलिए रखा है कि कालेज में आपका पोस्ट नर्सिंग कार्यक्रम नहीं है। आपने रिकमण्ड किया है कि यहां पर पोस्ट नर्सिंग कार्यक्रम होगा। इसके लिए आपने एक पत्र भी लिखा मेडिकल हेल्थ सर्विसेज राजस्थान को।

सुना देता हूँ, सभापति महोदय, इसमें लिखा है।

"Application of the college of Nursing, Jaipur, for granting permanent affiliation/extention of provision affiliation and fresh affiliation for additional course of B. Sc. (Nursing) (Post Basic) of two years duration."

यह पत्र आपके डायरेक्टोरेट से दिसम्बर, 1978 में लिखा है। और यह मंशा थी कि पोस्ट बेसिक कोर्सेज इस डिग्री कालेज में, कालेज आफ नर्सिंग में शुरू किये जायं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में चलता है इसके बाद में, माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी के

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

रजिस्ट्रार महोदय ने सितम्बर, 1979 में एक पत्र वापस लिखा। उन्होंने यह लिखा कि पोस्ट वेसिक कोर्स के लिये इस इस तरह की सुविधायें इस कालेज में होनी चाहिये। इसका बड़ा लम्बा चौड़ा प्रोफार्मा है, मैं इसको पढ़ कर आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद में यह डिपार्टमेंट बिलकुल मौन है। मुझे आप बताइये, एक तरफ बढ़ती हुई मांग को देख कर यह महसूस किया जा रहा है, जैसा अभी मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि माननीय मन्त्री महोदय ने एजूकेशन पाइन्ट ग्राफ व्यू से शिक्षा के लिये जगह जगह स्कूल खोले हैं ताकि वहां पर जनरल स्टाफ और नर्स वगैरह को ट्रेण्ड किया जाय। लेकिन उनको पढ़ाने के लिये स्टाफ की आवश्यकता है। स्टाफ की कमी को देखते हुए ही आपने सिस्टर टयूटर पाठ्यक्रम चालू किया था ताकि 8-10 महीने में उनको ट्रेण्ड करके उस कमी को फिलहाल पूरा किया जा सके जब तक कि हमारे पास में बी. एस सी. के या पोस्ट बेसिक बी. एस सी. के टीचर्स उपलब्ध नहीं हों। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपने उनको सैलेरी के साथ में 400 रुपये स्टाईपन्ड के प्रतिमाह दिये थे। इसका मतलब यह है कि काफी लोग उम्र में ज्यादा थे। शायद वह यह सोचते थे कि हम यह सिस्टर ट्यूटर कोर्स क्यों करें हमको तो तनख्वाह उतनी मिलती है। तो उनको अट्रेक्ट करने के लिये 400 रुपये की छात्रवृत्ति दी थी। काफी लोगों ने इसको पास किया है। उनको स्कूलों में भेजा है। फिर भी इतनी कमी है कि निरन्तर अगर बी. एस सी. के केन्डीडेट पास होते जायं, पढ़ते जायं तब भी आने वाले दस साल में इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि यह एक एश्योर्ड सर्विस है, जो भी विद्यार्थी इसमें पढ़ने के लिये आयेगा और बी. एस सी. नर्सिंग करेगा उस को हाथों हाथ नौकरी मिलेगी और मिल रही है। फिर इसमें क्या दिक्कत थी? पोस्ट वेसिक कोर्स के लिये डायरेक्टोरेट ने मूव किया, यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया और इस मामले को वहीं ठप्प कर दिया। मैं इसमें इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ मन्त्री महोदय, यह जो कमी आपके डायरेक्टोरेट में रही है इसको आप देखिये और यह जो पोस्ट वेसिक कोर्स है उसको आप यूनिवर्सिटी के जो नियम हैं और जो प्रोफार्मा उन्होंने भेजा है उसकी खाना पूर्ति करके शुरू कराइये।

इसके बाद में मैं बी. एस सी. नर्सिंग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ, और निवेदन करने के पहले यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बी. एस सी. नर्सिंग कालेज, जो यूनिवर्सिटी के तहत चल रहा है, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था, उसका आपने नाम ही बदल दिया, उसका स्वरूप ही बदल दिया। इसका मतलब अब यह हुआ कि बी. एस सी नर्सिंग कालेज यूनिवर्सिटी के तहत नहीं है और आपने इसको पी. एच. टी. आई. के तहत कर दिया है। पी. एच. टी. आई., पब्लिक हैल्थ ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट यह एक डायरेक्टोरेट का इन्स्टीट्यूट है जहां पर इन सर्विस के लोग छोटी मोटा ट्रेनिंग के लिये आते हैं. रिओरियेन्टेशन के लिये आते हैं। इसका चलना जरूरी है, इसकी कार्य प्रणाली अलग है, इसका कार्य-

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

क्रम अलग है । लेकिन उस प्रिन्सीपल के तहत इस कालेज को करके आपने सबसे बड़ी गम्भीर भूल की है । मैं आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ, सभापति महोदय । इस नोटिफिकेशन में लिखा है....

"The Governor has been pleased to re-designate the existing Auxiliary Health Workers 'Training Centre and College of Nursing, Jaipur, as' Public Health Training Institute, Jaipur', with immediate effect."

गवर्नर महोदय ने तो वह सब कुछ किया है नोटिफिकेशन के लिये जैसा कि डायरेक्टोरेट ने रिकमन्ड करके भेज दिया था । डायरेक्टोरेट की रिकमन्डेशन के बाद में उसको उन्होंने अप्रूवल दे दी । लेकिन, सभापति महोदय, देखने की बात यह है कि डायरेक्टोरेट ने यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में जो एक चीज चल रही थी, जो डिग्री कालेज चल रहा था उसको पी. एच. टी. आई. प्रिंसिपल के तहत कैसे दे दिया ? अब आप देखिये, कैसी स्थिति बनती है, उसका प्रिंसिपल अलग, बी. एस. सी. नर्सिंग कालेज का प्रिन्सिपल अलग पी. एच. टी. आई का प्रिन्सिपल अलग और पी. एच. टी. आई. का प्रिन्सिपल बी. एस सी. नर्सिंग कालेज के प्रिन्सिपल के ऊपर प्रिन्सिपल कैसे हुआ ? शायद आप इस बात को माने नहीं, इसके लिये मेरे पास एक पत्र है, पत्र तो मैं पढ़ कर नहीं सुनाना चाहूँगा लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल सेक्रेटरी ने लिखा है, प्रिन्सिपल कालेज ऑफ नर्सिंग को और जो अभी काम कर रहे हैं उनके नाम भी पत्र लिखा है । इसका मतलब वहां प्रिन्सिपल कोई है । एक बड़ी अजीब सी स्थिति है वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल पब्लिक हैल्थ ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर एक पत्र लिखते हैं प्रिन्सिपल, कालेज आफ नर्सिंग, जयपुर को । इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि नर्सिंग कालेज का प्रिन्सिपल अलग है और पी. एच. टी. आई. का प्रिन्सिपल अलग है । अगर आपको यह करना ही था और आप यह सोच रहे थे कि इस कालेज को अब यूनिवर्सिटी के तहत चलाने की आवश्यकता नहीं है और यह पी. एच. टी. आई. के अन्डर में चलना चाहिये तो आपको कालेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल को हटा देना चाहिये था । वहां पर प्रिंसिपल नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिये थी और एक मात्र प्रिंसिपल होना चाहिये था जो कि सीनियर सी. ए. एस. है । ठीक है, अगर आप यह डिसाइड करना चाहते हो कि कालेज आफ नर्सिंग में जो प्रिंसिपल होगा उसकी क्वालिफिकेशन सी. ए. एस. होगी तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज की क्वालिफिकेशन क्या है । प्रिंसिपल जो आपका हो, माननीय सभापति महोदय, यह स्पष्ट लिखा हुआ है ....

"As laid down by the University of Ratasthan subject to the condi tion that in consideration of relaxations permitted by the University in case of non-availability

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

of qualified persons by the promotion, the following relaxed qualification shall be applicable for a period of 3 years."

लेकिन वह थ्री ईयर तो खतम हो गया तब, माननीय सभापति महोदय, स्थिति क्या बनती है। स्थिति यह बनती है कि A master's Degree in Nursing with registration as 'A' Grade nurse and 5 years experience on post in column 5.

इससे यह स्पष्ट लगता है कि इस कालेज का प्रिंसिपल वह होगा जिसकी क्वालिफिकेशन यह होगी। अदर देन इसके कोई भी प्रिंसिपल हो नहीं सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो फिर आपने यह प्रिंसिपल बना कैसे दिया ? आपने ब्रीच आफ रूल्स कैसे कर दिया ? आपने संविधान को, नियमों को, कायदे को, बिल को, एक्ट को और सबको ताक में रख करके यह नामीनेशन कैसे करा दिया गवर्नर साहब से ? इसका मतलब यह है, माननीय मन्त्री महोदय, आपके डिपार्टमेंट ने गलती की। आपके डिपार्टमेंट ने गलती ही नहीं की, आपके डिपार्टमेंट ने गवर्नर को एम्ब्रेसिंग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया कि उनसे यह करवा कैसे दिया। इसलिये इसको आप सुधार कर ठीक करिये। आप पी. एच. टी. आई. को विधिवत चलाइये। उसके नीचे जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग हो रही है उनके लिये उसका प्रिंसिपल और डिपार्टमेंट अलग रखिये। आपका कालेज है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं पांच-सात मिनट और लेऊंगा, एक ही विषय पर बोलूंगा सिर्फ। यह जो आपका कालेज चल रहा है इसको आप अलग रखिये। अब इस कालेज के लिये मैं आपको एक छोटा-सा पत्र और प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आपके यहां से जो लोग पढ़ कर जाते हैं उनकी बाहर स्थिति क्या होती है। एक पत्र लिखा है, इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल न्यू देहली से लिखते हैं :- "Copy of letter No so & so, 17 June, 1980. from Mr. R. K. sood, Secretary.

With reference to your letter No. 130/MM dated 14th May, 1980, forwarding herewith a copy of letter written to the Registrar, Kerala Nurses & Midwives council Trivandrum, I am to say that the B. Sc. (Nursing) Degree of the college of Nursing, Jaipur, and college of Nursing, C. M. C. Hospital, Ludhiana (Punjab) have not yet been recognised under the Indian Nursing Council Act, 1947 for the purpose of registration and employment in India. Therefor, the candidate possessing the said qualification cannot be considered for the registration with any state Nursing Council in India

आप मुझे बताइये, आप क्या शिक्षा दे रहे हो यह। आप अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको यूनिवर्सिटी डिग्री क्यों दे रहो

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

है ? यूनिवर्सिटी डिग्री तो यथावत दे रही है उनको दे रही है तो फिर यह रिकग्निशन क्यों नहीं करवाया आपने ? रिकग्निशन इतने सालों से नहीं हुआ है इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है। मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज शाम को जब वह अपना उत्तर दें तो मुझे इस बात का आश्वासन दें कि यह जो आपका छोटा स्टाफ है, छोटा तबका है और नान गजेटेड आफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं इनके साथ में इस तरह की भ्रांति नहीं होगी। अच्छा तो यह हो कि आप इसके लिये एक कमेटी बना दीजिये। कमेटी में सभी तरह के लोग रख दीजिये, उसमें विधायक भी हों, आपके डिपार्टमेंट के लोग तो होंगे ही होंगे। वह बैठकर इस तरह की जो टैक्नीकल दिक्कतें हैं, मैं यह नहीं कहता कि आप तनख्वाह बढ़ाओ, यह करो, यह आपका मुद्दा है बढ़ायें न बढ़ायें, वैसे भी उनको ठीक मिलती होंगी, लेकिन जो होना चाहिये, टैक्नीकली नहीं हो रहा है उसको आप करेक्ट कराइये ताकि उनको दिक्कत न हो।

मैं आपको निवेदन करूं, पिछले दो तीन सालों में आपके यहां के जितने भी मेल और फीमेल नर्सेज बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते थे उनको एडमिशन नहीं मिला। एडमिशन इस बिना पर नहीं मिले कि आपके यहां का कालेज रिकग्नाइज नहीं है। उसकी डिग्री नहीं मानते तो उसको एडमिशन किस बात का दें। बाहर जाते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको टर्न डाउन कर देते हैं।

मैं दो – चार पाइन्ट और निवेदन करूंगा। एक यह कि बाहर कहीं भी अगर यहां के स्टूडेन्ट जाते हैं तो उनका एडमिशन मुश्किल से होता है, आपके यहां पर जो एडमिशन लेने आते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है। और यहां राजस्थान के जितने लोग एडमिशन लेते हैं उनके लिये कोई फायदा नहीं। मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन का फार्म है उसमें साफ लिखा है। उसका मतलब यह है कि वह वहां का लोकल विद्यार्थी हो, पढ़ा हुआ उस स्टेट का तो उसको पांच प्रतिशत नम्बर ओवरआल ज्यादा देते हैं। इसी तरह से मेरा इतना ही निवेदन है कि आपके यहां पर जो कालेज और स्कूल में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है, लोकल जितने भी राजस्थान के विद्यार्थी दाखिला लें उनको बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले पांच प्रतिशत, सात प्रतिशत जितना उचित समझते हैं, नम्बर दीजिये। नहीं तो आप यहां के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन नहीं देकर जितने भी दूसरे राज्यों से मेल और फीमेल आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं।

मैं इसके साथ आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, बी. एस. सी. नर्सिंग में जितने स्टूडेन्ट्स पढ़ते थे 1979 तक मेल और फीमेल साथ-साथ पढ़ते थे, 1979 में कुछ काम्पलीकेशंस हुए, हो जाते हैं। उसके बाद सरकारी तौर पर विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि महिलाओं और पुरुषों की क्लास साथ-साथ नहीं चल सकती इसलिए फीमेल को ही दाखिला दिया गया, यह समझ लीजिये

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कि यह फीमेल कालेज हो गया। अगर हो गया है तो पुरुषों के लिए क्या किया जाए? उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप पुरुषों के लिए कालेज खोलें। आप खुद जानते हैं कि बी. एस. सी. (नर्सिंग) में मेल नर्स की कितनी कमी है। आप जितने भी स्कूल चला रहे हैं, जितना हिस्सा पुरुषों का होना चाहिए उसका 30 प्रतिशत भी नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके दल के बहुत माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हैं, कृपया संक्षेप में कहें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : इनको बोलने दीजिए, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अच्छा बोल रहे हैं, पढ़ कर बोलते हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह था, इसमें सीट्स बढ़ा दीजिये और महिलाओं और पुरुषों का एक साथ एडमिशन शुरू कीजिए। अगर यह एडजस्ट नहीं होता है तो कोई कम्पेल नहीं करता। मेरा यह निवेदन है, पुरुषों के लिए बी. एस. सी. (नर्सिंग) का कालेज राजस्थान में है ही नहीं इसलिए आप जोधपुर, बीकानेर, अजमेर जहां भी आपको ठीक लगे वहां बी. एस. सी. नर्सिंग कालेज अलग से खोलें। आपने इसमें 30 की स्ट्रेन्थ रखी है जिनको आप डिग्री देते हैं। इनमें से 20 को छात्रवृत्ति देते हैं और 10 को नहीं देते हैं। यह कोई तय करने का तरीका नहीं है। क्या आप प्रायोरिटी से करते हैं? आपने कुछ हमें बताया नहीं इसलिए हमें जानकारी नहीं। क्या उनको टैस्ट लेकर छात्रवृत्ति देते हैं या एम एल. ए. ने रिकमंड किया, डायरेक्टर साहब ने इच्छा कर ली उसको छात्रवृत्ति मिलती है। इसलिए यह तय करना चाहिए कि 10 को क्यों नहीं मिलती। आप 30 की स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए।

मुझे कहने की बहुत सी बातें हैं लेकिन दो मिनट और लूंगा। वह इसलिए कि आपने कुछ ट्रेनिंग्स और शुरू की हैं, कुछ आपकी पहले से चल रही हैं, बहु उद्देशीय योजना पाठ्यक्रम। पहले भारत सरकार से सहायता मिलती थी, अब बन्द कर दी। उसके बाद आपने स्वयं शुरू की है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। चार सप्ताह से 12 सप्ताह के कार्यक्रम में लोगों को अनुभव प्राप्त होता है, जन सेवा अच्छे तरीके से हो सकती है।

इसके साथ साथ फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपने इसकी जो योग्यता रखी है उसमें प्रथम वर्ष जीव विज्ञान के पचास प्रतिशत और बी. एस. सी. जीव विज्ञान के पचास पर्सेंट होने चाहिये। यह बहुत बड़ा अन्तर है। आपकी बी. एस. सी. की स्टडी उतनी ही है। पहले आपने शुरू किया था दो वर्ष का, 1980–81 में घटाकर एक वर्ष कम कर दिया होगा। आपने सोचा होगा कि एक साल में ही अनुभव प्राप्त हो जाता है तो दो साल करने की

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जरूरत नहीं है। बी. एस. सी. के पचास प्रतिशत और पचास प्रतिशत प्रथम ईयर के, यह आप सही नहीं कर रहे हैं। आप योग्यता प्रथम ईयर कर दीजिए, बी. एस. सी. आता है तो आता है। एम. एस. सी. आता है तो आता है। पर आपने बी. एस. सी. के पचास प्रतिशत करके प्रथम ईयर के लिए रोक लगा दी है। इसमें हो सकता है कोई आये ही नहीं और आपकी पचास प्रतिशत सीटें खाली पड़ी रहें। इसलिए आप इसको हटा दीजिए। आप कर दीजिए मिनिमम योग्यता प्रथम ईयर, उसके बाद अगर कोई आता है तो फिर बढ़ा दीजिये कि बी. एस. सी. की योग्यता इतनी प्रतिशत। इसलिए यह जो कमी रखी है इसको ठीक कीजिए।

प्रयोगशाला तकनीकी पाठ्यक्रम आप चला रहे हैं, मैं समझता हूँ, मन्त्री महोदय, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले आपके यहां से मात्र 20 ट्रेनीज निकलते थे अब मिलाकर 315 हो गये हैं। सम्भवतः जितने भी बड़े शहरों में हास्पिटल हैं सबके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सारी योग्यता बढ़ाकर मिनिमम प्रथम ईयर साइंस कर दें। यह भी स्टाफ नर्सेज से कुछ कम नहीं हैं। जब यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो मेरे खयाल से वह कैडर वही होता है। आपने इन लोगों के लिए नौ महीने कर दिए, इसमें वह भी इतने टैक्नीकल हो जाएं मैं नहीं समझता। हो सकता है मुझे मेडिकल का ज्यादा अनुभव नहीं हो। मैं समझता हूँ कि इस अवधि को ज्यादा बढ़ाया जाए। विज्ञान की योग्यता है उसको बढ़ाकर समानान्तर प्रथम ईयर किया जाए। आप देखें, कालेज नर्सिंग में दाखिले के लिए प्रथम ईयर और साढ़े तीन साल उनको पढ़ना पड़ता था। फिर तीन साल कर दिए और अब शायद ढाई साल करने जा रहे होंगे। आप यह समझिए कि आपने जो नौ महीने का कोर्स रखा है और योग्यता हायर सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी रखी है यह कोई योग्यता नहीं होती है। इसलिए इसको बढ़ा कर ठीक कीजिए।

इसी प्रकार रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम में ट्रेनिंग 18 महीने की है लेकिन योग्यता सैकण्डरी विज्ञान रखी है वह भी एनफ नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर सभापति महोदय, आपने समय दिया मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजस्थान में इस बार उन्होंने बहुत ही खुले हाथों से सब सेंटर, हास्पिटल और दवा के लिए पैसा दिया है। लेकिन यह जरूर चाहूँगा कि जो प्रमुख बातें मैंने रखी हैं उनका वह शाम को भाषण देते समय जबाव दें।

श्री सभापति : कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमाधोपुर और खाचरी से आने वाले विधायक प्रशंसा कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि विरोध पक्ष केवल आलोचनात्मक रुख अपनाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, एक बात सच है

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि सब-स्टेंडर्ड और मिस ब्रीडिंग मेडिसन सारे देश में आज जयपुर में सर्वोच्च स्थान पर है। यह कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य माननीय खेतसिंह को मिला है, यह मुझे यहां कहने में किसी तरह की हिचक नहीं है। अफसोस है कि यहां पर भ्रष्टाचार करने का नया तरीका निकाला है। तरीका यह है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के आधार पर दवा बनाने वाली कम्पनियां बनाई जाती हैं। उनको परमिशन दी जाती है, लाइसेंस दिया जाता है। उन कम्पनियों पर स्माल स्केल में होने की वजह से प्राइस कंट्रोल ड्रग एक्ट लागू नहीं होता। इसके साथ साथ उनको एक्साइज में छूट होती है। लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो स्टेंडर्ड की कम्पनियां हैं, जो सारे देश में कई सालों से अच्छी दवाओं का निर्माण करने वाली कम्पनियां हैं उनकी दवा राजस्थान में बन्द है। एस. एस. इ. में ज्यादातर कौन लोग हैं ? सारे राजस्थान के डाक्टर हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं स्वास्थ्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दवायें स्टेंडर्ड कम्पनियां पांच रुपये में देती हैं वही दवायें यह कम्पनियां 15-16 रुपये में देती हैं। इसके पीछे भावना क्या है ? माननीय सभापति महोदय, आश्चर्य होता है, स्वास्थ्य मन्त्रीजी अगर आपने वह ठीक नहीं किया तो आप पर सबसे बड़ा कलंक होगा, पच्चीस से चालीस प्रतिशत कमीशन उन दवाओं पर उस डाक्टर को मिलता है जो नुस्खा लिखता है। नुस्खे के आधार पर राजस्थान के गरीब लोग पिट रहे, हैं उनको हल्की दवाइयां मिल रही हैं। Good coins are being put out of circulation by bad coins. यह स्थिति पैदा हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी, सबसे पहले आप कानून में अमेंडमेंट लाओ। छोटे छोटे नाम बदलने के लिए आर्डिनेंस लाते हो। आज राजस्थान के सारे गरीब तबके को डाक्टर जो नुस्खा लिखता है वह इसलिए नहीं लिखता कि मरीज को दवा की जरूरत है, उसका आधार यह है कि किस कम्पनी की दवा है, कितनी लिखनी है, कितना लिखने पर कितने प्रतिशत कमीशन मिलेगा। यह एक आधार बना हुआ है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं राजस्थान के स्वास्थ्य मन्त्री के ऊपर कि आपका जो ड्रग कंट्रोल एक्ट है वह बिलकुल बेकार है। सारे अधिकारी बिलकुल बेकार पड़े हुए हैं, बिलकुल आइडल पड़े हुए हैं और इस तरह की जो फर्म हैं उन फर्म के एक भी प्रोजेक्ट की किसी तरह की जांच नहीं करते।

लाइसेन्स देने की भी नयी प्रणाली चालू है। क्या तरीका निकाला है कि जिसको लाइसेन्स लेना है वही नीति निर्धारित करने वाला है। एक आपका मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स होता है, एक आपका लोन लाइसेन्स होता है। मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स में तो कुछ योग्यता भी है लेकिन लोन लाइसेन्स में न मालूम दवाइयां कहां से किस स्तर पर कैसे बनवा रहा है और उसका नतीजा क्या है, उस पर किसी तरह का आज आपकी सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके इस खतरे को,

(श्री कैलाश मेघवाल)

इस अस्वस्थ प्रवृति को राजस्थान में तुरन्त रोकिये ।

दूसरा, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, मैंने जैसा कहा, उनको कारें. फ्री इस बात की मिलती हैं कि वह किस कम्पनी की दवाइयां लिखते हैं । यह प्रवृति माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी को मालूम है । मैं कहना चाहूंगा कि आज हालात क्या हैं, माननीय सभापति महोदय, आपने सुना होगा कि आपके रिटेलर्स, खुदरा दवाई विक्रेताओं ने लाइफ सेविंग ड्रग्स को बेचने के लिए मना किया हुआ है और यह सरकार असहाय होकर बैठी हुई है । राजस्थान में लाइफ सेविंग ड्रग्स को बेचने के लिए मना कर दे वह लाइसेन्सी जिसको कि सरकार लाइसेन्स देती है और अपने आपको कल्याणकारी सरकार कहती है और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां लाइसेन्स लेना चाहें और यह चाहें कि हम उनको माला लाकर पहनायें, यह हर्गिज नहीं हो सकता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अधिकार लीजिए अपने हाथ में और लाइफ सेविंग ड्रग्स को बेचने से जो मना करता है ऐसे लोगों को सींखचों के पीछे भेजिये । उनको आप जेल में भेजिये और राजस्थान की जनता को ठीक ढंग से दवाइयां मिल सकें, ऐसी व्यवस्था कीजिए । क्या स्थिति है आपकी दवाइयों की ई0 एस0 आई0 में ? माननीय सभापति महोदय, आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में कि जो टेबलेट्स दी गयीं वह मिट्टी निकलीं, फारमेडिका की जांच हुई तो खड़िया मिट्टी निकली । राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग और राजस्थान के डाक्टर्स इस सारी स्थिति में लगे हुए हैं ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा और एक बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है । यह प्राइवेट डाइग्नोस्टिक सेन्टर्स खुले हुए हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ इसके रेगूलेशन के लिए कि यह ठीक है कि डाक्टर्स प्राइवेट प्रेक्टिस करें, यह ठीक है कि सरकार जिनको रोजी नहीं दे सके वह प्राइवेट प्रेक्टिस करें, लेकिन यह भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं सारे ऐसे डाइग्नोस्टिक सेन्टर्स जितने भी हैं । आज प्रमुख स्थानों पर चाहे वह जयपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे कोटा हो और चाहे जोधपुर हो, इन अस्पतालों में काम करने वाले बड़े डाक्टरों के कमीशन बंधे हुए हैं, नम्बर एक । बड़े डाक्टरों का हिस्सा है, नम्बर दो । बड़े डाक्टर्स वहां पर अंशकालीन रूप से जाकर हजारों रुपया कमाते हैं, नम्बर तीन । और उसके बाद वहां पर नुस्खा लिखते हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जो एक्स-रे क्लिनिक हैं, एक्स-रे क्लिनिक में जब कोई जाता है एक्स-रे कराने तो कौन उसकी रिपोर्ट लिख सकता है ? पूछ लीजिए, आपके तो बहुत विशेषज्ञ बैठे हैं बगल में । इनसे पूछ लीजिए । एक डाइग्नोस्टिक सेन्टर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर, माननीय सभापति महोदय, कोई प्रापरली वैल क्वालिफाइड आदमी, जो रेडियोलाजिस्ट होना चाहिए, हो । जयपुर के अन्दर 60 ऐसे सेन्टर्स एक्स-रे के हैं उनमें से केवल 3 जगह ऐसे रेडियोलाजिस्ट हैं । यह मेरी सूचना है । आप अपने अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और राजस्थान की जनता

श्री कैलाश मेघवाल)

के साथ होने वाले धोखे को रोकिये। होता यह है, माननीय सभापति महोदय, अयोग्य आदमी जब रेडियोलाजिस्ट के रूप में रिपोर्ट लिखता है तो वह रिपोर्ट सही नहीं होती। कई बार डाइग्नोसिस गलत होता है और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है, धोखा होता है और ऐसी स्थिति में उसको प्रापर करवाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, अफसोस है मुझे कि आखिर यह बड़े डाक्टर्स, प्रोफेसर्स, रीडर्स और सीनियर डाक्टर्स-यह सीनियर डाक्टर विशेष योग्यता किसके आधार पर प्राप्त करते हैं? फारेन जाते हैं समाज के खर्च पर, शिक्षा प्राप्त करते हैं समाज के खर्चे से। एक एम. बी. बी. एस. बनाने में समाज के खजाने का एक लाख रुपया खर्च होता है और एम. डी. बनता है तो 2 लाख रुपया खर्च होता है। विदेश जाते हैं यह बड़े डाक्टर। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहने में आज कोई एतराज नहीं है और राजस्थान की विधान सभा में यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दानव और मानव, सेंट और शैतान, इन्सान और शैतान होते हैं अगर आज आपको शैतान देखने हों या दानव देखने हों तो इन बड़े डाक्टरों की हालत देखिये। यह वार्ड में बैठते नहीं, यह आउट डोर में बैठते नहीं और जब अपने वार्ड का राउन्ड लेने के लिए जाते हैं तो दस मिनट में एक वार्ड के सौ मरीजों को निपटा कर चले आते हैं और घर पर जिस मरीज ने इनको प्राइवेट फीस का पैसा दे रखा है उसका दस-दस मिनट तक बैठकर डायग्नोसिस करते हैं। क्या इनका तरीका है? आपको और हमको मालूम नहीं पड़ेगा, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आप जायेंगे, मैं जाऊंगा, स्पीकर महोदय जायेंगे, शिक्षा मंत्री जायेंगे तो गेट पर अगुवानी करते यह बड़े-बड़े डाक्टर आपको तैयार मिलेंगे वहां पर। ऐसा आपको घेरे में बंद करके रखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। आपको सारी स्थिति पता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि सारे बड़े हास्पिटल का मैनेजमेंट इममेच्योर, रा हैंड्स के हाथों में आपने दे दिया है। सारे हाउस जाब करने वाले विद्यार्थी, सारे रजिस्ट्रार्स और हाउस सर्जन्स रा हैंड्स हैं। आज पेशेन्ट्स और बड़े डाक्टरों के बीच में जो कड़ी रह गई है वह यह रा हैंड्स हैं जो किसी तरह से उनको हैन्डल करते हैं और किसी तरह से नहीं करते हैं। और तरीका यह है कि रा हैंड्स के माध्यम से, उन स्टूडेन्ट्स के माध्यम से, उस स्टाफ के माध्यम से यह बड़े डाक्टर्स हमेशा इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि कौन कितना प्राइवेट प्रेक्टिस के केस मेरे पास लाता है। यह है उनकी रक्षा का आधार। इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि इस सारी व्यवस्था को बदलिये। मेडिकल कालेज चलाने के नाम पर आप इस तरह सारे हास्पिटल की व्यवस्था करते हैं और बड़े डाक्टरों को आपने चेम्बर्स दे रखे हैं। वहां पर हर तरह के समाज विरोधी और समाज के साथ धोखा करने वाले केवल कुछ लोगों के इलाज के लिए हमारे डाक्टर सीमित हो

(122)

(श्री कैलाश मेघवाल)

गये हैं। किस का इलाज करते हैं ये? राजनेताओं का। राजनेता इनको दीखने चाहिए, राजनेता के आगे पीछे फिरेंगे। यह प्रसन्न रहने चाहिए। बड़े अधिकारी का भी एक स्वर्ग है। और उसके बाद धनाढ्य वर्ग है जो इनको पैसा दे सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि जो इनका हित कर सके, जो इनका अहित कर सके उनके लिए एकलव्य की तरह हाजिरी में खड़े रहते हैं। राजस्थान की लाखों लाख जनता आज इलाज के लिए तरसती रहती है, उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं, उसको पूछने वाला कोई नहीं। यह मैं इसलिए आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि यही स्थिति रही तो आज जो हमने भाषण दिया है, एक प्रतिनिधि के रूप में आकर के बैठते हैं यह सारा बेकार होता चला जायेगा।

एक बात अभी कही गई। आटो फाइनेन्स स्कीम इन्होंने इन्ट्रोड्यूस की है। बहुत बढ़िया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आटो फाइनेन्स स्कीम दिखने में बहुत बढ़िया दीखती है। यह भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, जो पैसे वाले नहीं हैं, वार्ड में भर्ती हुए उनसे कहा, भाई, हमारे यहां एक्स-रे का इन्तजाम नहीं है, ब्लड टैस्ट का इन्तजाम नहीं है। पैसा है तो वार्ड के अन्दर इन्तजाम हो जायगा। भ्रष्टाचारी तरीके से प्राप्त करने का एक माध्यम बन गया है। और जो धनवान हैं, पैसे वाले हैं, सारे राजस्थान की जनता के पैसे से चलने वाले यह अस्पताल हैं इनकी सारी सुविधायें, इनकी सारी मशीनरी आज उन पैसे वालों की सेवा समर्पित है। मैं, माननीय सभापति महो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गव मेंट सर्वेन्ट पर भी आटो फाइनेन्स स्क इन्होंने लागू कर दी है। गवर्नमेंट स बेचारा गरीब चपरासी है उसको आज 3 रुपये चाहिए, वह नहीं ले सकता है, वंचित रहता है लेकिन आफिसर्स हैं उ पास पैसा है, हराम का पैसा है, रिश्वत पैसा है, ज्यादा पैसा है। ऐसे व्यक्ति सा चिकित्सा की सेवायें अपने आप बड़ी ते से ले लेते हैं। इसलिए मैं आपसे निवे करना चाहता हूं कि इस आटो फाइने स्कीम ने आपकी सारी चिकित्सा पद्धति केवल धनाढ्यों की चिकित्सा पद्धति ब दिया है, यह हालत आपने कर दी है।

माननीय सभापति महोदय, अभी च चल रही थी कि विकास की बात होगी। मैं जानता हूं, जैसा मैंने कहा विशेष श्रेणी के लोग राजनेता अधिका और धनाढ्य वर्ग को यह स्वर्ग दीख चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता कि राजस्थान में गली-गली और गांव-ग में मरीज मर रहे हैं बिना डाक्टरों के, समय राजस्थान में जयपुर में एक व्यवस बनाई जा रही है कि प्राइवेट काटेज व को एयर कन्डीशन किट लगा दो। एय कन्डीशंड अस्पताल खेतसिंहजी के लिए स्व हो सकता है, मैं भी यहां ज्यादा जोर बोल रहा हूं तो एयर कन्डीशन लगने बाद मेरे से भी भय खाकर कि यह ज्या बोलने वाला है शायद मेरे लिए भी अस्पताल स्वर्ग हो सकता है लेकिन एयर कन्डीशंड कमरों में, उन एयर कन्ड शन्ड वार्ड में कोई नहीं जा सकेगा।

कैलाश मेघवाल)

दन करना चाहता हूं कि एक बड़ा नया ता निकाला है इन्होंने। आखिर यह तरीका है सेटेलाइट हास्पिटल स्थापित दिये। कहां करेंगे? जयपुर में। क्यों एस.एम.एस. हास्पिटल पर भार कम ना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुर में आपके परिवार में, साधारण वार में कोई बीमार हो जाय तो आप अवेलेवल हास्पिटल में, वेस्ट फेसिलिटीज हास्पिटल में जाना पसन्द करेंगे या ? आखिर सेटेलाइट हास्पिटल में आप कर लेंगे ? ज्यादा से ज्यादा आप आठ बेड लगा देंगे। क्या आप पूरी सुविधायें पायेंगे ? आप न तो पूरी सुविधायें दे गे, न पूरा स्टाफ दे पायेंगे, न पूरी लिटीज दे पायेंगे। राज्य के पैसे को यक्ष रूप से बरवाद करने का एक का आपने अपना रखा है, उसको रोकिये। आप व्यवस्था नहीं कर पाते। आप हैं इस हास्पिटल में तो हास्पिटल के की सड़क से वाहन जा रहे हैं। आज टरों का पार्किंग प्लेस वार्ड के बिलकुल है, पों-पों करते रहते हैं। कौन रोकने ा है ? सब बड़े डाक्टर हैं। इसलिये मैं ा चाहता हूं कि गरीबों को अधिक से क चिकित्सा सुविधा मिले, ऐसा प्रयत्न जए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं खतम रहा हूं।

मैं आपके सामने एक और निवेदन ा चाहता हूं चैरिटेबल हास्पिटल्स के बारे में। आज राजधानी में चैरिटेबल हास्पिटल्स चल रहे हैं। आपको यह आश्चर्य होगा, संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल है उसको एक रुपये में करोड़ों रुपयों की जमीन चैरिटेबल हास्पिटल के नाम से दी गई और आज अन्दर पैर रखने का 15 रुपया लेते हैं। कोई गरीब, मध्यम श्रेणी का, उच्च मध्यम श्रेणी का, उससे छोटे स्तर का आदमी उधर देख ले तो गश खा जायेगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन्स के नाम पर आम लोगों की चिकित्सा केवल धनाढ्य लोगों के लिए सीमित कर दी जाती है। वहां भी वही डाक्टर्स लगते हैं जो हमारे पैसे से बने हुये हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बड़ा खतरा महसूस करता हूं, माननीय सभापति महोदय, सुनने से आपको भी लगेगा, हमारे यहां प्राइवेट डाक्टर्स दिल्ली से आते हैं, गुप्त रोग के विशेषज्ञ, खोई हुई जवानी वापस लौटा देंगे। मैं खेतसिंहजी से पूछना चाहता हूं, इस तरह के प्रोपोगेंडा से, इस तरह से आकर के राजस्थान की जनता के साथ साफ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके साथ क्या कर लेना चाहते हैं ? आपने इसी विधान सभा में घोषणा की थी किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। इनको नियंत्रित करने के लिये, पाबन्द करने के लिए मैं यहां पर बहुत जल्दी एक बिल लाने वाला हूं। वह बिल कहां सो गया, किस तरफ सो गया, उसके बारे में सतर्क क्यों नहीं हैं ?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे भाई ने चर्चा की थी गामा

(श्री कैलाश मेघवाल)

कैमरा की। गामा कैमरा की चर्चा उन्होंने अधूरी छोड़ दी। अधूरी इसलिये छोड़ दी कि उस गामा कैमरा की खरीद के बारे में आज से डेढ़ सप्ताह पहले राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी पक्ष में नहीं थे। उस गामा कैमरे के जनवरी,83 में टेंडर काल हुए, टेण्डर आ गये। सीमेन कम्पनी, जिसका टेण्डर एप्रूव किया गया है, ने 30 हजार रुपये यहां पर न्यूक्लस मेडिकल कान्फ्रेंस करने के लिये रिश्वत के दिये, उसमें कुछ डाक्टर्स बुलाये गये। उन डाक्टर्स को बुलाने के बाद उनसे ओपीनियन लिखवाई गई थी, माननीय सभापति महोदय, आर्डर पहले दे दिये गया। यह वे डाक्टर्स थे जिनको जयपुर बुलाया गया इस कान्फ्रेंस में। ये वे डाक्टर्स थे जिनके पेट में सीमेन का नमक पहुंचाया गया। ये वे डाक्टर्स थे जिनके स्वार्थ और हितों के लिये यह कैमरा खरीदा जा रहा है। यह उस कम्पनी की तरफ से सेवा-सुश्रुषा उनको प्रसन्न करने के लिये थी। एक डाक्टर बसु ने कोई ओपीनियन दी नहीं। एक डाक्टर ब्रिगेडियर लक्ष्मी-नारायण ने ओपीनियन दी, वे रेडियोलाजी के एक्सपर्ट हैं वे ओपीनियन दे नहीं सकते। माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप इस खरीद के खिलाफ थे, अब बताइये। एक फर्म ने यह घोषणा कर दी थी, इससे अच्छा 400 एफ ग्रेड का जो कैमरा है, जो इससे अच्छा कैमरा माना जाता है सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रूमेंट है, सारी दुनिया इस बात को मानती है, वह अच्छा कैमरा एक फर्म ने एक लाख रुपये से कम में अपने खर्चे पर इन्स्टाल करने की आफर दे रखी थी लेकिन XXX मैं आरोप लगाना चाहता हूं XXX और खेतसिंह जी ने इस कैमरे की खरीद के लिए स्वीकृति दी है। अन्यथा यह सारे कागजात सदन की मेज पर रखिये माननीय सभापति महोदय, जब मैं यह आया हूं यह कहने के लिए, माननीय खेतसिंहजी, या तो आप अपनी कुछ आदतें छोड़िये, आदतें नहीं छोड़ते तो स्वास्थ्य विभाग को छोड़ दीजिये। राजस्थान की जनता के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ?

आपने विलेज हैल्थ किट्स खरीदे थे विलेज हैल्थ किट्स के लिये, माननीय सभापति महोदय, टेण्डर इन्वाइट किये गये। टेण्डर इन्वाइट करने के बाद एक टेण्डर आया 93 रुपया पर किट का दूसरा टेण्डर आया स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का 113 रुपये 49 पैसे पर किट का। लेकिन, सभापति महोदय, माननीय खेतसिंह जी ने 150 रुपया पर किट के हिसाब से यह किट खरीदे। इसका आप क्या जवाब देंगे ? आप बड़ी मुस्तैदी से कहेंगे, हमने तो यह इन्डियन ड्रग एण्ड फार्मेस्युटिकल लिमिटेड दिल्ली से खरीदे हैं, बड़ी ड्रग कम्पनी से टेण्डर आया है। पहले तो इनकी पहुंच कैसे हुई और इसके पास पहुंच कैसे हुई, यह आप नहीं बता सकते। कहां यह किट बनते हैं यह आप नहीं बता सकते। एक व्यक्ति जो इस टेण्डर में नहीं आ सका था, उसने आकर के यहां उनसे सम्पर्क किया और कहा कि आप तो सरकारी फर्म हो, आप तो यह लिख दो, हम किट देंगे X X X पहुंचाया, इस प्रकार जो

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

चीज 93 रुपये में मिल सकती थी वह चीज 150 रुपये पर किट के हिसाब से खरीदी गयी। माननीय खेतसिंहजी से निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी इन भ्रष्टाचारी करतूतों....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब मैं जवाब दूं तब आप बिराजना यहां। चले मत जाना।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यहीं हूं। मैंने इस सारी डील में दो सवाल पूछे हैं, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मस्यूटिकल लिमिटेड का आफर आपको कब आया, किसने लाकर दिया, कैसे दिया, इन बातों के जवाब आप सरकारी प्रमाणों के साथ सदन में दें। आपने अकाल के क्षेत्र में जो जो दवाइयां खरीदी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, साढ़े आठ लाख रुपये की क्लोरिन टेबलेट जो तीन करोड़ होंगी, आपने उनकी आवश्यकता नहीं समझी। फेमिन कोड में कितनी दवाइयां हैं, आपको मालूम है? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि फेमिन कोड में बहुत सी दवाइयां हैं उन सारी दवाइयों को न खरीद करके माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने केवल क्लोरिन टेबलेट्स साढ़े आठ लाख रुपये की एक फर्म से खरीदने का अनुबन्ध किया × × × मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, आपके यहां एक व्यवस्था है। मुझे गौरव है आज यह कहने में, बड़ी जनता पार्टी को गाली देते हैं सत्ता पक्ष के लोग, जब जनता पार्टी का शासन था राजस्थान के मुख्य मन्त्री भैरोंसिह शेखावत थे। एक आपस में आदान-प्रदान की योजना है, जम्मू कश्मीर, लखनऊ और दूसरी जगह से कोई भी छात्र हमारे इन पांच मेडिकल कालेजों में मनोनीत किये जा सकते हैं और राजस्थान के छात्र वहां पर मनोनीत किये जा सकते हैं। माननीय खेतसिंह जी, वह आर्डर निकालिये जनता पार्टी का जिसमें यह तय किया गया था कि राजस्थान में परीक्षा के आधार पर जितने छात्र भर्ती हो जाते हैं उस के बाद जो भर्ती से रह जायें, जो लास्ट छात्र भर्ती हुआ उसका पर्सेन्टेज क्या है और जो भर्ती नहीं हो उस नेक्स्ट पर्सेन्टेज वाले छात्र को नामीनेट किया जायेगा। मुझे गौरव है, जनता पार्टी में भैरोंसिह शेखावत की सरकार ने यह आर्डर दिया था। उस आर्डर को आपने बदल दिया और आप लोगों ने पैसे के आधार पर एक एक व्यक्ति से, जिस तरह से केपीटेशन फीस करके यह शिक्षा दी जाती है, × × × माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस समय तो केवल 5 सीट्स थीं। वे पांच सीट बढ़ा दीं। खेतसिंह जी के लिये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, यह तो कमाई का बढ़िया साधन है, यह धन, कुबेर तो हमको यहीं से मिलेगा इसलिये उन 5 सीटों को बढ़ाकर 15 कर दीं। एक उदाहरण बता दें, मैं पूछना चाहता हूँ खेतसिंहजी, आप उस पर्सेन्टेज को लाइये जो पर्सेन्टेज भर्ती होने के बाद नेक्स्ट लागू होता है। क्या आपने उनमें से

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री कैलाश मेघवाल)

लिये हैं ?××× 15 व्यक्तियों को नामीनेट किया है। इनके यहां सिफारिश भी कम चलती है, इनके यहां दूसरी बातें भी कम चलती हैं। ××× मैं इसलिये करना चाहता हूँ कि जिस आदमी से इनको घृणा थी, जिस आदमी के खिलाफ इसी विधान सभा में कहा, जिसकी वजह से सारी जन चर्चायें कीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान के हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में, माननीय खेतसिंहजी हैं, मैं चाहूँगा कि आज या तो आप अपना दामन साफ कीजिये इस विधान सभा में या भगवान के लिये, गरीबों की चिकित्सा के लिये, गरीबों की हालत ठीक करने के लिये, उनकी ठीक तरह से चिकित्सा हो सके इसके लिये कम से कम इस विभाग को छोड़ कर आप दूसरे ऐसे विभागों में आ जाइये जैसे जनता सरकार के मुख्य मन्त्री जी ने मुझे दे रखे थे। ऐसा कोई महकमा मुझे नहीं दिया, आप भी इस महकमे को छोड़ दीजिये, मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ।

इसी बात के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, आज मेडिकल सेवाओं के सम्बन्ध में कुछ विचार सदन में माननीय सदस्यों ने रखे। खास तौर से अभी मेरे से पूर्व सदन के सदस्य कैलाशजी मेघवाल ने काफी जोश के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र अपने भाषण में किया। अब वह महत्वपूर्ण थे या नहीं यह तो सदन फैसला करेगा लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ सदस्य महोदय से इस सदन के अन्दर कि आजादी के पहले के जमाने का युग भी आपने देखा है। यहां जो सदस्य बैठे हैं उनमें से अधिकांश सदस्य आजादी के पहले के मौजूद हैं। क्या वह जमाना याद करने के लिये नहीं है जब राजस्थान के अन्दर राजा महाराजाओं का राज था, राजा महाराजाओं की राजधानी के अलावा कहां स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध थीं ? क्या हमारे बांसवाड़ा के गांवों में या जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके के अन्दर स्वास्थ्य सेवायें पहुंच सकती थीं ? यह कांग्रेस की देन है कि आजादी के बाद इस राजस्थान और हिन्दुस्तान की कांग्रेस की सरकारों ने इन स्वास्थ्य सेवाओं को गांव और ढाणी-ढाणी में पहुंचाया है। क्या वह जमाना आप भूल रहे हैं ? आप जिक्र करते हैं कि राजस्थान के अन्दर स्वास्थ्य सेवायें नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कौनसा ऐसा तहसील हैड क्वार्टर है और कौनसी ऐसी पंचायतें हैं जहां मेडिकल की सुविधायें नहीं पहुंची हैं चाहे वह यूनिसेफ के माध्यम से पहुंची हों, चाहे स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से पहुंची हों, चाहे डिस्पेन्सरी के माध्यम से पहुंची हों। एक जमाना था कि जयपुर के अन्दर, जोधपुर के अन्दर, बीकानेर के अन्दर, कोटा

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

के अन्दर, अजमेर के अन्दर, कुछ बड़े जिलों के अन्दर बड़े बड़े हास्पिटल थे। क्या आज राजस्थान का कोई जिला बचा है जिसके अन्दर उस जिले के लोगों की सुविधाओं के लिये मेडीकल सेवायें उपलब्ध नहीं हैं ? आज हम विरोध पक्ष में बैठ कर यह कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। यह कहा जा सकता है, कहे जाने में कोई आपत्ति भी नहीं है और कहना भी चाहिये क्योंकि बेसिक मुद्दों को हम भूल जाते हैं और यहां बैठकर राजनैनिक उद्देश्यों की उछालने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एस. एम. एस. हास्पिटल आजादी के पहले ऐसा ही हास्पिटल था ? क्या इस हास्पिटल ने हिन्दुस्तान में हमारा नाम ऊंचा नहीं किया ? क्या इस एस. एम. हास्पिटल ने वे डाक्टर पैदा नहीं किये जिनका आज हिन्दुस्तान के अन्दर नाम है। डा. सेठी जैसे व्यक्ति, जो कि आज रिटायर हो चुके होंगे, ने एशिया में हमारा नाम ऊंचा किया। क्या डा. गंगवाल ने, जो आज जयपुर में बैठे हैं, हमारा नाम ऊंचा नहीं किया ? दूसरी जगह अगर इलाज के लिये जाते हैं तो सुनना पड़ता है आप यहां क्यों आये हैं आपके वहीं बड़े बड़े डाक्टर मौजूद हैं। क्या आज एस. आर. मेहता ..

(व्यवधान)

एस. आर. मेहता और ऊंचे ऊंचे डाक्टर यहां आज उपलब्ध नहीं है ? भैरोंसिह जी, जब जब समय आता है तो आपको भी (शायद) इलाज के लिये उन्हीं को याद करना पड़ता है। मैं समझता हूँ, माननीय सदस्य, जो इस सदन में बैठे हैं, को कई बार उन लोगों ने बचाया होगा। हो सकता है, माननीय खेतसिंह जी को अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं हो। वे जाकर दुर्लभ जी हास्पिटल में इलाज करा सकते हैं लेकिन आपको तो एस. एम. एस. हास्पिटल पर ही विश्वास है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह प्राइवेट का मामला था। प्राइवेट हास्पिटल में ही हो सकता है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं जानता हूँ कि विरोधी दल के नेता महोदय को विश्वास एस. एम. एस. हास्पिटल पर है क्योंकि उन्होंने तो अपना इलाज इस एस. एम. एस. हास्पिटल से ही कराया है। हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री जी को एस. एम. एस. हास्पिटल पर विश्वास नहीं हो क्योंकि अभी माननीय देवेन्द्र सिंह जी ने जिक्र किया था कि दुर्लभ जी हास्पिटल में इन्होंने इलाज कराया था। क्या हमें इस बात की खुशी नहीं है कि एस. एम. एस. हास्पिटल में डायलेसिस के ऊपर नया काम किया गया ? क्या यहां आई आउट डोर का प्रावधान नहीं हुआ ? मैं यह कह सकता हूँ और मैं भाई कैलाश जी की बात से भी सहमत हो सकता हूँ कि जयपुर शहर की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि आज एस. एम. एस. हास्पिटल उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। हो सकता है कि राज्य सरकार ने जो अपने विचार रखे हैं, वे गलत हों लेकिन आज से पहले, सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मन्त्री उस समय श्री हरिदेव जोशी हुआ करते थे,

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

उस जमाने में उन्होंने इसी सदन के अन्दर एक घोषणा की थी कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल अलग बनाया जाय। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनाने की बात जरूर उठी थी और एक बार घोषणा भी हुई थी। उस समय जो निर्णय किया गया था, अगर जनाना हास्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बना दिया जाता तो मैं सोचता हूं जयपुर के अन्दर और अच्छी सेवायें हो सकती थीं। जयपुर के परकोटे के अन्दर जो लोग बैठे हैं उनको आज एस. एम. एस. हास्पिटल चिकित्सा सुविधा के लिये नहीं दौड़ना पड़ता। कुछ रेफर्ड कैसेज ही एस. एम. एस. में जाने चाहिये थे। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल का निर्माण अगर जयपुर में हो जाता तो ज्यादा फायदा हो सकता था माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इस बात को मद्दे नजर रखते हुए यदि आप जयपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल का आपको निर्माण अलग से करना चाहिये। जनाना हास्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनाने की योजना थी, उससे ज्यादा उपयुक्त स्थान भी और कोई नहीं था। यह तय भी हो गया था, इस समय जो चाइल्ड हास्पिटल बन गया वहां पहले जनाना हास्पिटल की बात थी। हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से वह हास्पिटल वहां नहीं गया लेकिन आज इस बात की आवश्यकता है कि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल जनाना हास्पिटल के स्थान पर बनना चाहिये। इस जनाना हास्पिटल को भी एस. एम. एस. हास्पिटल और मेडिकल कालेज के पास शिफ्ट किया जाना चाहिये। किसी दान दाता ने एक बार प्रपोजल भी दिया था कि महाराजा कालेज को जनाना हास्पिटल बना दिया जाय और महाराजा कालेज को यूनिवर्सिटी कैम्पस में कहीं भेज दिया जाय। इस प्रकार के विचार कई बार उठे हैं। मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा सहूलियत हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, प्रश्न अभी उठाया हमारे साथियों ने. विरोधी दल के सदस्य माननीय अमृत लाल जी ने प्रश्न उठाया कि आज ट्रेनिंग कोटा में मंथली कोटा कौनसा होता है? मैं पूछना चाहता हूँ, सभापति महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता अभी मौजूद थे, चले गये लेकिन कैलाश जी बैठे हैं, आज तो वे मंथली कोटा की बात करते हैं लेकिन जब जनता पार्टी का राज्य आया था तब 16 हजार लोगों की भर्ती किस आधार पर की गई थी। राजस्थान के एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के ताले बन्द हो गये थे और आर. एस. एस. के लोगों को भर्ती किया गया। उस समय क्या हो गया था? उनको भर्ती करने के लिये सारी बातें समाप्त कर दीं, खतम कर दीं। आज कोई कहे, साहब, लेब टेक्निशियन को कैसे मंत्री जी ने दे दिया।

श्री कैलाश मेघवाल : आप तो पुराने आर. एस. एस. के ही हैं....

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अगर मैं आर. एस. एस. का पुराना हूँ तो तू प्यारा हमारे यूथ कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता है....

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

आप कहिये कोई दिक्कत नहीं है।

आज प्रश्न इस बात का है कि छोटी छोटी लेब टेक्निशियन की ट्रेनिंग या और कोई छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के लिये भेज दिया जाय तो विरोधी दल के लोग कहते हैं, साहब, यह कौनसा मंथली कोटा है। इसी प्रकार का चाहे किसी भी विभाग का प्रश्न आया हो और चाहे नियुक्ति का प्रश्न आया हो, नेता महोदय भी आ गये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप मंत्रियों के भी हौसलें बढ़ायें, विरोधी दल के लोगों के प्रश्नों और आवाज से आपके मंत्री डर जाते हैं। मुझे मालूम है कि कितने नौजवान भर्ती हो सकते हैं। आज कई डिपार्टमेंट में भर्ती रुकी हुई है, केवल मात्र इनकी आवाज पर। कितने लोग आज बेरोजगार बैठे हैं लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो रही है। विरोधी दल के लोग कहेंगे पैसा खा गये। इनका तो यह कहना धर्म हो गया, केवल मात्र प्रचार करने के लिये यह कहना धर्म हो गया कि पैसा खाते हैं। मुझे तो लगता है जब 28 महिने इधर बैठने का मौका मिला उस समय शायद ये समझ गये कि पैसा मिलता होगा इनकी ऐसी प्रेक्टिस भी हो गई थी। अब यह पैसा मिल नहीं रहा होगा। शायद या तो यह हो गया हो, नहीं तो इस प्रकार की प्रेक्टिस नहीं होती तो इस प्रकार की आवाज नहीं उठा सकते हैं इसलिये मैं सोचता हूं इधर की बेंचों में बैठकर 28 महिनों में जो मोह लग गया, ऐसा लगता कि हर चीज में इनको पैसा दिखता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इस बात की आवश्यकता है कि जिन जिन विभागों में और डिपार्टमेंट्स में चाहे ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, चाहे नियुक्ति का प्रश्न है निश्चित तौर से राजस्थान के नौजवान की बेरोजगारी समाप्त करने के लिये ट्रेनिंग दिलाने और नियुक्ति देने का प्रयत्न करना चाहिये और इनकी बातों में नहीं आना चाहिये।

सभापति महोदय, अभी इन्होंने जिक्र किया 'क्लोरोक्विन' दवा नहीं मिली, जो मलेरिया की दवा है, वह राजस्थान में डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुई और लोग मर गये। यह बात सही है कि भरतपुर में मलेरिया से कई लोग मरे। इसको स्वीकार किये बिना मैं नहीं रह सकता, जो सच है वह सच है। राजस्थान में बीमारी फैली थी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर यह कहा गया जब कि लाखों गोलियां मलेरिया की राजस्थान के गांव गांव में पहुँची हैं कौन वंचित रह गया, यह नहीं मालूम। मैं विरोधी दल के लोगों की अकल को दाद देना चाहता हूं, सभापति महोदय, एक तरफ तो मलेरिया से लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तब मलेरिया से पीड़ितों का इलाज होगा। पता नहीं लगता इनकी अक्ल का कि किस नजरिये से ऐसा सोचते हैं। एक तरफ तो इलाज की दृष्टि से....

श्री कैलाश मेघवाल : रिट के बारे में आपको खास ज्यादा पता नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वह आप बता दें।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

सभापति महोदय, इन्होंने दवाइयों के घोटाले के बारे में जिक्र किया, वह मेरी समझ में नहीं आता। हो सकता है कमेटी पूरी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहां 10-12 आदमियों की कमेटी बनी हुई है या तो यह कहा जाय कि पूरी कमेटी भ्रष्ट है या यह कहा जाय, जो आज यहां बातें कही जा रही हैं वह गलत हैं। जब एक कमेटी बनी हुई हो, कमेटी टेण्डर अपने सामने खुलवाये उसके बाद रेट कांट्रेक्ट हो तो कहते हैं, साहब, उसके अन्दर घपला हो गया। तो, भाई, इसका मतलब है कमेटी पूरी चोर है और पूरी भ्रष्टाचार करती है। इसमें केवल मात्र खेतसिंहजी को दोषी ठहराने की आवश्यकता क्या है कि जो मन्त्री बन कर बैठे हैं, मैं सोचता हूं, खेतसिंहजी, इनको तो आरोप लगाना है। जिस कमेटी में स्वयं खेतसिंहजी न हों, एक कमेटी बनी हुई है उसमें सीनियर लोग और फिजीशियन मौजूद हों उसका फैसला हो....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, जब टेण्डर खोले गये थे तो कमेटी के द्वारा उन टेण्डर्स को स्वीकार नहीं करा कर खेतसिंहजी ने अपना प्रोरोगेटिव यूज करके नया सौदा किया। यह मेरा मंतव्य था, आप उसको गलत मत समझिये, उसमें कोई कमेटी नहीं थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सौदा ही नहीं किया। आपको सत्य मालूम ही नहीं है। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप जैसे पुराने और मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल आप असत्य बोलते हैं। आपको फैक्ट्स ही मालूम नहीं हैं। हमने जो कुछ खरीद की है वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया के....

श्री कैलाश मेघवाल : विलेज हैल्थ गाइड के टेण्डर मंगवाये कि नहीं? देखिये कुछ बात साफ है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सुनिये सुनिये। हमने दवाइयां आई.डी.पी.एल. से खरीदी हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : फिर टेण्डर मंगाने की क्या जरूरत थी? माननीय सभापति महोदय, मेरा सीधा एक सवाल है, मैंने इसलिए कहा था, आप यह बतायें कि पहले आपने टेण्डर मंगवाये, एक टेण्डर 94 रुपये का आया, एक टेण्डर 113 रुपये का आया एम.एन. स्केल इन्डस्ट्री का। आपकी नीति के अनुसार उससे खरीद लेते उन टेण्डर्स को मंगाने के बाद आपने उस सारी प्रक्रिया को समाप्त करके....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सुनिये।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड यह पहली बार तो था नहीं, यह आपको पहले भी मालूम था कि यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया की अण्डरटेकिंग है। अगर आपको यह मालूम था और अगर आप ओनेस्ट थे तो आप पहले ही अपने आदेश उसको दे देते तो आज मुझे शायद यहां कुछ भी कहने की स्थिति नहीं होती। मैंने जो आरोप लगाये वह सोच समझकर लगाये क्योंकि आपने टेण्डर की सारी प्रक्रिया को समाप्त करके आदेश दिये, एक मिस्टर

(श्री कैलाश मेघवाल)

जैन के परसुएशन पर दिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बिलकुल गलत बोल रहे हैं, आप असत्य बोल रहे हैं। इसको मैं ठीक नहीं मानता। मैं आपको परिस्थिति बता दूंगा। यों तो आप जवाब सुनकर जाना। आप जवाब सुनेंगे तो मैं एक-एक पाइन्ट का आपको सारा जवाब दूंगा। चूंकि यह प्रकरण चल गया है इसलिये मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : बाद में दे देना।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं, मन्त्री महोदय, आप सबसे अन्त में जवाब दें क्यों कि ये तो बातें कहेंगे। पहली बार ही ऐसा थोड़े ही है।

अनेक माननीय सदस्य : बाद में दे देना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ठीक है, आप बैठेंगे और आप मेरा जवाब सुनेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे जिक्र कर रहा था इन सब बातों का। इस अवसर पर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि आज राजस्थान में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर परिवार नियोजन की जो उपलब्धियां हुई हैं मैं सोचता हूं यह हमारे लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान है ..

एक माननीय सदस्य : आपने करवा ली या नहीं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं तो करा चुका। आपको भी करवानी है क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं।

एक माननीय सदस्य : कैलाशजी की करवाइये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, इस बीस सूत्री कार्यक्रम में आज हम 90 प्रतिशत परिवार नियोजन में अपने टार्गेट्स अचीव कर चुके हैं। आज 1 लाख 90 हजार नसबन्दियां राजस्थान में हुयीं। इस अवसर पर आज यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है। उसमें केवल मात्र 16 घटनायें हुई हैं, जिनके अन्दर एक्सीडेन्ट हो गये। 1 लाख 90 हजार में से 16, मैं सोचता हूँ, यह एक प्रतिशत भी नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं।

मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा कि यहां पर डाक्टरों की बहुत कमी थी। खास तौर से स्वास्थ्य मंत्रीजी को एक सुझाव के रूप में कहना चाहूँगा कि 500 डाक्टरों के स्थान रिक्त हैं उनमें से 283 की नियुक्ति तो आपने कर दी लेकिन अभी भी कई नियुक्तियां बाकी हैं, कई डिस्पेंसरीज में आज डाक्टरों का अभाव है। खास तौर से मैं सोचता हूँ कि जिनको नौकरी दी जाय उससे कम से कम तीन साल का यह बोण्ड भराया जाना चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्रों

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

में रहेंगे। उत्तर प्रदेश व अन्य कई प्रान्तों में इस प्रकार का निर्णय किया है कि जो नयी नौकरियों में डाक्टर्स आयेंगे वह ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे। आज यह हालत है कि बड़े बड़े शहरों में डाक्टर बैठते हैं लेकिन रूरल एरिया के अन्दर डाक्टर नहीं पहुंचते। इसलिए मैं सोचता हूँ, इस आधार पर जो भी आप नयी नियुक्ति करें, उनसे बोण्ड भराया जाना चाहिए क्योंकि बोण्ड भराते हैं तो इस सदन में हम सब राजनैतिक लोग बैठे हैं, हमारे पास कोई भी एप्रोच करता है तो हमको आपके दरवाजे पर आना पड़ता है। अगर आप बोण्ड भरायें तो कम से कम तीन साल आपके पास कोई सिफारिश के लिए नहीं आयेगा और ग्रामीण इलाकों में डाक्टर पहुंच जायेंगे जिससे मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी।

सभापति महोदय, पिछले साल 500 सब सैन्टर्स खोले गये। इस बार के बजट के अन्दर भी 500 सब सैन्टर्स की घोषणा की है। हम सब इस बात के लिए उनको बधाई देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पिछले साल सब सैन्टर्स खोले हैं और इतनी बड़ी संख्या में इस बार खोले हैं। निश्चित रूप से इससे राजस्थान में गांव गांव के अन्दर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो सकेगा। लेकिन इसके अन्दर एक सुझाव है, स्वास्थ्य मन्त्री महोदय आज स्वास्थ्य सब सैन्टर्स तो खोले जाते हैं लेकिन वहां पर ए. एन. एम. की नियुक्ति नहीं होने से सैन्टर्स का महत्व नहीं रहता। वहां ए. एन. एम. की कमी है। इनको ट्रेनिंग देने के सैन्टर्स भी आपने चालू किये हैं और कुछ पूर्तियां भी हुई हैं लेकिन इस काम को मुस्तैदी से लेकर इन सैन्टर्स पर जब तक कम्पाउण्डर्स और ए. एन. एम. नहीं लगेंगे तब तक जनता को इसका फायदा नहीं पहुंच पायेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ आप इसको गम्भीरता से लेते हुए नियुक्तियां करने और पदों को भरने के लिए जरूर कार्यवाही करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्या सेवाओं का विकास हो सके।

हम इस अवसर पर आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहते हैं कि पिछली बार दवाइयों के ऊपर 10 करोड़ का बजट रखा था और इस बार आपने 11 करोड़ उसको किया है। हम राजस्थान सरकार को इस अवसर पर बधाई देना चाहते हैं लेकिन मुस्तैदी से आप अपने विभाग को जरूर कस कर रखें ताकि वह दवाइयां कहीं बिके नहीं। हमारे कई छोटे-छोटे केन्द्रों के ऊपर डाक्टर इन दवाइयों को बेचते हैं। इन दवाइयों की चोरी को रोकने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और राजस्थान लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर मुस्तैदी आनी चाहिए। अगर आप हर जिले के अन्दर एक दो आदमी दवाइयों की चोरियां करने के आरोप में सस्पेण्ड कर देंगे तो मैं सोचता हूँ एक हवा बनेगी इस बात की कि दवाइयों की चोरी में पकड़े जायेंगे। मैं सोचता हूँ इस प्रकार की हालत के अन्दर दवाइयां आज गांवों के अन्दर सही मायने में उपलब्ध नहीं हो पातीं। आज दवाइयां नहीं पहुंचेंगी तो 11 करोड़ रुपया जो आज आप खर्च कर रहे हैं उससे गांवों में जो सबसे नीडी, सबसे कमजोर आदमी हैं जिसके पास आज इन्जेक्शन लगवाने को पैसा नहीं है, दवाइयां खरीदने को पैसा नहीं है, उसको अगर दवाइयां नहीं

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

दिला पायेंगे तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा उद्देश्य है और सरकर की जो मंशा है वह पूरी नहीं हो पायेगी। इसलिए मैं सोचता हूं आप इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं एक बात अन्त में कहते हुए कि जयपुर शहर के अन्दर दुर्लभ

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जी हास्पिटल बना हुआ है। लोग यह मानते हैं कि दुर्लभ जी हास्पिटल बहुत अच्छा है, बड़ा हास्पिटल है लेकिन आज हम देखते हैं कि दुर्लभ जी हास्पिटल केवल मात्र एक व्यापारिक संस्थान बन गया है। आज शायद हिन्दुस्तान के अन्दर कहीं पर किसी हास्पिटल में विजिटर्स फीस नहीं लगती होगी, केवल मात्र दुर्लभ जी हास्पिटल में एक कीतिमान कायम किया है, वहां विजिटर्स के जाने पर, प्रवेश पर भी फीस लगती है। इस प्रकार की हालत के अन्दर डायरेक्ट उसमें सरकार का दखल नहीं हो सकता लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से हमें कुछ मुस्तैदी करके कुछ पकड़ करने की आवश्यकता है। उस हास्पिटल में ज्यादा पैसे लिये जाते हैं, जो दवाइयां बाजार में मिलती हैं उससे दुगनी तिगुनी रेट पर दवाइयां दी जाती हैं, उसकी फीस इतनी ज्यादा है और प्रवेश के ऊपर भी शुल्क लगता है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, ऐसी प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थाओं पर भी कोई पाबन्दी लगानी चाहिए। नहीं तो क्या है कि मेडिकल प्रेक्टिस फ्री कर दी गई, बड़े बड़े डाक्टर्स आज हास्पिटल के अन्दर से काम करके छोटे छोटे अस्पतालों में जाकर प्रेक्टिस करते रहते हैं। इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए ताकि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो और गरीब आदमी उससे लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी डिमाण्ड का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री देवीसिंह भाटी।

(विराम)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : जब तक ये तैयार हों तब तक मैं बोल लूं।

श्री सभापति : माननीय श्री देवीसिंह भाटी।

माननीय श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग की मांगों पर आज हम विचार कर रहे हैं और सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि प्रदेश की जनता को चिकित्सा सुविधायें कैसे उपलब्ध करायें और सरकार का उन अंतिम गांवों तक जहां पर न चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है; जो लोग दवाओं के अभाव में मर जाते हैं, उन लोगों के भी इलाज की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। लेकिन इसके साथ साथ इस देश की, इस प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखा जावे, केवल उस तक दवा पहुंचा दें, और चीजें आपने गांवों तक या

(श्री गोपाल पचेरवाल)

उस व्यक्ति तक पहुंचा दी उससे ही उसका भला होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, चिकित्सा पर आप कितना कर पा रहे हैं लेकिन जो देश में वायु और जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से, वायु और जल प्रदूषण की वजह से जनता के स्वास्थ्य पर, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पर जितना बुरा असर पड़ रहा है उसके सम्बन्ध में सरकार ने कोई पहल नहीं की है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ज्यादा समय न लेकर कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भी एक प्रमुख प्रदेशों में है भारत के। एक अच्छा हिस्सा है और अधिक आबादी वाला प्रदेश है। जल प्रदूषण की समस्या पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अधिक है क्योंकि इन क्षेत्रों में औद्योगीकरण निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उस औद्योगीकरण की वजह से जल प्रदूषण भी उसी तेज गति से बढ़ता जा रहा है और उस तेज गति से बढ़ने के कारण जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उस संदर्भ में मैं आपसे कुछ हिस्सों के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोटा है। कोटा आज की तारीख में प्रमुख औद्योगिक नगर है। कोटा के पास में चम्बल नदी निकल रही है और चम्बल नदी सीधी धौलपुर होकर मध्यप्रदेश और वहां से आगे बढ़ रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोटा में जो जल प्रदूषण औद्योगीकरण के कारण से बढ़ रहा है, औद्योगीकरण में जो यूरिया है, नाइट्रोजन आदि का जो गन्दा पानी है वह सारा चम्बल में गिराया जाता है। चम्बल में गिराये जाने की वजह से आपकी जानकारी में भी, सभापति महोदय, कई बार आया होगा, कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि कई बार कोटा से निकलने वाला इलाका मोहन खेड़ा से लाखेरी का जो इलाका है इसमें वहां का पानी पीने से पशु मर जाते हैं। इंसान तो वह पानी पीता ही नहीं है लेकिन इस पानी को उस इलाके का कोई पशु भी पी लेता है तो पशु मर जाते हैं। तो जल प्रदूषण की वजह से जो जनता और पशुओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, हम उनको रोक नहीं पायेंगे तो दवा देने से कुछ नहीं होगा। जल प्रदूषण को नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर पायेंगे, सभापति महोदय। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने निवेदन किया कि कोटा ही नहीं पूरे प्रदेश के बारे में जैसा मैंने बताया आपको पालिका क्षेत्र की जो गन्दगी है इससे पानी बिगड़ता है। आपका चर्म उद्योग का कारखाना टौंक में है। चर्म का कारखाना टौंक में है इसका आपका जो पानी है वह पानी बनास नदी में गिर रहा है। जितना भी बनास का पानी जहां जहां गांवों में जा रहा है और बनास के पानी को जितने भी लोग पीते हैं, पशु पीते हैं निश्चित रूप से उनको कोई न कोई बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार से पार्वती का जल है। खेतड़ी ताम्बा परियोजना का जल है वह भर्तरी नदी में गिर रहा है। उसकी यह हालत है। पाली में जो उद्योग हैं उनका जल बांडी नदी में गिर रहा है। बालोतरा उद्योगों का पानी लूणी नदी में जाता है। तो सभापति महोदय, मैं जो नदियों का नाम गिना

(श्री गोपाल पचेरवाल)

रहा हूं उनका पानी है वह सारा का सारा इन नदियों में जाता है। जो जनता उस पानी को पीती है जनता के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वास्थ्य मन्त्रीजी से कि केवल औषधि गांवों तक पहुंचाने से अगर जनता का हित हो सकता है, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन आप यह सोचेंगे कि जल प्रदूषण की वजह से जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तो क्यों नहीं हम इन उद्योगपतियों के चक्कर में न पड़ करके उनको पाबन्द करें कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे गन्दा पानी नदियों में नहीं गिरे। हमारे अधिकांश जिले प्रदेश के इससे प्रभावित हैं उनको रोका जाना चाहिये।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रदेश नदी और झीलों का प्रदेश है। मैं इन झीलों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पिछोला है, आनासागर है, गया सागर है, नक्की झील है, मकरेडा है, ये सारे हमारे प्रदेश के तालाब हैं। जयपुर में भी हैं, उदयपुर में भी हैं। इन सबमें आपकी गटर लाइन का पानी मिलता है। जितना गन्दा पानी सीवरेज का है, कचरे का है, नालियों का है, सारा का सारा गन्दा पानी हमारे तालाबों में मिलता है और इन तालाबों में पानी जाता है और हमारे लोग उनमें नहाते हैं, स्नान करते हैं, कई स्नान करते है, कई कुल्ला करते हैं, कई लोग पानी पीते हैं आने जाने वाले। तो सभापति महोदय, इसका सारा बुरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो हमारी सरकार अगर गन्दे पानी को इन तालाबों में जाने से रोके, उनके लिए उपाय करे, जितना पैसा हम दूसरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, अगर उनको रोकने पर खर्च करें तो निश्चित रूप से हमारी जनता के सामने या सरकार के सामने यह जल प्रदूषण की बीमारी है जिससे प्रदेश की जनता प्रभावित हो रही है, इसको रोका जा सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि क्या आप इस ओर ध्यान देंगे। जो हिस्से प्रभावित हैं, जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, बीकानेर है, अलवर है, इन सारे जिलों को बचाया जा सकता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, जल प्रदूषण के बारे में मैंने निवेदन किया, अब मैं वायु प्रदूषण के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वायु प्रदूषण में जो फैक्ट्रीज हैं....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मन्त्री, वन) : इसका सम्बन्ध खेतसिंहजी से नहीं है। यह तो पी. एच. ई. डी. से सम्बन्धित है। वायु के सम्बन्ध में जब मेरी मांग आए तब कहना।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मन्त्री महोदय, वैसे मैं आपकी बहुत कद्र करता हूं लेकिन यह इन्हीं से सम्बन्धित है।

श्री यदुनाथ सिंह : बीमारियां प्रदूषण से पैदा होती हैं इसलिए इनका सम्बन्ध है। आप विभाग अलग बना दें उससे कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से सम्बन्धित है।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह लोक स्वास्थ्य में आता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं करें।

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें, आपस में बातें नहीं करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति, महोदय, जब मन्त्री हैसियत का व्यक्ति खड़े होकर दखल दे, हो सकता है कि मैं गलती पर हूँ, उसको आप तय करें लेकिन एक बात है कि यह लोक स्वास्थ्य की मांग में आता है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ।

श्री वनवारीलाल : यह तो आपकी जानकारी के लिए बात कह रहे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपसे तो मैं बहुत ज्यादा समझता हूँ। मन्त्रीजी मुझ से बहुत जूनियर हैं इस सम्बन्ध में।

(व्यवधान)

तो सभापति महोदय, मैं वायु प्रदूषण के बारे में निवेदन कर रहा था। हमारे प्रदेश में 77 ऐसे उद्योग हैं जो वायु प्रदूषण को खराब कर रहे हैं। उसका सीधा जनता पर असर पड़ रहा है। सारे उद्योग, माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी, जो उद्योग हैं वे बड़े लोगों के होते हैं। मैं यह नहीं कह सकता, माननीय अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री मेघवाल साहब ने कहा कि इसमें क्या राज होगा। मैं राज में नहीं जाना चाहता लेकिन इन उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण खराब हो रहा है और इससे हमारी जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं लेकिन आंकड़ों के भ्रम जाल में मन्त्रीजी को नहीं ले जाना चाहता क्योंकि आपकी घण्टी बज जाएगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, यह मैंने प्रदूषण के बारे में निवेदन किया, हमारे माननीय मेघवाल साहब निवेदन कर रहे थे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। भ्रष्टाचार के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहां पर फर्जी दवाइयां बिक रही हैं, सभापति महोदय, और फर्जी दवाइयां वेचने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उनकी इंक्वायरी होने के बाद भी चारों उपभोक्ता भण्डार फर्जी दवाइयां बेच रहे हैं लेकिन चिकित्सा विभाग की यह जिम्मेदारी है कि अगर कोई फर्जी दवाई बिकती है और जनता को इससे नुकसान होता है तो नैतिक दायित्व सरकार का है कि इसको रोका जावे। इस सम्बन्ध में जो इन्क्वायरी हुई उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। दूसरा फर्जी लेवल लगा कर फर्जी दवाइयां बेची जा रही हैं। दवाई दूसरी है, टेरामाइसिन इन्जेक्शन है उस पर दूसरा लेवल लगा कर बेची जा रही है। यह मामला सरकार के सामने पहले भी आया है। मन्त्रीजी चाहेंगे तो मैं पूरे फैक्ट्स दे सकता हूँ और बता सकता हूँ कि ये-ये घटनायें हुई हैं और इन पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा, सभापति महोदय, आपके उपभोक्ता भण्डार के मेडिकल स्टोर चल रहे हैं और उन मेडिकल स्टोरों पर कई तरह की फर्जी

गोपाल पचेरवाल)

यां बिकीं, उनकी शिकायत हुई, मैं
पपरेटिव की डिमाण्ड पर निवेदन
गा, इसकी जांच रिपोर्ट सरकार के
गई लेकिन, सभापति महोदय, उस
ोई एक्शन नहीं लिया गया, यह किस
का द्योतक है यह तो माननीय मन्त्री
गनें। मैं यह नहीं कहना चाहता कि
इंटरेस्ट इसमें है या कहीं उनका
है या उनका कोई व्यक्ति है लेकिन
के लिए. इस प्रदेश की जनता
ए अच्छा नहीं है । इसलिए यह जो
दवाइयां बिकने की प्रक्रिया जिस गति
रही है उसको माननीय मन्त्री महो-
ोकेंगे तो अच्छा रहेगा ।

मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभापति
य, आपके चिकित्सा विभाग में और
निदेशालय में भ्रष्टाचार का
ला है। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन
चाहूँगा कि आपके निदेशालय में,
ति महोदय, अभी तक तो हम सुनते
थे कि चिकित्सा विभाग जन सेवा
और उपकार का विभाग है लेकिन
यहां इस निदेशालय में जितना
चार है, मैं यह नहीं कहता कि यह
हजी की वजह से है, मैं यह नहीं
कता कि हमारे डायरेक्टर ज्ञानप्रकाश
ी वजह से है, यह सारे मजीठिया
की वजह से है, मैं नहीं कह सकता
ौन दोषी है, क्या इसका मूल आधार
केन निदेशालय में, आपके मेडिकल
क्टोरेट में भ्रष्टाचार जिस सिमा पर
कहना चाहता हूँ उतना किसी
ग में नहीं । आज तक तो को-
टिव विभाग को मानते थे लेकिन

चिकित्सा मन्त्रीजी के विभाग ने तो
सीमाओं को ही तोड़ दिया । मैं निवेदन
करना चाहता हूँ, सुषमा चेरियन के मामले
में । सभापति महोदय, आपको भी आश्चर्य
होगा कि एक सुषमा चेरियन नाम की
स्वास्थ्य दर्शिका राजस्थान में थी । आज
वह मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान
में नहीं है। मन्त्री जी को भी पता होगा
लेकिन सभापति महोदय, एक आफिस
सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब है चांदमल शर्मा,
सुषमा चेरियन है विदेश में और उन्होंने
फर्जी पे-आथोरिटी बना कर, सभापति
महोदय, 555.60 पैसे का बिल उठाया।
वह यहां नहीं है लेकिन उसका बिल उठा
लिया। जब इस सम्बन्ध में बात चली तो
कहा, मैंने सहानुभूति, मानवता के आधार
पर बिल बनाया। सभापति महोदय, मैं
निवेदन करना चाहता हूँ कि मन्त्री जी का
बिल भी सहानुभूति और मानवता की
दृष्टि के आधार पर उठा लेंगे । मैं
निवेदन करना चाहता हूँ, खेतसिंहजी
साहब, माननीय मन्त्री महोदय, मान
लीजिये, कैलाश मेघवाल ने गलतबयानी
की है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा
कि आप उसको गलत बयानी साबित
करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी में
चेरियन काण्ड आया है, उसके सम्बन्ध में,
सभापति महोदय, मैंने पत्र लिखे हैं, उनकी
ओर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान
आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने मुख्यमन्त्री
जी को, मुख्य सचिव को, माननीय
चिकित्सा मन्त्री जी को और मजीठिया
साहब को पत्र लिखे। उन सभी पत्रों में से
एक पत्र का मुख्य मन्त्री जी का जवाब
मिला, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना
चाहता हूँ। यह पत्र उन्होंने 24-10-83

(138)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

को लिखा। उससे पहले जो मैंने पत्र लिखे, आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। मैंने मायुर साहब को लिखा है, सारे पत्रों की भाषा एक ही है।

'प्रिय श्री माथुर,

चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन उन पर कोई प्रभावी कदम न उठा कर, उनको नजर अन्दाज कर दिया गया है। समझा जाता है कि ऐसा कुछ अधिकारियों को मिलीभगत से यह संभव हो सकता है।

निदेशालय, चिकित्सा विभाग, जयपुर में वहां के, लिपिक श्री चांदमल शर्मा ने स्वयं की लेखनी से फर्जी पे-आथोरिटी तैयार कर, श्रीमती सुषमा चेरियन, लेडी हैल्थ विजिटर, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर का वेतन उक्त एल. एच. वी. के फर्जी हस्ताक्षर बना कर ड्रा कर लिया, जब कि वह गैर हाजिर थी। इसकी जांच तत्कालीन उप निदेशक डा. तारा भारद्वाज ने की थी और उसी आधार पर उन्हे चार्ज शीट राज्य सरकार द्वारा जारी होनी थी लेकिन उक्त मामलों को प्रभावी होने से रुकवा दिया गया। इतना ही नहीं, यह जानकारी मिली है उक्त काण्ड से सम्बन्धित आपके अधीन चिकित्सा विभाग, सचिवालय की पत्रावली सं. प. 2 (68) चि. स्वा.। 72 भी गायब करा दी गई। सचिवालय की पत्रावली गायब होना गंभीर मामला है और इससे भ्रष्ट तत्वों को अधिक बल मिलता है। इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि भ्रष्ट तत्वों को दण्डित कर, स्वच्छ परंपरा का पि देवें।

मुझे आपसे आशा है कि आप र हित को ध्यान में रख कर भ्रष्ट तत्वे खिलाफ कार्यवाही कर, अवगत कराने श्रम करेंगे।''

यह उनको मैंने पत्र लिखा। उ जवाब मिला तीन लाइन का, मैं कहता कि जवाब दस लाइन में हो, ले उनका तीन लाइन का पत्र मिला, ' श्री पचेरवाल, आपका पत्र दिनांक सितम्बर, 1983 चिकित्सा विभाग भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक शिकायतें संबंध में प्राप्त हुआ।

मैं इस संबंध में आवश्यक जांच क रहा हूं।''

यह मुझे मिला। इसके बाद उनको याद दिलाने के तौर पर दु लिखा। उसको मैं नहीं पढ़ना चाहत पत्र का जवाब देना, माननीय खेतसि की तो आदत में है नहीं। वह तो ह में हंस, बोल और मजाक कर लेते कोई पत्र का जवाब देने की उनकी अ है नहीं। हो सकता है, विपक्ष के विध को पत्र देना तोहीन समझते हों या सकता है, भ्रष्टाचार के प्रकरण में करना नहीं चाहते। कारण क्या वह मैं नहीं कहना चाहता। मैं उनको लिखता कि आप बहुत वक्ता है, आप बहुत अच्छे मजाक वाले हैं, तो जवाब देते। लेकिन लिखा, भ्रष्टाचार है आपके विभा यह शर्म की बात है कि भ्रष्टाचार हो है, आप इसको रोकिये। इसलिये म

गोपाल पचेरवाल)

ने मेरे पत्र का जवाब देना उचित नहीं झा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपके दल का समय ीरित है, इसलिये विवशता है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप कहें तो ष्टाचार के संबंध में नहीं बोलूं ।

तो मैं निवेनन कर रहा था, मैंने यह खेतसिंह जी को भी लिखा और ाठिया साहब को भी लिखा । मैं ीठिया साहब को धन्यवाद देना चाहता ौर उनके प्रति आभार प्रकट करना रता हूं, उन्होंने पत्र लिखा ज्ञान प्रकाश को । मेरे पत्र के आधार पर लिखा । उनका बहुत आभारी हूं । मन्त्री जी नहीं, मुख्य मन्त्री जी ने नहीं, मुख्य व ने नहीं लेकिन मजीठिया साहब ने . लिखा, मैं उनके पत्र को पढ़ कर ाना चाहता हूं....

श्री मोहन लाल मोदी : समय आपका ाप्त हो जायेगा ।

श्री गोपाल पचेरवाल : इसकी चिन्ता मन को है, आपको नहीं । उन्होंने लिखा,

"प्रिय डा. ज्ञान प्रकाश,

श्री गोपाल पचेरवाल, विधायक ने य मन्त्री जी से यह शिकायत की है आपके विभाग में कार्यरत श्री चांदमल र्मा, कार्यालय अधीक्षक भ्रष्टाचार में त हैं एवं वे पूर्व में निलंबित भी हो चुके हैं । यह भी बताया गया है कि श्री चांदमल शर्मा ने एस. एम. एस. अस्पताल जयपुर में कार्यरत एक एल. एच. वी. को गलत पे-आथोरिटी के बिल पर फोर्जरी करके उनका वेतन खुद प्राप्त कर लिया । यह भी बताया जा रहा है कि श्री चांदमल शर्मा निदेशालय में करीब दो दशकों से कार्यरत हैं एवं आपके यहां के वरिष्ठ अधिकारियों से सांठ-गांठ की वजह से उनका स्थानान्तरण अन्यत्र नहीं हो रहा है । नर्स सुश्री सुषमा चेरियन के विषय में मैंने आपको दूरभाष द्वारा यह सलाह दी थी कि इस मामले में विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाये । आशा है, आपने यह विभागीय कार्यवाही पूरी कर ली होगी ।

आपसे एतद्द्वारा अनुरोध है कि उक्त विभागीय जांच के परिणामों से राज्य सरकार को शीघ्र अवगत करावें और यदि आप उचित समझें तो श्री चांदमल शर्मा के कार्य वितरण में ऐसा परिवर्तन कर दें जिससे ये शिकायते न रहें ।

मैं अनुगृहीत हूंगा यदि आप अपना पत्रोत्तर लौटती डाक से भेजें और विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन भी भेजें । यह इसलिये आवश्यक है कि इस विषय में मुझे मुख्य मन्त्री जी को अवगत कराना होगा ।

आपका शुभेच्छु

आर. जे. मजीठिया ।

यह पत्र लिखा ।

सभापति महोदय, मैं इसलिये समय ले रहा हूं कि यह भ्रष्टाचार से संबंधित

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मामला है और इससे हमारे प्रदेश की जनता बहुत ग्रस्त है, पैसा तो जनता का ही है।

तो, सभापति महोदय, वापस डा. ज्ञान प्रकाशजी ने जो उत्तर लिखा वह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उसे मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। पत्र इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि गंभीर है और भ्रष्टचार को पकड़ा जाय।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें कृपया। आप अपने दल का समय ले रहे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : श्री चांदमल ...

(व्यवधान)

मैं पत्र की लाइन पढ़ना चाहता हूँ।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री गोपाल पचेरवाल : इसलिये पढ़ रहा हूँ कि मंत्रीजी को जानकारी नहीं है। पत्र की लाइनें हैं—

"प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री चांदमल शर्मा तत्कालीन कार्यालय सहायक ने कर्मचारी की ओर से पे-आथोरिटी स्वयं की लेखनी द्वारा तैयार की थी, परन्तु ऐसा श्री चांदमल शर्मा द्वारा मानवता के नाते किया गया था।"

हमारे डा. ज्ञान प्रकाशजी कह रहे हैं, बड़ी पुष्टि कर रहे हैं इस बात की कि वह बेईमान नहीं है। मानवता कहा है, उसके आधार पर ठीक किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ज्ञान प्रका चाहते हैं कि पूरा पत्र पढ़ लीजिये। पत्र पढ़ेंगे तो....

(व्यवधान)

आपने तो एक पैराग्राफ पढ़ ि और....

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं पूरा देता हूँ।

श्री सभापति : पत्र पूरा पढ़ें या अ लेकिन दल का समय आप ले रहे हैं। कृ जल्दी पढ़ दीजिये अगर यह पूरा पढ़क चाहते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं, न वह तो मैं मंत्रीजी को स्वयं बता ; लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सभापति म दय....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ते हैं तो XXX

श्री सभापति : आपस में बात नहीं

श्री गोपाल पचेरवाल : XXX यही चाहते हैं। यह आपके दल के आ चाहते हैं। मैं क्या करूं साहब ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : खेतसिंहजी बिलकुल निष्कलंक है, कोई कलंक लगा नहीं सकते -

(व्यवधान)

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार आलोपित की गई।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, इनके दल के माननीय सदस्य चाहते हैं XXX तो मुझे कोई एतराज नहीं है. मेरे पास बहुत तथ्य हैं इनके संबंध में

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात न करें, माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, मैं सुषमा चेरियन काण्ड के संबंध में निवेदन कर रहा हूँ । इसमें भ्रष्टाचार है । मैं कम समय में एक लाइन कहना चाहता हूँ माननीय मंत्रीजी से कि आप एक बार इसकी जांच कराइये और इसमें जो दोषी हैं, चांदमल से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं जानता, न मुझे ज्ञान प्रकाशजी से किसी कंपाउण्डर का ट्रांसफर कराना है, न आपसे कराना है और न मजीठियाजी से कराना है लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस प्रकरण में सारे हथकण्डे अपनाये गये उसके बाद भी उस व्यक्ति को प्रमोशन दिया गया । डी.पी.सी. नहीं बैठ रही है उसके बाद भी निरंतर उस आदमी को एडहाक बेसिस पर प्रमोशन दिये जा रहे हैं । पचासों लोग उससे सीनियर हैं । उसके कारण लोगों की सीनियोरिटी का उल्लंघन करके चांदमल शर्मा को निरंतर प्रमोशन दिये जा रहे हैं । प्रमोशन क्यों दिये जा रहे हैं, सभापति महोदय, उनके पास जो काम है और जो महत्वपूर्ण काम है उस बिन्दु की ओर मैं कम समय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

मेरे पास बहुत है चांदमल के बारे में । इस डिपार्टमेंट के बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं लेकिन केवल इस चांदमल शर्मा के बारे में कह रहा हूँ । हमारे मंत्रीजी इससे कितने प्रभावित हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ । लेकिन ज्ञान प्रकाशजी प्रभावित हैं इस मामले में । उसके पास जो काम है, उससे प्रभावित होकर इतने भ्रष्टाचार के आरोप होने के कारण उसकी फाइल गायब कर दी । फर्जी पे रोल बना कर इन्होंने दूसरे का पैसा उठा लिया । उसके पास आज की तारीख में जो काम है, वरिष्ठता, सीनियोरिटी का काम वह देखता है, पदोन्नति का काम वह देखता है, स्थायीकरण का काम वह देखता है, विभागीय चयन समिति का जो काम है वह देखता है, चिकित्सा पुनर्भरण का काम वह देखता है, नर्सिंग ट्रेनिंग का काम वह देखता है, जन अभाव अभियोग का काम वह देखता है, मेडिकल बोर्ड के गठन का काम वह देखता है, डीलिंग वह करता है, नियुक्तियां और स्थानान्तरण के अलावा अन्य कार्य देखता है । अब मंत्रीजी इससे क्यों प्रभावित हैं यह आप समझ गये होंगे । वह महत्वपूर्ण काम नर्सिंग ट्रेनिंग का है । इससे कितने लोग प्रभावित हुए । नर्सिंग ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण काम है । सभापति महोदय, इस बिन्दु पर आप ध्यान दें, क्या ज्ञान प्रकाशजी प्रभावित हैं, क्या मजीठियाजी प्रभावित हैं, या मंत्रीजी प्रभावित हैं या मुख्य मंत्रीजी प्रभावित हैं । अगर आप लोग प्रभावित नहीं हैं नर्सिंग ट्रेनिंग के काम से तो मैं कहता हूं आप

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

इसकी जांच कराइये, उसे दंडित कीजिये, उसने जो अपराध किया है उसकी सजा दीजिये। नहीं तो मैं मानता हूँ और आरोप लगाता हूं कि इस नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी प्रभावित हैं। चाहे माननीय मेघवालजी के आरोप से प्रभावित हों या न हों: मैं कहना चाहता हूँ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल :....मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय खेतसिंहजी, मेरे पास तथ्य हैं। आप चाहें तो मैं उनको आपको दिखा सकता हूँ। जो रिकार्ड आपके पास नहीं होगा उसकी कापीज मेरे पास हूँ। आपके यहां से फाइल गायब की गई उसकी कापियां मेरे पास हैं। आपके चांदमल ने सीनियोरिटी में जो गड़बड़ की है वह रिकार्ड, रिपोर्ट मेरे पास है। वर्तमान की जो सीनियोरिटी लिस्ट है वह मेरे पास है। कोर्ट से डिसीजन होने के बाद में उसको प्रमोशन दे दिया आपने, आपके अधिकारियों ने, उस कोर्ट का डिसीजन मेरे पास है। आपकी डी.पी.सी. की पाबंदी थी, वह प्रतिबंध हटा दिया, उसके आर्डर की कापी मेरे पास है। जो आप कहेंगे वह मैं आपको दिखा दूंगा। मैं यह यह निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा-सा भी इसमें इन्वाल्वमेंट नहीं रखते हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग से आप प्रभावित नहीं हैं तो चांदमल से प्रभावित जो अधिकारी हैं, चाहे सैक्रेटरी, ज्ञान प्रकाशजी की पावर आपने छीन ली लेकिन पावर छीनने से काम नहीं चलेगा, आप निष्पक्षता से जांच करावें और इस अधिकारी को दंडित करें। यह मेरी मांग है।

श्री सभापति : माननीय श्री नानूराम कुमावत।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उनकी ओर, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले विरोधी दल में बैठने वाले माननीय सदस्य, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी बात कही, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, सभापति महोदय, यह बात सच है कि हम लोगों को विरोध करना आता नहीं और इन लोगों को राज चलाना आता नहीं। विरोध के मामले में यह बहुत एक्सपर्ट हैं, यह सच है। राज करने का समय आया तो दो-ढाई साल में ही वापस चले गये। इसलिये मैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि भाई राज चलाना आसान नहीं है, यह बड़ा मुश्किल है। आप विरोध करना चाहते हैं लेकिन विरोध करने से राज नहीं चलता है। आप अपने दो ढाई साल के आंकड़े उठा कर देख लें और इस साल जो हमारा बजट पेश हुआ है उस बजट को भी आप देख लें। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पढ़ लें। आपके समक्ष बजट की कापी आई है उसके पेज नम्बर 7 को पूरा पढ़ लें....

(श्री नानूराम कुमावत)

(3.44 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

इसमें सरकार ने जो प्रावधान रखा है...

श्री कैलाश मेघवाल : कितने सब सेंटर और अस्पताल की स्वीकृतियां मिल गई हैं, पहले यह बता दीजिये ?

श्री नानूराम कुमावत : इसका उदाहरण मैं अभी दे देता हूँ। आपकी जो मांगें थीं वे तो आज शाम को मन्जूर करने जा रहे हैं। उसके बावजूद हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज की तारीख में सब सेंटर की लिस्ट आउट कर दी....

श्री यदुनाथ सिंह : बजट से पहले कैसे कर दी ? क्यों कर दी और कैसे कर दी ? बजट के पहले कैसे कर दी ? यह गंभीर मामला है। सभापति महोदया, बजट पास हुआ नहीं और इन्होंने डिस्पेंसरियों, सब सेंटर, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, की लिस्ट दे दी है। बजट पास होने से पहले कैसे लिस्ट आउट कर दी ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह मंत्री महोदय की तत्परता है...

श्री यदुनाथ सिंह : यह अपने आप में गम्भीर मामला है। बजट पास होने से पहले लिस्ट सब सेन्टर और सेन्टर की निकालना बजट की सैंक्टिटी को समाप्त करना है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह सही है या गलत ? बजट पास होने के पहले बजट में से पैसा खर्च करना....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नानूराम कुमावत : माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सब सेन्टर खोलने की बात है, कोटा में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में सबसे ज्यादा खुले हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : बजट पास होने से पहले आपने लिस्ट कैसे निकाल दी। मांग पास नहीं हुई आपने खर्चा नहीं मांगा है सदन से तब आपने कैसे निकाल दी।

श्री गोपाल पचेरवाल : सवाल यह नहीं है, सभापति महोदय। सवाल यह है कि बिना मांग पास हुए कैसे खर्च कर सकते हैं ?

श्री नानूराम कुमावत : सभापति महोदया, मैं कह रहा था, यह सुनते नहीं हैं, आदत पड़ी हुई है हल्ला करने की। अब इसका कोई इलाज है। मैं यह बात कहूं

(श्री नानूराम कुमावत) ·

रहा था, सभापति महोदया, 1983-84 के बजट में थोड़ा-सा पैसा बच गया था। उसको रखा नहीं इन्होंने। मैं यह कह रहा था कि उसकी लिस्ट आज आउट हुई है। यह बात कही लेकिन यह सुनना तो चाहते नहीं। इनकी आदत पड़ गयी है हल्ला करने की ...

श्री यदुनाथ सिंह : 1984-85 का....

श्री नानूराम कुमावत : 1983-84 का पैसा। 1984-85 का बजट तो आज पास होने जा रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : 1984 में खर्च नहीं कर सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आगे बढ़िये।

श्री नानूराम कुमावत : सभापति महोदया, मैं माननीय खेतसिंहजी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने आज हमको सैन्टर दिये हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा ही लेकिन साथ ही मेरे दो-तीन सुझाव भी देना चाहता हूँ। मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनके वे सुझाव शहरों के सम्बन्ध में हैं। मैं गांव से आया हूं इसलिए मैं गांव की बात कहना चाहता हूँ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया बैठे-बैठे डिसकस न करें।

श्री नानूराम कुमावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 80 पर्सेन्ट गरीब लोग, किसान, मजदूर गांव में रहते हैं उनकी व्यवस्था पहले होनी चाहिए, शहर की व्यवस्था बाद में हो जायेगी। आज आजादी को 34 साल हो गये, इन 34 सालों से लगातार शहरों में ही विकास होता रहा है। गांवों की तरफ ध्यान नहीं गया है। इसलिए मैं गांव की बात कहना चाहता हूँ :

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। Please do not disturb.

श्री नानूराम कुमावत : क्या किया जाये। यह इनकी आदत हो गई है।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखिये। कन्टीन्यू रखें। आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री नानूराम कुमावत : अब मुझे यह बात मजबूरन कहनी पड़ेगी, सभापति महोदया। अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने गांवों की कुछ चर्चा की थी। कुछ दूसरे साथियों ने भी गांव की चर्चा की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप या मैं कोई बीमार हो जायेगा तो आप एस. एम.एस. की बात करेंगे, आप दिल्ली की बात करेंगे और अमेरिका की बात करेंगे लेकिन एक गांव का गरीब मजदूर, किसान यदि बीमार हो जायेगा तो वह किसी पड़ोस की पी.एच.सी. पर नहीं पहुँच सकेगा। इसलिए मैं वहां की बात कहना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में, सभापति

(नानूराम कुमावत),

दिया. दवाइयों का अभाव है। इस बात ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का न आकर्षित करना चाहता हूं। जितने आपके अधिकारी बैठे हैं, इनके बारे में ना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि इनको मीटिंग से ही फुरसत नहीं है. ये गरीबों बात कहां से सुनेंगे। इनको ठीक किया य नहीं तो गांवों की हालत और खराब ी। दो हजार-तीन हजार के आपने-ि बांध रखे हैं, यह हकीकत है, इनको करो। अगर आपने ठीक नहीं किया समय ऐसा आयेगा कि जनता इनको करेगी क्योंकि जनता का पैसा है। ये धकारी ऐशो-आराम कर रहे हैं. मौज रहे हैं। इनको गांवों का अध्ययन ना चाहिए। आपने पी.एच.सी., डिस्पें-ाज खोली हैं, एडपोस्ट दी हैं, सब सेंटर-ो हैं, आयुर्वेदिक औषधालय खोले हैं। ीजी बैठे हैं, आयुर्वेद का नाम नहीं लूंगा वे नाराज हो जायेंगे। मैं, आयुर्वेद मंत्री से कहना चाहूंगा कि 2-3-5 पैसे की ी आती है, वह गांवों में एक्चुअली नहीं लती है। आपका बजट लैप्स हो रहा है लिए कम से कम गांवों में गोलियों की, ाइयों की व्यवस्था कीजिये। गांवों की लत बहुत खराब है, मेरा यह कहना है र मैंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि भीलवाड़ा जिले में जो मारी फैल रही है उस पर किसी का ध्यान ीं जा रहा है। उसके बारे में मैं बाद में न आकर्षण प्रस्ताव पर बोलूंगा, कन, मंत्री महोदय, आप थोड़ा ध्यान जिए।

दूसरी बात मेरे क्षेत्र की कहना चाहूंगा, आपने हमारे यहां एक मिनी पी.एच.सी. मांगरोल में खोला है उसमें 2 साल हो गये आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक डाक्टर बैठा है। इसके अलावा इन्स्ट्रूमेंट, दवाई, अलग से कोई फण्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिया। न ही बिल्डिंग के लिए आपने कोई पैसा दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी थोड़ा-सा पैसा दिया है, 20 हजार, 22 हजार, 23 हजार दिया है तो उससे एक मिनी पी.एच.सी. कैसे खुल सकता है, कैसे बिल्डिंग बन सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए आप उस बिल्डिंग की व्यवस्था कीजिए।

दूसरी चीज एक और निवेदन करना चाहूंगा, आसींद से साठ किलोमीटर भीलवाड़ा है। आसींद से 60 किलोमीटर ब्यावर है, उधर आसींद से 65 किलोमीटर देवगढ़ है और आसींद से 50 किलोमीटर गुलाबपुरा है। इनके बीच में एक भी रेफरल हास्पिटल नहीं है। हमारे यहां रेफरल हास्पिटल नहीं खोलें तो गम नहीं लेकिन कम-से-कम बैड्स की आप व्यवस्था करवा दें ताकि जो मजदूर हैं, किसान हैं उनको थोड़ी-सी फैसिलिटी मिल सके। इसके बारे में निवेदन करना है, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को, जब शाम को आप रिप्लाई दें आप तो कम से कम यह घोषणा करें। दूसरी सब जगह आपने व्यवस्था की है लेकिन भीलवाड़ा का नाम इसमें कहीं नहीं आया। जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, नागौर, जालौर में आपने अस्पतालों की व्यवस्था की है लेकिन भीलवाड़ा जिले का नाम नहीं आया। आप मेहरबानी करके कम-से-

(146)

(श्री नानूराम कुमावत)

कम आसींद में एक 20 बैड्स के हास्पिटल की व्यवस्था करें ताकि वहां के गरीबों को राहत मिल सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप संक्षेप में बोलें।

श्री नानूराम कुमावत : माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत ही कम बोलता हूँ, बाकी मांग करता ही नहीं हूँ, मेरे जो सुझाव हैं मैं दे देता हूँ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपने हमारे यहां पर जो सब सैन्टर दिये हैं वह दो ही हैं। तहसील इतनी बड़ी है कि दो से काम नहीं चलता। आप मेहरबानी करके दो और देवें। ज्यादा डिमांड नहीं है। दो दे देवें तो कम-से-कम दूर के इलाके, जो पहाड़ी इलाके हैं, के लोगों को राहत मिलेगी।

इसके साथ-साथ आयुर्वेद मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि एक आयुर्वेद औषधालय तो आपने खोल दिया, कृपा करके आप दो और दिला दें, इससे हमारी पूर्ति हो जायेगी। शाम को आप अपने भाषण में कह देवें तो कम-से-कम हमारे लोगों को राहत मिलेगी। यह बात खास तौर से कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शाम को आप जब भी बोलें तो आसींद में कम से कम 20 बैड्स के हास्पिटल की घोषणा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सदन की कार्यवाही पांच बजे अगर आप समाप्त कर कर दें तो अच्छा होगा, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को टी.वी. पर एम.एल.एज. देखेंगे। कृपया इस तरह की व्यवस्था कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा एक पाइंट ऑफ आर्डर है। पाइन्ट आॅफ ऑर्डर यह है कि कांग्रेस पार्टी से कौन-कौन सदस्य बोलेंगे उसकी सूची माननीय खेतसिंहजी ने नहीं दी। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और चीफ व्हिप भी हैं, इस नाते उन्हीं मेम्बर्स का इन्होंने सलेक्शन किया है जो इनके पक्ष में हैं। और माननीय सदस्य भी बोलें इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, किस रूल के अन्तर्गत पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चेयर का प्रोरोगेटिव है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल यह है, मेरा पाइंट आफ आर्डर है ...

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह की कोई बुराई करने वाला है ही नहीं

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महो-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दया, बुराई करने वाले तो बहुत हैं। कांग्रेस के मेम्बर ने खड़े होकर पूछा कि आपकी कोई डिजायर है बोलने वाले तो बहुत थे। मेम्बर्स को निवेदन करना चाहता हूँ कि डिजायर आपकी है. 11 बजे तक सब भाग लेंगे, इस धोखे में मत रहना, बोलना हो तो अभी बोल लो, स्कूल खुलवाना हो तो अभी बोल लो, डाक्टर का ट्रांसफर करवाना हो तो अभी बोल लो। लिस्ट में भी किसी का नाम नहीं आता हो तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के मेम्बर को घुटन से निकाल कर आप उनको बोलने की अनुमति दें।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : सभापति महोदय, मेरा भी पाइंट आफ आर्डर है। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी कह दें कि उन्हीं के पक्ष के आदमी बोल रहे हैं तो विपक्ष के नेता महोदय से मेरी प्रार्थना है कि आप भी एक दो नाम बता दीजिये, उनसे बुलवाना शुरू कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर । माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है इनकी डिजायर नहीं लेंगे। वे तो तैयार बैठे हैं। बाकी के तो सब कागज मेज के सामने पड़े हैं कि कितने डाक्टर के ट्रांसफर करवाने हैं, कितने सब सैन्टर खोलने हैं ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय खेतसिंहजी ने अपने स्वास्थ्य विभाग की मांग के साथ यह घोषणा की कि 1 अरब 12 करोड़ 49 लाख 20 हजार का बजट राजस्थान का हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने आज प्रातः अपने आयुर्वेद के बजट को देखा तो उसमें बताया गया है कि 1 अरब 12 करोड़ में से आयुर्वेद के लिए 13 करोड़ 89 लाख 90 हजार रुपये दिये हैं। यह केवल मात्र एक संतुष्टि भर के लिए दिये हैं, केवल ऊंट के मुंह में जीरा है। आयुर्वेद के अन्दर तीन पद्धतियां सम्मिलित हैं—आयुर्वेद चिकित्सा, होमियोपैथिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जीरा के मामले में तो दाऊदयालजी....

(व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जीरा के बारे में नहीं, जलजीरा के बारे में।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इस पद्धति के लिए प्रावधान किया है केवल 12 करोड़ का जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, आयुर्वेद के साथ अन्याय है। मेरा निवेदन है कि इतना बजट होने के बाद भी आयुर्वेद की दुर्दशा आयुर्वेद के वर्तमान मंत्री महोदय के हाथों से हो रही है, यह चिन्ताजनक बात

(148)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

है। सभापति महोदया, मैंने आपको बताया कि लगातार जहां एलोपैथी का बजट प्रति वर्ष बढ़ता चला आ रहा है, ऐसा कोई साल बाकी नहीं कि बढ़ोतरी न की हो। इस साल भी की है। एलोपैथी औषधालय खोलने के मामले में लगातार एलोपैथी विभाग संक्रिय है चाहे वह सर्जिकल हो, चाहे वह चिकित्सक की बात हो, दोनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मैं बताऊ, आयुर्वेद का जो बजट 1980–81 में स्वीकृत हुआ था दुर्भाग्य है कि चिट्ठी लिखने के बावजूद, मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखने के बावजूद लगातार बजट लैप्स होता जा रहा है। माननीय आयुर्वेद मंत्री का बार बार ध्यान आकर्षित कर देने के बावजूद भी आयुर्वेद के बजट के पैसे का पूरा उपयोग नहीं लिया जा रहा है। यह सब हो रहा है मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखने के बावजूद। मुख्य-मंत्री को चिट्ठी लिखी उसका उन्होंने कृपा पूर्वक जवाब दिया, चिट्ठी में उन्होंने यह लिखा, मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि आयुर्वेद का बजट क्यों लैप्स होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 1980-81 के अन्दर आयुर्वेद औषधियों के लिये 46 लाख 71 हजार रुपये का प्रावधान था किन्तु केवल मात्र 25 लाख 91 हजार रुपया खर्च हुआ। आज बड़ी प्रशस्ति गायी गयी कांग्रेस राज की और बीस सूत्री कार्यक्रम की लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसके कारण आयुर्वेद औषधियों का जो बजट 46 लाख का था उसमें से 15 लाख ही खर्च हुआ ? मैं पूछना चाहता हूँ कि

1982–83 में 21 लाख 33 हजार का था इसमें से 20 लाख 43 हजार ही ख[illegible] क्यों हुआ बाकी नहीं हुआ तो क्यों न[illegible] हुआ ? अब 1983–84 वर्ष का अन्[illegible] दौर चल रहा है, अन्तिम दौर में से गु[illegible] रहा है, मंत्री महोदय ने आंकड़े दिये औषधियों के खर्च को उसमें बताया ग[illegible] है 32 लाख लेकिन सही आंकड़े हैं [illegible] लाख 70 हजार रु.। बजट था 59 ल[illegible] 16 हजार का। बजट 59 लाख का अ[illegible] खर्च किये हैं 25 लाख 70 हजार रु[illegible] मात्र। माननीय आयुर्वेद मंत्री जी ब[illegible] जोर से कह रहे थे, आप आयुर्वेद पराम[illegible] दात्री बोर्ड के सदस्य हैं आप सुझाव [illegible] मंत्री महोदय, आपके आई. ए. एस. अ[illegible] सर सुनते ही नहीं है, कहना नहीं मा[illegible] है। क्या आप हिम्मत के साथ कहेंगे, [illegible] बजट इसलिये लैप्स होता है आपके द्वा[illegible] बराबर फाइनेंस को लिखने के बाद [illegible] क्योंकि जीरा कांड हुआ था, चूंकि [illegible] काण्ड हुआ था, प्लास्टिक काण्ड हुआ [illegible] आपको वित्त मंत्रालय हेय दृष्टि से देख[illegible] है। वित्त मंत्रालय आपके हर मामले [illegible] अड़ंगा लगाता है। आपमें क्षमता नहीं [illegible] आप सक्षम नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं [illegible] हम जो लाखों रुपया आयुर्वेद का आप हाथों में समर्पित करते हैं उसका आप उ[illegible] योग कर सकें। दुर्भाग्य है, पैसा तो है लेकिन औषधियां नहीं हैं, रुपया है लेकि[illegible] उसका उपयोग नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि दिन प्रति दिन आयुर्वेद के बजट में औषधियों का व्यय घटता जा रहा है और प्रशासनिक व्यय प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। मैं ती[illegible] साल के आंकड़े देकर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। कोटा का प्रश्[illegible]

(श्री दाऊदयाल जोशी)

किया था। कोटा के आयुर्वेदिक औषधालय का बजट था 1980-81 में 15 लाख 808 रुपये का वेतन और भत्तों का और औषधियों का बजट था 23 हजार 577 रुपये, 1982-83 में यह 15 लाख से बढ़कर 17 लाख 5 हजार 79 रुपये हो गया और औषधियों का बजट 23 हजार से घट कर 18 हजार 567 रुपये हो गया, 1983-84 में प्रशासनिक व्यय बढ़ कर 19 लाख 32 हजार 24 रुपये हो गया और औषधियों का बजट रह गया 9 हजार 296 रुपये। मैं निवेदन करूंगा कि यह स्थिति आयुर्वेद की औषधियों की है। गांवों में जो औषधालय हैं उनकी तो बड़ी दुर्दशा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह औषधियों का जो बजट है और जो प्रशासनिक बजट है उसमें कहीं कोई समता नहीं है। मुझे इस पर आश्चर्य होता है औषधालय आखिर क्या करते हैं। बजट में प्रतिवर्ष कमी होती जा रही है और प्रशासनिक व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है। रोगियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है लेकिन औषधियां रोगियों को नहीं मिलती है। सभापति महोदय, उस आयुर्वेदिक औषधालय में जहां रोगियों की संख्या थी 1980-81 में 92 हजार 690 वहां 1982-83 में 1 लाख 6 हजार 480 हो गई और 1983-84 में 1 लाख 947 आयी। जहां रोगियों की संख्या बढ़ी है वहां प्रशासनिक व्यय और औषधियों का व्यय आया है केवल मात्र एक साल 1980-81 में 25 पैसे पर रोगी, फिर 24 पैसे और वर्तमान साल, जिसमें मरीजों की संख्या बढ़ी है, 1 लाख हो गयी है, औषधियों का व्यय केवल मात्र 9 पैसे आया है। सभापति महोदय, प्रशासनिक व्यय है प्रति रोगी 1.89 रु.। 1 रुपया और 89 पैसे प्रशासनिक व्यय और औषधि पर 9 पैसे प्रति रोगी खर्च करते हैं, मन्त्री महोदय, आप। सभापति महोदय यह स्थिति तो कोटा नगर की है। मैं पूछना चाहता हूं कि गांव के हमारे भाई बैठे हैं वे बड़ी वकालात कर रहे थे आयुर्वेद की, आयुर्वेद मंत्री की। वह आयुर्वेद चिकित्सालय लेकर क्या करेंगे? उनकी दुर्दशा है जहां पर जागरुक विधायक हैं, पलपेदा के गांव में 4 नये पैसे की औषधि प्रति रोगी दी गयी है और प्रशासनिक व्यय आया है 1 रु. 10 पैसे प्रति रोगी। सभापति महोदय, 4 नये पैसे की तो आज की तारीख में कागज की पुड़िया भी नहीं मिलती है। छींक हो जाये, जुखाम हो जाये उसके लिये वैद्यजी महाराज दवाई दें तो 4 नये पैसे की तो एक पुड़िया भी नहीं आती है। आयुर्वेद की दुर्दशा के लिये, माननीय डांगी जी, आप जिम्मेवार हैं। आयुर्वेद की दुर्दशा आपके हाथों हो रही है...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : डांगी जी के हाथों नहीं हो सकता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : गलत नहीं कह रहा हूं। डांगी जी के हाथों नहीं हो सकता।

श्री दाऊदयाल जोशी : जहां प्रति वर्ष औषधियों में कमी आ रही है, औषध

(श्री दाऊदयाल जोशी)

निर्माण नहीं हो रहा है....

श्री कैलाश मेघवाल : चूरन की पुड़िया मेरे पास है आपकी, जनार्दन जी, वह रहने दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रति वर्ष प्रशासन पर खर्चा बढ़ रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, यह प्रमाणित हो चुका है कि इस देश में अगर कोई पैथी चलेगी तो केवल आयुर्वेद पैथी ही चलेगी। हर व्यक्ति आत्मा से इस बात को जानता है सल्फा ड्रग्स जो है, माइसीन थ्योरी जो है वह टोटली फेल हो चुकी है, माइसीन रिएक्शन से मृत्युदर है, उससे यह प्रमाणित हो चुका है जो इस देश की औषधियां हैं, इस जलवायु की औषधियां हैं वही इस देश में काम करेंगी, दूसरी काम नहीं कर सकती है। इसलिये प्रति वर्ष आयुर्वेद चिकित्सा कराने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1978-79 में 3 करोड़ 62 लाख मरीज थे, 1979–80 में 3 करोड़ 65 लाख थे, 1980–81 में 3 करोड़ 94 लाख थे, 1981–82 में 4 करोड़ 12 लाख थे और 1982–83 में 4 करोड़ 26 लाख 19 हजार मरीज थे। सभापति महोदय, जब मरीज बढ़ रहे है तो औषधियों में क्यों कमी आ रही है? मंत्री महोदय, मैं खुश होता, जब सप्लीमेंट्री डिमांड्स आयी थी उस समय आप अपनी डिमांड लेकर आते कि आयुर्वेद चिकित्सा चूंकि राजस्थान में बढ़ रही है, आयुर्वेद के प्रति लोगों में मोह व्याप्त हो रहा है ऐसी स्थिति में आयुर्वेद पर अतिरिक्त व्यय किया है उसके लिये हम को पैसा दीजिये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, आयुर्वेद विभाग आयुर्वेद की दवाइयों पर खर्च नहीं करता है। इस साल, मन्त्री महोदय, आपके कृपा पात्र ने 1 लाख रुपये की इमर्जेन्सी लाइट्स खरीदी हैं। वह क्या काम आयेगी? आयुर्वेद औषधालय के भवन नहीं हैं, 600 भवन दानदाताओं से लेकर उनमें औषधालय चला रहे हैं। एक भवन की मरम्मत के लिये 50 रुपया सवाई माधोपुर में, आपने बताया, दिया गया है और 1 लाख रुपया इमर्जेन्सी लाइट पर खर्च कर दिया। मन्त्री महोदय इन लाइटों से आयुर्वेद का चेहरा नहीं चमकेगा। यह तो आयुर्वेद का सत्यानाश आपके हाथों होने जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कहा मंत्री महोदय...

(व्यवधान)

इस साल एक लाख रुपये की....

श्री दिनेश डांगी : आप बता दें कि किसने खरीदी है, कितनी खरीदी है?

श्री दाऊदयाल जोशी : इस साल खरीदी है। अपने XXX व्यक्ति से खरीदी है। आपको नाम, पता, तारीख सब बता दूंगा। आपके डिपार्टमेंट ने खरीदी है वेसलीन। निश्चित रूप से वह गन्दी वेसलीन है, गलत वेसलीन है। राजकमल

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कंपनी से आपके व्यक्ति ने अपने XXX से, इशारे पर वेसलीन खरीदी गयी है, वह गन्दी वेसलीन है। उसमें बदबू आ रही है। वह किसी भी प्रकार से मरीजों के काम में नहीं आ सकती है। आपके डिपार्टमेंट ने एडेसिव प्लास्टर खरीदा नकली। मैं चैलेंज देकर कहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय, आपके विभाग को गमले खरीदने के लिए राजस्थान का एक भी कुंभकार नहीं मिला। गमले खरीदे। आपने कहां से खरीदे हैं? राजस्थान से? राजस्थान में छोटी चीजों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गरीबों को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं लेकिन आपने गमले खरीदे हैं सहारनपुर से। आपने लोहे का सामान खरीदा है आगरा से। माननीय मन्त्री महोदय, आपने पौधे खरीदे हैं सहारनपुर से। राजस्थान के लोग क्या करेंगे? राजस्थान के गमले बनाने वाले क्या करेंगे? माननीय सभापति महोदय, आखिरकार इस प्रकार से आयुर्वेद विभाग आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय, आपके विभाग में आयुर्वेद के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। आपने कीर्तिमान स्थापित किया है भ्रष्टाचार के मामले में। आपको याद होगा आपके एक दोस्त हैं गुप्ताजी, जो कहते हैं मेरे खास यार हैं डांगी, जो XXX उन्हीं की जो किसी

श्री बी. डी. कल्ला : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं जानता हूं आपका पाइंट आफ ऑर्डर।

श्री बी. डी. कल्ला : एक मिनट सुन लीजिये।

272. Rules to be observed while speaking. A member while speaking shall not make a personal charge against a mamber...

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने कट मोशन दिया है। आज के कटमोशन में मेरा नाम है। मैंने कटमोशन दिया है।

श्री बी. डी. कल्ला : इसीलिये मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। आप मुझे बोलने तो दीजिये।

कोई भी सदस्य बिना लिखित सूचना के, नियमानुसार कार्यवाही किये किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर और किसी भी अधिकारी पर आरोप नहीं लगा सकता। यदि इन्होंने लिखित में सूचना दी तो मुझे कोई आपत्ति नहो है। यदि लिखित में सूचना न देकर किसी भी व्यक्ति के बारे में आरोप लगाया है तो इस संबंध में आप व्यवस्था दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, जैसा मैंने बताया है, ये जान गये हैं, समझ गये हैं सारी बात गुप्ता के विषय में। मैं निवेदन कर रहा हूं कि....

श्री सभापति : ऑर्डर–ऑर्डर।

श्री बी. डी. कल्ला : सभापति महोदय, रूल्स में कहीं पर ऐसा कोई नहीं है। जो

XXX शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बी. डी. कल्ला)

व्यक्ति यहां पर जवाब दे सकता है उसके खिलाफ लगाया जा सकता है मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मिलने वाले चाहे किसी के हों। मिलने वाले आदमी को आप रोक नहीं सकते। इन्होंने लिखित में सूचना दी है क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं तो आपको नेक सलाह दे रहा हूं कि जितनी जल्दी इसको....

श्री दिनेश डांगी : मुझे आपकी सलाह से काम नहीं करना। आप अपना काम करिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : बहुत–बहुत धन्यवाद। तब तो आप जल्दी इसको डुबोओगे। भगवान करें, चिरायु बनाये रखो. अपनी गोदी में ही रखें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में अगर किसी विभाग ने कीर्तिमान स्थापित किया है ट्रांसफर के मामले में तो आपके डिपार्टमेंट ने किया है। राजस्थान में जिस प्रकार से हनुमानप्रसाद प्रभाकरजी के टाइम में आरोप लगा था शिक्षा विभाग पर, आज मैं आरोप लगा रहा हूं कि पिछले साल में 76 /. ट्रांसफर आपके आयुर्वेद विभाग ने किये गरीब व्यक्तियों के, साधारण व्यक्तियों के, गरीब आयुर्वेद चिकित्सकों के। 76 /. में से 1890 व्यक्तियों के, 970 कंपाउंडरों के, 79 लिपिक के, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 53 के और ड्राइवर चार के। ट्रांसफर करना, ठीक है, कोई बात नहीं आपके नियम में आता था लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो तबादले हुए....

श्री सभापति : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : उन तबादलों में से कितने तबादले रद्द हुए ? आप देखिये तबादले हुए, 15 दिन बाद तबादले ...

श्री दिनेश डांगी : यह तो मैं अपने जवाब में बताऊंगा लेकिन कुछ ट्रांसफर आपके कहने से किये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूं....

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री दिनेश डांगी : आपने कहा कि करना है। आपके काम किये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अरे, आपका कोई भगवान है। रामदेवजी को अगर मानते हैं तो आप शपथपूर्वक कहिये कि दाऊदयाल जोशी ने ट्रांसफर के लिये कहा था।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जिन लोगों का आपने ट्रांसफर किया उनमें से कुछ का 15–20 दिन में वापिस कैंसिल कर दिया। ये बहादुर सिंह भाटी वरिष्ठ लिपिक अजमेर से गंगानगर, बीस दिन बाद इनका तबादला कैंसिल हो गया गंगानगर से वापस अजमेर, जमालुद्दीन वरिष्ठ लिपिक कोटा से जयपुर, जयपुर से वापस कोटा। विजयकृष्ण शुक्ला कनिष्ठ लिपिक, बाड़मेर से जोधपुर, सात दिन बाद जोधपुर से बाड़मेर। इसी प्रकार से लगातार राजस्थान में जो ट्रांसफर हुए हैं केवल आपके उस व्यक्ति जिसका नाम

(153)

री दाऊदयाल जोशी)

मे लिया था, जिससे आप चिढ़ रहे हैं, इशारे के कारण XXX ये सारे ट्रांसफर सल किये गये हैं। सभापति महोदय, री नहीं ...

श्री दिनेश डांगी : असत्य है। माननीय स्य XXX बोलते हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री दिनेश डांगी : ये गलत आरोप ॥ आप लिखित में दीजिये।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। मानय सदस्य।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री बी. डी. कल्ला : सभापति महोदय, माननीय विरोधी सदस्यों ने जो आरोप गये हैं वे गलत हैं। सही बात न कह के XXX बातें कह करके ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मान-ा मन्त्री महोदय सक्षम हैं।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्रीजी उसका जवाब देंगे। प उनको बोलने दीजिये। माननीय सद-, संक्षेप में। आॅर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य. स्थान ग्रहण करें कृपया. प्लीज। आसन की व्यवस्था यह है कि माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें और बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। माननीय मन्त्री महोदय सक्षम हैं उसका जवाब देने में।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में समाप्त करें।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था ट्रांसफर की बात....

श्री गोकुलचन्द शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री सभापति : आॅर्डर आॅर्डर। माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : अभी आपने कसम खाकर इसी सदन में यह बताया है कि मैंने कोई ट्रांसफर नहीं कराया है। आपने यह कसम खायी थी सदन में। और यह बता रहे हैं कि XXX ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : यह कैसे हो गया। मतलब यह कैसी बात है। आज हमारे साथ हैं। हमको इतने दिन हो गये

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

है। कभी किसी जगह ट्रांसफर किये होंगे हमको कहां याद होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्रीजी उसका जवाब दे देंगे।

(4.20 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि ट्रांसफर के बाद कोटा जिले के एक व्यक्ति का 6 महीने में 6 बार ट्रांसफर हुआ। राधेश्याम नाम का गरीब रामगंज मण्डी में कार्यरत था जुलाई सन् 1983 से। उस गरीब का रामगंज मण्डी से हाथी तिलोद ट्रांसफर हुआ अटरू में अगस्त में, 6 दिन बाद, ट्रांसफर के 6 दिन बाद कलवाड़, जोधपुर में ट्रान्सफर किया गया। उसके दो महीने बाद, अक्टूबर में मोडक ट्रान्सफर पर लगाया गया। एक महीने बाद दिसम्बर में फिर ट्रांसफर कर दिया गया। यह लगातार 5 बार तक की तो मेरे पास खबर है। उस गरीब का 8 महीने में 9 बार ट्रांसफर हुआ चूंकि वह गरीब पैसा नहीं दे सकता था। उसने शपथ खा ली थी कि राजस्थान भर का कोना कोना छान डालूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन टट्टी खाने के लिए पैसा नहीं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यही नहीं तबादले, जैसा कि मैंने चार्ज लगाया है, एक और महिला का हुआ था, कान्ता देवी शर्मा, जिस पर केस तो चल रहा था जाली सर्टिफिकेट पेश करने का लेकिन 5 हजार के सौदे में, मैं नहीं कहता, किसने खाये, क्योंकि माननीय लोग चिढ़ते हैं, 5 हजार के सौदे में, जाली सर्टिफिकेट का मामला था वह तो चलता गया और उसके बाद उसको जो शो कॉज नोटिस दिया था वह भी वापस ले लिया। उसका उदयपुर के अस्पताल से लोहिया अस्पताल, अजमेर में ट्रांसफर हो गया उसका ही नहीं हो गया, 5 हजार का मामला था इसलिए उसकी बहन राजकुमारी, जो राजस्थान के एक कोने में काम करती थी, उसका ट्रांसफर भी लोहिया अस्पताल में हो गया। उसका ही नहीं, उसके चाचा श्यामसुन्दर दाधीच का ट्रांसफर भी लोहिया अस्पताल में हो गया। उसका ही नहीं उसके पति कन्हैया लाल का ट्रांसफर भी लोहिया अस्पताल में हो गया केवल 5 हजार का सौदा था, जिसमें सर्टिफिकेट का मामला साफ हो गया, जो चार्जशीट दी गयी थी, शो कॉज नोटिस दिया गया था वह विद्ड्रा हो गया और उसका सारा परिवार आज लोहिया अस्पताल, अजमेर में कार्यरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यही नही, माननीय मन्त्री जी, केवल ट्रांसफर ही नहीं होते, आपके यहां तो फाइलें ही गायब हो जाती हैं। 5 हजार रुपए दे दो और अजमेर के रेल्वे स्टेशन पर आप के दफ्तर की कोई भी फाइल, जाली से जाली हो, बड़े से बड़े गड़बड़ की हो, अजमेर के रेलवे स्टेशन पर उसका सौदा हो जाता है। मैं आपसे

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पूछना चाहता हूं, पृथ्वीराज उप वैद्य, जिसने जाली सर्टिफिकेट मैट्रिक का पेश किया था, उसकी जांच

श्री दिनेश डांगी : क्या नाम है, किसने ?

श्री दाऊदयाल जोशी : उसकी पत्रावली संख्या बता रहा हूं-2/91/7/सेवा, इस पृथीराज उप वैद्य को सेवा से पृथकता के आदेश हुए थे, चूंकि इसने मैट्रिक का जाली प्रमाण-पत्र पेश किया था। उस जाली प्रमाण पत्र के आधार पर वह नौकरी पर एक दिन भी नहीं रह सकता था, उस आदमी को, जिसको कि नौकरी से बर्खास्त होना चाहिये था वह आदमी आपके डिपार्टमेंट में कार्यरत है। केवल 5 हजार रुपये में अजमेर के रेलवे स्टेशन पर सौदा हुआ है, और बहादुर सिंह, लिपिक उस समय, रुपए के लेन देन के समय उपस्थित था। मैं नाम, पता, गवाह श्रीमान की सेवा में पेश कर सकता हूं, फाइलें गायब हैं। यही फाइल गायब नहीं हो गयी, श्रीमन्, मन्त्री महोदय, 17 फाइलें आपके ऑफिस से गायब हैं, जिन पर चार्ज हैं भ्रष्टाचार के, जिन पर चार्ज हैं बेईमानी के, जिन पर चार्ज हैं झूठे सर्टिफिकेट पेश करने के। क्या आप जांच करवा कर सारे लोगों को वापस करेंगे ? माननीय मन्त्री महोदय, महेन्द्र सिंह का क्या हुआ ?

यहां दो प्रश्न बहुत जोर से पिछले सत्र में उठे थे-जीरा घोटाला काण्ड, हींग घोटाला काण्ड और डिब्बा घोटाला काण्ड। क्या हुआ इनका ? पेमेंट कैसे हो गया जीरे का ? आप गये थे जब अजमेर, तारीख बताऊं ? आप पधारे थे, 11वें महीने की कोई तारीख है, उस तारीख को पहुंचे थे। भगवान सहाय नाम का एक व्यापारी है, उसके साथ सारा सौदा हो जाने के बाद जीरा घोटाला काण्ड, हींग घोटाला काण्ड, जिसके अन्दर लाखों की तादाद में रुपया फंसा था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जिन विषयों की चर्चा कर रहे हैं उस सम्बन्ध में कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव दे रखा है।

एक माननीय सदस्य : व्याप्त में सब आ गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, महेन्द्र सिंह, ऐसा आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में आपने नहीं सुना होगा, लगातार, 1-7-66 से 20-7-74 तक अनुपस्थित रहा। फिर उपस्थित हो गया तो 17-2-81 को ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी आपको पूर्व में सूचना देनी चाहिए थी ताकि मन्त्री महोदय उसका उत्तर देते। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : 17-2-81 से जून, 82 तक स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा। उसको फिर प्रमोशन दे दिया गया। ड्यूटी पर लगातार अनुपस्थित 66 से

(श्री दाऊदयाल जोशी)

लेकर 74 तक और 7–2–81 से जून, 82 तक, और उसको प्रमोशन दे दिया गया । 50 हजार का उसको लाभ पहुंचाया गया । मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ । आप ऐसा विषय उठा रहे हैं जो आपने कटौती प्रस्ताव में नहीं दिया है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इतना रुपया कहां गया ? अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता, किसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, एक मामला पिछली बार उठा था--महावीर प्रसाद वैद्य, डिप्टी डायरेक्टर, आयुर्वेद विभाग 80 के अन्दर कोटा नगर में अवैध नियुक्तियां करके आया, 15-20 हजार तक की सौदेबाजी करके आया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय से हट रहे हैं । विस्तार में जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में, आॅर्डर प्लीज़ ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं, मुझे जवाब दिया गया है, 80 में जिस व्यक्ति ने गड़बड़ियां की थीं, उस 80 के व्यक्ति को धारा 16 के तहत अब आपने विभागीय जांच के लिए आदेश दिये हैं ? अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, राजस्थान में 250 के लगभग आयुर्वेद विद्यार्थी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य होगा, अभी नियुक्तियां दी हैं, आम चर्चा है कि 10-20 हजार रुपये का सौदा हुआ ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, माननीय सदस्य यह आपके प्रस्ताव में नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : ठीक है । निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्य[क्ष] महोदय, 2 व्यक्तियों को तो नियुक्तियां [दी] हैं, एक का नाम है रामकरण तिवा[री] और दूसरा सुभाष चन्द्र शर्मा । एक [की] उम्र है 36 वर्ष 6 माह, एक की उ[म्र] वर्ष । आयुर्वेद विभाग में नियुक्तियां कर [दी] गयी हैं । ऐज सर्टिफिकेट देखने के बा[द] प्रमाणित हो जायेगा । 38 वर्ष का व्यक्ति क्या राजस्थान में आज नौकरी कर सकता है ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, यह नियम है कि इण्डियन मेडिसिन बोर्ड के द्वारा जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं [हो] राजस्थान में किसी को नियुक्ति नहीं [दी] जा सकती । लेकिन आपके यहां इण्डियन मेडिसिन बोर्ड की बिना स्वीकृति के कैला नारायण गुप्ता और देवीनारायण धाक नाम के दो व्यक्तियों को....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननी[य] सदस्य । मैंने माननीय सदस्य का क[ई] बार ध्यान आकर्षित किया इस बात क[ी] ओर कि यदि आप स्पेसिफिकली किस[ी] व्यक्ति या किसी घटना के बारे में कहना चाहते हैं तो आपको इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए । काफी समय हो गया इसलि[ए] कृपया....

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद [पर] शायद मैं अकेला ही बोल रहा हूं । अ[ब] तक जिन माननीय सदस्यों का नाम पुकार

(श्री बाऊदयाल जोशी)

उनमें से कोई नहीं बोला। जल्दी से जल्दी समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तीन मिनट का और समय देता हूं।

श्री बाऊदयाल जोशी : 10 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से बाहर के 12 व्यक्ति ...

श्री अध्यक्ष : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसा है कि 5 बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना प्रारम्भ होगा। इसलिए मैं समय सीमा निश्चित करता हूं 5-7 मिनट की। आपको 3 मिनट का समय और दिया जाता है। माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप अपनी चर्चा, अपने जो कटौती प्रस्ताव हैं, उन्हीं तक सीमित रखें। 3 मिनट का समय। इसके पश्चात, यह नहीं होना चाहिये कि 3 मिनट मुझे आपको बिठाने में लगें।

श्री बाऊदयाल जोशी : 3 मिनट के बाद ही बैठ जाऊंगा आपकी आज्ञानुसार। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, एक डिग्री होती है डी. ए. एम. एस. करनाल विश्वविद्यालय से आयुर्वेद स्नातक को दी जाती है। कितने लोगों को, करनाल विश्वविद्यालय वालों को, राजस्थान में नौकरी दी? 12 लोगों को। 12 के 12 व्यक्ति राजस्थान के निवासी नहीं हैं। इन्होंने जाली सर्टिफिकेट पेश करके राजस्थान में नियुक्तियां प्राप्त की हैं। राजस्थान के स्नातक दर दर की ठोकरें खाते फिरें। मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रकार के सर्क्युलर निकाले कि केवल मध्य प्रदेश के लोग ही नौकरी करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरा सर्क्युलर निकाल कर प्रस्ताव कर दे कि दूसरे लोग नौकरी नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज आयुर्वेदिक नर्स, वैद्य, कम्पाउण्डर्स का ट्रेनिंग कैम्प चल रहा है। मैं चार्ज नहीं लगाता, लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आखिरकार इसने राज्यादेश से कितने लोगों को नियुक्तियां दीं? अजमेर के कैम्प में मन्त्री महोदय ने 10 पर्चियां भेजीं और जोधपुर के कैम्प में 7। एक नया केन्द्र और खोला है अपने व्यक्तियों को भरने के लिए निजी क्षेत्र में। एक तरफ तो आयुर्वेद के वैद्य, नर्स और कम्पाउण्डर्स घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि नौकरी दो, नौकरी दो। 160 लोगों को ढाई साल में निकालते हैं, दूसरी तरफ आयुर्वेद के नर्स-वैद्यों के लिए 60 व्यक्तियों का एक केन्द्र और चलाया है धौलपुर मच्छकुण्ड में। मच्छकुण्ड में कितने लोगों की आपने पर्चियां भेजीं? मेरे पास प्रमाण हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे, चार्ज लगा रहे हैं, मेरे पास प्रमाण हैं कि 5 हजार से 7 हजार एक व्यक्ति ने दिये और वहां पर 27 व्यक्तियों की भर्ती राज्यादेश से हुई। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा मन्त्री है जो अपनी मर्जी से कहीं भर्ती करा दे? एलोपैथी कालेज में खेतसिंह जी अपनी पर्ची से किसी डाक्टर को भर्ती करा सकते हैं? कम्पाउण्डर की ट्रेनिंग में अपनी पर्ची के आधार पर भर्ती करा सकते हैं? लेकिन, आयुर्वेद मन्त्री महोदय ने एक जगह 37 पर्चियां, एक जगह 27 पर्चियां, एक जगह

(श्री दाऊदयाल जोशी)

17 पर्चियां और एक जगह 7 पर्चियां। आपने नियम बना लिया है कि 10 प्रतिशत कोटा राजस्थान के मन्त्री महोदय इश्यू करेंगे। 10 प्रतिशत ही नहीं यह तो 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 33 प्रतिशत, 40 प्रतिशत कोटा आपने अपनी मर्जी से दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जाली डिग्री मिल रही हैं। जैसा कि, पिछली बार स्वास्थ्य मन्त्री जी, राजस्थान के अन्दर आंख फोड़ो काण्ड हुआ था और आपने कहा था कि इस सम्बन्ध में कठोर कानून बनेगा। क्या हुआ उस कठोर कानून का? 860 लोगों को इस साल बिना योग्यता के आधार पर केवल हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सर्टिफिकेट के आधार पर रजिस्ट्रेशन दिया गया है। एक रजिस्ट्रेशन में 5 हजार से लेकर 7 हजार रुपये तक वहां लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह आया हुआ नहीं है आपके प्रस्ताव में।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार के काले कारनामों के कारण सैन्टर की भारतीय चिकित्सा परिषद, स्वामी रामकृष्ण नगर, नई दिल्ली ने एक विज्ञप्ति निकाली है-सावधान। यह विज्ञप्ति है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी राज्य सरकार को यह आदेश नहीं है कि योग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करे। जब तक कॉलेज से निकले हुये व्यक्तियों का ही राजस्थान में और अन्य जगहों पर रजिस्ट्रेशन किया जाय। लेकिन राजस्थान में इस साल 860 व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समाप्त करें भाषण।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात स्वतन्त्रता सेनानी की कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास एक चिट्ठी राजस्थान के स्वतन्त्रता सेनानी एवं पत्रकार, जिनका नाम है जुगलदास, की आई है। इनके 22 वर्ष के जवान बच्चे की ग्वालियर हास्पिटल में मृत्यु हो गई। धौलपुर एलोपैथिक चिकित्सालय में अव्यवस्था व्याप्त है। इनका बच्चा मरा 12 जनवरी को, इसके पहले हमारे राजस्थान के विधान सभा के सदस्य श्री जगदीश सिंह जी मरे, इसके बाद में एक महिला मरी, इसके बाद हाकिमसिंह नामक राजपूत मर गये। यह अव्यवस्था है धौलपुर के अन्दर....

श्री दिनेश डांगी : आप तो बच गये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जगदीशसिंह जी की मृत्यु के सम्बन्ध में स्पष्ट अंकित किया गया कि एलोपैथिक औषधालय, धौलपुर के अन्दर जिस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था है उसके कारण जगदीश सिंह जी की मौत हुई-लंग्स को पंचर करना और निरन्तर बेहोशी में रखना गलत चिकित्सा रही जबकि उनके अनुसार पेट में खून भर गया था और सिर में चोट आई थी। यह चिट्ठी मुख्य मन्त्री जी के पास भेजी है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की अव्यवस्था बनी हुई है। मुझे

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पूज्य बापू ने कहा था कि अत्याचार सहना भी कायरता है और गुनाह की संज्ञा में आता है। सत्य यह है कि....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि बोलने के लिये तो मेरे पास इतना मैटर था कि 5 बजे की बजाय 7 बजे तक बोलता रहूं लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करना है....

श्री अध्यक्ष : आपको और अवसर देंगे। कई अवसर आयेंगे।

श्री मेघराज तावड़। कृपया समय का ध्यान रखें, आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है लेकिन फिर भी....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आपने सही पहचाना है। मैं बिलकुल समय का ध्यान रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मांग पर चर्चा चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य मन्त्री जी को फूलों की माला से लादने की कोशिश की XXX लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं सचाई के साथ हूँ। XXX कोई ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रह सकता है और न जनता इसे देखना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा। माननीय खेतसिंह जी जो चिकित्सा मन्त्री हैं वह बहुत ईमानदार और हंसमुख माने जाते हैं उनके पी. एस. राम गोपाल थे, ऐसा लगा है कि उनको अभी हटा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका कारण यह है कि पहले उनका जोधपुर काण्ड हुआ और अभी अभी उनका और एक जोधपुर में काण्ड हुआ....

श्री अध्यक्ष : आपका कटौती प्रस्ताव आया हुआ है इस सम्बन्ध में।

श्री मेघराज तावड़ : भ्रष्टाचार के बारे में आया हुआ है?

श्री अध्यक्ष : यह कटौती प्रस्ताव में आना चाहिये।

श्री मेघराज तावड़ : उमा व्यास नामक लड़की, जिसके साथ काण्ड हुआ, ने इन्दिरा गांधी को भी इस सम्बन्ध में लैटर लिखा है। माननीय मन्त्री जी आपने अब तो हटा दिया लेकिन उससे आप और रामगोपाल जी बच नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग में जिस तरह से असंतोष है, जनता में असंतोष है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। माननीय मन्त्री जी, जैसे अभी सत्तापार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सारा पैसा शहरों में खर्च किया जा रहा है ग्रामीण जनता के लिये कुछ नहीं खर्च किया जाता है, ग्रामीण जनता के लिये अस्पताल नहीं है, अध्यक्ष महोदय। 1 लाख लोगों के बीच में कहीं पी. एच. सी. है जिससे 1 लाख लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं हो सकती है इसलिये मैं चाहूंगा कि

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मेघराज तावड़)

माननीय खेतसिंह जी उदार मन से गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। शहरों के आदमियों के पास पैसा है वह तो कहीं भी इलाज करा सकते हैं लेकिन गांवों के आदमी नहीं करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, गांवों में किसी डिस्पेन्सरी में दवाई नहीं मिलती, डाक्टर नहीं मिलता। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को मैंने कोटड़ा गांव की डिस्पेन्सरी के सम्बन्ध में शिकायत की थी। उसके सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां कोई जाना नहीं चाहता है। हर एक राज्य कर्मचारी यह मानता है कि कोटड़ा काला पानी है राजस्थान के अन्दर, इसलिये कोई जाना नहीं चाहता है। जो चला गया वह दारू में और गलत व्यभिचार में पड़ जाता है इसलिये फिर वहां से जाना नहीं चाहता है। इसी तरह से थामस जिनस नाम का कम्पाउण्डर था। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर तो वहां रहता नहीं है, दवाइयां जो थोड़ी बहुत हास्पिटल में आती हैं वह सारी की सारी अपने घर पर ले जाता है। हास्पिटल में जो मरीज आते हैं उनको अपने घर पर बुलाता है और पैसा चार्ज कराता है। इससे ज्यादा दुःख की बात और क्या हो सकती है कि उस थामस नामक कम्पाउण्डर ने मीरा नाम की आदिवासी महिला के एक्सपाइरी डेट का इन्जेक्शन लगा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्ट मार्टम कराया गया लेकिन पुलिस द्वारा डाक्टर से बार बार तकाजा करने के बावजूद भी पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं, मेरी आज उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कम्पाउण्डर को हटा दिया है। उसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस आदिवासी इलाके के साथ रहम फरमायें। उस इलाके में डाक्टर जाना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको नाम दूंगा उनको भेज दीजिये। डाक्टर जाते हैं उनका जिस तरह से ट्रान्सफर हो जाता है, यह आपकी कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है, ट्रान्सफर कैन्सिल कर दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं पाइन्ट पाइन्ट ही कहना चाहूंगा। डाक्टर जहां भी बड़े हास्पिटल में हैं वहां पर सरकार को नियम बनाना पड़ेगा। बिना लिए दिए डाक्टर जांच नहीं करते हैं तो फिर डाक्टर्स को तनख्वाह किस बात की मिलती है। उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रीजी इस बात की जांच करवायें कि नौकरी में आने के पहले उनकी क्या प्रोपर्टी थी और 4–5 साल के बाद में क्या प्रापर्टी है? प्राइवेट प्रैक्टिस रोकी जाय। गरीब आदमी प्राइवेट प्रैक्टिस जो करते हैं उनको पैसा नहीं दे सकते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है उसकी क्षमता नहीं है कि वह 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये फीस देकर जांच करवायें। उनके पास तो शहरों में हास्पिटल तक आने के लिए किराया तक नहीं है तो वह किस प्रकार से 25 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये फीस के दे सकते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार गांवों के

श्री मेघराज तावड़)

...लिए उचित व्यवस्था करे। गांवों में डाक्टर नहीं हैं, दवाइयां भी नहीं हैं, वहां पूरी व्यवस्था की जाय। मैंने कोटड़ा की बात बताई, मेरा भी इलाका है, वह आदिवासी इलाका है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग में शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो लोग हैं उनका प्रमोशन नहीं होता है। उनकी डी.पी.सी. नहीं बैठती है, जूनियर को प्रमोशन दे देते हैं सीनियर रह जाता है। मैं नाम लेकर कहना चाहता हूँ कि उदयपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां कम्पाउण्डर और नर्सेज के डी.पी.सी. नहीं होने की वजह से 10-10 साल से प्रमोशन नहीं हुए हैं। इसी तरह से मैं मंत्री महोदय. मैं कहना चाहता हूँ कि आपके परिवार कल्याण विभाग में चावला नाम का एक पिछड़ी जाति का, कास्ट का व्यक्ति है उसको सुपरसीड़ करके, प्रतिनियुक्ति पर गवर्नमेंट से से आदमी को ले लिया गया, उसको प्रमोशन दे दिया। जो व्यक्ति उसका अधिकारी है उसको प्रमोशन नहीं देना चाहते। माननीय मंत्री महोदय हां नहीं अधिकारी लोग भी इस बात को मानते हैं और लोगों ने भी लिखा है, एक विशेष अधिकारी की वजह से वह नहीं चाहते हैं कि उसको प्रमोशन मिले क्योंकि वह हरिजन है, पिछड़े वर्ग का है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय मुझे तो यह शक भी है कि जब मैं यहां पर बोल रहा हूँ तो कहीं उसका टर्मिनेशन भी हो सकता है, सस्पेन्ड भी कर सकते हैं। इसलिए मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि उसका टर्मिनेशन करेंगे या प्रमोशन दिलाने की कार्यवाही करेंगे?

उसको प्रमोशन नहीं दिया गया और उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष, महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। तीन चार बातें और भी हैं, लेकिन समय हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी के बारे में, जिनके बारे में माननीय गोपालजी पचेरवाल ने बहुत सारी बात कही, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान प्रकाशजी को आप बचा रहे हैं, ऐसा भ्रष्ट आदमी है, जो 35 हजार लोग हैं राजस्थान प्रदेश के 35 हजार कर्मचारी हैं नान गजेटेड उनका भविष्य क्या इनके हाथ में है, जो चांदमलजी शर्मा को वह बचाना चाहते हैं? क्या कारण है? मैं कहना चाहता हूं डाक्टर ज्ञानप्रकाशजी के यहां आज भी लाल और हरी लाइट लगती है। क्या कारण है, आप उनको बचाना चाहते हैं, क्यों उनको प्रमोशन दिया जा रहा है? ऐसे लोगों को सजा देने के बजाय आप प्रमोशन दे रहे, एडहॉक बेसिस पर प्रमोशन दे रहे हैं। क्यों नहीं डी.पी.सी. बैठाई? क्यों नहीं बिठा रहे हैं आप डी.पी.सी.? क्या कारण है आप ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय,

(श्री मेघराज तावड़)

मैं दो चार मिनट में समाप्त कर देता हूं। बहुत जल्दी, फन्टियर की तरह चल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में फेमिली प्लानिंग का लाटरी का टिकट चालू किया है। आपके फेमिली प्लानिंग में लाटरी चालू करने का क्या कारण था और आज उसमें कितना भ्रष्टाचार है? अभी तो दो ड्रा निकले हैं, एक तो, अध्यक्ष महोदय, 15.2.84 और दूसरा 21.3.84 को। लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हुआ कितना? मालूम है? आज अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं जो पहली बार ड्रा निकला उसमें 150 टिकटों को नहीं डाला गया, वह अधिकारियों के पास पड़े रहे। उसके 15 टिकट मेरे पास हैं, जिस तारीख को ड्रा निकला उनको लाटरी में नहीं डाला गया। मेरे पास फोटोस्टेट कापी हैं, अध्यक्ष महोदय। तो क्या इस तरह से भ्रष्टाचार पनपाने के लिए आपने यह लाटरी खोली है?

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं मेरे पास बहुत मसाला है, लेकिन समय कम है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : बिल्कुल, आपके परिवार कल्याण में जो आफसेट मशीन है उसके बारे में बताना चाहता हूं। यह आडिट रिपोर्ट है महालेखाकार की, अध्यक्ष महोदय, 27.10.75 से 3.11.75 तक आफसेट की मशीन का दिया है 44411 रुपयों का घोटाला हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस पर कोई प्रस्ताव तो है नहीं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोद मैंने इसी तरह से दिये हैं और नामज़द दिये हैं। हो सकता है वो लेट पहुँचे हों लेकिन मैं तो सरकार के हित में बात कह चाहता हूं। मेरे पास सारी की सा रिपोर्ट है, लाखों रुपयों का घोटाला है। कहना चाहता हूं खेतसिंहजी को, अ आप कार्यवाही करना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो जैसे अधिकारियों ने जनता को लूटा वैसे आपको जनता छोड़ेगी नहीं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ भाषण माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय उदयपुर के बारे में अपनी बात कहक समाप्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है, उदयपुर की जनता को पिछोला और फतहसागर झील का पानी पिलाया जाता है। आज वहां पर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पानी गंदा है बाहर नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय लेक पैलेस में महाराजा ने होटल चला रखा है जिसका सारा गन्दा पानी उदयपुर शह के लोगों को पीने को मिलता है। उस सबसे ज्यादा जोण्डिस की बीमारी होती है उसकी रिपोर्ट है। क्या मंत्री महोदय उस बारे में कुछ करना चाहते हैं?

अन्त में मैं कहना चाहता हूं अग आप दे सकें, क्योंकि आपकी तारीफ तो म

श्री मेघराज तावड़)

ड़ीं कर सकता, आपकी जो कमजोरियां वे बताऊंगा, सायरा में रेफरल हास्पिटल लिए मैं लास्ट टाइम से बराबर मांग रता आ रहा हूं माननीय खेतसिंहजी ाहब. सायरा में जो आदिवासी इलाका है, फरल हास्पिटल के लिए मैं लास्ट ईयर बराबर मांग करता रहा हूं। दूसरा गुन्दा में प्रसूति गृह की मांग है वहां की नता को। तीसरा, आयुर्वेद मन्त्रीजी बैठे ए हैं, वह सुन नहीं रहे हैं, सेंदवाड़ा, सूरतगढ़ र सिवैया तीन ऐसे गांव हैं जहां न स्पेन्सरी है न आयुर्वेदिक औषधालय है, स-बीस मील तक चिकित्सालय नहीं है, हां किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा हीं है। मैं चाहूंगा कि जवाब देते समय ा बारे में घोषणा कर सकें तो अच्छा है। ह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता ।

श्री अध्यक्ष: श्री भैरूंलाल मीणा। पया समय का ध्यान रखें।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): ध्यक्ष महोदय, मैं केवल 5 मिनट में खत्म रूंगा।

मांग संख्या 26, चिकित्सा सुविधा के र चर्चा चल रही है उस सम्बन्ध में हूंगा।

मेरा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण ज्यादातर हर से लगता है। उदयपुर के चारों ओर फरल हास्पिटल में ग्रामीण लोग इलाज राने के लिए जाते हैं। मैंने स्वयं कई र अस्पताल में जाकर देखा, हास्पिटल में इलाज होता है, एक तरफ हमारी यह मंशा है, गरीब को इलाज फ्री हो और गरीब को सबसे पहले देखा जाय ताकि उसका इलाज सही रूप से हो लेकिन वहां हास्पिटल में मैंने खुद ने देखा, वहां हालत यह है कि कुछ का इलाज होता है बाकी का इलाज नहीं होता है। इसलिए मैं इस मौके पर मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर जो भी गरीब हैं उनका इलाज कम से कम फ्री हो। वह फीस लेते हैं, सभी सदस्यों की यह भावना है डाक्टर लोग फीस लेते हैं और फीस भी देनी है। गरीब आदमी नहीं दे पाते हैं तो वह प्राइवेट हास्पिटल में जाते हैं। डाक्टर को फीस दें तो डाक्टर इलाज बता देता है कि तुम बाजार जाकर दवाई लेकर आओ। वह वहां जावे, फीस देवे, फिर बाजार में जावे और दवा लावे तो उसको इन्जेक्शन और गोलियां देवें। इससे अच्छा है कि प्राइवेट हास्पिटल में चला जाय। मजबूरी में इलाज कराने के लिए देहात से लोग आते हैं वह आम तौर से प्राइवेट वालों के पास ही जाते हैं। जो पैसा डाक्टर को फीस देने में जाता है उतने पैसे में उनका सारा इलाज हो जाता है। हो सकता है गलत हो, सही हो लेकिन सेटिस्फेक्शन होता है प्राइवेट से। तो मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण इलाके से चाहे कोई भी गरीब लोग आवें उनको सही रूप से, सस्ती चिकित्सा सुविधा हम देना चाहते हैं, उसकी पूरी निगरानी हो ताकि उनको सुविधा हो। मैं कहना चाहूंगा, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़ों को पहले वाली बात है, अन्यथा जिसके पास पैसा है उसके तो बीमारी नहीं और बीमारी है उसके पास पैसा नहीं।

(श्री भेरू लाल मीणा)

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है, जहां कृषि उपज मण्डी समिति है वह एक ऐसा स्थान है जो शहर के बीच में आ जाता है। कृषि उपज मण्डी के चारों ओर लोग बिछे हुए हैं। वहां किसान लोग भी सामान लेने-देने के लिए आते हैं। वहां जो डिस्पेन्सरी है उसमें काफी लोगों की भीड़ लगी है। लेकिन वहां पर जो सुविधा होनी चाहिए एक्स-रे की और ठहरने की वह नहीं है। मैं चाहूंगा वहां और कमरों को व्यवस्था हो और चिकित्सा सुविधा हो, एक्स-रे मशीन वहां लगे ताकि आसपास के लोगों का, किसानों का आसानी से इलाज हो सके, क्योंकि शहर बाहर बहुत बढ़ गया है, बाहर बढ़ने के कारण जनरल हास्पिटल में जाने में बड़ी तकलीफ होती है लाइन में लगना पड़ता है और इलाज बराबर नहीं होता है। इस कारण कृषि उपज मण्डी समिति में जो डिस्पेन्सरी है वह ग्रामीण इलाके के लिए और शहर के लोगों के लिए फायदेमंद होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा वहां भवन तो है, और भवन की जगह भी है, भवन बनाया जाय और इलाज सही रूप से हो।

दूसरा मैंने कटौती प्रस्ताव दिया था जो पी.एच.सी. टीबी में खोली है उसके लिए धन्यवाद है। अच्छा है कुछ आदिवासी इलाके के लिए फायदा होगा। भवन बनकर तैयार हो गया लेकिन अभी वहां पर स्टाफ नहीं गया है। मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा, शीघ्र ही स्टाफ भेजें और स्टाफ भी ढंग का भेजें ताकि वहां जमकर रहे। ऐसा नहीं कि रोज अप-डाउन करे, रोज उदयपुर जाय, मरीज पड़ा रहे और उसका इलाज नहीं हो, फिर उसको उदयपुर का रास्ता ढूंढना पड़े। मैं चाहूंगा जो भी डाक्टर वहां जाए वह जम कर रहे, आदिवासियों का और गरीब लोगों का इलाज कर सके।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मांग पर चर्चा हो रही है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय हमारी पार्टी की बारी नहीं आई।

श्री घनश्याम जैन : मैं भी मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम माननीय राठौड़ साहब को धन्यवाद दूं कि इन्होंने चित्तौड़ के रेफरल हास्पिटल को अपग्रेड किया। साथ ही डांगी साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र में इन्होंने औषधालय खोले। मेरा एक निवेदन है कि चिकित्सालय सम्बन्धी जो बजट खर्च किया जाता है उसका ज्यादातर प्रतिशत शहरों में खर्च किया जाता है मेरी मांग है कि बजट ज्यादातर गांवों और ऐसे इलाकों, जो चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं, में अगर हम खर्च करेंगे तो हम वहां के लोगों की ज्यादा सेवा कर सकेंगे।

इस दृष्टि से मेरे क्षेत्र, जो बेगूं है, में बहुत लम्बी लम्बी सड़कें हैं और यातायात के साधन भी हैं, बेगूं तहसील के 96 गांव

(श्री घनश्याम जैन)

भाते हैं । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय राठौड़ साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर रेफरल हास्पिटल बनाया जाय । अध्यक्ष महोदय, वेगूं एक सब डिविजन हैडक्वार्टर है और वहां पर उप खण्ड अधिकारी का कार्यालय है । सरकार ने यह घोषणा की है कि हर सब डिविजन हैडक्वार्टर पर एक रेफरल हास्पिटल खोला जायेगा । तो मेरा यह माननीय राठौड़ साहब से निवेदन है कि वेगूं में जो अस्पताल है उसको रेफरल हास्पिटल में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें ।

दूसरे जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावतभाटा का राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में अनूठा स्थान है । वहां पर आर. ए पी. पी. है और हैवी वाटर की परियोजना विश्व स्तर की है । उसकी आबादी 25 हजार से ज्यादा ही है लेकिन वहां पर सिर्फ एक आउटडोर हास्पिटल है । उसमें एक भी पेशेन्ट रह कर अपना इलाज नहीं करवा सकता है । आर. ए. पी. पी. का जो अस्पताल है वह वहां की जनता के लिये खुला हुआ नहीं है । इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय राठौड़ साहब से यह निवेदन करूंगा कि आबादी और भौगोलिक दृष्टि से देखते हुए जो हास्पिटल है उसको रेफरल हास्पिटल में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें ।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि मेरे क्षेत्र में चिकित्सा की दृष्टि से सबसे कम सुविधायें उपलब्ध हैं पूरी तहसील में एडपोस्ट दी है । वहां पर रावड़दा, देवपुरा दो ऐसे क्षेत्र हैं रावड़दा में तो खनिज का अतुल भण्डार है जिसके कारण कई मजदूर काम करते हैं । अध्यक्ष महोदय, वहां आसपास के करीब दस हजार मजदूर काम करते हैं । तो मेरा निवेदन है कि वहां पर एडपोस्ट को प्रमोट करने की कृपा करें । इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, नन्दबई लाडपुरा में ग्रामीण डिस्पेन्सरीज हैं उनको भी सहायक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की कृपा करें ।

दूसरा मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक जोगिणिया माता का तीर्थ स्थान है । वहां पर हर साल लाखों लोग दर्शन करने के लिये आते हैं । हर साल जो मोबाइल सर्जिकल कैम्प भी लगता है उसमें हजारों लोगों का इलाज किया जाता है । वहां पर एक कमेटी भी इसके लिये बनी हुई है । उस कमेटी ने यह मांग की है कि वहां के वातावरण को देखते हुए, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए, वहां के जलवायु को देखते हुए टी. बी. का एक अस्पताल होना चाहिये । मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर यह अस्पताल खोला जावे ।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाय तो मेरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है । मैं माननीय डांगी साहब से यह निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे यहां पर जहां 1500 या 1700 की आबादी के कस्बे हैं, वहां पर कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, जैसे खातीखेड़ा, रायता, मन्डावरी यह ऐसे कस्बे हैं जहां की आबादी बहुत ज्यादा है पर कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है । इसलिये मैं माननीय आयुर्वेद मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा

166

(श्री घनश्याम जैन)

कि वहां पर आयुर्वेद के अस्पताल खोलने की कृपा करें।

बस इतना ही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री मङ्गाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

(व्यवधान)

दो दो मिनट का समय सबको बोलने को दे दिया जाय ताकि अपनी बात कह सकें।

श्री अध्यक्ष : हां, दो दो मिनट वाली बात समझ में आ सकती है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, आज हम चिकित्सा और स्वास्थ्य की मांग के ऊपर बहस कर रहे हैं जो कि 80 हजार कम, 1 अरब, 12 करोड़ और 60 लाख रुपये खर्च करने की है। अध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान कई माननीय सदस्यों ने या तो यह कहा कि डाक्टरों ने यह गड़बड़ की या यह कहा कि भ्रष्टाचार है, या किसी ने यह कहा कि अपाइन्टमेंट में यह गड़बड़ है, या यह कहा किसी ने कि ट्रांसफर में गड़बड़ी है। तो, अध्यक्ष महोदय, इससे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो सकता है पर हमारी आधारभूत मांग है उस मांग की बहस नहीं हो सकती है, हमारी जो बेसिक मांग है उसका वह आधार नहीं हो सकता है। बेसिक हमारी मांग क्या है? आज हम जो पैसा खर्च करने जा रहे हैं उस पैसे से जिसको सुविधा हम पहुंचाना चाहते हैं या हमारा लक्ष्य जो है, क्या हम आने वाले वर्ष में जिन लोगों को हमें फायदा पहुंचाना है उनको वह लाभ पहुंचा सकेंगे या नहीं? आज हमारे यहां पर 87 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, या 64 प्रतिशत लोग वह हैं जो कि गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको हम यह चिकित्सा सुविधा पहुंचा पायेंगे या नहीं, या आज शहरों से जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में या स्लम्स में 30 से 35 प्रतिशत लोग रहते हैं उनको इसका लाभ हम पहुंचा पायेंगे अथवा नहीं, वह बहस का मुद्दा होना चाहिये। क्या यह बजट सिर्फ शहर के लोगों के लिये हो है जो कि 15 प्रतिशत हैं, उनको ही चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये ही खर्च कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल एलोपैथी चिकित्सा का है, मेरा एलोपैथी चिकित्सा से कोई विरोध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एलोपैथी चिकित्सा अपने आप में एक सर्वमान्य चिकित्सा है। हमारे यहां के डाक्टरों और दूसरे लोगों ने यहां की परिस्थितियों को देखते हुए, कहां तक सुविधा उपलब्ध करायी है, यह देखने की बात है। अध्यक्ष महोदय, एलोपैथी केपिटल इन्टेंसिव होती है। इस चिकित्सा पद्धति में बहुत खर्चा होता है। यह पद्धति महंगी पद्धति है। हमारे देश के लिये यह पद्धति अभी तक ज्यादा कारगर इसलिये नहीं हो पायी है कि हमारी जनता के पास इतने साधन नहीं हैं। हमारे यहां की जनसंख्या है उसमें इस एलोपैथी चिकित्सा का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया है। वैसे तो हमारे यहां के जो डाक्टर्स हैं उन पर हमें बहुत

(श्री यदुनाथ सिंह)

गर्व है क्योंकि इन्होंने हमारे देश में ही नहीं विश्व में नाम कमाया है। हमें उन पर गर्व है। पर, अध्यक्ष महोदय, जो अभी व्यवस्था है, हमारे गांवों में जो गरीब लोग बैठे हैं, जो कि संख्या में बहुत ज्यादा हैं, हम जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं क्या उन्हें इस महंगी चिकित्सा पद्धति से लाभ पहुंचा पायेंगे। एक तो यह महंगी चिकित्सा पद्धति है, अध्यक्ष महोदय, दूसरे यह पाश्चात्य सभ्यता पर बेस्ड है। पाश्चात्य सभ्यता से निकली हुई पद्धति है इसलिये इसकी शिक्षा भी पाश्चात्य पद्धति से होती है। इसलिये हमारे यहां पर जो गरीब लोग हैं उनके पास तक यह चिकित्सा नहीं पहुंच पाती है। यह तो सिर्फ कुछ लोग जो कि शहरों में रहते हैं और लग्जरी पसन्द लोग हैं, को ही लाभ पहुंचा सकती है। इस चिकित्सा पद्धति में एक डाक्टर को तैयार करने में हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है मगर उसका लाभ फिर भी गांव वालों को नहीं होता है। इसके साथ ही गांव के लोगों को जो लाभ हम पहुंचाना चाहते हैं, जो सुविधा पहुंचाना चाहते हैं वह इस चिकित्सा पद्धति से उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जब तक हमारे पास इतने साधन नहीं हो जायं कि हम गांवों के लोगों तक इस सुविधा को उपलब्ध करा सकें तब तक जो हमारे गांवों में गरीब से गरीब लोग हैं, जो नीचे से नीचे तबके के लोग हैं उनके पास इस महंगी चिकित्सा को नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिये हमें यह बात ध्यान में रखनी है, हमें उन गरीब लोगों को यह चिकित्सा सुविधा सर्वसुलभ करानी है। जो गरीब लोग हैं उन के पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसे की कमी है। अध्यक्ष महोदय, वैसे इस चिकित्सा पद्धति से मुझे कोई गुरेज या कोई शिकायत नहीं है, अध्यक्ष महोदय, पर दवाइयां जा है....

श्री अध्यक्ष : दवाइयां भी तो बहुत सस्ती हो गयी हैं। इससे गरीब को विश्वास भी नहीं होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, नहीं होना चाहिये, और होगा भी नहीं। अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों को इसका लाभ पहुंचाना चाहिये। आज भी, अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वह किसी से गोली मांग लेगा पर उसके पास 20-25 और 30 मील जाकर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की ताकत नहीं है वह शहर में नहीं जा पाता है। इस कारण गरीब आदमी वहीं पर बीमारी से खतम हो जाता है। आज भी जो 64 प्रतिशत आदमी गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनके पास अपने पेट को भरा रखने के लिये पैसा नहीं है। जब भी बीमार होता है तो उसके पास बस या रेल का किराया लगाकर शहर में जाने को पैसा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, जब तक शहरों में न जा पाये तब तक हमें इस चिकित्सा पद्धति के अलावा दूसरी चिकित्सा पद्धति की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज भी गांवों में गरीब लोगों को डाक्टरों में विश्वास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले गांव में लोग जब किसी डाक्टर के पास जाते हैं तो पहले डाक्टर के आगे हाथ फैलाते हैं। नब्ज दिखाते हैं और यह कहते हैं कि उन्हें क्या बीमारी है? गांवों की जनता को वैद्यों से कोई शिकायत भी नहीं क्योंकि वैद्य

(श्री यदुनाथ सिंह)

लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज करते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुकूल होती है उनकी चिकित्सा। आज भी बहुत संख्या में गांवों में इस पद्धति पर विश्वास है। पर अब इस पद्धति पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब तक पूरे साधन सम्पन्न इस पद्धति के लिये नहीं हो जायें तब तक यह एलोपैथी चिकित्सा पद्धति हमारे यहां की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य पचेरवाल जी ने कहा था कि कौन-कौनसी बीमारी फैलाने वाली बात है, किनसे आज बीमारी फैलती है। तो जो बीमारी फैलाने वाली बात है जो आज की परिस्थितियों में चल रही है, जो बीमारी की जड़ है, वह है पोल्यूशन फैल रहा है, जो पानी में पोल्यूशन है जिसका कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया, हवा में पोल्यूशन होता है, अध्यक्ष महोदय, बिजली से भी पोल्यूशन होता है। पहले जो लोग रात में साइकिल पर, पैदल और घोड़े पर आया जाया करते थे अब वह नहीं जा सकते हैं बिना लाइट। तो लाइट का जो पोल्यूशन है उससे आज लोगों की आंखें कमजोर हो गयीं। इसी तरह से हवा का पोल्यूशन है, प्रकाश का पोल्यूशन है इससे कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : आर्डर। सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, आज जो नीतियां हैं उनमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। आज, अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था है उसमें 13 करोड़ या साढ़े तेरह करोड़ या पौने चौदह करोड़ का बजट इस पद्धति को दिया जाय। भारी भरकम बजट ऐसी पद्धति के लिये दिया जाय जो कुछ लोगों तक सीमित है। इसलिये मैं चाहूँगा जब तक हम पूरी तरह से साधन सम्पन्न नहीं हो जायं तब तक हमारी चिकित्सा पद्धतियां जो भारतीय हैं जिनसे गांवों में इलाज करते थे, आज भी सांप के काटे का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, इलाज सिर्फ भारतीय चिकित्सा पद्धति में है, पेटेंट इलाज है इसलिये सरकार इस बार नीति में परिवर्तन करे, जब तक, हम साधन सम्पन्न नहीं हों हमें भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करना चाहिये और एलोपैथी के लिए जो भारी भरकम पूंजी रखते हैं उसको अन्य पद्धति में लगाना चाहिये।

इतना ही मैं निवेदन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : चिकित्सा के बारे में मैं निवेदन करता हूँ कि बाड़मेर जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सब सेंटर हैं उनमें ए. एन एम. के पद अधिकांश खाली पड़े हैं। इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले लगातार तीन-चार सालों से निवेदन करने

श्री हेमाराम चौधरी)

के बावजूद भी अभी तक उनमें ए. एन. एम. की नियुक्ति नहीं हुई है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा का लाभ सरकार पहुंचाना चाहती है वास्तव में उसको लाभ नहीं मिल रहा है ...

श्री महाराम चौधरी : आपका नाम नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जनता पार्टी के समय में आप लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ए. एन. एम. तैयार ही नहीं किये, उसकी योजना तैयार नहीं की। ट्रेंड ए. एन. एम. नहीं हैं इसलिये हमें काम में दिक्कत आ रही है। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी ने सब सेंटर खोले हैं इसलिये ए. एन. एम. ट्रेंड होकर जब बाहर आयें तो हमारे जिले में भेजें। जो सब सेंटर खुल रहे हैं वहां उनको लगायें।

दूसरा, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मेरे वहां पर आपने पी. एच. सी. खोले हैं हैडक्वार्टर पर, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप मन्त्री बने तो हमारे वहां डिस्पेंसरी, सब सेंटर खुले, यह आपने महरबानी की है। जो सब सेंटर, डिस्पेंसरी थी वह दूसरी जगह ट्रांसफर होकर दूसरे ही जिले में चली गई। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपने और मुख्य मन्त्री जी ने मेरे को आश्वासन दिया था कि वह डिस्पेंसरी ट्रांसफर होगी, इसलिये 1984-85 में जो पैसा चिकित्सा सुविधा के लिये रखा है उसमें चिकित्सा सुविधा केन्द्र खोले जायें और वहां पर डिस्पेंसरी दें। आपने और मुख्य मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया था वह आप पूरा करें। वहां डिस्पेंसरी नहीं दे सकें तो पी. एच. सी. दें, दोनों में से कुछ भी दे दें। जो उदासर, भानुपुरा सब सेंटर हैं उसके सम्बन्ध में चर्चा मैंने कई बार विधान सभा में भी उठाई। मुझे आश्वासन भी दिया गया। वहां भवन के लिये हर साल बजट में स्वीकृति होती है लेकिन वह बने नहीं हैं। इसलिये आप विशेष ध्यान देकर वह बनायें जिससे वहां पर यदि कोई ए. एन. एम. आये, जो अभी नहीं है, तो उसको रहने में मुश्किल न हो।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला रेगिस्तानी जिला है। वहां पर आबादी एक गांव में नहीं हो करके अलग-अलग ढाणियों में बसी हुई है। इस कारण वहां पर सबसे ज्यादा सब सेंटर खोले जाने की आवश्यकता है। मन्त्री महोदय ने स्वयं भी पिछले विधान सभा सत्र में स्वीकार किया था कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा सब-सेंटर खोले जायेंगे। मन्त्री जी ने इस तरफ ध्यान दिया इसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वर्ष भी 1984-85 के बजट में आप इस तरफ विशेष ध्यान दें क्योंकि आप स्वयं पश्चिमी राजस्थान की तरफ के रहने वाले हैं और हमारे लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आपका विधान सभा क्षेत्र आता है। इसलिये आप हमारे जिले का ध्यान रखें, आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सब सेंटर खोलें और डिस्पेंसरी का, जब आप जवाब दें तो हमें आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष : महाराम चौधरी। कृपया समय का ध्यान रखें, बोलने की सीमा दो मिनट है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में जैसा मेरी पार्टी के नेता ने कहा था कि जब तक नीति परिवर्तन नहीं होगा तब तक ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा के अन्दर हमेशा उपेक्षा होती रहेगी। इसलिए मैं आपकी मार्फत चिकित्सा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए प्राथमिकता आप जिस तरह से आबादी को दे रहे हैं उसको सैकण्ड नम्बर पर रखिये, पहले प्राथमिकता उन गांवों को दीजिए जिनके अन्दर आने-जाने का कोई साधन नहीं है, बसें दो-तीन दफा से ज्यादा नहीं आतीं। जिन गांवों में आबादी बिखरी हुई है उनको प्राथमिकता देकर आप एक गांव के अन्दर कम से कम एक तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां आपके चिकित्सा सुविधा के लिए उप केन्द्र हैं, ऐडपोस्ट है, सब सेंटर है, उस गांव के अन्दर औषधालय भी खोल रखा है। इसलिए आप सबसे पहले प्राथमिकता उन जगहों पर दीजिए जिन में अभी तक कोई तरह की चिकित्सा सुविधा नहीं है। ऐसे हर गांव के अन्दर चाहे सब सेंटर खोलें, चाहे डिस्पेंसरी खोलें, चाहे ऐडपोस्ट खोलें। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा के संबंधी जो चिकित्सा सेवा है, मेरे कहने का मतलब है, वह वहां पर खुद रुग्ण अवस्था में है, बीमार है। पहले यह भी सोचते थे कि जो पहले चिकित्सा मन्त्री थे वह बीमार थे, हमारे बद्री प्रसादजी भी बीमार थे हमारे दूसरे मन्त्री भी बीमार थे, आप तो हृष्ट-पुष्ट हैं, हंसमुख हैं, चिकने घड़े हैं, सब तरह से सर्व सम्पन्न हैं, आप रेगिस्तानी क्षेत्र के रहने वाले हैं और रेगिस्तानी इलाके में आपकी रुचि भी है। इसलिए प्रथम क्राइटेरिया ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पहुंचाने के लिए शेरगढ़ को आप मानदण्ड मान लें। आपने जिस तरह से अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई उसी को आधार मानकर जितने भी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, नागौर क्षेत्र का पश्चिमी इलाके का भी ध्यान रखें, विशेषकर फलौदी क्षेत्र, जो ढाणियों में बसा हुआ है, जहां दूर-दूर लोग रहते हैं, जिनके पास आवागमन के साधन नहीं हैं, रेल की सुविधा भी फलौदी तक है, का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है आप ज्यादा समय मुझे बोलने के लिए नहीं देंगे इसलिए जो मूल बातें हैं वह मैं बताता हूँ। योजनाबद्ध तरीके से चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के प्रगति विवरण में जो स्तर की बात कही है वह बिलकुल सच्ची नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से सुविधा पहुंचाना चाहते हैं तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा दी जाय। जितनी भी आप बात करते हैं औषधि निरीक्षण संगठन, औषधि निरीक्षण प्रयोगशाला की, इनके जो लाइसेंस दे रहे हैं या कई दुकानें खोलने, नई औषधियों के निर्माण के सम्बन्ध में कहते हैं, मेरा स्पष्ट निवेदन है कि एक ही फार्मूले की दवा के अलग-अलग नाम रखकर आपने प्रचुर मात्रा में दवाइयां इकट्ठी कर दी हैं। दवायें महंगी क्यों हो रही हैं? अध्यक्ष महोदय,

श्री महाराम चौधरी)

आपके माध्यम से खेतसिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि दवा सबसे ज्यादा महंगी होने का कारण यह है कि विज्ञापनों पर लाख-लाख रुपया खर्च होता है। विज्ञापन के आधार पर डाक्टर लोगों को दवायें सप्लाई करते हैं। उन पर रोक नहीं रखेंगे और दवाओं के नाम बदल-बदलकर दवा की बिक्री के लिए बाजार में आ रही हैं, एस्प्रो की गोली समझ लीजिए, कोई भी दवा समझ लीजिए, दवाओं के निर्माण के अन्दर करीब 518 दवा निर्माण करने की बात जो कह रहे हैं उस पर रोक लगायें और लिमिटेड दवायें बनायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले साल औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला के द्वारा विश्लेषण कराने के लिये जो नमूने लिये, वह 493 नमूने लिये। 493 में से 188 नमूने तो बिलकुल फेल हो गए, 188 यानि वन थर्ड। जितनी दवाइयों के आपने नमूने लिये, तो पहले तो नमूने ही कम लिये, फिर जितने भी नमूने लिये उसमें से भी वन थर्ड फेल हो गये। मुझे पूरा शक है, अगर यह ज्यादा नमूने लेते और सही तरीके से नमूने लिये जाते तो शायद और ज्यादा आपके घटिया स्तर के नमूने निकलते या फर्जी दवाइयां होतीं...

श्री अध्यक्ष : दोहरायें नहीं, माननीय सदस्य। अपनी बात कह दें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दूसरे मैं खाद्य पदार्थों के अन्दर मिलावट के संबंध में दो तीन लाइन ही कहना चाहता हूँ। मिलावट के संबंध में जो आपका कन्ट्रोल है उसको आप बिलकुल ही निरस्त कर दीजिए। जनता को खुला छोड़ दीजिए। मिलावट पर जितनी पाबन्दी लगाने पर आप उतरे हुए हैं उतनी ही ज्यादा मिलावट बढ़ रही है। मैं आप पर यह आरोप लगाता हूँ कि आपके अधिकारी हैं वह मिलीभगत से मिलावट करते हैं। जो नमूने लिये जाते हैं उसके जो तौर तरीके हैं उनकी पूरी पालना नहीं की जाती है। ज्यादा समय नहीं लेकर मेरा यही विशेष निवेदन है कि एक तो आप दवाइयों पर कन्ट्रोल, निर्माण कार्यों पर कन्ट्रोल करें और दूसरे, मिलावट खाद्य पदार्थों में है उसके ऊपर भी विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है, नहीं तो इसको खुला कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना): बहुत थोड़ा ही बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड पर ही निवेदन करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

जो चिकित्सा की डिमाण्ड है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने भी इस पर अपने कुछ कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनके बारे में ही निवेदन करना चाहूँगा। चिकित्सा की जो सुविधायें हैं वह देना सरकार की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मिले इसकी व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह व्यवस्था हम कर नहीं पा रहे हैं। दूर पहाड़ी इलाके में जो लोग रह रहे हैं आज उनके पास न कोई यातायात के साधन

(श्री मोहन लाल मोदी)

हैं, न कोई वहां सड़कें हैं और न वहां इस तरह की चिकित्सा की सुविधायें हैं। इसके कारण से उन लोगों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरे यहां भंवरपुरा एक ऐसी जगह है जहां दस वर्षों से एक दान–दाता ने अस्पताल की बिल्डिंग बना कर छोड़ी हुई है लेकिन हमारी सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वह विशेष प्रावधान रखें ऐसी जगह के लिये जहां पहाड़ी इलाका है, जहां आने जाने के साधन नहीं हैं और जिस जगह बीस बीस मील के एरिया में हास्पिटल नहीं हास्पिटल तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए।

एक और निवेदन करना चाह रहा हूँ कि छावनी नीम का थाना सब डिविजन हैडक्वार्टर है, एस. डी. ओ. का हैडक्वार्टर है, डी. एस. पी. वहां रहता है, मुन्सिफ कोर्ट्स हैं, वहां 50 साल से एक डिस्पेन्सरी थी। अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार आई तब वह डिस्पेन्सरी वहां से हट गयी। हमारे यहां से भूतपूर्व मन्त्री श्री सूरजनारायण जी चौधरी उद्योग मंत्री बने, वह वहां के विधायक थे उस समय, वह उस डिस्पेन्सरी, जो 50 वर्ष पूर्व से थी, को सिरोही ले गये। वहां कोई चिकित्सा के साधन नहीं हैं जहां सारे हैडक्वार्टर्स हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मैंने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया लेकिन मुझे बहुत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय ने एक आई. ए. एस. आफिसर के कहने से डिस्पेन्सरी देना मन्जूर कर लिया। लेकिन जहां आवश्यकता वहां से जनता पार्टी ने डिस्पेन्सरी उठा दी वहां आप डिस्पेन्सरी नहीं दे पायें तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपका यह क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से आप लोगों को चिकित्सा सुविधा देना चाहते हैं ?

हम बड़े खुश हैं कि पांच पांच सब सेन्टर्स खोल रहे हैं लेकिन वहां बैठायेंगे किस को ? ए. एन. एम. हमारे पास है नहीं, नर्सेज हमारे पास हैं नहीं। आज गांवों के अन्दर जहां डिस्पेन्सरीज खोल रखी हैं वहां डाक्टर नहीं हैं। डाक्टर इस लिए नहीं हैं कि आप पब्लिक सर्विस कमिशन से उन डाक्टरों का सलेक्शन करवाते हैं। आखिर जब हमारे यहां डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं, जैसे ही डाक्टर आयें तो हम नियुक्ति क्यों नहीं देते ? जब आप एम बी. बी. एस. करवाते हैं, उनको डिग्री मिलती है फिर पब्लिक सर्विस कमिशन से उनका सलेक्शन करवाते हैं, मैं तो इसको उचित नहीं मानता हूँ। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन दो जगहों पर जहां मेरे यहां डिस्पेन्सरी नहीं है वहां खोलने की व्यवस्था करायें।

आपने यह भी कहा है कि सब-डिविजन हैडक्वार्टर पर हम रेफरल हास्पिटल बनायेंगे। नीमकाथाना ऐसी जगह है जहां आपको रेफरल हास्पिटल के बारे में विचार करना चाहिए और उसको रेफरल हास्पिटल में कन्वर्ट करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उप-जिला हैडक्वार्टर पर मरीजों की संख्या देखिये

(श्री मोहनलाल मोदी)

आपको कम से कम कोई क्राइटेरिया तो देखना चाहिए। आपने उदयपुर वाटी में रेफरल हास्पिटल खोल दिया। मुझे बहुत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दस मरीज भी दिन भर में हास्पिटल में नहीं जाते। वहां आपने सरकार का कितना रुपया लगा दिया। आठ दस डाक्टर वहां बैठे हैं। आप कम से कम उन डाक्टरों को ऐसी जगह लगा दीजिए जहां सुविधा नहीं है। कम से कम उनका उपयोग तो करिये...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बन्द कर दीजिए।

श्री मोहनलाल मोदी : दूसरी जगह बन्द नहीं कराएंगे, आप उन डाक्टरों का उपयोग कीजिए किसी तरह से काम लीजिए। एक डाक्टर की जगह एक डाक्टर दीजिए। बन्द तो आप करा सकते हैं। आप जब राज में आये तो आपने बन्द करा दिये, उसी को तो रो रहा हूं मैं। हमारे विपक्ष के नेता मुख्य मंत्री बने तो नीम के थाने की जनता ने कितना दुख भोगा, वह मैं कह नहीं सकता हूं। वहां से डिस्पेन्सरी उठा ली गयी इससे ज्यादा क्या सुविधा दे सकते हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके वहां के मंत्री थे।

श्री मोहनलाल मोदी : हमारे वहां के मंत्री थे लेकिन आपकी पार्टी के भी तो थे। सारी स्थिति तो यही थी, बाद में आपका सम्पर्क नहीं था। आप तो एक दूसरे से डरते थे, सोचते थे कि किस तरह से हमारी सरकार कायम रहे। सूर्य नारायण जी चौधरी ने कह दिया वह आपके लिए अमृत-वाणी थी, इसलिए उनकी वजह से आपने ऐसा कर दिया जिसको आज भोग रहे हैं। यही निवेदन कर रहा हूं स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जो भोगा हुआ दंड है उसको तो आप कम से कम दूर कीजिए....

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने तो इलाज कर लिया। आपने तो बहुत सारी खानें ले लीं....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : इलाज तो जनता ने कर दिया....

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सदस्य को मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय सदस्य को गलतफहमी है। मैं आपने एक बात निवेदन करना चाह रहा हूं आपको चैलेन्ज के साथ एक बात कह देना चाहता हूं कि कहीं भी एक नये पैसे की गड़बड़ी निकालें, कोई रिश्वत की निकालें, कोई किसी तरह का गलत उपयोग किया हो तो आप बताइये। एक खान मैंने अभी तक शायद पूरे 4 साल के अरसे में नहीं ली। खान लेने की कोई मनाही नहीं है। आपमें भी दिमाग होना चाहिए। हम उस वक्त से खान का काम कर रहे हैं जिस वक्त आपके लोग पैदा ही नहीं हुए थे। हम उस क्षेत्र में खानों की उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : चार साल में

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पांच खानें ली हैं आपने ।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आपको चैलेन्ज के साथ कहता हूं, माननीय सदस्य..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य । व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य ।

श्री मोहनलाल मोदी : यह कोई डांगी नहीं है कि जिनके ऊपर आप किसी तरह के चार्जेज लगा दें और वह आपको जवाब नहीं दें । मैं आपको चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं, या तो आप साबित कर दीजिए या आप त्यागपत्र दे दीजिए वरना मैं अपना त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया । समय का अभाव है इसलिए माननीय चुन्नीलाल जी जेलिया अन्तिम वक्ता होंगे । उसके बाद उत्तर होगा ।

श्री चुन्नीलाल जोलिया (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में....

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट ।

श्री अध्यक्ष : जो सूची सत्ता पार्टी की ओर से दी गयी थी उसके सभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं । मुझे आपत्ति नहीं होती लेकिन समय का अभाव है इसलिए सम्भव नहीं होगा ।

एक माननीय सदस्य : दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जेलिया ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वह तो सूची में उन्हीं के नाम देंगे जो कि उनके गुणगान करेंगे । सूची कांग्रेस की तरफ से उन्हीं लोगों की देते हैं जो उनके गुणगान करते हैं ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : मैं सदन के सामने चर्चा करना चाहूंगा कि सवाईमाधोपुर के अस्पताल, जो कि जिला मुख्यालय का अस्पताल कहलाता है, के अन्दर कई चीजों की कमी है । जो एक्सरे मशीन आपने लगा रखी है वह भी बहुत पुरानी है और महीने में वह बीस दिन बन्द पड़ी रहती है । उस मशीन के बजाय आप बड़ी मशीन लगायें ताकि गरीबों को उसका लाभ मिलें । जिला हास्पिटल का स्थान है उससे लोगों को लाभ नहीं मिलता है और लोगों को पैसा देकर एक्सरे करवाने पड़ते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि लेबोरेट्री की बिल्कुल ही कमी है । लेबोरेट्री वहां है ही नहीं । लोगों को पैसे के बल पर टैस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आज सवाईमाधोपुर के अस्पताल की एक तरह से दुर्गति हो रही है । सी. एम. एच. ओ. का आफिस करौली में होने से सी. एम. एच. ओ. के द्वारा देखरेख नहीं होती है । वहां के जो डाक्टर हैं वे सब अपनी दुकानदारी लेकर अलग अलग बैठे हुए हैं । उस दुकानदारी के

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

कारण रोगियों की देखरेख नहीं होती। मरीज वार्डों में भर्ती पड़े रहते हैं उनकी टाइम पर संभाल नहीं है, न उनको कोई दवाइयां मिलती हैं। सब डाक्टरों ने अपनी अपनी दुकानदारी अपने अपने मकान पर खोल रखी है जिससे गरीब को चिकित्सा का जो लाभ मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता। टी. बी. क्लिनिक शहर सवाई माधोपुर में था टी. बी. क्लीनिक आबादी के बीच में होने के कारण जनरल अस्पताल के बाहर जो किचन है उस रसोई में टी. बी. क्लिनिक के सारे बैड डाल दिये। उसमें कम से कम 10 फीट का भी गैप नहीं है। सरकार की ओर से टी. बी. क्लिनिक दूर दराज रखनी चाहिये लेकिन अलग से टी. बी. का भवन नहीं होने के कारण किचन के अन्दर मरीजों को ऐसे डाल रखा है जैसे बोरियों की धांक डाल कर रखते हैं। इस तरह से किचन के अन्दर टी. बी. के मरीजों को डाल रखा है कि जनरल अस्पताल और टी. बी. के बैड्स बिल्कुल पास पास हैं, 10 फीट का गैप नहीं है। इस कारण जो दूसरे लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है और दूसरे लोगों को भी टी. बी. के कीटाणु, जर्म्स के कारण टी. बी. का शिकार होना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले टी. बी. क्लिनिक की जो बिल्डिंग है जो जनरल अस्पताल के पास है वहां से कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित की जाय।

अध्यक्ष महोदय, डाक्टर तो सिटी में बैठते हैं टी. बी के जो बैड हैं वहां से दो तीन किलो मीटर दूर, तो मरीजों की डाक्टरों द्वारा देखरेख नहीं होती है। कोई देखरेख भी करता है तो डाक्टरों के मन्थली ठेके के द्वारा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, एक जो मरीजों को दूध, दलिया, फुल्की वगैरह सरकार की तरफ से दिया जाता है, हर वर्ष सवाई माधोपुर का बजट लैप्स हो जाता है। वह अधिकारियों की लापरवाही से लैप्स होता है, उसका लाभ गरीब मरीजों तक नहीं पहुँच पाता है और सारा लैप्स हो जाता है। इस संबंध में भी मैं चिकित्सा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को चालू कराया जाये।

श्रीमान्, जो परिवार कल्याण केन्द्र जिला सवाई माधोपुर के अन्दर लगाये गये हैं, सबसे कम तो टाइम फिक्स करते हैं, डाक्टर टाइम पर पहुँचते नहीं हैं और काफी गांवों के लोग एकत्रित होकर के निराश होकर वहां से जाते हैं। अगर आते भी हैं तो जल्दबाजी में इस तरह से आपरेशन चालू कर देते हैं कि दो महीने के अवसर में सवाई माधोपुर जिले में कम से कम 7.8 महिलाओं, जो यंग थी, को मौत का मुंह देखना पड़ा। जिन लोगों के घर बरबाद हो गये उनको किसी प्रकार की ऐड नहीं दी गई। उनका पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया। उन की तरफ से जो रिपोर्ट बन कर आती है वह मनगढ़ंत बनाकर भेज देते हैं, सरकार उस पर विश्वास कर लेती है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की लापरवाही हो रही है। 20-2-84 को तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम भगवतगढ़ में एक कैम्प लगा। डाक्टर की लापरवाही से एक महिला को

(176)

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

अपने प्राण गंवाने पड़े । उसके दो तीन बच्चे बच्चो आज दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं । उनको किसी प्रकार की सरकार की तरफ से ऐड नहीं दी गई । जो जवाब भेजा गया उसमें डाक्टर बिल्कुल निर्दोष माना गया है जब कि मैन दोषी डाक्टर था । महिला डाक्टर ने इतना आतंक फैला रखा है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता जो वहां की इन्चार्ज है जितने भी डिलीवरी केसेज आते हैं 200, 200 रुपया, 250, 250 रुपया रिश्वत लेकर डिलीवरी के केसेज देखती हैं । हर डाक्टर ने वहां धन्धा बना रखा है । पहले जो वहां सी. एम. एच. ओ. की पोस्ट नई क्रियेट की थी आधा हिस्सा करौली गंगापुर और आधा हिस्सा सवाई माधोपुर में रखा था उसको भी आपने तोड़ दिया । अब वह तोड़ने के बाद लोग निर्भीक हो गये हैं उनको किसी प्रकार की परवाह नहीं है ।

ग्रामीण जो अस्पताल हैं वे तो नाम मात्र के हैं । मेरे क्षेत्र खण्डार के अन्दर बालिया, बाराऊंडा, फलौदो इन में तो 6-6 महीने तक तो स्टाफ नहीं पहुंचता है, कहीं कम्पाउण्डर की कमी है, कहीं महिला डाक्टर की कमी है । सी. एम. एच. ओ. आपका इतना निकम्मा है, इतना भ्रष्ट है, आज मैं आपको बताऊं, वार्ड ब्वाय के इन्टरव्यू में उसने 5-5 हजार रुपये खाये हैं, इस बात की आज तक परवाह नहीं है कि जिले में किन किन अस्पतालों में किस किस तारीख को निरीक्षण किया है । इस बात का उसको पता नहीं है । वही स्थिति परिवार नियोजन केन्द्रों की है । वहां भी इसी तरह की स्थिति होती है । मैं चाहूंगा जिस जिस अस्पताल के अन्दर आज स्टाफ की कमी है, वह पूरी की जाये और जिन डाक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती जाती है, समय पर नहीं आते हैं, मरीजों को नहीं देखते हैं ऐसे लोगों को हटा देना चाहिये ।

इतना कह कर मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं ।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आसन पैरों पर है ।

सदन की अनुमति से बैठक का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया जाता है ।

क्योंकि बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या अब भी काफी है, इसलिए संभव नहीं होगा कि उनको अवसर दिया जा सके ।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री चाव खां : हमको दो–दो मिनट दे दिये जायं ।

एक माननीय सदस्य : एक–एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । मन्त्री महोदय । आर्डर आर्डर । बैठ जायं । माननीय सदस्य ।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, हमें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

श्री चाव खां : दो मिनट, एक मिनट हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आर्डर प्लीज बैठ जायें।

श्री चाव खां : X X X

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अंकित न हो।

(श्री चाव खां का बहिर्गमन)

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य और चिकित्सा की मांग पर 18 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये, उनके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ उन सदस्यों का, उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। एक-एक माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उनके ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। इससे पूर्व मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर चिकित्सा पर जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, माननीय अध्यक्ष ने यह आदेश दिये हैं कि कटौती प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों के हैं उन सबको लिखित में उत्तर निश्चित तौर पर भेजे जायं....

श्री अध्यक्ष : निश्चित, समय पर।

श्री खेतसिंह : 'निश्चित समय' तो आप लगवा दीजिये, समय थोड़ा सा दीजिये क्योंकि 400 से ऊपर कटौती प्रस्ताव हैं। हर एक का रिप्लाई तैयार करके भेजेंगे उसमें थोड़ा-सा समय लग सकता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कई माननीय सदस्यों ने 11-11, 12-12 कटौती प्रस्ताव दिये। हरएक माननीय सदस्य ने इतनी मेहनत करके कटौती प्रस्ताव दिये हैं, सरकार की यह जिम्मेदारी है, विभाग का यह दायित्व है कि उनका जवाब भेजे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, हम सबके जवाब भेजेंगे और...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, समय निश्चित कर दीजिए।

एक माननीय सदस्य : एक महीने में।

श्री अध्यक्ष : वह मैं अलग से निश्चित कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तैयार बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : कर दिया जायेगा।

(5.30 म.प.)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : एक महीने में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक महीने का नहीं, दो महीने का समय दीजिये। दो महीने में विस्तार से सबको जवाब भेज देंगे।

एक माननीय सदस्य : बड़ी कृपा है आपकी।

एक माननीय सदस्य : दो महीने में आपका शायद राज ही नहीं रहे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, स्वतंत्र भारत में हर नागरिक का यह अधिकार है, उसको स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिये। जैसा आप सभी जानते हैं कि अल्मा आटा में घोषणा पत्र में भी सम्वत् 2000 तक हर व्यक्ति को स्वास्थ्य-सुविधा

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(178)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मिले, इस नीति को भारत सरकार ने माना है। इस नीति को राज्य सरकार ने भी माना है। इसी आधार पर हम प्रगति करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। माननीय सदस्य आप सोचें, 1952 के मुकाबले आज कितना भारी परिवर्तन हुआ है और बजट भी कितना बढ़ गया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो काफी प्रगति हुई है। चिकित्सालय बढ़ाये हैं इसी प्रकार से एडपोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, मिनी हैल्थ सेन्टर— इस तरह से कुल मिलाकर 5175 की संख्या है। यह अपने आप में साबित करती है कि दूर दराज गांवों तक हम बढ़े हैं। वैसे अभी भी बहुत कमी है, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, इसका विशाल क्षेत्र है। इसका काफी बड़ा भाग रेगिस्तानी है; अन्य हिस्सा पहाड़ी है उनमें आज भी चिकित्सा सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है। फिर भी मेरा यह निवेदन है कि हमने काफी इन वर्षों में प्रगति की है। इसी प्रकार से शैयाओं की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले काफी बड़ी तादाद में शैयायें बढ़ी हैं। उसके हिसाब से आबादी भी बढ़ी है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज भी इसकी बहुत आवश्यकता है। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा....

श्री महावीर प्रसाद जैन : 1985 तक क्या टार्गेट है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 85 तक क्या टार्गेट है हमारे ? सभापति महोदय, मैं एक एक विषय पर निवेदन करूंगा, मुझे बोलने तो दीजिये। उसके बाद भी आप प्रश्न पूछ लेना। मैं प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हों तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा।

श्रीमान्, मैं आपसे यह निवेदन करने जा रहा था कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे पास पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी रही है। राजस्थान क्योंकि पिछड़ा हुआ प्रान्त है, एजूकेशन भी नहीं है इसलिए महिलायें ऐसी ड्यूटीज में आने से कतराती हैं। इसलिए पैरा मेडिकल स्टाफ में नर्सेज हमें केरल और अन्य प्रदेशों से नियुक्त करनी पड़ी हैं, उनको नियुक्तियां दी हैं लेकिन यहां की आब-हवा, जलवायु, रहन-सहन, खान-पान है उससे उनका मन नहीं लगा और धीरे-धीरे यहां से छोड़ कर चली गईं। इस वजह से भी कमी आई है। कुछ हमारे केन्द्रों के अन्दर जो हमको परमिशन मिली हुई थी वह थोड़ी थी इस वजह से भी ट्रेनिग पूरी नहीं हुई थी। गत वर्ष जैसा मैंने निवेदन किया, कुल मिलाकर 540 ए.एन.एम. और कम्पाउण्डर की ट्रेनिग हुआ करती थी। इस साल बढ़ाकर 900 कर दी। इससे आने वाले वर्षों में यह कमी निश्चित रूप से पूरी हो जायगी और पैरा मेडिकल स्टाफ की जो आम तौर से स्वास्थ्य केन्द्रों में और एडपोस्टों में कमी लगती है, उसको हम पूरा कर पायेंगे, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूँ।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ डाक्टरों की बहुत कमी है। इस राज्य में जितने भी डाक्टर उपलब्ध थे हर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

एक को हमने नियुक्ति दी है । आपको मालूम होगा, रूल्स में सरलीकरण करके भी यह किया है, यहां तक कि एडहाक अपाइन्टमेंट्स दिये हैं वह इसीलिए दिये हैं कि हमारी डिस्पेंसरीज खाली पड़ी थीं । माननीय विधायक इस परेशानी से बहुत परेशान थे, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान था कि हमारी डिस्पेन्सरीज खाली पड़ी रहीं । इस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 500 डाक्टरों की कमी थी, हमने एडहाक अपाइन्टमेंट दिये, तदर्थ नियुक्तियां दीं । जिन 283 व्यक्तियों ने एप्लाई किया हर एक को हमने नियुक्तियां दी हैं लेकिन उनमें से भी सिर्फ 160 ने ही जोइन किया बाकी ने जोइन नहीं किया । जोइन न करने का कारण यह है कि वे डाक्टर जहां कहीं लगे हुए थे उनकी प्रेक्टिस अच्छी चल रही होगी या दूर-दराज एरिया में जहां उनकी नियुक्ति की गई थी, वह देख करके इन्हें पसन्द नहीं आया होगा इसलिए अस्वीकार कर दिया । इस कारण से आज भी हमारे पास में 200 डाक्टरों की कमी है ।

जहां तक लेडी डाक्टरों की बात कही, माननीय मारवाड़ से आने वाले सदस्य ने बहुत जोर से यह बात कही कि आपको लेडी डाक्टर की ज्यादा नियुक्ति करनी चाहिए । लेकिन उपलब्ध नहीं हैं । कहीं से भी कोई भी लेडी डाक्टर हमारे यहां आना चाहती हों तो हम उसको नौकरी देने को तैयार हैं । अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमारी मजबूरी है । इसीलिये कमी रही है । यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, श्रीमन्, लेडी डाक्टर को नियुक्ति दिलाने में आपका सहयोग अत्यन्त आवश्यक है ।

मैं निवेदन यह करने जा रहा था, श्रीमन्, हमने अपने डिपार्टमेंट में पावर्स का विकेन्द्रीकरण भी किया है । मुझे इस बात की खुशी है कि उसका काफी अच्छा प्रभाव विभाग में हुआ है । यह आपको जानकर खुशी होगी कि हमने पांच जोन में पूरे राजस्थान को बांटा है, नहीं तो सारा काम डायरेक्टोरेट से ही हुआ करता था । गरीब से गरीब चपरासिन को भी यहां आकर कुछ कहना पड़ता था और शिकायतें करनी पड़ती थीं । पैरा मेडिकल स्टाफ के जितने लोग हैं वे भी चक्कर लगाया करते थे इसलिये हमने पांच जोन में राजस्थान को बांटा है, इसके लिये जोनल डिप्टी डायरेक्टर्स की नियुक्तियां की और उनको अधिकार दिये, प्रशासन के कार्य करने के अधिकार दिये, तबादला करने के भी अधिकार दिये....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपसे बिना पूछे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कृपया बैठ जायें, मुझे जवाब दे लेने दें ।

इसी प्रकार जिला स्तर पर सी. एम. एच. ओ. को अधिकार दिये हैं, जिले के अन्दर कोई भी नर्स या कम्पाउण्डर काम ठीक नहीं कर रहा हो या किसी की शिकायत हो, ग्रामीण भाई नहीं चाहते हों या माननीय विधायक नाराज हों तो तुरन्त वहां से हटा देना चाहिए जिससे गांव का वाता-

(श्री खेतसिंह राठौड़)

वरण अच्छा रहे, और वहां पर किसी नये व्यक्ति को लगा देना चाहिये ताकि काम भी सुचारु रूप से चले। इस प्रकार हमने पावर्स डिस्ट्रिब्यूट किये हैं, उससे काफी तादाद में पैरा मेडिकल स्टाफ का आना-जाना बन्द हो गया। हमने यहां तक किया है कि कोई डाक्टर समय पर आता नहीं है, लापरवाही करता है, समय पर हाजिर नहीं रहता है, फीस ज्यादा लेता है या और कोई बदमाशी है उस परिस्थिति में भी सी. एम. एच. ओ. तुरन्त हटाकर यहां डायरेक्टोरेट में इतला भेज दे, यहां से कन्फर्मेशन भेज देंगे ताकि चिकित्सा सुविधा ठीक तरह से चल सके।

यह भी मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि 20 पाइन्ट प्रोग्राम, जो हमारे भारत की प्रधान मन्त्री ने रखा है और जिसे देश की सारी पार्टियों ने माना है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उसके अन्दर भी चिकित्सा की दृष्टि से अच्छा काम किया गया है। जैसा आप जानते हैं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या, विरोधी दल के नेता महोदय, कोई अगर है तो वह है बढ़ती हुई आबादी। आपकी तरह ही सब सोच लें तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि देश कुछ ही वर्षों में भारी तरक्की कर सकता है और विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। इस देश की सबसे बड़ी प्राब्लम है तो यह है कि देश में डेढ़ सैकण्ड में एक बच्चा पैदा होता है और हर साल कुल मिलाकर डेढ़ लाख की आबादी बढ़ती है। देश की आबादी डेढ़ लाख बढ़ती है अतः यह भारी समस्या है। प्रोग्राम हम चाहे कितने ही चलायें, कभी भी हमको कामयाबी नहीं मिल सकती है। एक यह कारण है कि हर साल हम आस्ट्रेलिया का मुल्क पैदा करते हैं। यही कारण है कि हम गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज हम कहते हैं कि 40 प्रतिशत लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं उसका मुख्य कारण बढ़ती हुई आबादी है इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए लोगों में भावना पैदा करनी है ताकि सीमित परिवार में विश्वास करें। मुझे खुशी है, इस बार माननीय सदस्यों ने, जन-प्रतिनिधियों ने, सबने हमें सहयोग दिया है। उसका नतीजा यह रहा कि 1 लाख 90 हजार टार्गेट अचीव किया है स्टरलाइजेशन के अन्दर। मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 20 पाइन्ट प्रोग्राम में एक सूत्र यह भी है, जिसे 5 वां सूत्र कहते हैं, अन्धापन मिटाना और इस रोग से मुक्ति दिलाना, और क्षय रोग का पता लगाकर मरीजों का इलाज करना। इस दृष्टि से भी मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इन तीनों पाइन्ट पर काफी अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूं, हमारे मित्र और दल के अन्य लोग भी इसे स्वीकार करेंगे और इस बात के लिए हमारी सराहना करेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान में अन्धे कितने हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : राजस्थान में अन्धे कितने हैं? यह तो हर साल बढ़ते जाते हैं।

इस वर्ष, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 50 हजार 571 आपरेशन्स हमने किये हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने किये हैं

(श्री खेतसिंह राठौड़)

और काफी अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं। बहुत कम शिकायत इसमें रही है। इसी प्रकार से क्षय रोग के लक्ष्य के अनुसार हमने काफी रोगियों का इलाज किया है। करीब 35 हजार केसेज का पता लगाया है, फिर उनाक इलाज शुरू किया है। यह बीमारी आम तौर पर जहां पर खानें चलती हैं या पत्थर पर काम करने वाले मजदूर लोग हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, जहां औद्योगिक इकाइयां हैं वहां ज्यादा बढ़ती है क्योंकि उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता है। पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलने से क्षय रोग बढ़ता है। इसमें भी गोलियां बांटना, उनका इलाज करना और उनके लिए काफी बड़ी मात्रा में लिट्रेचर तैयार करके बांटना है। गरीब आदमी थोड़े दिन इलाज करवाते हैं और फिर बन्द कर देते हैं। वे समझते हैं, हम ठीक हो गये लेकिन वास्तव में वे ठीक नहीं होते हैं क्योंकि इसका काफी लम्बा इलाज चलता है। अब हमने उनमें इस तरह की एक भावना पैदा करने की कोशिश की है कि पूरा इलाज करवावें ताकि उनको तकलीफ नहीं रहे।

जहां तक कुष्ट रोग का प्रश्न है, 2500 के करीब कुष्ट रोगियों का हमने पता लगाया है। यह बीमारी ज्यादातर अलवर, भरतपुर, नागौर और जोधपुर जिलों में पायी गयी है। वहां हमने इसके उपचार का भी पूरा बन्दोबस्त किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष हमने जोधपुर मेडिकल कालेज, जयपुर मेडिकल कालेज और उदयपुर मेडिकल कालेज, इन तीनों के अन्दर 20-20 शैयाओं के एक एक वार्ड और बनाये हैं जिससे इनका इलाज हो जाय। कुष्ट रोग ऐसा रोग नहीं है जो असाध्य हो, जिसका इलाज न होता हो। इसके लिए भी पहले लोगों का यह ख्याल था कि एक बार कोढ़ आने के बाद रोग फैलता है, घर वालों को कोढ़ी बना देता है। ऐसी बातें नहीं है। इस रोग का इलाज समय पर शुरू होने से पूरा बैठता है। यह रोग ऐसा नहीं है कि छुआछूत की बीमारी हो, जो एक से दूसरे में चली जाय। इसके लिए भी हमने काफी लिट्रेचर तैयार किया है। पंचायत समिति के मार्फत हम चाहते हैं कि गांव गांव तक पहुंचे। अगर कहीं पर कुष्ट रोगी हो तो उसको सामने लाया जाय ताकि उसका ठीक तरीके से इलाज कराया जा सके। इसका भी हमने बन्दोबस्त किया है। मेरे कहने का मतलब यह है, श्रीमान्, जो लक्ष्य भारत सरकार ने इन सूत्रों के तय किये हैं, हमारी तरफ से उनको अचीव करने के लिये, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने लगातार प्रयत्न किये हैं और काफी हद तक हमने कामयाबी हासिल की है।

जहां तक नयी डिस्पेन्सरी, नये सब सेन्टर्स....

(व्यवधान)

श्रीमान्, मैं बोल दूं उसके बाद में आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं इसी संदर्भ में पूछना चाहता हूं। आपने डिसएबल्ड पर्सन्स के बारे में कहा कि इतनों का इलाज कराया। क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान में कितने किस प्रकार के डिसएबल्ड हैं इसका कोई सर्वे कराया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिसएबल्ड मीन्स जिनके अंग न हों।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अंग न हो, आंख न हो, लंगड़ा हो, बहरा हो। विकलांग कह लीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आपका सुझाव अच्छा है। जिस वक्त आप यहां मुख्य मन्त्री थे अगर उस वक्त से शुरू कर देते तो आज अपने पास में पूरे फिगर्स आ जाते। चूंकि आपने उस वक्त प्रारम्भ नहीं किया, और सुझाव अच्छा है तो मैं यह सोचता हूँ कि इस बारे में हमारे पास में भी पूरे फिगर्स होने चाहिए। मैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यह आदेश देता हूँ कि वे इस ओर प्रयास करें और मालूम करें कि राजस्थान के अन्दर वास्तव में कितने डिसएबल्ड हैं जिनका कि उपचार करना आवश्यक है। उसी तरह से कार्य किया जायेगा।

श्रीमान्, मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मोबाइल सर्जिकल यूनिट बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आपको मालूम है कि 500 बैडेड मोबाइल हास्पिटल, चलता फिरता हास्पिटल उत्तरी भारत में अपनी शान का एक ही है। जहां कहीं भी गया, काफी आपरेशन्स किये गये और बड़े सक्सेसफुल रहे। इसके डायरेक्टर सीनियर प्रोफेसर सर्जरी हैं। उनको हमने इसका डायरेक्टर मुकर्रर किया है। इन्होंने इस वर्ष के अन्दर 12 कैम्प्स लगाये थे। 12 कैम्प्स में सारे आपरेशन्स सक्सेसफुल हुए हैं। एकाध को छोड़कर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यह हमारे डिपार्टमेंट और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने पांचों मेडिकल कालेजों के अन्दर कुछ न कुछ नये और विशेषज्ञ बढ़ाने का भी प्रयत्न किया है। खास तौर से सवाई मानसिंह हास्पिटल के अन्दर काफी प्रयास किये हैं। इसका नतीजा है कि आज हमने डैन्टल विंग खोला है जिसमें 10 विद्यार्थियों को हम बी. डी. एस. का यहीं कोर्स कराते हैं। नहीं तो, हमको एकाध सीट मिलती थी भारत सरकार से, उनको बाहर भेजना पड़ता था, खर्चा भी ज्यादा लगता था। एक दो सीट मिलती थी। और दंत रोग काफी तादाद में बढ़ते हैं इसलिये उनके इलाज के लिए हमारे पास दंत चिकित्सकों की बड़ी कमी है। अब हमने यह कोर्स शुरू कर दिया है। यहीं पर डाक्टर तैयार हो जायेंगे और उनको यहीं पर नियुक्ति भी मिल जायेगी। उनके लिए व्यवसाय का भी साधन मिल जायेगा अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो। इसी प्रकार हमने दूसरी उपलब्धि यह की है कि पैथोलोजी, एक्स-रे, दुर्घटना इमर्जेंसी से सम्बन्धित चौबीसों घण्टे सेवाएं एस. एम. एस में उपलब्ध करायी हैं जिससे लोगों को लाभ मिल सके। आटो फाइनेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत एक्स-रे, नये और पुराने विशिष्ट परीक्षण और डायग्नोसिस सुविधाएं भी हमने सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज अस्पताल में शुरू की हैं। इसी प्रकार से इन्टेन्सिव केयर यूनिट भी हमारी शुरू हो गयी है। आप में से कोई वहां पधारे हों तो आपने देखा होगा कि यह अपने तरह की बहुत अच्छी यूनिट हमने यहां चालू की है। तो कुल मिलाकर हमने

(श्री खेतसिंह राठौड़)

यहां इस अस्पताल में भी प्रगति की है। इसी प्रकार से हर एक मेडिकल कालेज, चाहे वह जोधपुर मेडिकल कालेज हो, चाहे वह उदयपुर हो, अथवा अजमेर हो या बीकानेर हो, सभी में हमने कुछ प्रयास किये हैं।

चूंकि समय कम हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी निर्देश दिया था कि जो अंतरिक्ष के अन्दर पहला हिन्दुस्तानी गया है, उसके बारे में आज टी. वी. पर प्रोग्राम आयेगा, आप जल्दी जाकर उसको देखना चाहेंगे। इसलिए मैं विभाग की प्रगति के बारे में इतना कह कर माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

कुल मिलाकर 19 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। सबसे पहले भरतपुर से आने वाले बुजुर्ग सदस्य श्री राज बहादुर जी ने कुछ बातें हमारे सामने रखी थीं। उन्होंने कहा कि स्थान का भी अभाव है, दवाएं भी कम हैं और डाक्टर कम हैं। भरतपुर के बारे में भी उन्होंने निवेदन किया था। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर के लिए सरकार ने यह तय किया है कि वहां पर एक नया अच्छा अस्पताल बनाया जाय। उसकी आबादी को देखते हुए उसके लिए तीन करोड़ की योजना तैयार की गयी है। सब तैयारियां शुरू हो गयी हैं, काम भी शुरू हो गया है। ज्यों ही वह अस्पताल बन जायेगा....

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार ने जनता से पैसा इकट्ठा किया है। सरकार कहां खोल रही है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : डाक्टर, इक्विपमेन्ट्स, दवाइयां सब सरकार भेजेगी। आप तो सिर्फ एक मकान बना कर देंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : मकान के बिना सब बेकार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह सब होने के बाद आपकी यह समस्या काफी कम हो जायेगी।

एक बात उन्होंने और भी कही थी। उन्होंने कहा था कि एक्स-रे मशीन खराब करते हैं, हास्पिटल्स के अन्दर एक्स-रे करते नहीं हैं, डाक्टर करते नहीं हैं। यह शिकायत मेरे पास आयी है। मैंने डायरेक्टर साहब से भी यह कहा है और मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल को भी यह हिदायत दी है कि कोई जान-बूझकर एक्स-रे की मशीन खराब करके बैठ जाय और यह कहे कि आप बाहर से एक्स-रे करा कर लाओ, तो यह गलत परम्परा है, इसको हम पसन्द नहीं करते। अगर कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जायेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा, हमारा यह प्रयास है लेकिन एक्स-रे मशीन के बारे में न हम समझते हैं न आप कुछ समझते हैं। वह बतला देते हैं कि इसमें खराबी हो गयी। खराबी हो गयी तो उसको ठीक करने वाला ही उसके बारे में बता सकता है। उनको यहां तक भी इंस्ट्रक्शन्स दिये हैं कि एक्सरे मशीन ठीक करने के लिए दिल्ली से या बाहर से कहीं से एक्सपर्ट बुलाते हो

(श्री खेतसिंह राठौड़)

और जो ठीक करते हैं उनकी रिपोर्ट भी लिया करें कि किसमें क्या खराबी थी, ऐसा तो नहीं कि कोई पुर्जा निकालकर जान-बूझकर उसमें खराबी कर दी हो। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की कार्यवाही करने की हम सोच रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा की तीनों बन्द पड़ी हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : निश्चित तौर पर ठीक करायेंगे, श्रीमन्। ठीक हो गयीं हैं। आप वापस पधारेंगे तो आपको मालूम होगा कि ठीक हो गयीं।

मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सब सेंटर्स हर पंचायत क्षेत्र में उसके हैडक्वार्टर पर खोलें। यह सब सेन्टर्स की स्कीम भारत सरकार की है। भारत सरकार ही इसमें 100 पर्सेन्ट पैसा देती है। हमारा इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें भारत सरकार की गाइड लाइन्स हैं, उसके अनुसार दो तीन तरह के ही सब सेन्टर्स खोलते हैं। उसके अन्दर हम ज्यादा अपनी पंचायती कर भी नहीं सकते।

श्री महाराम चौधरी : अपने क्षेत्रों में खोलने के लिये गाइड लाइन्स का कोई अड़चन नहीं पड़ती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गाइड लाइन्स हैं वह बता देता हूं। बैठिये, मैं आपको बताता हूं।

भारत सरकार की यू. एन. एफ. पी. ए. यह एक योजना है....

श्री सभापति : बैठे बैठे नहीं, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो योजना भारत सरकार ने ही राजस्थान को दी है उसमें चार जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, कोटा और सवाईमाधोपुर हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : यू. एन. एफ. पी. ए. का मतलब क्या है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप खुद सोचिये, अगर मेरे हाथ में ही यह मंजूरी होती तो क्या मैं कोटा में सब सेन्टर्स इतने देता। आप खुद ही सोचिये। यह सारी भारत सरकार की योजना है और उन्होंने ही यह लागू की है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मन्त्री महोदय, कोटा से क्या नाराजगी है?

श्री यदुनाथ सिंह : मतलब क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यह यूनाइटेड नेशन्स फण्ड्स फार पापुलेशन एक्टिविटी। आबादी ज्यादा नहीं बढ़े, आबादी को कन्ट्रोल किया जाय....

श्री भंवर लाल शर्मा : नाम क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके ज्यादा से ज्यादा सब सेन्टर्स खोले जाते हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : इसका पूरा नाम क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब पूरा नाम दो दफा तो बता दिया। आप क्या मेरा

(श्री शैतसिंह राठौड़)

एग्जाम ले रहे हैं, पूरा नाम क्या है।

इसी तरीके से दूसरे ब्लाक्स आई. सी. डी. एस. के हैं। यह ब्लाक समाज कल्याण विभाग की सिफारिश पर ही मंजूर किये जाते हैं। जो बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर चिकित्सा सुविधा नहीं हो, गरीब ज्यादा हों, वहां समाज कल्याण विभाग अपनी सिफारिश पर वह खोलते हैं और खोलने के बाद चिकित्सा विभाग को हैण्ड ओवर कर देते हैं ताकि देखरेख चिकित्सा विभाग कर सके। तो दो तरह की योजनाएं हैं जिनके तहत खोलते हैं। बाकी कुछ जनरल सब सेन्टर्स बचते हैं उनको विभाग खोलता है यह देखकर कि कम से कम 4000 की आबादी हो, उसको पहले दिया जाय, तीन हजार की आबादी हो, उसको बाद में दिया जाय इस अनुपात में हम यह सब सेन्टर्स खोल रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस साल भी पांच सौ सब सेंटर्स उन्होंने दिए हैं। हमारे सैक्रेटरी को मैंने भेजा, मैंने खुद जो हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री हैं उनसे बात की. उनसे निवेदन किया। तो उन्होंने कृपा पूर्वक हमको दो सौ सेंटर और एडिशनल दिए हैं। इस तरह से सात सौ सेंटर्स हम खोलने जा रहे हैं जिससे काफी तादाद में लोगों को और माननीय सदस्यों को सेंटर्स मिल जायेंगे और इससे चिकित्सा सुविधा बढ़ेगी। हमने यह प्रयास किया है।

इसके बाद में एक आपने महिला डाक्टरों के बारे में कहा। महिला डॉक्टर के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी उपलब्ध होंगी तो मैं आपके यहां भिजवा दूंगा। आपके कोई ध्यान में हो तो आप नाम बता दें उन्हें ही वहां पोस्ट कर देता हूं जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके।

जो माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं उनका जबाव देना मैं आवश्यक भी नहीं मानता क्योंकि अगर इस बात में सीरियस होते तो वे यहां रहते। फिर भी माननीय सदस्य सवाईमाधोपुर से तशरीफ लाए हैं उन्होंने चार्ज लगाया था। उन्होंने यह कहा था कि बहुत बड़ी तादाद में यूज्ड की हुई फिल्में बिकी हैं, उनमें चान्दी होती हैं और बड़ी भारी चोरी हुई है। तो मैंने प्रिंसिपल मेडिकल कालेज से मालूम किया। उन्होंने कहा कि चोरी हुई है। चोरी का मुकदमा पुलिस में दर्ज करा दिया गया है। इन्वेस्टीगेशन चल रहा है। चोर पकड़ने पर उसको सजा मिलेगी और जो कुछ भी होगा वह बरामद कर लिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अब संतोष हो गया।

श्री शैतसिंह राठौड़ : अभी क्या संतोष हुआ है। मैं एक एक का जबाव देकर संतुष्ट करूंगा।

झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि हमारे हास्पिटल के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। वे यहां पर हैं तो नहीं लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हम उसे बा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ग्रेड में क्रमोन्नत कर रहे हैं, इससे उनकी समस्या का समाधान होगा। मेरी दृष्टि में जहां जरूरी है वहां पर हम निश्चित रूप से कार्यवाही करना चाहते हैं। यह विपक्ष और पक्ष का सवाल नहीं है। चिकित्सा सुविधायें मिलनी चाहिए। राजस्थान का हरएक नागरिक चिकित्सा सुविधा पाने का हकदार है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ही यह कार्य किया गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टोंक के बारे में ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्री रामरघुनाथजी डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से नर्सिंग कालेज के बारे में ही पूरी बात कही थी। नर्सिंग कालेज की बात को मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। यह हमारे यहां चल रहा है। मैंने अपने सैक्रेटरी को यह हिदायत दी है कि आप मेहरबानी करके माननीय विधायक महोदय से पूरी बात को समझ लें कि यह यूनिवर्सिटी के नीचे किया जाय या डिपार्टमेंट के पास ही रखा जावे, यूनिवर्सिटी के नीचे देने से कौन सा लाभ हो जाएगा और डिपार्टमेंट के पास में रहने से क्या हानियां हो रही हैं। सारी परिस्थितियों को देखने के बाद में इस पर निर्णय लूंगा। मैं उनसे यह निवेदन करता हूँ कि कृपापूर्वक हमको इस बात को समझावें। उसके बाद में मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।

जहां तक अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही और कुछ चार्जेज लगाए, उनके बारे में मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक उन्होंने यह कहा कि आपने जो किट्स खरीदे हैं उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। आपने यहां तक कहा कि इसके अन्दर आपने तीन लाख रुपये खाए हैं। मैं कहता हूँ, आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि आप झूठे चार्जेज लगाते हैं। आप गलत हैं, असत्य हैं, हमारे रे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें हमारा लेना देन ही नहीं है। यह योजना भी भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार की गाइड लाइन यह थी कि या तो आप आई. डी. पी. एल. से खरीदिये और या सिस्टर कंसर्न इसकी आर. डी. पी. एल. है उससे खरीदिये। हमने पहले टेंडर काल कर लिए, यह हमारी गलती हुई। हमको हमको टेंडर काल नहीं करने चाहिए थे आपका यह कहना सही है लेकिन टेंडर काल करने के बाद जब भारत सरकार ने यह कहा कि आई. डी. पी. एल. और आर. डी. पी. एल., यह दोनों पब्लिक अण्डरटेकिंग हैं जिनके आपके विपक्ष के नेता ही चैयरमेन हैं। यह आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा आर. डी. पी. एल काफी घाटे में चल रहा है, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और जब भारत सरकार यह चाहती थी कि आप हमारी कंसर्न से ही खरीदो तो हमने उनसे किट्स खरीदे हैं। इसमें कहीं लाख हैं न खाख हैं।

(व्यवधान)

दूसरी आपने....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने टेंडर किस कारण से इन्वाइट किए थे, जब आपने गलती नहीं की ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपको बता रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने अच्छी बात की कि गलती मान ली। मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार का निर्देश था कि आई. डी. पी. एल. से ही पर्चेज करने हैं तो फिर टेंडर इन्वाइट क्यों किए ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं बताता हूँ। जो गाइड लाइन है वह हमारे पास बाद में आई, उससे पहले हमने टेंडर काल कर लिए थे। यही हमारी जल्दबाजी हुई, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यही सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बिल्कुल सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप डेट बता दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, बिल्कुल आपको बता दूंगा। आप कहते हैं कि अभी डेट बता दीजिए, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आपने कह दिया कि डेट बता दीजिए। मैंने आपसे कहा है कि इसमें कोई फर्क नहीं है। हमने जल्दी में टेंडर काल कर लिए, बाद में भारत सरकार की गाइड लाइन आई। गाइड लाइन आने के बाद में हमने कहा कि टेंडर इन्वाइट किए हैं इसको कैंसिल करो। इस गाइड लाइन के अनुसार यह पब्लिक अण्डरटेकिंग है इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं होगी, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता और अपन इससे बच जायेंगे। इसलिए अपन तो इसी से खरीद लो। इसलिए उसको खरीदा नहीं था। आज अगर प्राइवेट से खरीद लेते तो आप और कैलाशजी दोनों ही कूदते कि इसमें तो करोड़ों का कर गए, यह कर गए। उधर हम थे तब हम कहा करते थे, आज हम इधर आ गए और आप उधर आ गए, यह तो कहते ही रहेंगे और यह चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें ज्यादा सार की बात नहीं है. यह मैं आपसे निवेदन कर देता हूँ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय चिकित्सा मन्त्रीजो, इस बारे में सारे कागजात सदन के पटल पर रखें, जो कह रहे हैं उसके प्रमाण स्वरूप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हर एक कागजात आपके कहने से सदन के पटल पर रख दूंगा, ऐसा भोला खेतसिंह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरी बात आपने कही कि आपने रेसीप्रोकल सिस्टम में गड़बड़ी की। रेसीप्रोकल सिस्टम पहले से चलता आ रहा है। मेरी वजह से नहीं चला। पहले से चालू था और आपके वक्त में भी चलता था। आपके वक्त में आपने सीटें कम रखीं। जम्मू कश्मीर के मुख्य मन्त्रीजी जब यहां आए, वे इसी मेडिकल

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कालेज से पढ़े हुए हैं। यहां से जा करके बाद में उन्होंने पोलिटिक्स जोइन की थी, तो वह जब यहां आए, उन्होंने कहा कि इस कालेज का बड़ा अच्छा नाम है। हमारे स्टूडेंट्स यहां आयेंगे तो उनको ठीक शिक्षा मिलेगी। हम यह चाहते हैं कि आप स्टूडेंट भेजें, कुछ हम आपके यहां भेजें। उसी के आधार पर हमने यहां के स्टूडेंट वहां भेजे, उन्होंने कुछ स्टूडेंट यहां भेजे हैं। इसमें कहीं पर भी कोई घोटाले का सवाल नहीं है। जो आज....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टूडेंट्स का सलेक्शन किस बेसिस पर किया था ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सलेक्शन में हमारा डिस्क्रिशन, गवर्नमेंट्स डिस्क्रिशन, मिनिस्टर्स डिस्क्रिशन ...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो चार्ज लगाया है वह डिस्क्रिशन का ही चार्ज है। सभापति महोदय, 1978 में सरकार ने यह फैसला किया था कि रेसीप्रोकल बेसिस पर जो स्टूडेंट भेजे जावें वे वही स्टूडेंट होने चाहिए जो पी. एम. टी. में नीचे के नम्बर में रह गए हों और पी. एम. टी. में सलेक्ट नहीं हो पाए, मेरिट के आधार पर भेजे जावें। मैं आपसे यह जानकारी करना चाहता हूँ कि आपने मेरिट को भी खतम कर दिया और राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट को राजस्थान की तरफ से नामीनेट किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ....

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, समय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, समय बढ़ा दीजिए।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे जवाब तक और आपके जवाब तक।

श्री सभापति : सदन का समय आधा घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, यह बात सही है कि जब विपक्ष के नेता मुख्य मन्त्री थे तब इन्होंने जो बात कही वही रही होगी। आपके और हैल्थ मिनिस्टर के न मालूम कैसे टर्म थे, आप जानें। इस वजह से तब आप आपस में लड़ते होंगे तो..

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप लड़ाई की बात मत करिये, आप जवाब दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जवाब ही दे रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस बेसिस पर किया ? सभापति महोदय, जो चार्ज लगाया है वह बिल्कुल सही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिल्कुल असत्य है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, दिल्ली में बैठा हुआ लड़का राजस्थान के नाम से नोमिनेट होकर चला गया. जिसने हायर सैकंडरी दिल्ली में किया, उस लड़के का नामिनेशन किस आधार पर किया गया, यह मेरी समझ में नहीं आता है। क्या राजस्थान में स्टूडेंट नहीं थे, क्या राजस्थान में मेरिट वाले स्टूडेंट नहीं थे कि आपने दिल्ली से, पंजाब से लाकर लड़के को नामिनेट कर दिया। फारुख अब्दुल्ला की बात भी आप गलत कह रहे हैं। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि फारुख अब्दुल्ला आये उससे पहले नामिनेशन हो गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, उसके बाद हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके पहले ही नामिनेशन हो गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह भी आपको ....

(व्यवधान)

आप सुनिए, आप बैठ जाइये।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट यहां से भेजे गये हैं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी और स्वास्थ्य मन्त्री दोनों ने बैठ करके उनकी लिस्ट बनाई है और उसी आधार पर भेजे गये हैं। इसमें कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय मंत्रीजी, बाहर के क्यों भेजे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाहर के भेजे या अन्दर के भेजे, पहले भी बाहर के गये हैं और अब भी बाहर के गये हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाहर और अन्दर का कोई सवाल नहीं था, यह गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन था। गवर्नमेंट ने भेजे हैं और वे गये हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, डिस्क्रिशन ही होता तो अभी सुप्रिम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है कि मेरिट के आधार पर लड़कों को भेजा जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह फैसला राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। यह सुप्रिम कोर्ट का फैसला तो जम्मू कश्मीर और दूसरी कौन-सी स्टेट थी ....

श्री कैलाश मेघवाल : जम्मू कश्मीर नहीं, इसमें सिद्धान्त क्या तय किये गये, वह बताइये। सुप्रिम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो उसमें कुछ सिद्धान्त तय करता है वह चाहे किसी भी केस में किये हों। इसमें सिद्धान्त क्या तय किये गये हैं ? वह बताइये वह है, मेरिट का आधार। मैं आपके द्वारा स्वास्थ्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में, सरकार के आदेश न केवल

(श्री कैलाश मेघवाल)

विवेकपूर्ण हों न्यायोचित भी होने चाहिये। नम्बर एक। और न केवल होने चाहिये, वह दीखने भी चाहिये। तो आपका मनोनयन का आधार क्या रहा है, मापदण्ड क्या रहे हैं? यह आप स्पष्ट कीजिये। स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हैं तो मेरे जो स्पष्ट चार्जेज है उनको नकारा नहीं जा सकता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिल्कुल, आपके चार्जेज कोई मायने नहीं रखते। मापदण्ड यह था कि 50 प्रतिशत से ऊपर उनके मार्क्स होने चाहिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मनोनयन XXX किया है, मैंने यह कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो 37 प्र.श. जिसको मार्क्स मिले हैं ऐसे लड़कों को भी भेजा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप बैठिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ क्या जाइये....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मुझे यह निवेदन करना है, पहले मेरा जवाब सुन लें, बाद में प्रश्न पूछें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले जवाब माननीय मन्त्रीजी का सुन लें।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपका जवाब सुनेंगे। हमारी बात भी सुन लीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ आपके पास कितने आवेदन पत्र आये और कितने छात्रों को आपने भेजा....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कौन-सा तरीका है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजें कृपया।

(व्यवधान)

आप विराजें कृपया, माननीय मन्त्री महोदय को जवाब दे लेने दीजिए। उसके बाद में आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : बाहर के नामिनेट करके राजस्थान से भेजे, यह क्या बात है? राजस्थान में कोई विद्यार्थी मिला नहीं इनको....

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, एक भी हरिजन स्टूडेण्ट को क्यों नहीं भेजा....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : भैरोंसिंहजी ने जो चार्जेज लगाये हैं वह सही हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, विरोधी दल के नेता ने कहा कि 37 प्र.श. मार्क्स वालों को भेजा है, मेरा निवे–

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

दन है, किसी को नहीं भेजा है। 50 प्र.श. से कम का कोई नामिनेट किया नहीं है। न वहां एडमिशन होने का सवाल था और न हुआ है। अगर आप उदाहरण दे देंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिल्ली का स्टूडेण्ट भेजा उसके कितने पर्सेंट मार्क्स थे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : दिल्ली का कौनसा स्टूडेण्ट भेजा, इसकी मेरे पास अभी तो लिस्ट है नहीं। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 50 प्र.श. से कम वाले किसी को नहीं भेजा गया है। यह मैं निश्चित तौर पर सदन के अन्दर जवाब दे रहा हूँ।

इसके बाद माननीय जनार्दन सिंह गहलोत ने कहा, तीन साल के लिए आप बाहर के स्टूडेण्ट्स को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पूछ रहे हैं कि हरिजन कितने भेजे ?

श्री सभापति : कृपया बीच-बीच में नहीं। यह तो उचित नहीं है, माननीय सदस्य। यह सर्वथा उचित नहीं है। कृपया, कृपया विराजें। माननीय मन्त्री महोदय बोल लें उसके बाद पूछ लीजिये।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : कितनों को भेजा, यह बताइये....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपने नियमों में, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में कई बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिए, उसके तहत आप प्रश्न पूछ लीजिये। आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं एक-एक का जवाब दे दूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : नियम और प्रक्रिया पढ़ने के बाद आपसे पूछ रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतनी बड़ी डिबेट में आपको कटमोशन में साफ लिखना चाहिये था तो मैं आपका जवाब लेकर आता कि इतने लड़के बैठे हरिजनों के भेजे। वह तो आपने किया नहीं और जानकारी कर रहे हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरे कट मोशन को पढ़ लीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि डाक्टरों को गांवों में भेजने का हम प्रयास करते हैं। हमने यहां तक भी प्रयास किये हैं कि जो डाक्टर गांवों में रहेंगे पांच साल तक उनको पहले पी.जी. में एडमिशन देंगे जिससे वह पी.जी. कर सके। यह भी हमने उनको एक राहत दी है, हमारा यह भी प्रयास है। जो डाक्टर लगातार गांव ही गांव में रहते हैं उनका एक रिफ्रेशर कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसलिये कि गांवों में रहने की वजह से नई-नई मेडिशन, तौर तरीके जो निकलते हैं उनसे वह अनभिज्ञ रहते हैं। इसके लिए भी हमने एक कमेटी बनाई है। वह कमेटी जल्दी ही रिपोर्ट दे रही है। उसके तहत

(श्री खेतसिंह राठौड़)

रिफ्रेशर कोर्स भी प्रारंभ करेंगे पांचों मेडिकल कालेजेज में जिससे डाक्टर्स दूर-दराज गांवों में रहते हैं वह एक महीने की ट्रेनिंग लेकर वापस जायं तो नई दवाइयां, नये तरीके सीखेंगे इलाज के। तो इसके लिए भी हमने प्रयास किया है।

जहां तक श्री गोपाल पचेरवाल ने एक सुषमा नामक लड़की के 550) के बिल के बारे में खास तौर से प्रश्न उठाया था उसके बारे में मैंने डायरेक्टर साहब को हिदायत दी है कि महरबानी करके पूरी पत्रावली मेरे पास भेजिये। मैं विधायक महोदय के साथ बैठ करके इस पर निर्णय लूंगा।

जहां तक बदनौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां रेफरल हास्पिटल खोला जाय। रेफरेल हास्पिटल के सम्बन्ध में गवर्नमेंट की नीति यह है कि वह सब डिवीजनल हैड क्वार्टर पर खोलेंगे। तो अगर सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर हो जायेंगे, तो रेफरल हास्पिटल का अभी मैं वायदा नहीं करता आपसे, जहां तक सब-सैंटर का प्रश्न है, 500 नये और खोलेंगे इसमें आपके हिस्से में जितने आयेंगे, निश्चित तौर पर आपको दिये जायेंगे।

इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं, श्री मेघराज तावड़ ने कहा कि हमारे यहां पर डाक्टर रहता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपको नाम देंगे। अगर नाम देंगे तो हम उसी डाक्टर का पोस्टिंग कर देंगे जिससे आपके आदिवासी एरिया के अन्दर डाक्टर की खास तकलीफ जो आप महसूस कर रहे हैं उसमें कमी आये।

माननीय भैरूंलाल मीणा, उदयपुर ग्रामीण ने कहा कि गरीबों का इलाज जिस प्रकार से होना चाहिये, वह नहीं होता। इस बात को जानते हुए भी मैं यह कहता हूँ कि हमारा प्रयास यही रहा है, दूसरी स्टेट्स के कंपेरीजन में देखिये, राजस्थान में उनसे हम कहीं बैटर है। यहां पर दवाइयां भी देते हैं। वहां पर आम तौर पर लोग प्राइवेट हास्पिटल्स में ही इलाज कराते हैं, चाहे जसलोक हास्पिटल जाओ, चाहे बाम्बे हास्पिटल जाओ, चाहे ब्रीच केण्डी जाओ, कहीं जाओ, सारे के सारे गवर्नमेंट हास्पिटल्स नहीं हैं। अपने यहां गवर्नमेंट हास्पिटल हैं जहां अच्छे डाक्टर्स भी हैं और उनसे ही सारा इलाज कराया जाता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर आपको विश्वास होता तो आप दुर्लभजी अस्पताल में अपना इलाज न करा कर एस.एम.एस हास्पिटल में करवाते। न तो मुझे कोई ऐसी बीमारी थी, न कोई इलाज करवाया। यह तो पेपर वाले महान् हैं वह अपनी मर्जी आये वैसे लिख देते हैं। लीडर आफ अपोजीशन को भी इसमें मजा आ गया, कहने लगे इनको पाइल्स थे। मेरे को क्यों पाइल्स हों। भगवान् करे, आपको जल्दी बड़े-बड़े पाइल्स हों। मेरे तो कोई पाइल्स थे नहीं। न मेरे कोई बीमारी थी। मैं अगर गया तो डाक्टर भार्गव हैं, वह मेरे मिलने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, इस वजह से चला गया। इसमें ऐसी कौन-सी दिक्कत हो गई। मैं आपको यह बात खुले रूप में कह सकता हूं कि जितने बढ़िया डाक्टर हमारे एस.एम.एस. हास्पिटल्स, मेडिकल कालेजेज

श्री खेतसिंह राठौड़)

हैं प्रोफेसर्स एण्ड रीडर्स, इतने अच्छे सानी डाक्टर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। यह मैं नहीं कहता, यह मेरी ओपीनियन नहीं , अभी 14 कांफ्रेंसेज हुई मेडिकल कालेज, जयपुर में अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग नामी डाक्टर्स, जो हिन्दुस्तान में बेहतरीन डाक्टर्स हैं, जिनका नाम है,. ने इनमें भाग लिया और उन्होंने इस बात की तारीफ की कि नहीं, आपका हास्पिटल बड़ा अच्छा, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसकी सफाई अच्छी है, देखरेख अच्छी है और यहां के डाक्टर्स भी निश्चित रूप से बड़े काबिल । यह उन्होंने सर्टिफिकेट दिया । आपकी नाराजगी हो जाय. आप पधारें उस वक्त सुपरिण्टेण्डेण्ट नहीं मिला हो या कहीं चला गया हो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे एक ही शिकायत है, आपके पाइल्स का इलाज करने वाला एस.एम.एस. में कोई नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतनी सीरियस डिबेट में आप ऐसी मजाक करते हो, ख्वामख्वाह सी बात है ।

श्री हेमाराम चौधरी, धोरीमन्ना वालों ने यह कहा कि हमारे यहां मेडिकल ऐड की कमी है । मैं मानता हूं कि बाड़मेर में मेडिकल ऐड की कमी रही है । इसका मुख्य कारण यह है कि गांव सभी दूर-दराज हैं, एरिया भी बहुत लम्बा-चौड़ा है । शुरू से ही यह कमी रही है । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने भारत सरकार के चिकित्सा मन्त्रीजी से निवेदन किया है । हम आपके यहां एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के प्रयास में हैं । यह निश्चित तौर पर आपके यहां मंजूर हो ताकि उसमें वहीं की लड़कियों को भर्ती करेंगे और जो सब-सैंटर्स में कमी है वह काफी हद तक दूर हो ।

जहां तक आपने कहा कि आपने हमको हमारे वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर तो दे दिया, लेकिन डिस्पेंसरी हटा दी । तो अब जब नई डिस्पेंसरियां खोलेंगे उस वक्त निश्चित तौर पर गंभीरता से विचार किया जायेगा ।

नागौर से आने वाले माननीय सदस्य को भी परेशानी यही थी कि गांवों में डाक्टर नहीं रहते हैं । यह बात मैं स्वीकार करता हूं । जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा, हमने 200 से कहीं अधिक डाक्टर को नियुक्ति दी लेकिन नियुक्ति पत्र लेने के बाद उन्होंने जोइन नहीं किया । तो अभी एक सुझाव जैसा माननीय सदस्य ने दिया था कि आप हरएक डाक्टर से नियुक्ति के वक्त फार्म भरा लें कि उनको गांवों में पांच साल रहना ही पड़ेगा । इस पद्धति पर भी हम विचार कर लेंगे और इसके लिए भी हम कार्य करेंगे ।

माननीय श्री मोहनलाल मोदी काफी नाराज थे । उन्होंने कहा कि आपने हां भरी और खिसक गये । खास तौर पर उन्होंने कहा कि छावनी नीम-का-थाना में एक डिस्पेंसरी खोली जानी थी लेकिन वह खोली नहीं । जनता रूल ने आते ही उसको रद्द कर दिया । मैं इसके बारे में मालूम करूंगा । अगर जनता सरकार ने इसको रद्द किया है तो कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से खोलेगी ।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जहां तक जेलियाजी ने यह कहा कि हमारे यहां पर टी बी. वार्ड है, वह सोने के कमरे में है। मैं इसको शिफ्ट करने के लिए आदेश दे रहा हूँ। वह शीघ्र ही शिफ्ट हो जायेगा। आपने एक्स-रे मशीन के बारे में कहा कि एक्स-रे मशीन नहीं है। एक्स-रे मशीन भिजवा रहे हैं। अब सवाई माधोपुर में एक्स-रे की आपको परेशानी नहीं होगी। यह सही है कि सवाई माधोपुर में पिछले कुछ दिनों में आपरेशन के समय डेथ की दुर्घटनायें हुई हैं। इसके लिए मुझे अफसोस है। मैंने डिपार्टमेंट को हिदायत दी है और हमारा प्रयास यह होगा कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों। यहां से प्रोफेसर को भेजा था। इसी तरह से एनेस्थिसिया के लिए जिनको भेजा था वह भी प्रोफेसर हैं। इन दोनों को भेजा गया था। इन दोनों के द्वारा आपरेशन करते समय किसी की डेथ हो गयी, तो यह तो आप नहीं कह सकते कि लापरवाही से हुई हो। यह बहुत ही एक्स-पर्ट व्यक्ति हैं और प्रोफेसर रैंक के हैं। यह तो होनहार है जो टलती नहीं है। और भी इस डिपार्टमेंट को सख्ती से हिदायत दी गई है, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाना चाहिये, पहले पूरा उसका एग्जामिनेशन करने के बाद ही आपरेशन करें। नहीं तो इस तरह की आपरेशन के अन्दर दुर्घटना से हमको धक्का लगेगा और जनता में भी प्रेम कम हो जायेगा। इसके लिए हमने हिदायत दी है।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर माननीय सदस्यों ने जितनी भी बातें कही हैं उससे अपने आप यह साबित होता है कि कुल मिला कर यह डिपार्टमेंट ठीक तरह से काम कर रहा है और डिपार्टमेंट के अन्दर कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है जिसके लिए विरोधी पक्ष के नेता महोदय को खड़े होकर चार्जशीट देनी पड़े। इसलिये मैं आप से निवेदन करता हूँ कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप कृपापूर्वक इस मांग को पारित करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन था। मैंने मन्त्री महोदय से निवेदन किया था, यह महत्वपूर्ण है....

श्री सभापति : क्या प्रश्न कर रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जी हां।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने राणावास में 15 दिसम्बर को घोषणा की थी, मातृ शिशु कल्याण को मार्च में बजट पास होने के पश्चात् रेगुलर कर दिया जायेगा परन्तु इसकी घोषणा आपने नहीं की।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने एक डिस्पेंसरी का आश्वासन दिया था। इसका आश्वासन भी आपने नहीं दिया है।

तीसरा मैंने एक महत्वपूर्ण सुझाव आपको दिया था कि आपरेशन का नाम हटा कर यह नाम रख दें कि परिवार नियोजन की सुई लगाई जा रही है। इस बारे में भी आपने, मन्त्री महोदय, नहीं फर्माया है। मैंने परिवार कल्याण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। इस सुझाव पर आपने गौर नहीं किया है। मैंने, मन्त्री महोदय, आपका जितना गुण-

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

गान किया इतना तो मैं भगवान का भी नहीं करता हूँ। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इन तीनों बातों का भी कृपा कर जवाब देने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : दो-तीन सवाल करूंगा।

क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा अन्य राज्यों के मेडिकल कालेजों में निर्धारित पांच प्रतिशत कोटे के लिये बिना किसी आधार के छात्रों के नामांकन की वर्तमान प्रणाली को अवैध करार दिया है? क्या यह सही है कि न्यायालय ने भारतीय स्वास्थ्य परिषद को आदेश दिया है कि वह नामांकन के लिए वैद्य फार्मूला तैयार करे? माननीय सभापति महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान की ओर से श्री शब्बीर हुसेन पुत्र श्री मुफ्ति मोहम्मद सईद, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्रीनगर, श्री वसन्त कुमार शर्मा पुत्र श्री जनकराज गुप्ता, डेप्टी स्पीकर जम्मू कश्मीर विधान सभा, श्रीनगर, कुमारी काण्डे कौल पुत्री श्री प्यारेलाल, श्रीनगर, कु. ईरफान माजिद, अनन्तनागर, कश्मीर, श्री सुपवित्र कुमार जैन, सेठी नगर, आगरा, कु. प्रीती माथुर, जय दुर्गा काम्पलेक्स, केन्ट जम्मू, श्री सुरेन्द्र कौल, हेलदा का दल, श्रीनगर, श्री अकील अहमद, श्रीनगर, श्री शमीम मीर, जम्मू-तवी, श्री मलिक हुसेन, नई दिल्ली, श्री नवीर इन्द्र सिंह, नई दिल्ली, इन लोगों का राजस्थान की ओर से जम्मू के कालेज में मनोनयन किया है?

श्री सभापति : आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जी हां।

सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि कितने प्रतिशत लोगों को आप चिकित्सा सुविधा पहुंचा रहे हैं? इसका उत्तर दें। राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर कुल कितने प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं?

एक उत्तर यह दें कि आपने जैसे तैसे कुछ अस्पतालों में डाक्टर रखने की व्यवस्था की परन्तु आपने नये अनुसंधानों की कौन सी दिशाएं तलाश की हैं? आप गांवों में महिलाओं के लिए, मातृ कल्याण केन्द्र नहीं खोल रहे हैं लेकिन पीड़ा हीन प्रसव के लिए आपने अनुसंधान किया है या करने की व्यवस्था करने वाले हैं? आपको मालूम होगा कि 25 प्रतिशत महिलायें प्रसव के समय अपने प्राण छोड़ देती हैं। आप इस विषय में क्या करने वाले हैं? मन्त्री महोदय यह बताएं।

आपने डेफिशियेंसी रोगों के बारे में बताया है। यह भी बताया कि रोगों की रोकथाम के लिए कुछ व्यवस्था करने वाले हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपको याद है शराब से कितनी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? इसके लिए क्या आप कोई डाक्टर्स की कमेटी बनायेंगे? इसका उत्तर दें।

एक प्रश्न और है। महिला अस्पताल, जनाना अस्पताल के विस्तार की योजना के लिए कहीं से पैसा आया था? आपको याद है वह पैसा लेप्स हो गया। किस तरह से लेप्स हो गया? इसका विस्तार क्यों नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

किया गया ? इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री सभापति : काफी प्रश्न हो गये। काफी समय जा रहा है।

श्री सभापति : आपको तो वैसे ही वक्त मिल गया है।

श्री मेघराज तावड़ : मुझे नहीं मिला है।

मैंने यह पूछा है कि लाटरी आपने शुरू की है, उसमें अनियमितता हुई, टिकट नहीं डाले गये। इसके बारे में आपने क्या किया ?

दूसरा प्रश्न यह है कि ट्राइब वकास्ट के लोगों को आपके डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं दिया गया। पर्टीकुलरली चावला का नाम था। उदयपुर में कुछ लोग और हैं जिनकी अभी मेरे पास सूची नहीं है। उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है।

श्री सभापति : मेहरबानी करके बिराजिये।

श्री मेघराज तावड़ : प्रश्न ही कर रहा हूं। इतनी देर में तो कह देता।

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि चांदमल को एडहाक बेसिस पर सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाया गया है मेडिकल डिपार्टमेंट में, उसके काले कारनामों से उसको बचाकर उसको प्रमोशन दिया गया है बजाय इसके कि उसको आप सजा देते ? कृपया इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूँ, क्या यह सही है कि 1978-79 से लगातार प्रशासनिक व्यय बढ़ कर लगभग तिगुना हो गया है और उसके मुकाबले में स्वास्थ्य के सम्बन्ध खर्च बढ़ना चाहिए था, वह बिलकुल नहीं के बराबर है।

दूसरी बात यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम साल है। इसमें क्या टार्गेट फिक्स किये थे और क्या अचीवमेन्ट किया है ?

क्या यह सही है कि हमारे यहां पर बाल मृत्यु दर बढ़ रही है ?

चौथा सवाल यह है कि आपने अस्पताल क्रमोन्नत किये हैं, जिला अस्पताल क्रमोन्नत किये हैं बूंदी में, प्रतापगढ़ में और भीलवाड़ा में। अभी भीलवाड़ा में आपने क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। इनका क्या आधार था ? टौंक जिले की जनसंख्या पापुलेशन को देखते हुए आपने चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार नहीं किया है इसके क्या कारण हैं ?

श्री सभापति : मन्त्री महोदय माननीय आयुर्वेद मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या इन सभी को स्टेट की तरफ से भेजा गया था ?

श्री सभापति : कृपया बिराजिये मन्त्री महोदय जवाब देंगे। माननीय सदस्य कृपया बिराजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : उस समय माननीय चिकित्सा मन्त्रीजी ने यह स्पष्ट कहा था

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि मेरे भाषण के बाद आप सवाल पूछ लें ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बैठ जायें। मैं जवाब दे रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य यह चाहते थे कि राणावास में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोला जाय। मेरा निवेदन है कि बजट के अन्दर प्रावधान देखने के बाद ही मुख्यमन्त्रीजी से सम्पर्क करके तय किया जायेगा।

जहां तक सिवाड़ा का सवाल है, नयी डिस्पेन्सरी खोली जायेगी उस वक्त विचार किया जायेगा।

आपरेशन की जगह सूई लगाई जाने वाली बात आपने जो फर्मायी। विभाग से मैं डिस्कस करूंगा। यदि महिला उससे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं तो निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसी स्टूडेन्ट ने रिट की थी, वह कश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ थी, उस पर यह फैसला हुआ। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यह फैसला कश्मीर गवर्नमेन्ट के खिलाफ जरूर हुआ। उसके बाद आल इण्डिया मेडिकल कौन्सिल को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दीं कि गाइड लाइन बनायें। उस गाइड लाइन के अनुसार ही यह रेसीप्रोकल सिस्टम चलना चाहिए। अब उन्होंने कोई गाइड लाइन बनायी है। नेक्स्ट ईयर जब भी गाइड लाइन लागू होगी उस वक्त उसके अनुसार काम कर दिया जायेगा। पिछले वर्ष तो कोई गाइड लाइन नहीं थी इसलिए कोई गाइड लाइन की हमने अवहेलना नहीं की है। आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह फैसला बहुत बाद में हुआ है, इस फैसले से पहले ही सब एडमिशन हो चुके थे। दूसरे, कोई गाइड लाइन नहीं थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके अनुसार आल इण्डिया मेडिकल कौन्सिल गाइड लाइन भेजेगी उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

तीसरा, माननीय सदस्या उजलाजी ने यह कहा कि नये अनुसंधान....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने आपको 15 नाम गिनाये हैं। उन 15 नामों में जम्मू के लोग राजस्थान की ओर से जम्मू कालेज में नोमिनेट हुए हैं, इन 15 नामों में श्रीनगर के लोग राजस्थान की ओर से श्रीनगर कालेज में नोमिनेट हुए हैं, इन 15 नामों में नयी दिल्ली और आगरा के लोग आपके राजस्थान की ओर से जम्मू कालेज में नामिनेट हुए हैं, क्या यह सही है? मैं यह पूछ रहा हूँ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि उस वक्त में कोई गाइड लाइन नहीं थी। ये लोग गये कि नहीं गये, अभी मेरे पास कोई सूची नहीं है इसलिए तुरन्त आपको जवाब नहीं दे सकता।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : राजस्थान में विद्यार्थी नहीं थे जिनको आप वहां भेज सकते थे?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मेघराज तावड़ : राजस्थान में विद्यार्थी नहीं, यह बात कह कर बड़ा अन्याय किया है राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : भ्रष्टाचार के आधार पर जम्मू कश्मीर में स्टेट की तरफ से भेजे गये हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का कोई प्रूफ नहीं हो सकता है । माननीय मंत्री महोदय, आप में कुछ नैतिकता होती तो आज आपको इस्तीफा दे देना चाहिये था ? राजस्थान स्टेट के अच्छे लोग स्टेट की तरफ से नहीं गये । यह बात स्पष्ट है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।

श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान की ओर से मनोनयन के लिए पात्र लोगों के प्रार्थना पत्र राजस्थान की सरकार के पास होते हुए भी राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के छात्रों का मनोनयन न करके बाहर के छात्रों का मनोनयन किया है, इसका कारण क्या है ? आप स्पष्ट कीजिए ।

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सुनिये, उस वक्त तक पी.एम.टी. का रिजल्ट आया नहीं था ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हमें शर्म आ रही है । अजी ! आपको कुछ शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है । आपने राजस्थान स्टेट के साथ धोखा किया है, XXX की है और उसके अधिकारों का हनन किया है ।

श्री हेमाराम चौधरी : जनता पार्टी के XXX बोलते हैं ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कौन XXX बोलता है । आप लोग ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री हेमाराम चौधरी : बिल्कुल गलत है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपके नियमों के विपरीत किया है ।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है । माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : राजस्थान के हितों का बलिदान किया है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के चिकित्सा मंत्री महोदय ने विवेकपूर्ण कार्य किया है ।

श्री मेघराज तावड़ : यह सरकार राजस्थान के विद्यार्थियों के हितों पर आघात कर रही है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसमें भ्रष्टा–

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

चार बेईमानी की बू आ रही है। आप जिनको जानते ही नहीं थे उनको मनोनीत कर दें इससे बड़ा भ्रष्टाचार और नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

शर्म करो, राजस्थान के लोग XXX।

(व्यवधान)

X X X

श्री रघुवीरसिंह कौशल : राजस्थान के गरीबों के साथ XXX करने वाला स्वास्थ्य मन्त्री दूसरा नहीं हुआ होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मन्त्री, आयुर्वेद) : ऐसे आरोप नहीं लगाये जा सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX एक डिस्पेन्सरी दे दी जिससे ही चुप हो रहे हो। XXX।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनको यह इनाम दिया है आपने। राजस्थान के छात्रों के साथ आपने जिस प्रकार का व्यवहार किया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग कीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। क्या राजस्थान के विद्यार्थी नहीं थे? क्या राजस्थान के विद्यार्थियों के प्रार्थना-पत्र आपके पास नहीं आये जिससे 15 लोग जम्मू और दिल्ली के राजस्थान स्टेट की ओर से नोमिनेट हुए? क्या यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि एक-एक व्यक्ति से XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अनावश्यक व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप इसकी इन्क्वायरी करायें। आपमें अगर नैतिकता है तो जांच बिठाइये। पता चल जायेगा कि कितने गहरे पानी में हैं। मैं पूछता हूँ XXX? लड़का कोई आपके है नहीं, लड़की की शादी हो गई है। XXX? राजस्थान के साथ में आपने XXX वह कोई नहीं कर सकता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री हंसराज शर्मा : XXX किसने आपको दिया? XXX को यहां बैठने का अधिकार नहीं है। त्याग-पत्र दे दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह फेक कार्यवाही है। राजस्थान के साथ आपने जो XXX की है मैं इसके लिए आपको माफ नहीं कर सकता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : राजस्थान के विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन करके, विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात करके XXX मंत्री को बैठने का अधिकार नहीं है। आपमें नैतिकता हो तो त्याग-पत्र दे दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, जांच बैठाइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें। मुझे सदन का समय बढ़ाने दीजिये। कृपया बिराजें। आप कृपया बिराजें। सदन का....

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सदन में एक मंत्री का चित्र सामने आ रहा है।

श्री सभापति : माननीय श्री दाऊदयाल जी।

(व्यवधान)

आप आसन को सहयोग नहीं करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।

(व्यवधान)

माननीय श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(व्यवधान)

श्री हेमराम चौधरी।

(व्यवधान)

माननीय श्री दाऊदयालजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

सदन की बैठक का समय सदन की अनुमति से आध घन्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आसन के साथ सहयोग कीजिये। आपने जो प्रश्न पूछ लिए, प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दे दिया। यह आवश्यक नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय जो उत्तर दें उससे आप संतुष्ट हो ही हों। सन्तुष्ट होना आपकी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप....

(व्यवधान)

आप कृपया मेरी बात सुनिये। आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, पहला अधिकार आसन का है। आसन आपसे अपनी बात निवेदन करना चाहता है।

मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है वह आप सभी ने सुन लिया है। आवश्यक नहीं कि आप सन्तुष्ट हों ही किन्तु मंत्री महोदय ने अपना उत्तर दे दिया है। अब माननीय आयुर्वेद राज्य मंत्री महोदय डिमाण्ड पर डिबेट का जवाब देंगे।

(व्यवधान)

कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महो-

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती उजला अरोडा)

य के कुछ उत्तर बाकी हैं। वह उत्तर दे । तब आयुर्वेद मन्त्री बोलें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बराजें।

श्री बंसीलाल पटवा : कुछ सवाल के त्तर आये नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदस्यों के वाल ग्रामीण जन जीवन के साथ जुड़े हुए । यह सवाल सतोष या असंतोष का नहीं ।

क्या राजस्थान में इस प्रकार के ाबिल लोग....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बराजें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अनावश्यक क्यों त्साहित हो रहे हैं।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य ण। माननीय श्री महावीर प्रसाद जैन। पया बैठे-बैठे बातें न करें। o

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभा- ति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ ा माननीया उजला अरोड़ाजी ने दो प्रश्न छे थे ..

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : कश्मीर का क्या हुआ ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कश्मीर का क्या हुआ ? वहां के लोगों को क्यों भेजा गया ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप विराजें तो मैं जवाब दूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप यह कहिये कि आपने भेजा या नहीं भेजा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपको कितनी सीटें भरने का अधिकार था ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप विराजें तो बताऊं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पहला प्रश्न तो यह है कि राज्य सरकार को कितनी सीटें नामिनेट करनी थीं, राज्य सरकार कितनी सीटों पर नामिनेट कर सकती थी ? क्या इसके लिए पहले से कोई निर्धारित संख्या नहीं है या मर्जी चाहे जितनी कर दें, या दो सीटों पर ही नामिनेट करने का अधिकार था ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सुनिये भी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें कृपया। मन्त्री महोदय जवाब दे रहें हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर दो नामिनेट करने का अधिकार था तो दो ही

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कर सकते थे, फिर ये 15 कैसे हो गये ?

श्री सभापति : कृपया विराजें। माननीय मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं जवाब नहीं देता हूँ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वे जवाब नहीं देना चाहते हैं।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं। कृपया आप विराजें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपको यह अधिकार किसने दिया ? जब दो का अधिकार था तो आपने 15 किस आधार पर किये....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : XXX। राजस्थान की जनता, राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ लोग यह पूछना चाहते हैं कि आपने राजस्थान के हितों को छोड़कर बाहर के लोगों से XXX ....

(व्यवधान)

मैं पूछना चाहूँगा कि राजस्थान की एक एक सीट XXX तो मैं ऐसे कई लोगXXX

श्री सभापति : आप विराजें, कृपया माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप गलत हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। कृपय माननीय सदस्य विराजें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : + + +

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, एक प्रश्न....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : + + +

श्री सभापति : अंकित न हो।

(व्यवधान)

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : समस्या हल हो सकती है। इतनी सी बात का जवाब दे दें कि जो मनोनयन किया गया है उसका आधा क्या रखा था ? बात खतम हो जायेगी।

श्री सभापति : जवाब तब दें, जब आप सुनना चाहें। जवाब देने को खड़े होते तो आप सब खडे हो जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि 5 प्रतिशत तो मार्क्स कम-से-कम होने चाहि

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

+ + + आसन के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

थे। फिर गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन था कि किस को भेजा जाय, किस को नहीं भेजा जाय। उसी हिसाब से मुख्य मंत्री की राय से जिनको नामिनेट करना था उनको किया गया....

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : स्टेट के बाहर के लोगों को कैसे नामिनेट किया ...

श्री सभापति : कृपया विराजें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री हीरालाल आर्य : XXX ।

श्री अनंगकुमार जैन : बाहर के विद्यार्थियों को क्यों नामिनेट किया इसका क्लेरिफिकेशन दिलवाया जाये....

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या इस प्रावधान का राजस्थान के विद्यार्थियों को छोड़कर बाहर के विद्यार्थियों के लिए उपयोग में ले सकते हैं?....

श्री भंवरलाल शर्मा : राजस्थान में कोई उपलब्ध नहीं था क्या? जिस आधार पर उनका नामिनेट किया क्या उस आधार पर राजस्थान में कोई नहीं था....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप बैठ जाइये। आयुर्वेद मंत्री बैठ जाइये। पहले इनसे हिसाब ले लें उसके बाद आपसे भी हिसाब लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या हिसाब लेंगे मुझसे ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह हिसाब लेना है कि आपने ऐसा शर्मनाक....

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : + + +

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने एम्पलायमेंट एक्सचेंज को एक तरफ उठाकर XX X को भर्ती किया था, 16 हजार को वह किसके नाम पर था आपके XXX राज था क्या? जैसा मर्जी में आया कर दिया। आपके XXX राज था क्या?

(व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : + + +

श्री बालचन्द आर्यवीर : + + +

श्री रघुवीरसिंह कौशल : + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आप लोगों की कोई बात अंकित नहीं हो रही है। समय अनावश्यक रूप से व्यर्थ हो रहा है। इसका नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है।

+ + + आसन के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : +++

श्री रघुवीरसिंह कौशल : +++

श्री हंसराज शर्मा : + + +

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्री हंसराज शर्मा : + + +

श्री सभापति - कृपया बिराजें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : + + +

श्री हंसराज शर्मा : + + +

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : + + ×

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : XXX है और अब के भेज देगी घर।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया अनावश्यक रूप से समय न लें। माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : + + +

श्री सभापति : कृपया। कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले चिकित्सा मन्त्री महोदय से उत्तर दिलवायें....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, उत्तर आ चुका है। आप बिराजें।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार राजस्थान के विद्यार्थियों का गला घोटकर....

(व्यवधान)

कभी भी राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हुआ और राजस्थान की सरकार चुप है। सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसके लिये हम वॉक आउट करेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री सभापति : माननीय आयुर्वेद राज्य मन्त्री।

(व्यवधान)

माननीय आयुर्वेद राज्य मन्त्री। कृपया आप बिराजें।

श्री सुजानसिंह यादव : मेरी बात को सुन तो लें। मैं तो ऐसा विधायक हूँ जो बहुत कम बोलता हूँ।

एक मेरा कटौती प्रस्ताव था उस पर मुझे नहीं बोलने दिया गया। मैं केवल एक स्पेसिफिक प्रश्न रखना चाहता हूँ स्वा-

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

+ + + आसन के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सुजानसिंह यादव)

स्थ्य मन्त्री जी के सामने । बहरोड़ में 1984-85 में राजकीय विशम्भरदयाल हॉस्पिटल के लिये मन्त्री महोदय ने वायदा किया था, उसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहता हूँ मन्त्री महोदय से । एक करोड़-पति सेठ, जो कि बम्बई में रहते है, उसमें 1 करोड़ रुपया लगाना चाहते हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बैठें । मैं समझ गया । उस पर विचार कर निर्णय लेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनको उसमें से क्या देंगे, यह बता दें ।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मन्त्री आयुर्वेद) : सभापति महोदय, आज आयुर्वेद की मांग पर 14 माननीय सदस्यों ने करीब 55 कटौती प्रस्ताव दिये थे उसमें से 5 ने भाग लिया है । अपनी ओर से आसन के मार्फत यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है उनके उत्तर तो दूंगा ही, जिन्होंने भाग नहीं लिया है ऐसे माननीय सदस्यों को मैं कोशिश करूंगा, रिटन रिप्लाई दूं ।....

श्री दाऊदयाल जोशी : पहले साल भी कहा था । कितने कटौती प्रस्तावों के जवाब दिये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें ।

(व्यवधान)

बार बार क्यों व्यवधान डालते हैं । कृपया । कृपया ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मिथ्या भाषण देते हैं कि कटौती प्रस्तावों का जवाब देंगे लेकिन जवाब नहीं भेजे । पिछले वर्ष भी नहीं दिया ।

श्री दिनेश डांगी : सभापति महोदय, आप चिन्ता मत करें । आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा ।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग भी चलता है । इस वर्ष या मोजूदा सेटअप में आयुर्वेद विभाग का बिल्कुल स्वतन्त्र का चार्ज मुझे दिया हुआ है इसलिये मैं जवाब देने के लिये उपस्थित हुआ हूँ ।

आज से पूर्व करीब 346 आयुर्वेदिक औषधालय थे और 15 लाख का बजट था । आज कुल मिलाकर 2801 आयुर्वेदिक औषधालय हो गये हैं । बजट भी 15 लाख से बढ़ करके 1174.18 लाख रुपये का हो गया है । इसी प्रकार से जो रोगी शैय्याएं केवल सौ थीं, सौ से बढ़ करके 1068 हो गयी हैं । सभापति महोदय, आपको यह भी विदित ही है कि इस वर्ष और दो सौ औषधालय आयुर्वेद के खोले जा रहे हैं । इससे इस विभाग की स्थिति काफी सुदृढ़ हो जायगी और जनता को इन औषधालय के खुलने से और सुविधा मिल सकेगी । इसी प्रकार से हमारे राजस्थान में कुल तीन यूनानी के अस्पताल हैं, चार होम्योपैथिक हैं और 5 आयुर्वेद के हैं । इसी तरह से 4 जगह नर्स–कंपाउण्डर केन्द्र हैं जिनमें तीन सरकारी हैं और एक निजी क्षेत्र में है । 1 एक उदयपुर में बिल्कुल सब प्लान के हिसाब से, ट्राइबल सब प्लान का

(श्री दिनेश डांगी)

है उसमें सारे अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राएं भर्ती होती हैं। जैसे कि स्थानांतरण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है मैंने इस वर्ण संतुलन को बनाये रखने के लिये अजमेर में जो एक केन्द्र चल रहा था छात्रों का उसका 50 का जोधपुर इसलिये बदला है कि जोधपुर के अन्दर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर तथा और भी जिले उधर के हैं, वहां पर लोग रहते नहीं, अगर उनको नौकरी मिल भी जाती है तो 6 महीने साल भर रह करके बदली करवा कर इस तरफ आ जाते हैं जहां के रहने वाले हैं। इसलिये उस असंतुलन को मिटाने के लिये मैंने एक धौलपुर में भी खोला है और एक जोधपुर के अन्दर उसी के अन्दर से बाइफरकेट किया है। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के अन्दर दिनों दिन आयुर्वेद का कार्य तरक्की पर चल रहा है। राज्य में 656 श्रेणिक, अश्रेणिक औषधालय हैं जो अलग-अलग जिलों में संचालित हैं। उनमें से 42 चिकित्सालय ऐसे हैं जो निदेशालय के अन्तर्गत सीधे आते हैं जिससे वहां का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

औषध वितरण के लिये करीब हमने 21 जगह औषध वितरण के केन्द्र बना रखे हैं। वहां से 11 वाहनों के द्वारा जगह-जगह औषध सप्लाई की जाती है। इसी प्रकार से जैसा कि हमारे खेतसिंह चिकित्सा मन्त्री जी ने अभी बताया, इनकी एक चल चिकित्सा इकाई जो 500 रोगी शैय्याओं की है, उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी गत वर्ष दो सौ रोगी शैय्याओं की चल चिकित्सा कायम की है, जो कम्पलीट तैयार हो गई और अब वह बहुत जल्दी अपना कार्य शुरू कर देगी। इसलिये गांव में कहीं भी शिविर लगाया जाय तो उस अवसर पर इसका लाभ लोगों को प्राप्त हो सकेगा।

इसी प्रकार से हमारे उदयपुर में एक अनुसंधान केन्द्र चल रहा है जहां पर बाल पक्षाघात के बारे में अनुसंधान होता है इसी प्रकार से आंतरिक ज्वर यानि टायफाइड और गृधर्सी साइटिका का अनुसंधान कार्य भी प्रगति पर है और निरन्तर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें। कृपया आप बिराजें। बाद में पूछ लेना। कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

कृपया आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्यगण।

श्री दिनेश डांगी : इसी प्रकार से रतनगढ़ चूरू में भी एक श्वास रोग पर भी अनुसंधान कार्य चल रहा है। इसी प्रकार से होम्योपैथी में भी केन्द्र की ओर से राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जयपुर में एक क्लीनिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित हुआ है जिसका भी अनुसंधान कार्य काफी अच्छी गति से चल रहा है। सभापति महोदय, इस विभाग को चलाने के लिये अनुसंधान का कार्य भी आवश्यक है इसलिये मैंने आपके सामने सारी बात बतायी है। वैसे हमारे राजस्थान में चलने वाली जो शिक्षण संस्थाएं हैं और भी कोई

(श्री दिनेश डांगी)

चिकित्सा संस्थाएं हैं उनको करीब वित्तीय वर्ष में 26,60,686/– रु. का अनुदान दिया गया है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, जो भारत सरकार की ओर से चल रहा है उसको भी हमने 15 लाख 43 हजार रुपये का अनुदान दिया है। इस प्रकार से ये कुछ थोड़ा सा विभाग के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त औषध निर्माण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि औषध निर्माण जितना हमको करना चाहिए निर्धारित उतना हम नहीं कर पाये हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो यह कि एक औषध में यदि 5 घटक होते हैं और एक घटक उपलब्ध नहीं हो या उसका भाव बढ़ जाय और व्यापारी उसकी सप्लाई नहीं करे तो वह पूरा का पूरा औषध का घटक पड़ा रह जाता है और औषध यहां पर बन नहीं पाती है। दूसरा यह कि मैंने यह कोशिश की है कि राजस्थान में गुजरात की तरह जो विकास निगम बने, यहां भी आयुर्वेद का विकास निगम बने। इसके बारे में कार्यवाही चल रही है। मैं अभी यह नहीं कह सकता कि खुल ही जायगा। लेकिन इसके बारे में पूरा पता लगाया जा रहा है, इसके बनने से क्या फायदा राजस्थान को हो सकता है, आयुर्वेद विभाग को हो सकता है। यहां पर इंडियन मेडिसन बोर्ड के बारे में कहा गया। मेरे पास जो सूचना आयी है उसके अनुसार 1 जनवरी, 82 तक वैद्य विशारद आयुर्वेद रत्न के प्रमाण पत्र के आधार पर 1527 व्यक्तियों के पंजीयन किये गये हैं और उसके बाद एक भी पंजीयन नहीं हुआ है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 67 के बाद...

श्री सभापति । माननीय सदस्य, कृपया। माननीय सदस्य, कृपया।

श्री दाऊदयाल जोशी : सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोफार्मा है जिसमें आदेश दिया है उन्होंने ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी : 1 जनवरी, 82 के बाद में कोई पंजीयन नहीं किया गया है, यह मैं आपकी सूचना के लिए कह दूं।

यहां पर स्तानांतरण को लेकर, सभापति महोदय, बहुत कुछ कहा गया है। यहां पर स्थानांतरण....

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें। कृपया।

श्री दिनेश डांगी । जहां तक मुझे विभाग से जो जानकारी मिली है, 1.4 83 से, सभापति महोदय, 3–84 तक आयुर्वेद विभाग में चिकित्सकों के और कंपाउंडर्स के, आयुर्वेद चिकित्सकों के 1108 ट्रांसफर हुए है. कम्पाउंडर, नर्स के 836 हुए हैं। यह आपको बताऊं तो इसके अन्दर दाऊदयाल जोशी जी ने एक मंजुल कुमार त्रिपाठी का किसार जिला कोटा से केथून कोटा करवाया। यदि यह कहते हैं कि नहीं कराया। मेरे पास सारी लिस्ट है।

श्री दाऊदयाल जोशी : असत्य भाषण करते हैं।

श्री सभापति : कृपया, कृपया।

श्री दिनेश डांगी : जहां तक औष-धालय ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजें। कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्यगण, कृपया।

एक माननीय सदस्य : नहीं साहब, शिलाजीत और च्यवनप्राश दो इनको ओर से। च्यवन प्राश दिखाते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री दिनेश डांगी : औषधालय जहां खोलने का प्रश्न है, मैंने पूरी कोशिश की कि जो नार्म्स बने हुए हैं कि किस प्रकार से एक औषधालय खोलना चाहिये उसी प्रकार से खोले है। इसके बावजूद भी मेरे पास पूरी लिस्ट है। विधान सभा में जो सदस्य अभी विराजे हैं इनके क्षेत्र में भी, जो विरोधी पक्ष में आते हैं उनके क्षेत्र में भी....

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX एक औषधालय चार साल में भी नहीं खोला, XXX....

श्री दिनेश डांगी : किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया। संतुलन न खोयें, माननीय सदस्य, कृपया। कृपया संतुलन नहीं खोयें। कृपया आवेश में नहीं आयें।

श्री दिनेश डांगी : मैं, सभापति महोदय और विशेष बात नहीं कह कर यही बात कह कर समाप्त करना चाहूँगा कि राजस्थान के अन्दर पहली बार चौदह वर्षों के बाद में वैद्यों के वेतनमान को बढ़ा करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो जनता सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने....

श्री दाऊदयाल जोशी : कितने दिये हैं 27 लोगों को पैसा खाकर....

श्री दिनेश डांगी : जनता सरकार ने पहले कांग्रेस सरकार ने जो वेतनमान दिया था वह बदल दिया और वह वेतनमान नहीं दिये। वह वेतनमान इस वर्ष दे दिये गये यह, एक बहुत भारी उपलब्धि है।

इसके साथ ही मैं अपनी बात खतम करने से पहले यह कहना चाहूँगा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री दिनेश डांगी : एक चार्ज लगाया उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे उसमें कंपाउंडर्स ट्रेनिंग सैंटर के अन्दर नामिनेशन का सवाल बताया। मैंने, सभापति महोदय, उसके अन्दर पहली बार राजस्थान में क्योंकि हमारे यहां नर्सें बहुत कम मात्रा में भर्ती होती है, नर्सें निकलती नहीं इसलिये 20% छात्राओं के लिए सीट रिजर्व रखी। इस वर्ष अजमेर और जोधपुर में 18 लड़कियां आयीं। यह पहली बार है। इसके अलावा 28% कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

री दिनेश डांगी)

पने रिजर्वेशन रखा है, 16 प्रतिशत स्ट्स का और 12 प्रतिशत ट्राइब्स का। नके अतिरिक्त मैंने 10 प्रतिशत ग्रामीण मिनेशन इसलिये रखे हैं, सभापति महो-र, कई ऐसे गरीब छात्र, जो कुछ पर्सेंट से रह जाते हैं. को गवर्नमेंट नामिनेशन हिसाब से एडमिशन दिया जा सके। ने इस साल यह भी कोशिश की कि पहले वल साइंस और संस्कृत वाले हायर सैकं-ी वाले एडमिशन लेते थे। मैंने इसमें र्ट्स भी लगाया। आर्ट्स लगाने से ड़कियां इतनी आयी हैं। साइंस की लती नहीं हैं तो यह भी मैंने एक रास्ता कियों के लिये खोला है।

इसके साथ-साथ माननीय दाऊदयाल ने कुछ चार्जेज लगाये। यह तो उनकी दत है। जब जी चाहे कुछ भी बोल लें। ई चार्ज लगाने के पहले आपको लिखित देते नहीं, कुछ भी चार्ज लगा देते हैं। कोई तरीका नहीं होता। मेरा कोई स्त है, मेरा कोई भाई है वह मुझसे लने आयेगा ही। इसमें क्या बड़ी बात फलां आता है, फलां नहीं आता है। श गुप्ता, अशोक गुप्ता आपके घर भी ता है, सब के घर जाता है। यदुनाथ ह जो चले गये, इनके यहां भी आता है। ई मिलने वाला दोस्त आपके पास भी ता होगा। इसी प्रकार से कोई निरा-र चार्ज लगाये है और चार्ज लगा कर ते है हजारों रुपये खा गये....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री दिनेश डांगी : मैंने, सभापति महो-दय, अपने जीवन में कभी स्थानान्तरण के बारे में एक पैसा भी नहीं लिया, तो और लेने का तो प्रश्न ही नहीं है। मेरे पास ऐसा कौनसा विभाग है जिसमें मुझे बड़ा भारी काम हो? कोई डायरेक्ट खरीद करना नहीं। तो फिर मेरे पास पैसा खाने का रास्ता ही क्या है। इसलिये जो भी चार्ज लगाये हैं, वे निराधार हैं, असत्य हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन मांग को पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभा-पति महोदय, एक निवेदन कर देना चाहता हूं। मैंने यह कह दिया था, 'झालावाड़ जिले को बी श्रेणी में' वह बी श्रेणी में नहीं सी श्रेणी में क्रमोन्नत हो रहा है यानी बी से आगे क्रमोन्नत हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : 15-11-83 को माननीय मंत्री महोदय अजमेर पधारे थे. भगवान सहाय गंगाराम के बिलों का भुग-तान आपके हस्ताक्षरों से, आदेश से हुआ है। 15-11-83 को किन शर्तों पर भगवान सहाय गंगाराम के बिलों का भुगतान किया गया?

श्री दिनेश डांगी : मेरी ओर से भुग-तान करने का प्रश्न ही नहीं है। बिलकुल निराधार बात है।

श्री दाऊदयाल जोशी : भगवान सहाय

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गंगाराम नाम का व्यापारी....

श्री दिनेश डांगी : यह बिलकुल निराधार बात है। मैंने किसी की कोई सिफारिश नहीं की, किसी ठेकेदार की किसी भी सप्लाई के बारे में कोई सिफारिश ग्राज तक नहीं की है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अजी नकली जीरा, नकली हींग, डिब्बे, जिनका पेमेंट इस सदन ने रोका था, उसका पेमेंट 15–11–83 को माननीय मंत्री महोदय के अजमेर जाने पर कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ XXX बताएं ?

दूसरी बात आयुर्वेद नर्स और कम्पाउण्डर आज राजस्थान में सवा तीन सौ बेकारी ग्रस्त हैं, फिर निजी क्षेत्र में धौलपुर में नर्स कम्पाउण्डर ट्रेनिंग सैंटर इस साल क्यों किसलिए खोला ?

श्री दिनेश डांगी : यह तो सब असत्य है। लेकिन आपने एक बदली और करवायी है मेरे पास है, आपने बाबूलाल रूपनारायण की एक बदली और करायी है, भीलवाड़ा से कोटा शहर में। और निकाल लूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद मंत्री जी, त्यागपत्र दे दूंगा अगर यह सिद्ध हो जाय तो।

(व्यवधान)

X X X आरोप लगाने वालों। शर्म करो थोड़ी। भगवान से डरो। रामदेवजी से डरो। शर्म करो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें। चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ....

(व्यवधान)

यूनानी छात्रों के बारे में....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : जिस ईमानदारी के साथ माननीय खेतसिंह जी जवाब दिया ....

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्रीमती उजला अरोड़ा : + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण सदन की बैठक का समय समाप्त होने वाले हैं, मांग का पारण होना है। इस चर्चा को असीमित समय के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रश्नों का कोई अन्त नहीं होने वाला है। मैं किसी भी माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।
+ + + आसन के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति)

आसन पैरों पर है । विराजें, कृपया । राजें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

मुझे मजबूरन मांग का पारण कराने लिए प्रस्ताव रखना पड़ेगा ।

श्री मंरूं सिंह गुर्जर : XXX

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब आप सी को नहीं बोलने दोगे तो आपको कैसे लने देंगे । यूनानी छात्रों के बारे में पूछ ही हूं । मन्त्री महोदय बतायें कि उनकी गों को कब तक मान लेंगे ?

(व्यवधान)

यूनानी छात्रों के बारे में मन्त्री महोदय या करने जा रहे हैं, उसका उत्तर लाइये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें । कृपया बिराजें । कृपया ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,12,59,-20,000 रुपये (एक अरब बारह करोड़ उनसठ लाख बीस हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही दिनांक 4 अप्रेल, 1984 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 6.56 बजे बुधवार दिनांक 4 अप्रेल, 1984 के म. पू. 11 बजे तक के स्थगित हुई)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 434 की सूची

वर्ष 79-80 में राज्य के जलाशयों में मत्स्याखेट के ठेकेदारों द्वारा पकड़ी गई मछलियों के सुखाने की अनुमति देने सम्बन्धी सूचना

क्र. सं.	नाम जलाशय मय जिला	ठेकेदार का नाम	सुखाने की स्वीकृति की संख्या एवं दिनांक		अधिकारी का नाम व पद जिसके द्वारा स्वीकृति दी गई
1	2	3	4		5
1.	बन्ध नमाना (उदयपुर)	श्री श्यामसुन्दर, म. ठे., उदयपुर	1789-90	19-4-80	श्री हरगोबिन्द वर्मा, निदेशक, पशुपालन विभाग
2	बन्ध महार हरचन्द (उदयपुर)	,, ,,	1793-94	19-4-80	,, ,,
3.	बन्ध उदयसागर (उदयपुर)	श्री पमनदास व श्री मजीद खां म. ठेकेदार, जयपुर	448-49	12-3-80	,, ,,
4.	बन्ध सरजना (उदयपुर)	श्री राणामल म. ठे., जयपुर	1762-63	8-5-80	,, ,,
5.	बन्ध मानपुरा मानसागर	श्री श्याम सुन्दर म. ठे.	1791-92	19-4-80	,, ,,

1	2	3	4		5
6.	बन्ध पीरजी का नाका (नागौर)	श्री खलील ग्रहमद, बिजनौर	1659-61	30-4-80	श्री हरगोविन्द वर्मा, निदेशक, पशुपालन विभाग
7.	बन्ध हिण्डोली (बून्दी)	टौंक फिशरमैन कोआपरेटिव सोसा. लि. टौंक	1739-40	5-5-80	,, ,,
8.	बन्ध मावसी डैम (टौंक)	बहोर टौंक मत्स्य विकास सह. समिति लि. टौंक	1665-66	30-4-80	,, ,,
9.	बन्ध उचकिया (चित्तौड़)	यासीन खां, जयपुर	808-809	21-5-80	,, ,,
10.	बन्ध जगर (सवाईमाधोपुर)	श्री करीमुद्दीन म. ठे. बिजनौर	1800-1801	17-5-80	श्री धीरेन्द्रसिंह भण्डारी संयुक्त निदेशक प. पा. विभाग
11.	बन्ध भगवतगढ़ (सवाईमाधोपुर)	श्री राणामल म. ठे., जयपुर	1801-1802	19-4-80	श्री हरगोबिन्द वर्मा, निदेशक, पशुपालन विभाग
12.	बन्ध सूरवाल (सवाईमाधोपुर)	गरीबनवाज मछली उत्पादन सह. समिति, अजमेर	1803-04	19-4-80	,, ,,
13.	बन्ध पश्चिमी बनास (सिरोही)	मो. इस्माईल, म. ठे., जोधपुर	1627-28	30-4-80	,, ,,
14.	बन्ध औढा मय नदी (सिरोही)	शंकरलाल, जुगलकिशोर, म. ठे., जोधपुर	1722-23	5-4-80	,, ,,
15.	बन्ध एन्दलागुढा (पाली)	शंकरलाल, म. ठे., जोधपुर	1965-66	17-6-80	,, ,,

1	2	3		4	5
16.	बन्ध मीठड़ी मय नदी (पाली)	राणामल म. ठे., जयपुर	1760-61	8-5-80	श्री हरगोविन्द वर्मा, निदेशक, पशुपालन विभाग
17.	बन्ध गोयटाघाटा (भीलवाड़ा)	श्री सब्बीर अहमद, म. ठे.. मथुरा	1717-18	5-4-80	,, ,,
18.	बन्ध कूकस (जयपुर)	श्री अजु खां, म. ठे., जयपुर	47.-72	30-1-80	,, ,,
19.	बन्ध पारा नं. 1–2 (अजमेर)	श्री, राणामल, म. ठे., जयपुर	1805-6	19–4–80	,, ,,
20.	बन्ध रामसर (अजमेर)	श्री दौलत खां, म. ठे., रामसर (अजमेर)	1711–12	5–4–80	,, ,,
21.	बन्ध बरधा मय नदी तालेड़ा (बून्दी)	श्री अब्दुल अजीज, आगरा	1715–16	5–4–80	,, ,,

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 259 की सूची

वर्ष 1983–84 में पंचायत समिति लाडनू क्षेत्र में एल. आई. सी./जी. आई.सी. ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अधीन दिये गये ऋण प्राप्तकर्ताओं की सूची :

क्र. सं. 1	नाम 2	पिता का नाम 3	ग्राम 4	ग्राम पंचायत 5
1.	हुलास चन्द	लक्ष्मीनारायण शर्मा	सांवला	बल्दू
2.	गुलाब चन्द	लक्ष्मीनारायण शर्मा	,,	,,
3.	घासी राम	कानाराम जाट	,,	,,
4.	भूरा राम	परसाराम मेघवाल	,,	,,
5.	पूर्णाराम	गंगाराम मेघवाल	,,	,,
6.	हजारी राम	मूलाराम मेघवाल	,,	,,
7.	धर्माराम	पेमाराम जाट	,,	,,
8.	रामू राम	चतरा राम हरिजन	दताऊ	सावरांद
9.	सोहन लाल	भारमल मेघवाल	मगु	चन्द्राई
10.	रामरखराम	भीमाराम मेघवाल	,,	,,
11.	हजारी राम	भीमाराम मेघवाल	,,	,,
12.	काना राम	मांगी लाल मेघवाल	,,	,,
13.	छोटू राम	गैनाराम मेघवाल	,,	,,
14.	राम पाल	बगसाराम भाट	,,	,,
15.	हीरा राम	गैनाराम मेघवाल	,,	,,
16.	उमाराम	फूला राम मेघवाल	,,	,,
17.	मेहरामा राम	पूसाराम मेघवाल	,,	,,
18	किसनाराम	मंगलाराम मेघवाल	,,	,,
19.	श्रीमती मोहनी पत्नि श्री दीनाराम मेघवाल		,,	,,

1	2	3	4	5
20.	किसना राम	निम्बाराम मेघवाल	सुनारी	सुनारी
21.	बोड़दाराम	उमाराम मेघवाल	,,	,,
22.	आसूराम	दानाराम मेघवाल	,,	,,
23.	मदन लाल	भीयाराम नायक	,,	,,
24.	सुरजा राम	केसरा राम नायक	,,	,,
25.	नारायण	जीव राम नायक	,,	,,
26.	भुगाना राम	नानग राम जाट	,,	,,
27.	चुना राम	गणेश राम मेघवाल	,,	,,

नोट :–प्रत्येक व्यक्ति को 5000/– रुपये का ऋण दिया गया।

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

तहसील नोखा व कोलायत में उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण

439 श्री सुरजा राम (नोखा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर जिले की तहसील नोखा व कोलायत में पिछले दो वर्षों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कितना-कितना खाद्यान्न व अन्य उपभोक्ता सामग्री, कपड़ा, पाम-आयल, सीमेंट, चीनी एवं गेहूँ इत्यादि वस्तुओं का वितरण किया गया ? कृपया वस्तुवार सूची-सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अकाल राहत योजना के अन्तर्गत उपरोक्त सामग्री गरीब मजदूरों तथा मजदूरी पर कार्यरत लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले की तहसील नोखा व कोलायत में पिछले दो वर्षों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न व अन्य उपभोक्ता सामग्री, जो वितरण की गई, का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। सीमेंट उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित नहीं की जाती वरन् अनुज्ञापनधारियों (लाइसेन्स होल्डर) के माध्यम से वितरित की जाती है।

(2) जी नहीं।

भाग–1 की सूची

गत दो वर्षों में तहसील नोखा व कोलायत में उचित मूल्य की दुकानों एवं अन्य अनुज्ञापन धारियों (सीमेंट एवं कपड़ा) के माध्यम से वितरण की गई वस्तुओं का विवरण (वर्ष वित्तीय वर्ष के अनुसार माना गया है)

(मात्रा टनों में)

वर्ष	नाम तहसील	गेहूँ	चावल	चीनी	पाम आयल	सीमेंट	नियन्त्रित कपड़ा (मात्रा गांठों में)
1982-83	नोखा	1305	40	868	10	370	46½
1982-83	कोलायत	903	–	362	–	145	21
983-84	नोखा	.40	60	884	50	331	23
983-84	कोलायत	903	10	463	10	106	12

खेल विभाग का स्वरूप एवं बजट

441. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या खेल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में खेल विभाग की स्थापना के उपरान्त इसका क्या स्वरूप निर्धारित किया गया है ?

(2) इस विभाग के लिए क्या कोई बजट रखा गया है ? यदि हां तो विगत 2 वर्षों में कितनी राशि का ? उसमें से वर्षवार किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। वर्ष 1983-84 में इस हेतु 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पूर्व में दिये जा रहे नियमित प्रावधान के अलावा है। इसमें से अब तक किये खर्च का विवरण संलग्न है।

वर्ष 1982-83 में इस हेतु अलग से प्रावधान नहीं था। स्कूल स्तर पर निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा, महा विद्यालय स्तर पर निदेशक, कालेज शिक्षा द्वारा एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा खेलों की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए उन्हीं के बजटों में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जाता है। राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को खेलकूद के आयोजनों के लिए अनुदान दिया जाता है तथा परिषद् खेल कूदों की व्यवस्था करती है।

परिषद् को पिछले दो वर्षों में तथा इस वर्ष निम्न प्रकार अनुदान दिया गया है :–

1981-82	28.71 लाख
1982-83	34.04 लाख
1983-84	38.37 लाख

वर्ष 1983–84 में खेल विभाग की राशि से किये गये खर्च का विवरण

(1)	दिनांक 2 अक्टूबर 1983 को भारत बनाम पाकिस्तान एवं दिनांक 4 से 6 अक्टूबर, 83 को वेस्ट इण्डीज बनाम मध्य क्षेत्र क्रिकेट मैच।	2,00,000 रुपये
(2)	भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने हेतु।	1,72,000 रुपये
(3)	श्री के.एन. सिंह को पर्वतारोहण कार्यक्रम हेतु।	7,000 रुपये
(4)	आस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट मैच, चौगान स्टेडियम, जयपुर।	20,000 रुपये

1	2	3
(5)	भीलवाड़ा में 48वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक मीट आयोजन हेतु ।	10,000 रुपये
(6)	कबड्डी एसोसिएशन, जयपुर ।	15,000 रुपये
(7)	नेशनल जूनियर गेम्स आफ डीफ, जयपुर ।	10,000 रुपये
		4,34,000 रुपये

नागौर लिफ्ट सिंचाई योजना

442. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान सरकार के रेकार्ड में कभी नागौर लिफ्ट के नाम से कोई योजना बनाई गई थी या सर्वे किया गया था ?

(2) यदि हां, तो कौन से वर्ष में व इस योजना की कहां तक प्रगति हुई ?

(3) नागौर लिफ्ट का सिंचित क्षेत्र कितना था और कौन-कौन सी तहसील से सम्बन्धित था ?

(4) नागौर लिफ्ट के सर्वे करने पर क्या खर्चा आया और उसके सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट क्या है ?

(5) नागौर तक लिफ्ट करके पानी ले जाने में पानी को कितने फीट लिफ्ट करना होगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा नागौर लिफ्ट के नाम से कोई योजना नहीं बनाई गई थी सन् 1975 में लेकिन वेबकोर्स (Water and Power Consultancy Services) के माध्यम से नागौर तक सिंचाई हेतु तुलनात्मक अध्ययन कराया गया था ।

(2) यह कार्य मई, 1975 से मई, 1976 तक कराया गया था । क्योंकि यह मात्र तुलनात्मक अध्ययन था अतः आगे प्रगति होने का औचित्य नहीं है ।

(3) गजनेर लिफ्ट योजना के तुलनात्मक अध्ययन से नागौर तक का सिंचित क्षेत्र, 1, 43, 130 हैक्टेयर था तथा यह क्षेत्र बीकानेर जिले की बीकानेर, कोलायत व नौखा तहसीलों तथा नागौर जिले की केवल नागौर तहसील के अन्तर्गत आता था ।

(4) राजस्थान नहर से प्रस्तावित पांचों लिफ्ट योजनाओं पर राज्य सरकार

(मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना)

ने वेवकोस को 27 लाख रु. प्रदान किये थे। विस्तृत रिपोर्ट वेवकोस द्वारा तीन खण्डों में प्रस्तुत की गई।

(5) नागौर तक लिफ्ट का पानी ले जाने हेतु कुल 120 से 150 मीटर जलोत्थान करना पड़ेगा।

अजमेर के के क्षेत्राधिकार में विदेशी शराब के गोदाम

444. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या ग्राबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आबकारी अधिकारी, अजमेर के क्षेत्राधिकार में अजमेर नगर में भारत निर्मित विदेशी शराब हेतु स्वीकृत एक होलसेल गोदाम के अलावा नगर परिषद्, अजमेर की सीमा के बाहर गांव भूणाबाय में भी एक होलसेल गोदाम पुलिस द्वारा छापा मारकर बरामद किया गया था ?

(2) यदि हां, तो बिना टेण्डर के इस गोदाम को कब, क्यों व किन नियमों के अन्तर्गत स्थापित करने की स्वीकृति दी गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस द्वारा छापा मार कर बरामद किये गये माल के बारे में आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो यहां पर कितनी विदेशी शराब बरामद की गई थी, वह वर्तमान में कहां है और अब इस गोदाम की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि आबकारी अधिकारी, अजमेर के क्षेत्राधिकार में अजमेर नगर में भा.नि.वि.म. हेतु स्वीकृत एक बोण्डेड गोदाम के अलावा ग्राम भूणावाय में भी एक बोण्डेड गोदाम स्वीकृत था।

(2) नियमानुसार गोदामों के लिए कोई टेण्डर आमन्त्रित नहीं किये जाते हैं। बल्कि थोक अनुज्ञाधारी को माल रखने की अतिरिक्त सुविधा देने हेतु 500/– रु. फीस जमा होने पर बोण्डेड गोदाम की स्वीकृति दी जाती है। भूणावाय गोदाम को खोलने की स्वीकृति दिनांक 7-5-83 को दी गई थी।

(3) चूंकि पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर यह कार्यवाही की थी इसलिए न्यायिक दण्डनायक कोर्ट नं. 3 ने पुलिस द्वारा बरामद किये गये माल को जमानत पर अनुज्ञाधारी को लौटा दिया था। वर्तमान में भूणावाय स्थित बोण्डेड गोदाम का माल अनुज्ञाधारी के अजमेर शहर में स्थित गोदाम में स्थानान्तरित किया जा चुका है व भुणावाय में कोई बोण्डेड वेयर हाउस अभी नहीं है।

आदिवासियों को सस्ता न्याय दिलाना

444. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय की बैंच इस आदिवासी क्षेत्र में स्थापित करने

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल विचाराधीन प्रकरण कितने हैं और उनमें से आदिवासी जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ उपखण्ड के ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें एक पक्षकार आदिवासी है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मुकदमों की संख्या को देखते हुए आदिवासी क्षेत्र में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में 30-6-83 तक कुल 41654 मामले विचाराधीन थे, इनमें आदिवासी जिलों के मामले बहुत कम हैं। यह बताना कठिन है कि आदिवासी लोगों के मुकदमों की संख्या इनमें से कितनी है।

आवासन मंडल द्वारा मकानों का आउट आफ टर्न अलाटमेंट

445. **श्री जगनसिंह** (बयाना) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आवासन मण्डल की स्थापना से अब तक किन-किन व्यक्तियों को राज्य सरकार के निर्देश से मण्डल के मकान आउट आफ टर्न दिये गये ?

(2) आउट आफ टर्न मकान दिये जाने के क्या नियम हैं ?

(3) उपरोक्त व्यक्तियों को आउट आफ टर्न मकान देने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 व धारा 53 के तहत बने डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रेगुलेशन, 1970 के अन्तर्गत।

(3) प्रार्थी के विशेष निवेदन पर।

परिशिष्ठ 'अ"

क्र. सं.	नाम
1.	श्री महेश कुमार शर्मा
2.	श्री हिरेन मुखर्जी
3.	श्री दुलीचन्द्र चौधरी
4.	श्री ज्ञानसिंह चौधरी
5.	श्रीमती पुष्पा जैन
6.	श्रीमती कुमुदनी देवी मिश्रा
7.	श्री शरद देवड़ा
8.	श्री एम एम. नकरा
9.	श्री शैलेन्द्र प्रसाद
10.	श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित
11.	श्री विजयसिंह
12.	श्री एम.पी. माथुर
13.	श्रीमती महादेवी श्रीवास्तव
14.	श्री एम.के. सक्सेना

(आवासन मंत्री)

क्र. सं	नाम
15.	श्री आई.के. व्यास
16.	श्री मनफूलराम विधायक
17.	श्री छुट्टनलाल भूतपूर्व सांसद
18.	श्री वी.सी. चिनारियां
19.	श्री महेशकुमार पारीक
20.	श्रीमती रामप्यारी
21.	श्री शिवसिंह रावत
22.	श्री नानालाल विधायक
23.	श्री भीखा भाई, सांसद
24.	श्री अर्जुनमल लोढा
25.	श्री शंकरलाल

तहसील बड़ी सादड़ी एवं डूंगला में चीनी का वितरण

446. श्री उदयराम धाकड़ (बड़ी सादड़ी): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बड़ी सादड़ी एवं डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ को विभाग द्वारा राशन की चीनी के लिए अनुदान राशि नहीं दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुदान राशि नहीं मिलने से सहकारी समितियों द्वारा मिलों से चीनी नहीं उठाई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि शीघ्र प्रदान करेगी जिससे इन क्षेत्रों में चीनी वितरित की जा सके?

उत्तर

(1) खाद्य विभाग द्वारा राशन की चीनी के वितरण हेतु कोई अनुदान राशि प्रदान नहीं की जाती अतः तहसील बड़ी सादड़ी व डूंगला में अनुदान राशि नहीं देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी, नहीं। उक्त दोनों तहसीलों में सहकारी समितियों द्वारा लेवी चीनी का वितरण जनवरी, 84 का किया जा रहा है।

नोहर में मंडी विकास समिति द्वारा स्टेडियम बनाने की योजना

447. श्री पीरूराम (टी.बी): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या गंगानगर जिले के नोहर कस्बे में मंडी विकास समिति द्वारा एक स्टेडियम बनाने की योजना स्वीकार की गई है?

(2) यदि हां, तो स्टेडियम के लिये कितने व्यक्तियों की जमीन अधिगृहीत की गई है?

(3) क्या जिन व्यक्तियों की आवासीय भूमि के खण्ड अधिगृहित किये गये हैं, उन्हें उनके भू-खण्डों के बदले में भू-खण्ड दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को?

(4) क्या जिन व्यक्तियों के भू-खण्ड स्टेडियम में ले लिये गये और अभी तक उन्हें बदले में भू-खण्ड नहीं दिये गये ऐसे व्यक्ति कितने हैं और उनके लिए सरकार क्या कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 43 व्यक्तियों के भू-खण्ड अधिगृहीत किये गये हैं।

(3) जी हां। उपरोक्त में से 6 व्यक्तियों को उनके अधिगृहीत भू-खण्डों के बदले में भू-खण्ड दिये जा चुके हैं।

(4) 37 व्यक्तियों को उनके अधिगृहीत भू-खण्डों के बदले में भू-खण्ड दिया जाना शेष है। इनको भू-खण्ड दिये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

केसरीसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र में आवासन मंडल की योजना

448. श्री मनफूल राम (केसरीसिंहपुर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार आवासन मण्डल द्वारा केसरीसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र में मकान बनाकर आवंटन करने की निकट भविष्य में कोई योजना चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। आवासन मण्डल वर्तमान में 20,000 की आबादी वाले शहरों में ही पंजीकरण खोल रहा है।

जयपुर में वनस्पति घी का ऊंचे मूल्य पर बेचना

449. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह शिकायत है कि जयपुर में गत दो वर्षों में अशोका, वीणा तथा पनघट मार्का वनस्पति घी निर्धारित मूल्यों से अधिक दाम पर बेचा जा रहा है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई?

(2) वनस्पति घी के बड़े टीन की खुदरा कीमत क्या है?

(3) क्या जिला रसद अधिकारी जयपुर ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो 1982–83 में जिन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई उनकी सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला प्रशासन के पास अशोका, वीणा तथा पनघट मार्का वनस्पति घी की निर्धारित दर से अधिक कीमत ली जाने की शिकायत प्राप्त हुई है तथा तत्काल दोषी वनस्पति घी के विक्रेताओं की जांच करवाकर दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है। वनस्पति घी को निर्धारित दर से अधिक दर पर नहीं बेचा जावे, इसके वास्ते प्रवर्तन स्टाफ के माध्यम से समय समय पर घी विक्रेताओं का निरीक्षण भी कराया जाता है।

(2) वनस्पति घी के विभिन्न ब्राण्डों की थोक व खुदरा कीमत निम्न प्रकार से निर्धारित है:–

(राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति)

ब्राण्ड	थोक दर	खुदरा दर
अशोका	246-10	249-10
वीणा	246-10	249-10
पनघट	260-13	263-63

(3) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूची

केस नम्बर	दिनांक केस दर्ज किया	फर्म का नाम
241/83	17.5.83	मै. जगदीश नारायण बाबूलाल, छोटी चौपड़।
609/83	17.5.87	मै. रामगोपाल राधेश्याम, जोहरी बाजार।

पंचायत समितियों (भीलवाड़ा) द्वारा खर्च राशि

450. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले में 1983-84 में कांग्रेस (ई) महामंत्री श्री राजीव गांधी के आगमन के अवसर पर किन किन तिथियों में जिले की विभिन्न पंचायत समितियों की जीपें काम में ली गई तथा किन पंचायत समितियों ने तोरण द्वारों पर तथा स्वागत आदि में कितना कितना खर्च किया ?

(2) क्या श्री राजीव गांधी के आगमन की तिथियों में जीपों के उपयोग हेतु जिलाधीश से स्वीकृति ली गई ? यदि स्वीकृति ली गई, तो क्या कारण बताये गये ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1983-84 में श्री राजीव गांधी के आगमन के अवसर पर भीलवाड़ा जिले की किसी भी पंचायत समिति की जीप का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया और न किसी पंचायत समिति द्वारा तोरण द्वार तथा स्वागत आदि में कोई राशि व्यय की गई।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

चारणवाला हैड से वाटर सप्लाई

451. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) एवं **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चारणवाला हैड से वाटर सप्लाई चैनल में जिस समय यह टूटी है, रेगूलेटर

श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ो कितना पानी छोड़ने का इन्डेन्ट किया या था और किसके द्वारा ?

(2) क्या यह सही है कि इन्डेन्ट से अधिक पानी छोड़ा गया ? यदि हां, तो अधिक पानी छोड़ने के लिए कौन जिम्मेार है ?

(3) क्या यह सही है कि इस हैड के ास इस चैनल में दो दीवाल खड़ी की गई ों जो पानी का ओवर फ्लो सहन करने लिए डिजाइन नहीं की गई थी ? यदि ां, तो ओवर फ्लो के लिए कौन कौन धिकारी जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) सात इन्च गेट खोलकर पानी ने का इन्डेन्ट अधिशाषी अभियन्ता, रानप, 8 खण्ड वज्जू द्वारा दिया गया था।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। दो दीवार 14 बुर्जी पर था एक दीवार बुर्जी 24 पर बनाई गयी ा। जांच रिपोर्ट पर निर्णय होने के पश्चात् धिकारियों की जिम्मेदारी तय की ावेगी।

पंचायत समिति पर मुन्सिफ कोर्ट की व्यवस्था

452. श्री भंवर लाल शर्मा (हवा-हल) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की पा करेंगे :-

(1) राजस्थान में कितनी पंचायत मितियां ऐसी हैं, जहां पर न तो मुन्सिफ कोर्ट है और न ए. सी. एम. कोर्ट है और इनकी व्यवस्था के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की विराटनगर पंचायत समिति में जहां ए. सी. एम. के अधिकार उपलब्ध थे, राज्य सरकार द्वारा ये अधिकार वापस ले लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें वापस कब तक दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 236 पंचायत समितियां हैं। राजस्थान में 126 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर न तो मुन्सिफ कोर्ट है न ए. सी. एम. कोर्ट है। राज्य की वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इनकी व्यवस्था करना संभव नहीं है।

(2) जी हां। अधिकार वापस लेने का मामला राज्य सरकार के नीति-निर्धारण से सम्बन्धित है। पुनः अधिकार देने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की व्यवस्था

453. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि

(श्री नन्दलाल मीणा)

हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(2) प्रस्तुत रिपोर्ट में किन-किन तहसीलों में कुटीर उद्योग किस-किस प्रकार के प्रस्तावित हैं ? अब तक कितने लघु एवं कुटीर उद्योग जन जाति क्षेत्र में लगाये जा चुके हैं और कितने व्यक्ति वर्ष 1983-84 में नियोजित किये गये हैं ? कृपया तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। प्रारूप रिपोर्ट मार्च, 1983 में प्रस्तुत कर दी है।

(2) प्रस्तुत रिपोर्ट में भौतिक एवं मानवीय साधनों को मद्देनजर रखते हुऐ सम्पूर्ण उपयोजना क्षेत्र के लिये कुछ महत्वपूर्ण लघु एवं कुटीर उद्योगों की गुंजाइश दर्शाई गई है। तहसीलवार कार्यक्रम क्रियान्वित करने की कोई योजना नहीं है। सम्भावित उद्योगों की स्थापना हेतु जिला उद्योग केन्द्रों की औद्योगिक वार्षिक कार्य योजना में समायोजन करने हेतु निर्णय लिया गया है। उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 84-85 की कार्यकारी योजना में प्रस्तावित उद्योगों का समायोजन करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

पंचायत समिति बेगूं की स्टेण्डिग कमेटीज

454. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति बेगूं में स्टेण्डिग कमेटीज के चुनाव हो गये हैं ?

(2) यदि नहीं, तो इसके क्या कार हैं ?

(3) क्या कभी इनके चुनावों घोषणा हुई थी ?

(4) यदि हां, तो चुनाव नहीं कर के क्या कारण थे ?

(5) क्या इन चुनावों को नहीं हो देने के रिकार्ड में हेराफेरी करने की शिका प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इसमें कौनसे कर्म चारी व जन-प्रतिनिधि शामिल थे ?

(6) इसकी जांच किस अधिकारी द्वा की गई उनमें किन-किन व्यक्तियों को दो पाया गया ? अब तक उनके खिलाफ क्य कार्यवाही हुई ? कृपया जांच रिपोर्ट प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) समय समय पर राज्य सरका से तथा न्यायालय से स्थगन आदेश जार होने तथा कुछ नोटिसेज की तामील संदेह होने के कारण चुनाव नहीं हो सके इसके अतिरिक्त पंचायत बेगूं नगरपालिका में परिवर्तित हो गयी। इसलिये पंचाय समिति के सहवृत्त सदस्यों के पद रिक्त हो गये, जिससे भी चुनाव नहीं कराये ज सके।

(3) जी हां। दिनांक 14-10-82 को चुनाव के लिये तिथि निश्चित की ग थी।

(4) कुछ नोटिसेज की तामील मे

ज्य मन्त्री, पंचायत)

देह होने के कारण चुनाव नहीं कराये सके।

(5) जी हाँ। जिलाधीश, चित्तौड़गढ रिपोर्ट के अनुसार श्री हिम्मत सिह ारिया, वरिष्ठ लिपिक व श्री प्रकाश द सोनी, कनिष्ठ लिपिक को दोषी या गया है। इसमें प्रधान श्री घासी-ल धाकड़ के भी शामिल होने का संदेह

(6) इस मामले की प्रारम्भिक जांच जिला विकास अधिकारी, चित्तौड़गढ रा की गई। जिसमें श्री हिम्मत सिह ारिया, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री प्रकाश द सोनी, कनिष्ठ लिपिक को दोषी पाया ा। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट की प्रति-पि सदन के पटल पर रख दी गई है। ायत समिति के कर्मचारियों के विरुद्ध शासनात्मक कार्यवाही करने का अधि-र पंचायत समिति या जिला कर्मचारी समिति में निहित है। इनके विरुद्ध शासनात्मक कार्यवाही पंचायत समिति विचाराधीन है।

जांच प्रतिवेदन

पंचायत समिति बेगूं की स्थायी समि-यों के गठन सम्बन्धी कार्यवाही की कर्म-रियों द्वारा हेराफेरी की जाने के सम्बन्ध

श्री जिलाधीश महोदय के आदेश संख्या ास/एक 1-2/(28)82/7350 दिनांक .11.82 के अनुसार पंचायत समिति की स्थायी समितियों के गठन सम्बन्धी कार्यवाही की पंचायत समिति के कर्मचा-रियों द्वारा की गई हेराफेरी को जांच के सम्बन्ध में दिनांक 3-12-82 को पंचायत समिति मुख्यालय बेगूं पर गया, विकास अधिकारी दौरे पर थे।

श्री उप खण्ड अधिकारी बेगूं की प्रार-म्भिक जांच का अध्ययन किया। जांच प्रति-वेदन में दर्शाये गये बिन्दुओं के आधार पर विस्तृत जांच की गई।

श्री उप खण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार जांच करने हेतु निम्न बिन्दु शिका-यत के सामने आये :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा के अलावा सब ही सदस्यों के सूचना पत्र की तामील दिनांक 13-10-82 के पूर्व ही विधिवत् हो चुकी थी।

2. दिनांक 13-10-82 को राज-नैतिक दवाव के कारण पांच सूचना पत्र तामील शुदा निकाले जाकर उसके स्थान पर पांच अन्य सूचना पत्र अदम तामील के फाइल कर दिये गये।

3. समस्त सूचना पत्र श्री पगारिया के चार्ज में होने से हेराफेरी की जाने का दोषी श्री पगारिया को माना गया।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के बारे में मेरे द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों से जानकारी लेने पर निम्न तथ्य सामने आये :-

1. पंचायत समिति की स्थायी समि-तियों के गठन बाबत श्री उप खण्ड अधि-कारी बेगूं द्वारा दिनांक 1.10.82 को सूचना पत्र निकाले गये जो साइकलोस्टा-इल थे। यह कार्य श्री पगारिया जो कि

(राज्य मन्त्री, पंचायत)

पंचायत का काम भी देखते हैं उनके द्वारा सम्पादित किया गया एवं सूचना पत्र श्री शमसुद्दीन स्टाकमैन (डिस्पेच क्लर्क) द्वारा, सब ही सदस्यों के वास्ते तामीलान श्री पीरू चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पंचायत काडुन्दा, खेडी, भींचोर, केरपुरा, पारसोली, राजगढ, दुंगार, मोतीपुरा, मण्डावरी नन्ददाई, मेघपुरा, डोराई, वेगूं व दौलतपुरा के सरपंचों के तथा श्रीमती कन्चन बाई, कान्ता बाई, दलीचन्द को दिये। श्री देवी लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पंचायत रायता, ठुकराई सामरिया, चेची, मेघनियावास, धामन्वा, गोविन्दपुरा व आंवलहेडा सरपंचों के दिये गये जो श्री पीरू व श्री देवी लाल के बयानों से ताईद होता है।

समस्त सूचना पत्र तामील कराये जाकर एक प्रति पुनः श्री शमसुद्दीन स्टाक मैन (डिस्पेच कलर्क) को दे दी गई जिसकी ताईद श्री शम्सुद्दीन ने भी अपने बयानों में की है।

यह सब तामील शुदा सूचना पत्र दिनांक 13.10.82 के पूर्व ही सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा श्री शमसुद्दीन को दिये गये थे। दौलतपुरा सरपंच का सूचना पत्र उनके न मिलने से उनकी बहन को दिया जाना श्री पीरू चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अपने बयानों में कहा है।

श्री शमसुद्दीन ने सब ही सूचना पत्र दिनांक 13.10.82 को श्री पगारिया यू. डी. सी. को दे दिये थे।

2. दिनांक 16.10.82 को सायंकाल लगभग 5.00 बजे पंचायत समिति कार्यालय में श्री प्रधान जी आये और सूचनपत्र श्री पगारिया यू. डी. सी. से मांगे। श्री पगारिया ने सूचना पत्र प्रधान जी को ले जाने वास्ते नहीं दिये केवल देखने हेतु बताये। इस पर श्री प्रधान जी ने प्रकाश चन्द्र सोनी, कनिष्ठ लिपिक को देने का कहा। समस्त सूचना पत्र श्री प्रकाश चन्द्र सोनी ने ले लिए और श्री प्रधान जी जीप में बैठकर कार्यालय से रवाना हो गये। श्री पगारिया शहर में जीप से उतर गये व श्री प्रकाश चन्द्र सोनी भी काठून्दा मोड पर जीप से उतर गया। समस्त सूचना पत्र प्रधान जी के साथ रहे।

निम्न सूचना पत्र अदम तामील फाइल में पाये गये जो प्रकाश चन्द्र सोनी एल. डी सी. द्वारा दिनांक 13.10.82 को सायंकाल 5.15 पी. एम. पर पंचायत समिति कार्यालय में पांच सूचना पत्र 2 प्रति में (पंचायत मण्डावरी, वेगूं, रायता, डोराई व सदस्य दलीचन्द) श्री प्रधान जी के निर्देशानुसार भरे गये, जिसकी ताईद स्वयं श्री प्रकाश चन्द्र सोनी ने अपने बयानों में की है। इन नोटिसेज के पीछे श्री रमेश चन्द्र ओझा की रिपोर्ट पाई गई है जो उस समय पंचायत समिति में दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहा था।

इस संदर्भ में श्री पगारिया ने बताया कि मैं दिनांक 14.10.82 को प्रात 8.30 बजे श्री प्रकाश चन्द्र सोनी, एल.डी सी. के घर पर गया और नोटिसेज मांगे तो श्री सोनी ने कहा कि आपने ही अलमारी में रख दिये हैं। श्री पगारिया द्वारा कार्यालय में आकर अलमारी के खोलने पर

(राज्य मन्त्री, पंचायत)

नोटिसेज डोरे में बन्दे हुए पाये गये। ये सब नोटिसेज श्री उप खण्ड अधिकारी, बेगूं को दे दिये गये। श्री उप खण्ड अधिकारी ने उक्त रिकार्ड का निरीक्षण किया तो 5 नोटिसेज अदम तामील पाये गये।

प्राप्त तथ्यों एवं बयानों के आधार पर यह सही है कि रिकार्ड में हेराफेरी दिनांक 13.10.82 सांयकाल 5.00 बजे बाद हुई है। जिसकी जानकारी श्री उपखण्ड अधिकारी व श्री पगारिया को दिनांक 14.10.82 को प्रातः हुई। अतः शिकायत बिन्दु सही-सही है जो श्री प्रधान जी के समक्ष उनके निर्देशानुसार श्री प्रकाश चन्द्र सोनी एल. डी. सी. द्वारा किया जाना प्रतीत होता है।

3. श्री उप खण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा यह सारा दोष श्री पगारिया के जिम्मे माना है जो प्राप्त तथ्यों व जांच के आधार पर सही प्रतीत नहीं होता है।

जांच निष्कर्ष :–

1. पंचायत समिति स्तर के मुख्य जन प्रतिनिधि श्री प्रधान जी के निर्देशों से ही श्री हिम्मत सिंह पगारिया ने चुनाव सम्बन्धी महत्वपूर्ण रिकार्ड श्री प्रकाश चन्द्र सोनी को दिया सो नहीं देना चाहिए था।

2. रिकार्ड देने के पश्चात् ही श्री प्रकाश चन्द्र सोनी ने 5 नोटिसेज दो प्रति में अपने हाथ से भरे थे।

(3) समस्त नोटिसेज तामील शुदा व अदम तामील शुदा प्रधान जी के साथ रहे हैं जो श्री प्रकाश चन्द्र सोनी के बयानों से जाहिर है।

(3) यह हेराफेरी की कार्यवाही दिनांक 13.10.82 सायंकाल 5 बजे बाद हुई है।

इस प्रकार दोनों कर्मचारी श्री हिम्मत सिंह पगारिया वरिष्ठ लिपिक व श्री प्रकाश चन्द्र सोनी ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है जिसके लिए ये दोनों ही जिम्मेदार हैं।

चूरू जिले में राजस्थान नहर की शाखा

455. श्री भालू खां (चूरू) एवं श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या चूरू जिले में राजस्थान नहर की शाखा आ रही है ? यदि हां, तो कब तक व कौन-कौन से गांवों से होकर कहां तक आयेगी ?

(2) क्या इस शाखा से पीने के पानी के अलावा सिंचाई के लिए भी पानी दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, चूरू जिले में राजस्थान नहर से नोहर साहवा लिफ्ट योजना सिंचाई हेतु प्रस्तावित है। इसका निर्माण सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने पर व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया जायेगा। नहर किस किस गांव व कहां तक जावेगी इसका विवरण सर्वेक्षण पूरा होने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

(2) यह योजना सिंचाई हेतु है तथा

(राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री)

नहर के समीप के गांवों में पेयजल सुविधा स्वतः ही उपलब्ध होगी ।

डूंगला मुन्सिफ न्यायालय का मुख्यावास

456. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि डूंगला मुन्सिफ न्यायालय के कार्यालय को मुकाम कानोड़ जिला उदयपुर में स्थापित कर रखा है ? यदि हां, तो मुख्यावास डूंगला क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या इसके प्रस्ताव आ चुके हैं ?

उत्तर

जी हां ।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट डूंगला के मुख्यालय को कानोड़ से हटाकर डूंगला स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के गम्भीर रूप से विचाराधीन हैं ।

बाल विकास परियोजना, अलीगढ़ द्वारा आंगनवाड़ियों पर खर्च राशि

457. श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाल विकास परियोजना अलीगढ़ जिला टौंक के अन्तर्गत 95 आंगनवाड़ियों पर गत 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? किस-किस केन्द्र पर कितने-कितने बालक एवं माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है एवं प्रत्येक केन्द्र पर कितनी-कितनी धनराशि प्रति माह व्यय की जाती है ? इनको क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पिछले दिनों केन्द्र की एक टोली इसके निरीक्षण हेतु आई थी ? यदि हां, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी हां । दिनांक 28-1-84 को केन्द्र सरकार की एक टोली निरीक्षण हेतु आई थी उनकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है । प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है ।

विवरण **परिशिष्ट "क"**

बाल विकास परियोजना, अलीगढ़ के अन्तर्गत आंगनवाड़ियों पर गत पांच वर्षों में खर्च की गई राशि का विवरण

खर्च का मद	वर्ष की व्यय राशि				
1	2				
	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84

231

1				2	
1. खाद्य सामग्री	—	—	—	4,28,459	13,640
2. प्रौढ़ शिक्षा	—	—	—	19,828	21,790

प्रत्येक केन्द्र पर खर्च होने वाली औसत धनराशि एवं सुविधाओं की सूचना

व्यय	सुविधायें लाभान्वित	सेवा
1	2	3
प्रत्येक केन्द्र पर वर्ष 82–83 में मासिक औसतन व्यय (प्रशासन सहित) 6372 रु. हुआ तथा वर्ष 83–84 में माह फरवरी तक प्रत्येक केन्द्र का औसत व्यय 2816 रु. हुआ।	1. गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली मातायें।	1. समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच। 2. टिटेनस रोग से बचाव के टीके। 3. अन्य प्रतिरक्षात्मक टीके, जैसे–बीसीजी तथा पोलियो। 4. पूरक पोषाहार। 5. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
	2. 15 से 45 वर्ष की आयु की अन्य महिलायें	1. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
	3. एक वर्ष से कम आयु के बच्चे	1. पूरक पोषाहार। 2. प्रतिरक्षात्मक टीके जैसे डी.पी.टी., बी.सी.जी. पोलियो आदि के टीके। 3. आयरन व फोलिक ऐसिड की गोलियां 4. विटामिन "ए" की खुराक

1	2	3
		5. स्वास्थ्य की जांच
	4. एक वर्ष से दो वर्ष तक की आयु के लिए	1. पूरक पोषाहार 2. प्रतिरक्षात्मक टीके एवं आयरन, फोलिक ऐसिड की गोलियां व विटामिन 'ए" को खुराकें। 3. स्वास्थ्य जांच 4. सन्दर्भ सेवायें।
	5. तीन से 5 वर्ष की आयु के बच्चे	1. पूरक पोषाहार 2. प्रतिरक्षात्मक टीके तथा आयरन, फोलिक ऐसिड की गोलियां व विटामिन "ए" की खुराकें। 3. स्वास्थ्य जांच 4. सन्दर्भ सेवायें 5. अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा।

क्र.सं.	नाम केन्द्र	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे	गर्भवती मातायें	दूध पिलाने वाली मातायें	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	अलीगढ़	45	41	7	16	109
2.	उखलाना	30	60	3	14	107
3.	अलीगढ़	27	68	6	12	113

1	2	3	4	5	6	9
.	अलीगढ़	44	56	5	15	120
.	अलीगढ़	55	27	11	16	109
.	अलीगढ़	40	47	4	19	110
.	पाटोली	47	33	11	29	120
.	विलोता	34	15	15	15	99
.	गाडोली	30	35	13	14	92
.	देवली	54	14	10	32	110
.	देवली	23	35	10	25	95
.	महुआ	41	42	10	15	108
.	बामनिया	40	30	19	16	105
.	देवली खोहल्या	41	45	8	22	116
.	खोहल्या	38	39	14	18	109
.	कुण्ड्या	40	40	11	15	106
.	शहादत नगर	30	45	17	14	106
.	आसलगांव	56	23	5	33	117
.	उखलाना	30	53	8	11	102
.	चोरु	44	35	15	15	109
.	चोरु	55	23	15	15	108
.	चोरु	43	33	16	17	109
.	पचाला	23	53	10	20	106
.	पचाला	42	28	15	15	100
.	पचाला	31	33	9	21	94
.	सोप	58	31	8	13	110
.	सोप	46	30	9	19	104
.	सोप	49	28	12	17	116
.	सोप	45	25	9	25	104
.	पामगा	53	29	23	15	120

1	2	3	4	5	6	7
31.	गलवानिया	38	44	9	19	110
32.	मण्डावरा	37	33	4	26	100
33.	फिरोजपुरा	38	42	02	23	105
34.	लसाड़िया	51	23	09	18	101
35.	हैदरीपुरा	40	40	04	26	110
36.	वराना	42	36	07	23	108
37.	हमीरपुरा	18	48	12	27	105
38.	आमली	41	39	17	13	110
39.	सोलतपुरा	40	31	11	14	96
40.	पलाई	40	39	11	14	104
41.	पलाई	48	34	06	16	104
42.	कचरावता	28	42	10	20	100
43.	समरावता	37	42	03	21	103
44.	देवरी भांकरवाड़ी	38	38	07	15	98
45.	लक्ष्मीपुरा	34	43	07	16	100
46.	वोसरिया	56	30	16	11	113
47.	बालापुरा	35	40	05	20	100
48.	कुण्डवा	40	30	15	15	100
49.	गांगली	40	35	06	25	106
50.	बालीथल	40	32	18	12	102
51.	डाबला	40	45	13	15	113
52.	खातोली	63	32	18	04	117
53.	खातोली	38	48	09	10	105
54.	चतरपुरा	25	32	08	16	81
55.	पागड़ी	40	50	06	12	108
56.	बनेठा	40	35	10	20	105
57.	बनेठा	37	37	03	28	105

1	2	3	4	5	6	7
8.	बनेठा	42	31	05	25	103
9.	बनेठा	17	53	04	26	100
0.	बनेठा	32	49	06	23	110
1.	रूपपुरा	45	45	07	13	110
2.	रूपवास	35	40	12	17	104
3.	गुढलिया	30	45	11	19	105
4.	सूंथड़ा	57	20	10	20	107
5.	सूंथड़ा	36	41	15	15	107
6.	सेदरी	30	40	07	26	103
7.	सुरेली	49	26	09	21	105
8.	सुरेली	37	38	06	24	105
9.	करोद	33	29	16	19	97
0.	कुण्डेर	30	42	15	21	108
1.	बरुथन	49	66	04	06	125
2.	रामपुरा धाकड़ान	40	50	10	13	113
3.	ककोड़	51	26	15	15	107
4.	ककोड़	50	35	08	18	111
5.	ककोड़	26	58	07	25	116
6.	नया गांव	24	51	04	22	101
7.	फुलेता	38	47	05	11	101
8.	फुलेता	44	35	11	14	104
9.	मोजपुरा	43	33	07	22	105
0.	खेड़ा	41	25	11	22	99
1.	गोठड़ा	55	24	10	15	104
2.	रानीपुरा	24	38	22	14	98
3.	कल्याणपुरा	30	60	12	10	112
4.	खेलनियां	38	32	09	11	90

236

1	2	3	4	5	6	7
85.	ढिकोलिया	43	32	13	17	105
86.	बजोलिया	30	40	14	16	100
87.	श्यामपुरा	31	44	17	13	105
88.	बिन्जारी	59	22	10	14	105
89.	भानपुरा	44	26	07	12	89
90.	देवपुरा	37	36	09	18	100
91.	मोहम्मदगढ़	44	30	11	16	101
92.	मोहम्मदपुरा	30	50	05	25	110
93.	नयागांव बिन्जारा	35	40	05	25	105
94.	बिलासपुर	40	35	10	25	110
95.	उनियारी	45	35	10	15	105
	योग—	3,763	3,579	955	1697	9,994

NOTES ON THE VISIT OF SHRI R.P. KHOSLA, SECRETARY MINISTRY OF SOCIAL WELFARE TO RAJASTHAN FROM 26-29 JANUARY 1984 TO REVIEW THE IMPLENTATION OF ICDS PROGRAMME.

1. Visit to Dholpur ICDS Project District Bharatpur and Uniara ICDS Project, District, Tonk.

ICDS Project Dholpur, District Bharatpur was visited on 27 January 1984 and ICDS Project Uniara, District Tonk was visited on 28 January, 1984 and discussions were held with District and Project level officers.

2. Some positive features were noted. The selection of Project areas is appropriate, in so far as backward, rural, drought

prone areas have been selected, Project areas also predominently inhabited by Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The staff position is quite satisfactory. Position of health staff is also good. The entire project areas have been subdivided into the total number of health personnal and each medical officer looks after health-in-puts of ICDS programme also.

3. Action is required to be on the following points for effective implementation of the programme :—

3.1. **Personnel :**

Trained CDPOs are in position in both ICDS project. All Mukhyasevikas are also in prsition. 98 anganwadi workers are in position in Dholpur as against 100 anganwadi workers sanctioned. In Uniara Project, all the 95 sanctioned anganwadi workers are in position. However, 25 anganwadi workers in Dholpur and 21 anganwadi workers in Uniara Project are still untrained. These anganwadi workers should be sent for their training early.

3.2. **Coverage :**

The Project areas are not being covered by the ICDS Programme completely, In Dholpur ICDS Project the total population is 1,26,333 in 153 villages, whereas only 100 angnwadis have been set up. Similarly in Uniara Project there are 211 villages and only 95 anganwadis have been set up. Thus, a large number of villages not being covered under the programme. The entire area should be surveyed and additional anganwadis should be set up so as to extend the benefits of this programme to all the children and mothers in all the village. Guidelines issued by this Ministry vide letter No. 15-4/83/-CD dated 21 November, 1983 may be referred to in this regard (copy enclosed).

3.3. **Supplementary Nutiition :**

(a) Soaked gram with or without gur is normally given to children between 3–6 years of age and mothers. Some times, roasted groundnut and gur are also given to children between 3–6 years of age. No cooking is done on the spot. The position of supplementary nutrition is thus not satisfactory in both the projects.

(b) Coverage of children below 4 years was almost NIL since the type of nutrition provided cannot be consumed by children below 3 years. Efforts should be made for increase in coverage of this group of children, they being the most vulnerable group.

(c) Though weighing scales have been provided, anganwadi workers were not found to be well–versed in their use and age by weight cards are not being maintained properly. They were not well–versed even in determining nutritional status of children with the help of mid arm strips. Thus no method of determining nutritional status or method of selecation of beneficiaries based thereon is being followed. The anganwadi workers should be retrained in the use of weighing scales, determining of the age of the child, maintenance of age-weight cards and use of mid-arm strips. This responsibility should be undertaken at project level by DCPOs with such assistance as they may require. Endeavour should be made to select malnourished children for supplementary nutrition. This would also help in monitoring the progress of malnourished children. Efforts should also be made for proper care of severely malnourished children. Pulverised. easily digestable and locally cooked food would be more useful.

(d) There is no comunity participation in this regard. The

community does not contribute any item of food to be used in the anganwadis; not even fuel is provided by the community. Efforts should be made to involc thve community in the programme.

3.4. **Health Services** :

(a) Though being assinged to the PHC in respect of various immunisations were being achieved, they were not sufficient cover the total number of children below three. Tragets should therefore, be enhanced suitably to cover all children below three and supplies of vaccines should be increased so as to achieve total coverage. The Medical Officers incharge of PHCs and project staff were confident that with the available infrastructure in the project, higher targets could be achieved easily.

(b) There is no proper system of recording immunisation of the children. It could not be ascertained whether a particular child in an anganwadi had been immunised or not, There are no immunisation registers maintained. by anganwadi workers either. The only immunisation record available is with ANMs, which is not satisfactory. This should be streamlined. Health cards should be maintained for each child and immunisation registers shoule be maintained.

(c) Health check-up should be given to all children, at least twice a year by the para-medical workers. The entries of health check-up should be made in the child health cards.

(d) Referral system should be devaloped.

3.5. **Pre-school Education** :

Material for pre-school activities has not been provided to the anganwadis, the anganwadi workers are imparting knowledge

in literacy and numeracy. Pre-school education component of the programme should be improved.

3.6. **Health and Nutrition Education :**

Similarly material for health and nutrition education has also not been provided to the anganwadis. This should also be expedited.

II. **Discussions with the State Government :**

4, Detailed discussions were held with State Secretary, Social Welfare and representatives of other Departments of the State Government, UNICEF and CARE. The following points were identified for action by the State Government :—

4.1. **Recruitment of staff :**

It was emphised that right type of persons should be recruited as CDPOs and for this purpose, Recruitment Rules should be framed. Thus far, officers for other Departments are being taken on deputation for serving as CDPOs. Since 45 projects have already been sanctioned to the State and the programme is likely to be expanded further during the Seventh Five Year Plan, the State Government should constitute a regular cadre for CDPOs. The State Government may initiate necessary action in this regard and take up the matter with the State Public Service Commission. Since few departments have the persons with the desired qualifications for CDPOs emphasis should be on regular recruitment. Since the programme deals with children and mothers, preference should be given to women candidates.

4.2. **Coverage :**

According to the note circulated by the State Government, 45 sanctioned ICDS projects have a total population of 48, 56, 530 in 6916 villages and only 4566 anganwadis have been sanctioned.

he State Government may get the project areas surveyed and set ɔ additional Anganwadis in these projects so as to cover children ɪd mothers in all villages Instructions issued by the Ministry Social Welfare vide letter No. 15-4/83-CD dated 21.11.1983 ay be kept in view.

3. **Training :**

(a) There are only 11 anganwadi workers Centres (14 training units as three centres are running two courses simultaneously) in the State. Against the total sanctioned strength of 4566 anganwadi workers, 1984 have been trained and 639 are reported to be under training. Thus the backlog is 1943. About 2400 additional anganwadi workers of upgraded SNP centres will also have to be trained. About 500 anganwadis may have to be set up for larger coverage of existing blocks. The training capacity of the existing centres is about 2500 per annum. The State Government may examine the matter and may set up 5 or 6 additional training centres for anganwadi workers.

(b) A suggestion was made by the State Government to introduc mobile training programme and reduce the duration of training to 2 weeks. Whereas the idea of providing training in the project areas itself was found welcome, in case it is feasible to arrange mobile training the reduction training period from 3 months to two weeks was not accepted.

4. **Supplementary Nutrition :**

It was emphasised in the meeting that supplementary nutrion services need to be streamlined. At present, children below years who are the most vulnerable age group are not being overed satisfactorialy particularly since the soaked gram and

roasted groundnut cannot be eaten easily by very young children No proper system of selection of beneficiaries is being followe Nutritional status of children is not being measured, no speci care of severely mal-nourished children is being taken.

The State Government was requested to taken necessar corrective measures to provide supplementary nutrition to mal-nou rished children and severely mal-nourished children particularly i the age group of 0–3 years. Emphasis should be on locall cocked foods and such recipes should be on followed which ca- be useful for children below three as well as children in the ag group of 3–6 years. Mentioned of khichri and Dalia was mad specifically in this regard. Home Science College, may also b consulted in developing suitable receipes for the project area i the State.

CDPOs and Mukhya sevikas should ensure that nutritio status of children is monitored in the Projects. They shoul provide necessary guidance and direction to Anganwadi Worke in this regard and should ensure that mal-nourished and severel mal-nourished children are properly identified and extra calorie are provided to severly mal-nourished children.

4.5. Health Staff :

It was emphasised that State Government should ensur upgradation of health infrastructure in the ICDS project area i.e ANMs @ one ANM for 5,000 population, one LHV four ANM and three Medical Officers in each PHC, Additional Director Health Services, explained the position of ANMs in the State.

He said that 193 ANMs out of 500 who will be available have been ear.marked for ICDS projects this year and that th position of ANNs would further cases since 6-J ANMs Trainin centres have been approved by the Government of India. H

-sured that the backlog of vacant sub-centres would be cleared less than 2 years.

Additional Director, Health Services said that sub-centres in :DS projects sanctioned upto 1981-82 had been upgraded with e Health Department budget. He proposed to upgrade sub-centres the new projects with the help of ICDS budget but the total mount sanctioned from ICDS budget will not be exceeded.

It was emphasised that health services should be streamlined mmunisation against various diseases should be provided to all nildren below three years. present coverage under immuni- ion was quite low since targets fixed for the purpose were not -fficient to cover the entire eligible child population. Additional irector, Health Service explained that keeping in view the ailable infrastructure in ICDS projects and close supervision ass campaigns have been launched in ICDS project areas from me to time. Taragets allotted to ICDS projects is also much ore then those assigned to non-ICDS PHCs. However, he entioned that there has been a break-down in supply of vaccines articularly in respect of DPT. Only 4.70 lakhs doses of DPT ccine had been received as against the target of 17 lakhs.

.6. **Education :**

The activities of the health and nutrition education and on-formal pre-school education should be strengthened.

.7. **Monitoring :**

It was stressed that date relating to severely mal-nourished ildren, infant mortality rate, death rate and birth rate should e monitored regularly in all ICDS projects so as to know the npact of the programme and review whether the objectives of the ogramme are being achieved.

पंचायत राज व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने की सिफारिशें

458. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में दिनांक 31-1-82 को सम्पन्न हुए पंच-सरपंच सम्मेलन में पंचायत राज व्यवस्था को प्रभावी व सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक घोषणायें की गई थीं तथा सम्मेलन में प्रस्ताव पास कर कई सिफारिशें भी की गई थीं ? यदि हां, तो कृपया घोषणाओं एवं सिफारिशों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इन घोषणाओं एवं सिफारिशों में से अब तक कौन-कौन सी कब-कब से लागू कर दी गई हैं व अन्य कब तक ल कर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) बीकानेर में आयोजित पंचाय-राज सम्मेलन में पंचायती राज व्यव को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु दिन 31-1-1982 को की गई घोषणाओं विवरण सदन के पटल पर रख दि गया है।

(2) घोषणाओं बाद में किये गये प वर्तनों / संशोधनों का विवरण, घोषणा की क्रियान्विति में की गई कार्यवाही विवरण तथा बाकी रही कार्यवाही विवरण एवं बकाया कार्यवाही की पूर्ति लिये की जा रही कार्यवाही का विवर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

बीकानेर में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी व सुदृढ़ बनाने हेतु माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, राजस्थान द्वारा दिनांक 30-1-1982 को की गई घोषणाओं का विवरण

---

1. ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जाने वाले वे समस्त कल्याण एवं विस्तार कार्यक्रम जिनकी प्रभावी देख रेख उन तकनीकी अधिकारियों द्वारा की ज सकती है जो पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध हैं या उपलब्ध कराये ज. सकते हैं, पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दिये जायं। ऐसे सभी मामलो में कार्यक्रमों का बजट तथा सम्बन्धित कर्मचारीगण पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये जायेंगे। ऐसे कार्यक्रमों का विभागवार विवरण अनुलग्नक "क" पर उपलब्ध है।

2. कल्याण एवं विस्तार के ऐसे कार्यक्रम जिनका पर्यवेक्षण पंचायत समिति स्तर से ऊपर का हो, अथवा जिनकी क्रियान्विति का क्षेत्र एक से अधिक पंचायत समिति में होने के कारण जिसका दायित्व एक पंचायत समिति क्षेत्र के लिये निर्धारित करना संभव न हो अथवा जिनमें जटिल प्रौद्योगिकी (टैक्ना-

लाजी) निहित हो या जिनका निष्पादन अन्य स्वायत्तशासी अभिकरणों द्वारा किया जाना हो, उनकी समीक्षा उपयुक्त समितियों द्वारा पंचायत समिति स्तर पर प्रभावी रूप से की जायेगी। ऐसे मामलों में कार्यक्रमों का बजट या कर्मचारी पंचायत समितियों को स्थानान्तरित नहीं होंगे और कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभाग / अभिकरण यथावत करते रहेंगे। ऐसे मामलों में पंचायत समितियों तथा क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा। ऐसे कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक "ख" पर उपलब्ध है।

3. प्रधानों तथा सरपंचों का प्रशिक्षण:—

नव निर्वाचित प्रधानों तथा सरपंचों को विभिन्न विभागों के विकास कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी करानी आवश्यक है। ऐसे कार्य सम्पादन करने के लिये उन्हें किन किन संस्थाओं के साथ सामन्जस्य करना होगा, क्या प्रक्रियाएं काम में लेनी होंगी और कार्यक्रमों की मूल भावना एवं रूप-रेखा क्या है, इसके बारे में प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा। इस प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अलग से कराई जा रही है।

4. विकास अधिकारियों के पदों का क्रमोन्नयन:—

पंचायत समिति स्तर पर बड़े कार्यक्रमों के हस्तान्तरण और निधियों के आवंटन के साथ यह आवश्यक हो गया है कि विकास अधिकारियों के पदों को क्रमोन्नत किया जावे। वर्तमान में जो विकास अधिकारी कार्यरत हैं वे सम्भवतः इस कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम सिद्ध नहीं हो पायेंगे, क्योंकि इनमें से कई तो तदर्थ आधार पर नियुक्त हैं। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित की गई है कि विकास अधिकारियों में 50 प्रतिशत पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरे जावें और शेष को तकनीकी सेवा में से परियोजना अधिकारी पदोन्नति से चयनित किये जावें। इन विकास अधिकारियों के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है।

5. आधारभूत कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति:—

इस सारी प्रक्रिया को पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने से कार्य सम्पादन के लिये कुछ आधारभूत कर्मचारियों की व्यवस्था आवश्यक होगी। विकास अधिकारियों के अलावा कृषि प्रसार कार्यक्रम के लिये कम से कम एक और काम अधिक होने पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार और अधिक कृषि प्रसार अधिकारी, एक पशुपालन प्रसार अधिकारी, एक सहकारिता प्रसार अधिकारी, एक पंचायत प्रसार अधिकारी, दो शिक्षा प्रसार अधिकारी, एक उद्योग प्रसार अधिकारी, एक ओवरसियर तथा एक प्रगति

(सांख्यिकी) प्रसार अधिकारी का नियोजन आवश्यक होगा। यह इसलिये आवश्यक है कि उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित कार्यक्रम पंचायत समिति स्तर पर या तो पंचायत समिति की सीधी देखरेख में होगा या जिनमें पंचायत समिति स्तर पर समीक्षा आवश्यक होगी। चूंकि इतने बड़े व्यापक कार्यक्रम को चलाने के लिये पंचायत समिति स्तर पर निधियों का आवंटन बड़े पैमाने पर होगा और उसके हिसाब भी व्यवस्थित रखने होंगे, अतः विकास अधिकारी के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण भी आवश्यक है। इसके लिये एक लेखाकार, एक कनिष्ठ लेखाकार, 3 वरिष्ठ लिपिक, 5 कनिष्ठ लिपिक, 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक वाहन चालक और एक चौकीदार देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार कार्य करने के लिये ग्राम सेवक भी पंचायत समिति स्तर पर बढ़ाये जायेंगे।

6. प्रधानों का मासिक भत्ता बढ़ाकर रुपये 400/– तथा प्रमुखों का भत्ता रुपये 600/– कर दिया गया है।

अनुलग्नक "क"

पंचायत समिति को हस्तांतरित की जा रही योजनाओं की विभाग वार सूची

क्र. सं.	विभाग एवं योजना का नाम
(1)	विशिष्ट योजना संगठन:–
(क)	एकीकृत ग्राम विकास- देय अनुदान हस्तान्तरित किया जाएगा।
(ख)	स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण (ट्राइसम)
(ग)	समग्र विकास विभाग
(घ)	ग्रामीण विकास केन्द्र
(ङ)	कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त लघु सिंचाई, कृषि एवं सम्बद्ध परियोजनाएं जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।
(च)	गोबर गैस कार्यक्रम
(2)	कृषि:–
(क)	कृषि प्रसार कार्यक्रम (विस्तृत आदेश जारी होंगे)
(ख)	पौध संरक्षण इकाइयां

क्र. सं	विभाग एवं योजना का नाम
(ग)	ग्रामीण विपणन (हाट) योजना
(घ)	बीज, खाद व कीटनाशक औषधि खरीदने के लिए अनुदान की स्वीकृति
(3)	पशुपालन विभाग:-
(क)	ग्रामीण पशु औषधालय
(ख)	चारा विकास योजना
(4)	भेड़ व ऊन:-
(क)	डी. पी. ए. पी. क्षेत्र में भेड़ चरागाहा का विकास
(5)	शिक्षा:—
(क)	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम
(ख)	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा चलाए कार्यक्रम का परीक्षण जिला परिषद् के माध्यम से होगा)
(ग)	ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा
(6)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:—
(क)	हैल्थ गाइड योजना
(ख)	स्थानीय दाइयों के साथ समन्वय एवं प्रशिक्षण
(ग)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(घ)	सहायक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण औषधालय एवं एडपोस्ट्स
(ड़)	परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण (उपरोक्त अन्तिम तीन योजनाओं का प्रशासनिक नियन्त्रण विभाग का रहेगा)
(7)	वन विभाग: -
(क)	मिश्रित वृक्षारोपण कार्यक्रम

क्र. सं	विभाग एवं योजना का नाम
(ख)	पौध लगाने का कार्यक्रम
(ग)	पंचायत भूमि पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम
(घ)	रोड फारेस्ट्री, सोशल फारेस्ट्री तथा फार्म फारेस्ट्री
(8)	सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमः—
	2.00 लाख रुपये की लागत के सभी नागरिक निर्माण कार्य। अग्रलिखित कार्यों के निर्माण एवं संधारण पंचायत समितियों के सुपुर्द होंगे:-
	निर्माण
(क)	नई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन व कमरे
(ख)	पटवार भवन
(ग)	पंचायत भवन
(घ)	उप केन्द्र
(ङ)	पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली छोटी सड़क व पुलिया
(9)	सिंचाई:-
	50 एकड़ कम सिंचाई की क्षमता वाले अथवा सिंचाई करने वाले तालाब। इन तालाबों की मरम्मत सहायता विभाग अथवा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधान से करवाई जायेगी।
(10)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग:-
(क)	हैण्ड पम्पों का संधारण
(ख)	परम्परागत पेयजल साधनों का संधारण एवं परिचालन
(11)	उद्योग:—
(क)	औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण एवं कार्यकारी योजना का निर्माण

क्र. सं.	विभाग एवं योजना नाम
(ख)	लघु उद्योग क्षेत्रों का विकास
(ग)	ट्राइसम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम
(घ)	ग्रामीण विपणन
(ड़)	ग्रामीण दस्तकारों को 2,000 रुपये तक के ऋण की स्वीकृति।
(च)	खादी ग्रामोद्योग मण्डल के माध्यम से उनकी स्वीकृत अनुदान प्रणाली के आधार पर 5,000/- रुपये तक ऋण एवं सहायता की स्वीकृति।
(छ)	लघु औद्योगिक इकाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति इकाई 1,000/- रुपये तक का विद्युत अनुदान
(ज)	डी. आई. सी. को कार्य प्रणाली पंचायत समिति पर आकर कार्य करने की होगी।
(12)	जनजाति क्षेत्रीय विकासः—
(क)	कृषिः-
(1)	फसल उगाना
(2)	प्रदर्शन
(3)	खाद व बीज का वितरण
(ख)	शिक्षा:-
(1)	उच्च प्राथमिक स्तर तक छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का विवरण
(2)	पुस्तकों एवं यूनिफार्म का वितरण (प्राथमिक शालाओं में)
(ग)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग:-
(1)	हैण्ड पम्पस और ग्रामीण पम्प एवं टंकी योजनाओं का संधारण।

क्र. सं.	विभाग एवं योजना का नाम
(घ)	सार्वजनिक निर्माण:-
(क)	आश्रम स्कूल एवं छात्रावासों का निर्माण (2.00 ल रुपये तक)
(ङ)	खादी एवं घरेलू उद्योग और उनके लिए प्रोत्साहन राशि
(च)	छोटे सिंचाई तालाबों का संधारण
(छ)	एकीकृत ग्राम विकास-लाभकारी कार्यों के लिए अनुदान
(ज)	पशुपालन विभाग:-
(1)	चारा विकास योजना
(2)	भेड़ पालकों को प्रशिक्षण
(3)	भेड़ विकास के लिए भेड़ों का वितरण
(झ)	समाज कल्याण;-
	विकलांग कल्याण कार्यक्रम तथा वृद्धावस्था व विधवा पेंशन।
(13)	समाज कल्याण विभाग:-
(क)	पंचायत समिति द्वारा नियन्त्रित शालाओं में अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण।
(ख)	पंचायत समिति द्वारा नियन्त्रित शालाओं में विकलांग छात्रों छात्रवृत्ति का वितरण।
(ग)	ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे छात्रावासों का प्रबन्ध एवं स्वयंसे संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की देखभाल।
(घ)	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आश्रम स्कूल और इन्स्टीट्यूट भवन।
(ङ)	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कल्याण की योजनायें।
(च)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बनायी जा रही ग्रामी परियोजनायें (भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर)।
(छ)	ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान स्थानीय आवास गृह एवं संस्था क देखभाल।

क्र. सं.	विभाग एवं योजना का नाम
(ज)	ग्रामीण क्षेत्रों में सिविल राइट्स एक्ट्स के अन्तर्गत संरक्षक कार्य में वृद्धि का कार्यक्रम ।
(झ)	विकलांग कल्याण तथा विधवा व वृद्धावस्था पेंशन ।

अनुलग्नक–"ख"

कार्यक्रम जो पंचायत समिति से ऊपर के स्तर पर देख–भाल किए जाने के रण एवं क्लिष्ट तकनीकी के कारण अथवा स्वायतशासी संस्थाओं द्वारा क्रिया–यन होने के कारण पंचायत समिति से हस्तान्तरित तो नहीं किए जा सकते किन्तु समें कार्यशील अभिकरण एवं पंचायत समिति के बीच कड़ी बन्धन आवश्यक है र जिनकी पंचायत समिति स्तर पर समीक्षा की जाएगी ।

निम्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी :–

सहकारी ऋण वितरण एवं विपणन ।

ग्रामीण विद्युतीकरण ।

पंचायत समिति क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा लिए जा रहे कार्यक्रम ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं ।

पंचायत समिति क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सड़कें एवं भवन अथवा पहले से बनी हुई सड़कें एवं भवन ।

भू-जल विभाग द्वारा कुओं को गहरा करवाये जाने अथवा नल कूप लगाए जाने का कार्यक्रम ।

7. भू-जल विभाग द्वारा बोरिंग, अनुसंधान एवं अन्य विभागीय नल कूपों का संचालन ।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों का अर्द्ध विस्तृत एवं विस्तृत सर्वेक्षण ।

9. डेयरी विकास विभाग द्वारा नये दुग्ध मार्गों का खोलना तथा सहकारी समितियों की सदस्यता में वृद्धि तथा समग्र ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को दुधारू पशु के लिए ऋण देने के साथ समन्वय ।

0. दुग्ध सहकारी समिति के माध्यम से ग्रामीण विकास केन्द्रों का निर्माण ।

1. सहकारी गोदामों का निर्माण एवं प्रबन्ध ।

12. ग्रामीण क्षेत्र में हाथकरघा/हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन एवं क्रियान्वयन ।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी महिलाओं एवं बच्चों के पोषाहार का कार्यक्रम ।

14. पंचायत समिति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम ।

15. अनिवार्य वस्तु अधिनियम/अनिवार्य वस्तुओं के राशन और मूल्य वृद्धि नियन्त्रण पर निगाह ।

16. ग्रामीण सूचना प्रसारण एवं जन-सम्पर्क ।

घोषणाओं के बाद में किये गये परिवर्तनों/संशोधनों का विवरण

पंचायती राज की क्रियान्विति के लिए हस्तांतरित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से परिवर्तन/संशोधन किया गया है :-

क्र. सं.	विभाग का नाम तथा उस योजना/कार्यक्रम का नाम जिसको पंचायत समितियों को हस्तान्तरण करने की घोषणा की गयी थी	घोषणा में किये गये परिवर्तनों/संशोधनों का विवरण
1	2	3
1.	विशिष्ट योजना संगठन :-	
	(क) एकीकृत ग्राम विकास-देय अनुदान हस्तान्तरित किया जावेगा।	देय अनुदान हस्तान्तरित नहीं किया गया है ।
2.	कृषि विभाग :-	
	(क) कृषि विस्तार कार्यक्रम	यह निर्णय लिया गया कि सित-

1	2	3
		म्बर, 1982 तक तो वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जावे परन्तु सितम्बर, 1982 के पश्चात् इस योजना को पंचायती राज को हस्तान्तरित करने हेतु विस्तृत रूपरेखा बनाकर प्रस्तुत की जावे। इस योजना की क्रियान्विति मे पंचायत समिति एवं जिला परिषद के साथ समन्वय किया जावे।
	(ख) ग्रामीण हाट योजना	यह योजना ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की गयी है।
3.	भेड़ व ऊन विभाग :-	
	(क) डी. पी. ए. पी. क्षेत्र में भेड़ चरागाहों का विकास	इस योजना का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं होने के कारण इस योजना को समाप्त करने हेतु परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है।
4.	शिक्षा विभाग :-	
	(क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	यह कार्यक्रम पंचायत समितियों को हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसका समन्वय एवं पर्यवेक्षण जिला परिषदों द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5.	वन विभाग :-	
	(क) रोड फारेस्ट्री	राष्ट्रीय व राज्य मार्गों के सम्बन्ध में यह कार्यक्रम पंचायत समितियों को हस्तान्तरित नहीं किया गया है।
6.	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग	
	(क) हैण्ड पम्पों का संधारण	इस योजना को ग्राम पंचायतों को

1	2	3
		हस्तान्तरित किया गया है।
	(ख) परम्परागत पेयजल साधनों का संधारण एवं संचालन	इस योजना को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है।
7.	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	
	(क) शिक्षा–उच्च प्राथमिक स्तर तक छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण	केवल प्राथमिक स्तर तक ही छात्र-वृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जावेगा।
8.	समाज कल्याण विभाग :–	
	(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सिविल राइट्स एक्ट के अन्तर्गत संरक्षक कार्य में वृद्धि का कार्यक्रम।	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्पृश्यता निवारण एवं हरिजन उत्थान से अग्रिणी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है।

2. अन्य घोषणाओं में निम्न परिवर्तन/संशोधन किये गये हैं :–

(क) 118 पंचायत समितियों में कनिष्ठ लेखाकारों के पदों को लेखाकारों के पदों में पदोन्नत किया गया है। अतः 118 पंचायत समितियों में लेखाकारों के तथा शेष 118 पंचायत समितियों में कनिष्ठ लेखाकारों के पद स्वीकृत है।

(ख) पंचायत समितियों में वरिष्ठ लिपिकों, कनिष्ठ लिपिकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालकों तथा चौकीदारों के अतिरिक्त पदों का सृजन नहीं किया गया है। केवल एक पंचायत समिति में, जिसमें वाहन चालक का पद पूर्व में सृजित नहीं था, एक वाहन चालक का पद दिनांक 19.7.82 को सृजित किया गया है।

घोषणाओं की क्रियान्विति में की गई कार्यवाही का विवरण

1. विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं / कार्यक्रमों का जिला परिषदों द्वारा प्रभावी समन्वय एवं पर्यवेक्षण किये जाने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं :–

विभाग का नाम	योजना कार्यक्रम का नाम
1. शिक्षा विभाग	[1] प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय एवं पर्यवेक्षण [4.6.82] [2] स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्ध भेजे गये प्रस्तावों का परीक्षण [4.6.82]
2. कृषि विभाग	कृषि विस्तार कार्यक्रमों की क्रियान्विति में समन्वय तथा उसकी समीक्षा। [7.6.82]

2. विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों को पंचायत समितियों को क्रियान्विति के लिए हस्तांतरित करने सम्बन्धी आदेश जारी किये जा चुके हैं–

विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
1. विशिष्ट योजना संगठन	1. एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम [1.5.82] 2. स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण [ट्राइसम] योजना [1.5.82] 3. समग्र ग्राम विकास परियोजना [29.5.82] 4. ग्रामीण विकास केन्द्र परियोजना [29.5.82] 5. कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त लघु सिंचाई, कृषि एवं सम्बद्ध परियोजनायें जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र से संबंधित हैं। [29.5.82] 6. गोबर गैस कार्यक्रम [9.6.82]

1	2
2. कृषि विभाग	1. कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान [1.5.82]
3. पशुपालन विभाग	1. ग्रामीण पशु औषधालय [1.5.82] 2. चारा विकास योजना [1.5.82]
4. शिक्षा विभाग	1. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम [12.5.82]
5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1. हैल्थ गाइड योजना [5.6.82] 2. स्थानीय दाईयों के साथ समन्वय तथा प्रशिक्षण [5.6.82]
6. वन विभाग	1. मिश्रित वृक्षारोपण योजना (5-6-82) 2. पौध उगाने की योजना (5-6-82) 3. पौधशाला योजना (5-6-82) 9. कृषि वानिकी योजना (5-6-82)
7. सार्वजनिक निर्माण विभाग	1. 2.00 लाख रुपये तक की लागत के सभी नागरिक निर्माण कार्य अग्रलिखित कार्यों के निर्माण पंचायत समितियों के सुपुर्द होंगे (1-5-82) (क) नई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन एवं कमरे। (ख) पटवार भवन। (ग) पचायत भवन। (घ) उप केन्द्र। (ङ) पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली छोटी सड़कें व पुलिया।
8. उद्योग विभाग	1. औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण एवं कार्यकारी योजना का निर्माण (1-5-82) 2. लघुत्तर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास (1-5-82) 3. ग्रामीण विपणन (1-5-82)

1	2
	4. ग्रामीण दस्तकारों को 2000) रु. तक के ऋण की स्वीकृति (1-5-82)
	5. खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल के माध्यम से उनकी स्वीकृत अनुदान प्रणाली के आधार पर 5000) रु. तक के ऋण एवं सहायता की स्वीकृति (5-6-82)
	6. लघु औद्योगिक इकाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति इकाई 1000) रु. तक का विद्युत अनुदान (1-5-82)
9. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	(क) कृषि:—
	(I) फसल उगाना (6-5-82)
	(II) प्रदर्शन (6-5-82)
	(III) खाद व बीज का वितरण (6-5-82)
	(ख) शिक्षा:—
	(I) प्राथमिक स्तर तक छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण (6-5-82)
	(II) पुस्तकों एवं यूनीफार्म का वितरण (प्राथमिक शालाओं में) (6-5-82)
	(ग) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग:--
	(I) हैण्ड पम्प्स और ग्रामीण पम्प एवं टैंक योजनाओं का संधारण (6-5-82)
	(घ) सार्वजनिक निर्माण विभाग:—
	(क) आश्रम स्कूल एवं छात्रावासों

1	2
	का निर्माण (2.0 लाख रु. तक (6-5-82) (ङ) खादी एवं घरेलू उद्योग और उनके लिए प्रोत्साहन राशि (6-5-82) (च) छोटे सिंचाई तालाबों का संधारण (6-5-82) (छ) एकीकृत ग्राम विकास लाभकारी कार्यों के लिये अनुदान (4-6-82) (ज) पशुपालन विभागः— (I) चारा विकास योजना (6-5-82) (II) भेड़ पालकों को प्रशिक्षण (6-5-82) (III) भेड़ विकास के लिये भेड़ों का वितरण (6-5-82) (झ) समाज कल्याण विभागः— विकलांग कल्याण कार्यक्रम तथा वृद्धावस्था व विधवा पेंशन (6-5-82)
10. समाज कल्याण विभाग	(1) पंचायत समिति द्वारा नियन्त्रित शालाओं में विकलांग छात्रों में छात्र वृत्ति का वितरण (16-1-82) (2) ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे छात्रावासों का प्रबन्ध एवं स्वय सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की देखभाल (4-5-82) (3) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान स्थानीय आवास गृह एवं संस्थाओं की देख-भाल। (4) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आश्रम स्कूल

1	2
	और निराश्रित बालगृह (4-5-82 एवं 30-4-82)
	(5) विधवा व वृद्धावस्था पेन्शन (8-6-82)

3. विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों की पंचायत समितियों द्वारा प्रभावी समीक्षा किये जाने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं:—

विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
1. कृषि विभाग	1. कृषि विस्तार कार्यक्रम (7-6-82)
2. कृषि (सहकारिता) विभाग	1. सहकारी ऋण वितरण एवं विपणन (4-6-82)
	2. सहकारी गोदामों का निर्माण एवं प्रबन्ध (4-6-82)
3. ऊर्जा विभाग	1. ग्रामीण विद्युतीकरण (5-6-82)
4. राजस्व (वन) विभाग	1. पंचायत समिति क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा लिये जा रहे कार्यक्रम (8-6-82)
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग	1. पंचायत समिति क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सड़कें एवं भवन अथवा पहले से बनी हुई सड़कें एवं भवन (2-6-82)
6. कृषि (भू-जल) विभाग	1. भू-जल विभाग द्वारा कुओं को गहरा करवाये जाने अथवा नलकूप लगाये जाने का कार्यक्रम (1-5-82)
	2. भू-जल विभाग द्वारा बोरिंग, अनुसंधान एवं अन्य विभागीय नल कूपों का संचालन (1-5-82)
	3. ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों का अर्द्ध विस्तृत एवं विस्तृत सर्वेक्षण (1-5-82)

1	2
7. कृषि (डेयरी विकास विभाग)	1. डेयरी विकास विभाग द्वारा नये दुग्ध मार्गों का खोलना तथा सहकारी समितियों की सदस्यता में वृद्धि तथा समग्र ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कमजार वर्ग के लोगों को दुधारू पशु के लिए ऋण देने के साथ समन्वय (1-5-82)
	2, दुग्ध सहकारी समिति के माध्यम से ग्रामीण विकास केन्द्रों का निर्माण (1-5-82)
8. उद्योग विभाग	1. ग्रामीण क्षेत्रों में हाथरकघा/हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन एवं क्रियान्वयन (1-5-82)
9. समाज कल्याण विभाग	1. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी महिलाओं एवं बच्चों के पोषाहार का कार्यक्रम (13-5-82)
10. शिक्षा विभाग	1. पंचायत समिति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम (4-6-82)
11. खाद एवं नागरिक रसद विभाग	1. अनिवार्य वस्तु अधिनियम/अनिवार्य वस्तुओं के राशन और मूल्य वृद्धि नियंत्रण पर निगाह (5-6-82)
12. जन सम्पर्क विभाग	1. ग्रामीण सूचना प्रसारण एवं जनसम्पर्क (7-6-82)

4. विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों को ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन के लिये हस्तान्तरित करने सम्बन्धी आदेश जारी किये जा चुके हैं:—

विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
1. कृषि विभाग	1. ग्रामीण हाट व्यवस्था (1-5-82)
2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1. हैण्ड पम्पों का संधारण (8-6-82)

विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
	2. परम्परागत पेयजल साधनों का संधारण एवं परिचालन (8–6–82)

(नोट :–कोष्ठकों में अंकित तिथियां आदेश जारी किये जाने की तिथियां हैं।)

5. सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्न घोषणाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है :–

क्र.सं.	घोषणा का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	प्रधानों/प्रमुखों का मासिक भत्ता क्रमशः 400/– रुपये व 900/- रुपये कर दिया गया है।	आवश्यक आदेश दिनांक 27-2-82 को जारी किये जा चुके हैं।
2.	50 एकड़ से कम सिंचाई की क्षमता वाले अथवा सिंचाई करने वाले तालाबों तथा एनीकट्स की मरम्मत का कार्य सहायता एवं एन.आर.ई.पी. कार्यों के अन्तर्गत किया जावे।	सहायता विभाग द्वारा दिनांक 24-4-82 को यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि ऐसे समस्त सिंचाई कार्यों को, जिनसे सिंचाई के साधनों का विकास, विस्तार व सुधार संभव हो सके, पेयजल स्रोतों संबंधी कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने के पश्चात्, सहायता कार्यों के लिये प्राथमिकता के आधार पर लिया जावे। विशिष्ट योजना संगठन द्वारा दिनांक 31–1–83 को यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एकड़ से कम सिंचाई की क्षमता वाले अथवा सिंचाई करने वाले तालाबों, नाड़ियों व एनीकट्स की मरम्मत के कार्यों को व्यापक रूप से व प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जावे।
3.	नव निर्वाचित प्रधानों तथा सरपंचों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जावेगी।	सभी प्रधानों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 82-83 में दिनांक 26-5-82 से 11-9-82 तक की अवधि में 7 दिशा दिग्बोध गोष्ठियों का आयोजन हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के तत्वावधान में जयपुर तथा उदयपुर में किया गया।

1	2
	इन गोष्ठियों में 153 प्रधानों ने भाग लिया । सभी सरपंचों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 82-83 में एक क्रेश कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत 6013 सरपंचों को प्रशिक्षित किया गया । जिन सरपंचों ने वर्ष 82-83 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया उनके प्रशिक्षण हेतु वर्ष 83–84 में पुनः प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें प्राप्त सूचना के अनुसार 297 सरपंचों को प्रशिक्षित किया गया । इस प्रकार प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 6310 सरपंचों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।
4. विकास अधिकारियों के पदों को क्रमोन्नत किया जावेगा । विकास अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरे जायेंगे तथा शेष को तकनीकी सेवाओं में से परियोजना अधिकारी पद्धति से चयनित किया जावेगा इन विकास अधिकारियों के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है ।	दिनांक 19-7-82 को जारी किये गये आदेश द्वारा विकास अधिकारियों के पदों, को क्रमोन्नत किया गया । वर्तमान में विकास अधिकारियों के 13 पदों पर आर. ए. एस. अधिकारी कार्यरत हैं । शेष क्रमोन्नत पदों में से 198 पदों पर विभिन्न तकनीकी सेवाओं के अधिकारी कार्यरत हैं । वर्ष 82-83 में 20 तथा वर्ष 83-84 में 43 विकास अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया । शेष सभी विकास अधिकारियों को वर्ष 84-85 में प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है ।
5. आधारभूत कर्मचारियों की व्यवस्था की जावेगी । ग्राम सेवक भी पंचायत समिति स्तर पर बढ़ाये जायेंगे ।	आधारभूत कर्मचारियों के एवं ग्राम सेवकों के पदों में निम्न प्रकार से वृद्धि की जा चुकी है :–

क्र. सं.	नाम पद	दिनांक 30-1-82 को स्वीकृत पदों की संख्या	30-1-82 के बाद सृजित पदों की संख्या	
			सृजित पदों की संख्या	सृजन को तिथि
1	2	3	4	5
1.	कृषि प्रसार अधिकारी	115	60	19.7.82
			50	16.7.83
2.	पशुपालन प्रसार अधिकारी	55	60	19.7.82
			60	16.7.83
3.	सहकारिता प्रसार अधिकारी	–	236	19.7.82
4.	प्रसार अधिकारी पंचायत	118	59	19.7.82
			59	17.7.83
5.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	537	–	–
6.	उद्योग प्रसार अधिकारी		239	यह पद उद्योग विभाग के हैं।
7.	ओवरसियर	112	124	19.7.82
8.	प्रगति प्रसार अधिकारी	–	236	19.7.82
9.	लेखाकार	–	118	19.7.82
10.	कनिष्ठ लेखाकार	118	–	–
11.	ग्राम सेवक	3024	919	11.8.82

बकाया रही कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	बकाया रही कार्यवाही का विवरण	बकाया रही कार्यवाही की पूर्ति के के लिये की जा रही कार्यवाही का विवरण
1.	2	3
1.	कृषि बिस्तार कार्यक्रम को सितम्बर	मामला कृषि विभाग के विचारा-

1	2	3
	1982 के पश्चात् पंचायती राज को हस्तान्तरित करने हेतु विस्तृत रूप रेखा बनाकर प्रस्तुत किया जाना।	धीन है।
	2. पौध संरक्षण इकाइयां योजना का सम्पादन हेतु पंचायत समितियों को हस्तान्तरण।	मामला कृषि विभाग के विचाराधीन है।
	3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण औषधालय एवं एड्पोस्ट्स, परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण योजनाओं का पंचायत समितियों को आंशिक रूप से हस्तान्तरण	मामला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विचाराधीन है।
	4. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बनाई जा रही ग्रामीण परियोजनाओं का (भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर) पंचायत समितियों को हस्तान्तरण	इस संबंध में भारत सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है।
	5. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की पंचायत समितियों द्वारा समीक्षा किये जाने के लिये आदेशों का प्रसारण।	यह मामला जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विचाराधीन है।
	6. कृषि प्रसार अधिकारियों के 11 तथा पशुपालन प्रसार अधिकारियों के 61 पदों का सृजन।	इन पदों का सृजन वर्ष 1984-85 में किया जाना प्रस्तावित है।
	7. आर. ए. एस. विकास अधिकारियों के 105 पदों की पूर्ति।	वर्तमान में विकास अधिकारियों के पदों पर 13 आर. ए. एस. अधिकारी कार्यरत हैं। शेष 105 पदों की पूर्ति का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

उपनिवेशन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को भूमि आवंटन

459. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :- [क्या] उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की [कृपा] करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक -1-81 से 16-9-81 तक कोटा जिले [में] 10 हजार की आबादी से अधिक वाले [शह]रों की 8 मील की परिधि में सैंकड़ों [अनु]सूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों [को] आरक्षित मूल्य से दुगुनी व अन्य को [चौ]गुनी कीमत पर जमीन अलॉट की गई ? यदि हां, तो क्यों तथा कितने किसानों [को] कितना-कितना रकबा अलॉट किया ?

(2) मांगरोल तहसील में हुए ऐसे [अलॉ]टमेंट के किसानों की सूची निम्न [ता]लिका में देने की कृपा करें :—

दिनांक, नाम, किसान, पिता का नाम, जाति, ख. नं., रकबा।

(3) क्या सरकार उक्त अवधि में दुगुनी व चौगुनी रेट पर हुए अलॉटमेंट के बजाय किसानों से आरक्षित मूल्य ही वसूल करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। 82 व्यक्तियों को उक्त अवधि में राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1957 के अन्तर्गत निर्धारित दर पर भूमि आवंटन की गई। उक्त नियमों में कस्बों/शहरों के निकट भूमि हेतु अधिक दरें निर्धारित की गई थीं। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं।

सूची आवंटिती

क्र. सं.	नाम ग्राम	दिनांक	अलाटी का नाम मय वल्दियत मय सकूनत	खसरा नं.	रकबा	वि. विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	केथून	30.6.81	मदनलाल आ. शंकर लाल माली केथून	800/3	3 बी	
2.	,,	,,	छीतर लाल आ. पन्ना कहार केथून	1263	1 बी. 11 बि.	
3.	,	,,	रामपाल आ. भोलू कहार केथून	1262	10 बिस्वा	
4.	,,	,,	सुल्तान खां आ. मोहम्मद खां मुसलमान	1169	2 बीघा	
				1672	4 बी. 13 बि	
				1163		
				1671	13 बिस्वा	

1	2	3	4	5	6	7
5.	केथून	30.6.81	मन्ना आ. पांचू कहार केथून	1228	1 बीघा	
6.	,,	,,	बल्लभ आ. जगन्नाथ मीना अरन्या	1230 110	1 बीघा 3 बिस्वा 11 बिस्वा	
7.	,,	,,	कान्हा आ. बाला चमार अरन्या	2	2 बीघा	
8.	,,	,,	लक्ष्मण आ. दल्या कहार केथून	1216	2 बीघा	
9.	,,	,,	मथुरा लाला आ. मोती लाल मीना अरन्या	11	2 बीघा	
10.	,,	,,	मोती लाल आ. गंगाराम मीना अरन्या	2	1 बी. 7 बि.	
11.	,,	,,	रामकरण आ. रामचन्द्र धाकड़ केथून	325/3	9 बिस्वा	
12.	,,	,,	मात्या आ. हरबक्श माली केथून	66 51/3	15 बिस्वा 6 बिस्वा	

1	2	3	4	5	6	7
13.	नगपुर	12.6.81	उदयलाल श्रा. केशरीलाल गुजर नगपुर	98/2	2 बी. 5 बि.	
14.	भीमपुरा	,,	भंवरलाल श्रा. बिशना बलाई भीमपुरा	55	4 बी. 6 बि.	
15.	नगपुर	,,	रहीमा. आ. नूर मो. उम्मेदगंज	22/1 29	3. बी 17 बि. 3. बी 6 बि	
16.	,,	,,	रामकल्याण आ. किशोर मेघवाल	11	9 बी.	
17.	,,	,,	रामकरण आ. हीरा गुजर नगपुरा	38/1	19 बिस्वा	
18.	,,	,,	छोटू श्रा. धन्ना माली धाकड़खेड़ी	11	9 बीघा	
19.	धाकड़खेडी	,,	भैरू श्रा. बरजू मेघवाल	126	5. बी 5 बि.	
20.	,,	,,	हीरा लाल श्रा. किशोर मेघवाल	113	4 बी	
21.	केथून	30.6.81	पून्या आसंमूंदर लश्करी	1118/1	8 बि.	

1	2	3	4	5	6	7
22	केथून	30.6.81	मन्ना ग्रा. देवीलाल रैगर केथून	1115	2 बी 3 वि.	
23.	,,	,,	सूरज करण आ. जगन्नाथ माली केथून	644/2 644/4	2 बि. 2 बि.	
24.	,,	,,	भंवर लाल ग्रा. कालू माली केथून	738	6 विस्वा	
26.	,,	,,	गोपाल लाल आ. चंपा-लाल रेगर कैथून	611/1 332/4	2 बी. 2 बी. 18 बि.	
27.	,,	,,	फून्दी लाल आ. अमर-लाल कहार कैथून	1254	1 बी. 14 बि.	
28.	,,	,,	हरिश चन्द आ. नारायण कहार कैथून	1232 1233 1234	13 बि. 4 बि. 1 बि. 10 बि.	
29.	,,	,,	घासीलाल मन्नालाल धन्नालाल छोटू लाल आ. मांगीलाल लश्करी कैथून	1065/1	1 बी. 3 बि.	

1	2	3	4	5	6	7
30.	केथून	30.6.81	रामरतन आ. रामबक्ष सुनार केथून	266	16 बि.	
31.	देवली मच्छियान	25.8.81	बद्रीलाल आ श्यामा चमार देवली	195/1	1 बि.	18 बि.
32.	भोजपुरा	26.8.81	किशन लाल आ. लदूर लाल गूजर खेडा	257	4 बि.	11 बि.
33.	,,	,,	चौथमल आ. मथुरा-लाल उछुजा खुखपुर	1/3	1 बी.	13 बि.
				31/2		11 बि.
				31/3		9 बि.
				31/4		2 बि.
				31/5		4 बि.
				122/292	1 बी.	13 बि.
				9/2		4 बि.
				9/3	1 बी.	
				9/4		7 बि.
34.	झालखेड़ा	,,	केशरी बाई पत्नी मुन्दासिंह राजपूत	192/243		15 बि.
				190/248	2 बी.	12 बि.

1	2	3	4	5	6	7
			झालखेड़ा	191/248	2 बी. 12 बि.	
				191/246	1 बी. 8 बि.	
35.	आरामपुरा	26.8.81	सूरजमल आ. कजोड	151/4	14 बि.	
			बैरवा आरामपुरा	128/208	1 बी. 10 बि.	
36.	रसूलपुर	,,	श्यामलाल आ. राम-	4/1	2 बी.	
			नाथ बैरवा आरामपुरा	4/2	2 बी. 4 बि.	
				4/3	2 बी. 12 बि.	
				4/4	1 बी. 9 बि.	
				4/5	5 वि.	
37.	आरामपुरा	,,	लद्दूर आ. मन्ना	142	2 बी. 17 वि.	
			बैरवा आरामपुरा	145/218	1 बी, 4 बि.	
				146/1	2 बी.	
38.		,,	धन्नालाल आ.	82/3	4 वि.	
			विरधीलाल बैरवा	122/1	1 बी. 4 बि.	
			आरामपुरा			
39.	,,	,,	भैरूलाल आ. गिर-	590/597	16 वि.	
			धारी लाल गुजर	306/617	2 बी.	
			आरामपुरा	131/629	3 बी. 4 वि	

1	2	3	4	5	6	7
40.	आरामपुरा	26.8.81	जैयलाल आ. मोती लाल बैरवा रसूलपुर	127 129 40	7 बी. 3 बि. 2 बी. 5 बि. 64 बी. 15 बि.	
41.	चेनपुरा	26.8.81	जानकी बाई पत्नी मथुरा लाल धाकड रसूलपुर	38	1 बी. 1 बि.	
42.	आरामपुरा	,,	लक्ष्मीनारायण आ. मांगीलाल रेगर रसूलपुर	26	4 बी. 14 बि.	
43.	चेनपुरा 6	,,	भोरीलाल आ. तुलसीराम रेगर केथून	11/152	2 बी. 15 बि.	
44.	नगपुरा	27.8.81	सुखदेव आ. कृष्णा लश्करी रामनगर	113/2/2	6 बि.	
45.	,,	,,	श्रीराम आ. गणेश लश्करी रामनगर	111/1/2	6 बि.	
46.	,,	,,	शिवकरण आ. जगन्नाथ लश्करी रामनगर	81/1/3	1 बी. 10 बि.	

1	2	3	4	5	6	7
47.	नगपुरा	27.8.81	गेणरीलाल आ. नन्दा बराई प्रहरादपुरा	111/1/3	16 वि.	
				111/1/4	1 बी. 5 वि.	
				113/1/4	1 बी. 7 वि.	
				113/1/5	2 बी. 5 वि.	
48.	,,	,,	छीतरमल आ. देवी लाल कहार भीमपुरा	20/122	5 बी. 7 वि.	
49.	,,	,,	बद्रीलाल आ. रामचन्द्र कहार नगपुरा	81/1/2	1 बी. 15 वि.	
				81/1/6	5 बी.	
				81/6	14 वि.	
				81/6 मि.	3 वि.	
50.	पिपलदाशेखान	28.8.81	रामभरोसे आ. पन्नालाल गुजर पिपलदाशेखान	58	2 बी. 15 वि.	
51.	घघटाना	,,	अब्दुल गफूर आ.	305/1	8 वि.	
			यासीन खाँ मुस.	305/2	13 वि.	
			घघटाना	305/3	1 बी. 6 वि.	

274

1	2	3	4	5	6	7
52.	रामराजपुरा	28.8.81	नन्दकिशोर आ. लक्ष्मीनारायण नाईदेत रामराजपुरा	153 365	3 बी. 7 बी. 5 वि.	
53.	केथून	31.8.81	रामलट्टर आ. लक्ष्मी रेगर केथून	444/3 444/2	3 बी. 15 बि. 1 बी. 5 बि.	
54.	,,	,,	कुन्दनलाल आ. बद्रि लाल रेगर केथून	1114 1392	3 बी. 15 बि.	
55.	,,	,,	हीरालाल आ. राम लाल रेगर केथून	1147 1393	6 बी. 5 बि.	
56.	केथून	31.8.81	मथुरालाल आ. नाथूलाल रेगर केथून	26/1388 1061/1395	2 बी. 3 बि. 6 बी. 11 बि.	
57.	,,	,,	नाथूलाल आ. गौरीलाल रेगर केथून	1235/1334	1 बी. 16 बि.	
				4 1235/1354	2 बी. 19 बि.	

1	2	3	4	5	6	7
				1210/1341	1 बी. 12 बि.	
				1210/1342	10 बि.	
				1211/	1 बी. 1 बिस्वा	
58.	केथून	31.8.87	सूरजमल आ. शंकरलाल	1240/	9 बिस्वा	
			मेघवाल केथून	1240/1	3 बी. 11 बि.	
				1096/1	4 बी. 9 बि.	
59.	"	"	मोतीलाल आ. प्रभूलाल	1247/	19 बिस्वा	
			मेघवाल केथून	1248	13 बि.	
			1250 19 बिस्वा	1249	5 बि.	
			1259 15 बिस्वा	1250	7 बि.	
				1251	10 बि.	
				1252	12 बि.	
				1256	14 बि.	
				1257	12 बि.	
				43	85 बी. 15 बि.	

1	2	3	4	5	6	7
60.	केथून	31.8.83	भेरू आ. भागचन्द रैगर केथून	1065/2	3 बी. 12 वि.	
61.	,,	,,	लट्टूर आ. कन्हा रैगर केथून	1271	3 बी. 5 बि.	
				1272	18 बि.	
62.	,,	,,	भेरूलाल आ. भौरीलाल रैगर केथून	1268	11 वि.	
				1269	1 बी. 16 बि.	
				1270	1 बी. 3 वि.	
63.	,,	,,	कन्हैया लाल आ. रामनारायण रैगर केथून	1163/1	4 बी. 06 वि.	
				1164/1	1 बी. 7 वि.	
64.	,,	,,	प्रभूलाल आ. रामा	1226	10 वि.	

1	2	3	4	5	6	7
65.	केथून	31.8.83	चतरा आ. रामू	1264	15 वि.	
			मेघवाल केथून	1266	1 बी. 15 वि.	
				1223	6 बी. 12 वि.	
				1522		
				1235	19 वि.	
				1334/9		
66.	केथून	31.8.81	गोरीलाल आ. रामलाल	1101	1 बी. 3 वि.	
			रेगर केथून	1102/1	3 बी.	
				1102/2	16 वि.	
			योग	17	38 बी.	
66		कुल		किता	260 बी. 12 वि.	

अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य	योग
36	3	27	66

ह/0
जिलाधीश कोटा

277

सूची आवंटियान तहसील मांगरोल जिनकी दुगनी एवं चौगुनी कीमत पर भूमि आवंटन की गई

क्र. सं.	दिनांक	नाम किसान	पिता का नाम	जाति	नाम ग्राम	ख. नं.	रकबा
1.	28.1.81	श्री परसराम	नंदलाल	जोशी	रायथल	1748/1	1–12
						1748	4–17
						1770	1–4
						1768	4–5
							11 बी. 18 बि.
2.	,,	,, रामनारायण	मोतीलाल	कुम्हार	,,	1778	2 बी.
3.	,,	,, भाग चन्द्र	काना	गूजर	,,	1590	19 बि.
						1591/1	7–10
							8 बी. 9 बि.
4.	,,	,, बिरधीलाल	जगन्नाथ	मीना	,,	128	2 बी.
5.	,,	,, रामप्रताप	गोपीलाल	मीना	,,	128	2 बी.
6.	,,	,, रामनारायण	उदा	माली	,,	128	3–17
7.	,,	,, बिरधीलाल	नाथूलाल	बैरवा	,,	128	16 बी.
8.	,,	,, केसरीलाल	धूलीलाल	बैरवा	,,	126 मी.	5 बि.
9.	,,	,, मोतीलाल	भूलीलाल	गूर्जर	,,	1687/1	3 बी.
						1695/1	3–16

1	2	3	4	5	6	7	8
						1695/2	12–बि.
							7 बी. 8 बि.
10.	28-1-81	श्री हीरालाल	जगन्नाथ	मीना	नवलपुरा	36	5 बी.
						37	10 बी.
							15 बी.
11.	,,	,, सीताराम	भेरूलाल	गूजर	रायथल	1112	4–15
12.	,,	,, रामकिशन	घन्नालाल	मीना	नवलपुरा	130	2 बी.
13.	,,	,, रामेश्वर	लोडक्या	मीना	तिसाया	259 मी.	5–15
14.	,,	,, बजरंगलाल	जीवनलाल	मीना	,,	412	-13–1
75.	,,	,, लाला	मथुरालाल	मीना	,,	477	5 बीघा
76.	,,	,, देवलाल	घन्नालाल	माली	रायथल	58	4 बी. 5 बि.
					योग	23	108 बी. 8 बि.

ह./—
जिलाधीश, कोटा

बाल कल्याण कोष की स्थापना

460. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) एवं **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

[1] क्या राजस्थान सरकार बाल कल्याण कोष की स्थापना करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

[2] उक्त कोष स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा तथा इसे कैसे क्रियान्वित किया जायगा ?

[3] क्या सरकार ने बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा और अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

उत्तर

[1] जी हां। नियम विचाराधीन हैं। शीघ्र ही स्थापना सम्भव हो सकेगी।

[2] इस कोष के स्थापना के प्रस्तावित उद्देश्य एवं क्रियान्विति विधि परिशिष्ट 'क' में सदन के पटल पर रख दी गई है।

[3] राज्य सरकार ने कोई नीति घोषित नहीं की है।

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान मुख्य मन्त्री बाल कोष के प्रस्तावित उद्देश्य

1. 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के विकास या कल्याण के लिए सहायता।

2. बालक, बालिकाओं के लिए विकास और कल्याण के वर्तमान कार्यक्रमों में अनुभव की जा रही कमी को पूरा किया करना एवं नवीन कार्यक्रमों को चलाने में प्रोत्साहन और सहायता देना जो बालकों के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक हो।

राष्ट्रीय बाल नीति के स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देश निम्न प्रकार हैं :-

1. बाल मृत्युता की संख्या को कम करना।
2. समुचित बाल स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना।
3. स्वास्थ्य एवं पोषाहार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
4. स्वास्थ्य एवं पोषाहार की शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना।

पूर्व अध्यापक पं. स. पीसांगन का वेतन प्रकरण

461. श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (...कर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह ...ने की कृपा करेंगे :–

[1] क्या यह सही है कि बाबू खान ...मील, भूतपूर्व अध्यापक, पंचायत समिति ...सांगन के अध्यापक का स्थानान्तरण ...क्षा विभाग, अजमेर में हो जाने के पांच ...ह बाद तक "लास्ट। पे सर्टिफिकेट" जारी ...हीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

[2] क्या यह भी सही है कि उक्त ...थिक अभाव से पीड़ित होकर बाबू खान ...मील, पीसांगन के बाजार में भीख मांग ...र अपना एवं अपने परिवार का गुजारा ...र रहा है ?

[3] क्या सरकार उक्त घटना के संबंध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[4] क्या सरकार इस संबंध में दोषी अधिकारी को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

[1] जी हां। लिखे जाने के बावजूद भी श्री बाबू खान द्वारा पूर्ण चार्ज नहीं दिये जाने के कारण अन्तिम भुगतान प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया।

[2] इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

[3] श्री बाबू खान का अन्तिम भुगतान प्रमाण-पत्र दिनांक 9-3-84 को जारी किया जा चुका है।

[4] मामले की जांच कार्यवाही की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 550 की सूची

विभिन्न जिलाधीशों से भूतपूर्व सैनिकों के प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना

क्र. सं.	नाम जिला	कुल प्राप्ति आवेदन पत्रों की संख्या	जांच उपरान्त प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	बीकानेर	423	412
2.	श्रीगंगानगर	1280	747
3.	सीकर	1123	1117
4.	झुंझुनू	1972	1159
5.	बाड़मेर	61	43
6.	अलवर	909	–
7.	जयपुर	2020	–
8.	उदयपुर	16	14
9.	जालोर	8	–
10.	सवाई माधोपुर	389	–
11.	बांसवाड़ा	शून्य	–
12.	नागौर	755	280
13.	धौलपुर	6	–
14.	चितौड़गढ़	शून्य	–
15.	चूरू	1694	1364
16.	जैसलमेर	319	–
17.	डूंगरपुर	शून्य	–
18.	झालावाड़	शून्य	–
19.	पाली	32	–

2	3	4
बून्दी	7	–
अजमेर	139	–
सिरोही	7	–
भीलवाड़ा	सूचना प्राप्त नहीं	–
भरतपुर	90	72
जोधपुर	1035	42
कोटा	45	6
टोंक	सूचना प्राप्त नहीं	–
		5256

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 552 की सूची

मुख्य नहर की आर. डी. 1120 से 1190 तक लाइनिंग के कार्य का विवरण

क्रम	रीच	लम्बाई	कार्य का विवरण
1.	बुर्जी 1120 से 1130	10,000	ठेकेदार द्वारा
2.	बुर्जी 1130 से 1132	2,000	विभाग द्वारा
3.	बुर्जी 1132 से 1132.500	500	ठेकेदार द्वारा
4.	बुर्जी 1132.500 से 1135.500	2,500	ठेकेदार द्वारा
5.	बुर्जी 1135 से 1136.250	1,250	विभाग द्वारा
6.	बुर्जी 1136.250 से 1137.500	1,250	ठेकेदार द्वारा
7.	बुर्जी 1137.500 से 1150	12,500	,,
8.	बुर्जी 1150 से 1160	10,000	,,
9.	बुर्जी 1160 से 1161	1,000	विभाग द्वारा
10.	बुर्जी 1161 से 1175	14,000	ठेकेदार द्वारा
11.	बुर्जी 1175 से 1179	4,000	विभाग द्वारा
42.	बुर्जी 1179 से 1180	1,000	ठेकेदार द्वारा
43.	बुर्जी 1180 से 1190	20,000	विभाग द्वारा
44.	बुर्जी 1190 से 1200	10,000	ठेकेदार द्वारा

बुर्जी 1120 से 1190 कुल लम्बाई = 80,000 फीट

ठेकेदार द्वारा = 61,750 फीट

विभाग द्वारा = 18,250 फीट

80,000 फीट

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 556 की सूची

कार्यालय का नाम:– जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर
बाकीदारों की संख्या

क्र. सं.	नाम बाकीदार मय पिता का नाम, जाति एवं निवास	दुकान का नाम व किस्म दुकान देशी/विदेशी शराब डोडा पोस्त/भांग (मद जिसमें बकाया है)	बकाया का वर्ष	बकाया राशि का विवरण: भू-राजस्व के अन्तर्गत बकाया मूल राशि	ब्याज की राशि	स्थगन आदेश के बकाया: मूल राशि	ब्याज की राशि	विशेष विवरण	स्थगन आदेश व न्यायालय का नाम	जमानती का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अम्बालाल पुत्र उदेलाल कलाल, दातड़ा राठौड़ी का	शराब दुकान दातडा-राठौड़ी का	67-68	2735	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का
2.	आनन्दीलाल पुत्र नाथूलाल कलाल, करनवास	,, ,, करनवास	67-68	535	–	–	–	–	–	प्रावधान नहीं था
3.	ईश्वरलाल पुत्र तीरथलाल सिन्धी, शाहपुरा	,, ,, गुलाबपुरा व शाहपुरा	67-68	50137	–	–	–	–	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	उत्तमकुमार पुत्र डालचंद सुंवालेका, उदयपुर	शराब दुकान रामगंज	73-74	12921	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान
5.	उमरावसिंह पुत्र कजोड राजपूत, बावडी	,, ,, तसवारिया व बिसनीया	67-68	14011	–	–	–	–	–	नहीं था
6.	उम्मेदप्रकाश पुत्र भूरालाल कलाल, देवली	,, ,, ऊंचा	67-68	5510	–	–	–	–	–	,,
7.	उमरावसिंह पुत्र कजोड राजपूत, बावड़ी	,, ,, तसवारिया	68-69	—	–	4364	–	–	उच्च न्यायालय जोधपुर	,,
8.	उमरावसिंह पुत्र कजोड़ राजपूत बावड़ी	,, ,, तसवारिया	69-70	—	–	6995	–	–	,,	,,
9.	केसरीमल पुत्र नजगीराम टांक, बिजौलियां	,, ,, आरोली	67-68	19067	–	–	–	–	–	,,
10.	,,	,, ,, गुढ़ा	67-68	9304	–	–	–	–	–	,,
11.	किस्तूरचन्द पुत्र एकलिंग, खटीक, भीलवाड़ा	,, ,, आकोला	67-68	711	–	–	–	–	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	कमलसिंह पुत्र प्रतापसिंह, राजपूत, रूपाहेलाकलां	शराब दुकान रूपाहेला-कला	68-69	3964	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
13.	किशनचन्द पुत्र फोगमल, सिंधी अण्टाली	,, ,, अण्टाली	67-68	221	–	–	–	–	–	
14.	कुन्दनलाल पुत्र रामावतार, जयसवाल चतरपुरा	,, ,, ओजियाना	,, ,,	1469	–	–	–	–	–	,,
15.	कन्हैयालाल पुत्र धूलाजी, कलाल भादसी	,, ,, भादसी	70-71	6850	–	–	–	–	–	,,
16.	केशूलाल पुत्र सूरजलाल, टांक रायपुर	,, ,, महेन्द्रगढ़	62-63	8708	–	–	–	–	–	,,
17.	कल्याण पुत्र हीरालाल, कलाल घोड	,, ,, घोड	67-68	9522	–	–	–	–	–	,,
18.	कल्याण पुत्र किशना, कलाल बिलेठा	,, ,, बिलेठा	67-68	4176	–	–	–	–	–	,,
19.	केसरलाल पुत्र भोलू, रोपा, कल्याण	,, ,, रोपा	,,	3961	–	–	–	–	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	कल्याण पुत्र हीरा, कलालघोड़	शराब दुकान घोड़	68-69 69-70 व 71-72	3354	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
21.	गुलाब खां पुत्र मोहम्मद कासिम मुसलमान, ब्यावर	,, ,, गोविन्दगढ़	68·69	21974	–	–	–	–	–	,,
22.	– —–" "——–	,, ,, नागलाव	,, ,,	12709	–	–	–	–	–	,,
23.	गुदड़मल पुत्र नन्दा नाई, दादिया	शराब दुकान दादिया	65-66	2403	–	–	–	–	–	,,
24.	घीसूसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत काछोला	,, ,, माण्डलगढ़	67-68	7419			–	–	–	,,
25.	चुन्नीलाल पुत्र देवीलाल टांक, भीलवाड़ा	,, ,, भोपालगंज व धानमण्डी	67-68			153777	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
26.	चौथमल पुत्र सेवाराम सिंधी, गुलाबपुरा	,, ,, खामोर	,,	2448	–	–	–	–	–	,,
27.	चौथमल पुत्र सेवाराम सिंधी, गुलाबपुरा	,, ,, डाबला	,,	–	–	2753	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
28.	चुन्नीलाल पुत्र गणेशराम टांक, कालियास	,, ,, खारड़ा	,,	1262	–	–	–	–	–	,,

29.	चतुरभुज पुत्र नन्दा कलाल, कासीराम जी की खेड़ा	श. दु. कासीराम जी की खेड़ी	67-67 ,,	1679	–	–	–	–	–	इस वर्ष जमीन का प्रावधान नहीं था
30.	चतुरभुज पुत्र मांगीलाल ,, कलाल, बीसनीया	,, जांगोली	,,	2480	–	–	–	–	–	,,
31.	छोगालाल पुत्र मांगीलाल ,, कलाल, रायपुरा	,, रायपुरा	,,	847	–	–	–	–	–	,,
32.	जंवाहरसिंह पुत्र धर्नसिह ,, राजपूत, रामसर	,, सदारा	,,	964	–	–	–	–	–	,,
33.	श्रीमती जड़ावदेवी पत्नि ,, मोहनलाल टांक, आन्धीदेवरी	,, आन्धीदेवो	68-69	–	–	,,	2692	राजस्व मण्डल अजमेर		,,
34.	श्रीमती जड़ावदेवी पत्नि ,, मोहनलाल टांक आंधी देवरी	,, ,, ,,	67-68	–	–	–	1020	,,	–	,,
35.	जगन्नाथ ,,	,,	62-63	12	–	–	–	–	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	जगदीश प्रसाद पुत्र आईदान राव, अण्टाली	श. दु. अण्टाली	67-68	221	--	–	–	–	--	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
37.	जगदीश चन्द्र पुत्र शोनाथ कलाल, सांपोला	,, ,, सांपालो	,,	1389	--	–	–	–	–	,,
38.	तपाकीमल पुत्र मिर्चूमल सिन्धी, गुलाबपुरा	,, ,, टुकड़वाड़	68-69	–	–	4762	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
39.	तेजमल पुत्र देवीलाल कलाल, इटून्डा	,, ,, इटूण्डा	67-68	600	–	–	–	–	–	,,
40.	तेजमल पुत्र किस्तुरचन्द कलाल, माडोली	,, ,, माडोली	67-68	5526	–	–	–	–	–	,,
41.	दयालदास पुत्र बच्चूमल सिंधी, अजमेर	शराब दुकान भावता	65-66	9083	–	–	–	–	–	,,
42.	दुर्गालाल पुत्र देवीलाल जोगी, श्रीनगर	,, मेवाड़ीगेट	67–68	75656	–	–	–	–	–	,,
43.	दाममल पुत्र [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

44.	देवीकिशन पुत्र नन्दा खटीक, भीलवाड़ा	श. दु.	कोटूकोटा	67–68	223	–	–	–	–	–	इस वर्ण जामिन का प्रावधान नहीं था
45.	दलीचन्द पुत्र गंगाकिशन टांक, भगवानपुरा	,,	बदनोर	67–68	14024	–	–	–	–	–	,,
46.	,, ,, ,,	,,	भगवानपुरा	67–68	4266	–	–	–	–	–	,,
47.	दशयार्वसिंह पुत्र भूरसिंह, राजपूत कटार	,,	कटार	67–68	233	–	–	–	–	–	,,
48.	देवीलाल पुत्र भुवाना, कलाल भुवाना	,,	पीपलून्द,	67–68	–	–	5096	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
49.	धनराज पुत्र नारायण, चौवरी, बोहेड़ा	,,	बनेडा व वरांना लोडा	69–70	21827	–		–	–	–	,,
50.	नन्दकिशोर पुत्र स्वरूपचन्द, कलाल नगर	,,	महुआ व नगर-वरंन फलाई	67–68	2684	–	–	–	–	–	,,
51.	,, ,, ,,	,,	नगर	67–68	11282	–	–	–	–	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	नन्दा पुत्र प्रताप गूजर, बरून्दनी	श. दु. बरून्दनी	67–68	2378	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था।
53.	नाथूलाल पुत्र राजूजी, कलाल देवपुरी	,, देवपुरी	67–68	–	–	4203	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
54.	नानालाल पुत्र गंधीलाल कलाल फतहपुर	,, फतहपुर	67–68	1948	–	–	–	–	–	,,
55.	नारायण पुत्र भैरू, टांक जहाजपुर	,, पण्डेर	67–68	–	–	10632	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
56.	परसराम मेसर्स इन्डस्ट्रीज, अजमेर	,, विकृत प्रासव ड्यूटी	71–72	–	–	5581	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
57.	पन्नालाल पुत्र गोरीलाल शंगार, पारोल	,, सुपड़ा	67–68	2300	–	–	–	–	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	प्यारेचन्द पुत्र कालू-राम खटीक भीलवाड़ा	शराब दुकान कोडकोडा	67-68	223	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्राव-धान नहीं था
60.	प्रताप पुत्र जवारा, कलाल लाम्बा ,,	,, लाम्बा	,,	444	–	–	–	–	–	,,
61.	पन्नालाल पुत्र मगनी-राम कलाल, गिरडिया ,,	,, ललासचला-णिया व गिरिडिया	,,	3766	–	–	–	–	–	,,
62.	प्याराचन्द पुत्र लक्ष्मी-चन्द टांक राजाजी ,,	,, करेड़ा	,,	—	–	4806	–	उच्च न्याया. जोधपुर	– –	,, ,,
63.	पृथ्वीराज पुत्र हीरा-लाल कलाल, शम्भुगढ़ ,,	,, शम्भुगढ़ व जयनगर	,,	2737	–	–	–	–	–	,,
64.	श्रीमति पुष्पा पत्नी मोहनलाल कलाल, शंकरगढ़ ,,	,, शंकरगढ़	,,	14787	–	–	–	–	–	,,
65.	फूलचन्द पुत्र हीरालाल टांक, नसीराबाद ,,	,, नसीराबाद	,,	–	–	94721	–	विभागीय कमेटी के पास	–	,,
66.	,, ,,	,, ,, ,,	,,	–	–	45311	–	–	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	श्रीमती बालीबाई पत्नी दशरथ टांक, राजगढ़	शराब दुकान राजियावास	67-68	938	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
68.	बिहारीलाल पुत्र रामचन्द्र टांक, सूरजपुरा	,, ,, सूरजपुरा	67-68	–	–	10768	–	उच्च न्याया. जयपुर	–	,,
69.	श्रीमती बालीबाई पत्नी दशरथ टांक	,, ,, राजियावास	68-69	10862	–	–	–	–	–	,,
70.	बंशीलाल पुत्र एकलिंग खटीक, दीगोद	,, ,, बड़लियास	67-68	989	–	–	–	–	–	,,
71.	बरदीलाल पुत्र काशीराम कलाल, साहड़ा	,, ,, साहड़ा	67-68	1201	–	–	–	–	–	,,
72.	बंशीलाल पुत्र भोजराज टांक, डाबला	,, ,, आरोली	70-71	9334	–	–	–	–	–	,,
73.	केहूमल पुत्र खेमचन्द कलाल, भजेड़ा	,, ,, गजेड़ा	67-68	2800	–	–	–	–	–	,,
74.	बाबूलाल पुत्र गजाधर कलाल, अगूचा	,, ,, अगूचा	67-68	–	–	5800	–	उच्च न्याया. जयपुर	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	बंशीधर पुत्र नेमीचन्द जेसवाल, बदनोर	शराब दुकान जासोली	67-68	1140	–	–	–	–	–	इस 'वर्ष जामिन का प्राव धान नहीं था
76.	बंशीलाल पुत्र गंगा-बिशन टांक, धूवाल	,, ,, धूवाल	68-69	3903	–	–	–	–		
77.	भीमसिंह पुत्र मालमसिंह राजपूत, अजमेर	,, ,, किशन-गढ़ नं. 1	67–68	–	–	20740	–	उच्च न्याया. जयपुर	– – –	,, ,,
78.	,, ,,	,, ,, किशन-गढ़ नं. 2	,,	–	–	8062	–	,,	–	,,
79.	,, ,,	,, ,, मदनगंज नं. 1	,,	–	–	104756	–	,,	–	,,
80.	,, ,,	,, ,, मदनगंज नं. 2	,,	–	–	46232	–	,,	–	,,
81.	भंवरलाल पुत्र सुरजाराम, टांक बरन	,, ,, दाढ़िया		2402	–	–	–	,,	–	,,
82.	भंवरलाल पुत्र मोतीलाल टांक, भीलवाड़ा	,, ,, धूल्खेडा	,,	–	–	3762	–	एम. जे एम. भीलवाड़ा,		,,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
83.	भंवर लाल पुत्र मोती लाल टांक, भीलवाड़ा	शराब दुकान	भोपालगंज, गुड मंडी व धानमण्डी	67-68	–		153787	–	उच्च न्याया. जोधपुर	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
84.	भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा, काछोला	,,	,, माण्डलगढ़	,,	7419	–	–	–	–	–	,,
85.	भोपालसिंह पुत्र केसरीसिंह राजपूत, धनोप	,,	,, धनोप	67-68	5619	–	–	–	–	–	,,
86.	भूरालाल पुत्र बिरधीचन्द कलाल टूकडवाड	,,	,, टूकडवाड	,,	3654	–	–	–	–	–	,,
87.	भीमसिंह पुत्र चतरसिंह, राजपूत, चलाणिया	,,	,, ललास चलाणिया व गिरडिया	,,	3766	–	...	–	–	–	,,
88.	भागीरथ पुत्र मोतीलाल जेसवाल, निम्बाहेड़ा	,,	,, करजलिया	,,	623	–	–	–	–	–	,,
89.	भंवरलाल पुत्र डालचन्द, मेवाड़ा, लुहारिया	,,	,, लुहारिया	78-79	1600	–		–	–		,,

90.	भूरालाल पुत्र गडद्दूजी, नायक, आमली	शराब	दु. आमली	70-71	3505	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
91.	भवानी शंकर पुत्र रामनाथ मीणा, मोरला	,,	,, कुचलावाड कल्ला	67-68	700	–	–	–	–	–	
92.	मोहनदास पुत्र मंघाराम सिंधी, अजमेर	,,	,, विकृतप्रासव-ड्यूटी	63-64	–	–	7862	उच्च न्याया. जयपुर			,,
93.	मदनलाल पुत्र किशनलाल ब्राह्मण, श्रीनगर	,,	,, सूरजपोल	67-68	104554	–	–	–	–	–	,,
94.	मिचूंमल पुत्र मंघाराम सिंधी, विजयनगर	,,	,, विजयनगर	67-68	–	–	22760	–	उच्च न्याया.	–	,,
95.	मदनलाल किशनलाल ब्राह्मण, श्रीनगर	,,	,, सूरजपोल	68-69	404846	–	–	–	जयपुर	–	,,
96.	मिचूंमल पुत्र मेघाराम सिन्धी, विजयनगर	,,	,, विजयनगर	,,	–	–	44763	–	उच्च न्याय. जयपुर	–	,,
97.	मिचूंमल पुत्र मेघाराम सिन्धी, विजयनगर	,,	,, बडली देवलिया सिखरानी	,,	–	–	7620	–	–	–	,,

297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	मदनलाल पुत्र किशनलाल ब्राह्मण, श्रीनगर	शराब दुकान सूरजपोल	69-70	58094	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
99.	मोहम्मद हनीफ पुत्र गुलशन मुसलमान, अलीगढ़	,, ,, बनेठा	67-68	4892	–	–	–	–	–	,,
100.	मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल कलाल	,, ,, उनियारा	,,	8191	–	–	–	–	–	,,
101.	मांगीलाल पुत्र घीसालाल, कलाल, पालडी	,, ,, छान	,,	–	–	8530	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
102.	मदनलाल पुत्र पुखराज टांक, भीलवाड़ा	,, ,, सलावरिया	,,	–	–	14995	–	एम. जे. एम. कोर्ट भीलवाड़ा		,,
103.	मूलचन्द पुत्र रूपालाल कलाल, तसवाडिया	,, ,, गणेशपुरा	,,	2043	–	–	–	–	–	,,
104.	मोतीलाल पुत्र देवीलाल टांक, भीलवाड़ा	,, ,, गुलमण्डी व धान मण्डी	,,	–	–	153787	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
105.	मदनलाल पुत्र पखराज	,, ,, सतावरिया	69-70	–	–	500	–	एम. जे. एम. कोर्ट		,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	मोहनलाल पुत्र चौथमल टांक, आरोली	श. दु. बिजोलिया	67-68	18209	—	—	—	—	—	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
107.	मोहनलाल पुत्र हजारी कलाल, जलेन्द्री	,, ,, जलेन्द्री	,,	—	—	2578	—		उच्च न्यायालय जोधपुर	,,
108.	मिश्रीलाल पुत्र रामचन्द्र कलाल, रासेड़	,, ,, रासेड़	,,	4139	—	—	—	—	—	,,
109.	मूलसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत, सिगोली	,, ,, सिगोली	,,	1487	—	—	—	—	—	,,
110.	मोहनलाल पुत्र चौथमल टांक	,, ,, आरोली	68-69	12513	—	—	—	—	—	,,
111.	मोहनलाल पुत्र चौथमल टांक	,, ,, बिजोलिया	,,	17478	—	—	—	—	—	,,
112.	मोतीराम पुत्र ताराचन्द सिन्धी, शाहपुरा	,, ,, शाहपुरा व गुलाबपुरा	67-68	50137	—	—	—	—	—	,,

299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	मोतीराम पुत्र ताराचन्द सिंधी, शाहपुरा	शराब दुकान ,, ,, तसवारिया फुलिया-खुर्द व अन्य	67-68	–	–	27600	–	उच्च न्याया. जोधपुर	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
114.	मोहनलाल पुत्र चतुर्भुज कलाल, मांडल	,, ,, मांडल	67-68	6129	–	–	–	–	–	,,
115.	मांगीलाल पुत्र लक्ष्मीचंद टांक, राजाजी का खेड़ा	,, ,, करेड़ा	,,	–	–	4806	–	उच्च न्याया. जोधपुर	–	,,
116.	मांगीलाल पुत्र धुला कलाल, गांगलास	,, ,, गांगलास	,,	377	–	–	–	–	–	,,
117.	मांगीलाल पुत्र मोहनलाल कलाल	,, ,, बावलास	,,	720	–	–	–	–	–	,,
118.	मोहनलाल पुत्र भागीरथ खटीक, लाखोला	,, ,, लाखोला	,,	2100	–	–	–	–	–	,,
119.	मोहनलाल पुत्र गोर्धन कलाल, उजेला	,, ,, उलेला	,,	2577	–	–	–	–	–	,,

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
121.	मोहनलाल पुत्र भूरालाल, सुवालका	शराब दुकान		पण्डेर जामोली व चारणों का सिरसिया	69-70	15510	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था।
122.	मोहनलाल पुत्र गोवर्धन कलाल, उलेला	,,	,,	उलेला	70-71	5700	–	–	–	–	–	,,
123.	रूपचन्द पुत्र रेवाचन्द, सिंधी, पाली	,,	,,	नागेलाव	67-68	6801	–	–	–	–	–	,,
124.	रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ टांक, पिछोलिया	,,	,,	किशनगढ़ नं. 1	,, ,,	–	–	20740	–	उच्च न्याया. जयपुर	–	,,
125.	,, ,,	,,	,,	नं. 2	,,	–	–	8025	–	,,	–	,,
126.	,, ,,	,,	,,	नं. 1	,,	–	–	104756	–	,,	–	,,
127.	,, ,,	,,	,,	नं. 2	,,	–	–	46232	–	,,	–	,,
128.	रामनारायण पुत्र कन्हैया लाल टांक, बान्दर सिंधरी	,,	,,	बान्दर सिंधरी	,,	10735	–	–	–	,,	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	रूपनारायण पत्र भुरा-लाल श्रीमाल, निवाई	शराब दुकान निवाई	67-68	–	–	14866	–	उच्च न्याया. जोधपुर	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
130.	रामस्वरूप पुत्र कल्याण कलाल, अलीगढ़	,, , अलीगढ़	,,	4244	–	–	–	–	–	,,
131.	रामस्वरूप पुत्र कल्याण, कलाल, अलीगढ़	, ,, बनेठा	,,	4892	–	–	–	–	–	,,
132.	रामनारायण पुत्र दुर्गा-लाल गुप्ता इन्द्रगढ़	,, ,, खातौली	68-69	1572	–	–	–	–	–	,,
133.	रामस्वरूप पुत्र कल्याण अलीगढ़	,, , सूथड़ा	72-73	4204	–	–	–	–	–	,,
134.	राजेन्द्र लाल पुत्र कन्है-यालाल, जयसवाल भीलवाड़ा	,, ,, सुराज व माण्ड-लगढ़ ग्रुप	67-68	2279	–	–	–	–	–	,,
135.	रतनलाल पुत्र हरि-राम कलाल, पारोली	,, ,, काछोला, व पारोली	67-68	–	–	10127	–	उच्च न्यायालय जोधपुर	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	रतनलाल पुत्र सुन्दर शराब लाल जयसवाल, कपासन	दुकान सिगोली	68-69	1550	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
137.	रतनलाल पुत्र भूरा- ,, लाल सुवालका, बड़ीपुलिया	,, बड़ीपुलिया	67-68	7544	–	–	–	–	–	,,
138.	रामस्वरूप पुत्र गिर- ,, धारीलाल, जयसवाल	,, कोटड़ा	67-68	635	–	–	–	–	–	,,
139.	रामस्वरूप पुत्र सीता- ,, राम जयसवाल, बदनोर	,, मेगर	67-68	949	–	–	–	–	–	,,
140.	रामलाल पुत्र भावू ,, लाल कलाल, लेसवा	,, लेसवा	67-68	2019	–	–	–	–	–	,,
141.	रामप्रसाद पुत्र नाना- ,, लाल कलाल, इटूण्डा	,, इटूण्डा	67-68	600	–	–	–	–	–	,,
142.	रामावतार पुत्र दुर्गा- ,, लाल कलाल, इटूण्डा	,, इटूण्डा	67-68	600	–	–	–	–	–	,,
143.	रामदयाल पुत्र मगना ,, खटीक, जहाजपुर	,, चारणों का सरसिया	,,	2019	–	–	–	–	–	,,

303

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
144.	लक्ष्मीचन्द पुत्र गोकुल कलाल, जयसिंगपुरा	शराब दुकान केकड़ी	67-68	27090	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
145.	,,	,, ,, अजगरा	67-68	2291	–	–	–	–	–	,,
146.	लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ खटीक, महुआ	,, ,, साकंना	67-68	–	–	1791	–	उच्च न्याया., जोधपुर	–	,,
147.	लल्लूराम पुत्र औंकार-लाल कलाल, उनियारा	,, ,, बनेठा	67-68	4892	–	–	–	–	–	,,
148.	लालचन्द पुत्र छोगालाल, सुवालका धोड़ास	श. दु. नगर	67–68	1008	–	–	–	–	–	,,
149.	लोभचन्द पुत्र भैरूलाल, जयसवाल, पाटन	,, चतरपुरा	,,	963	–	–	–	–	–	,,
150.	लादूराम पुत्र गणेश टांक, केरिया	,, केरिया	,,	2069	–	–	–	–	–	,,
151.	लाभचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण टांक, जहाजपुरा	,, पण्डेर	,,	–	–	10632	–		उच्च न्यायालय जोधपुर	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	शम्भूनाथ पुत्र श्रवणनाथ, नाथ, पुष्कर	श. दु. चागगेट	67–68	129760	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था।
153.	सन्तोष चन्द पुत्र रामचन्द्र नसीराबाद	,, नसीराबाद	,,	–	–	94721	–	विभागीय कमेटी के पास		,,
154.	,, ,, ,,	,, ,,	,,	–	–	4531	–	–	–	,,
155.	सत्यनारायण पुत्र जगदीश टांक, किशनगढ़	,, किशनगढ़ नं 1	,,	–	–	20740	–	उच्च न्यायालय जयपुर		,,
156.	,, ,, ,,	,, ,, नं 2	,,	–	–	8025	–	–	–	,,
157.	,, ,, ,,	,, मदनगंज नं.1	,,	–	–	104756	–	–	–	,,
158.	,, ,, ,,	,, ,, नं. 2	,,	–	–	46232	–	–	–	,,
159.	शम्भूनाथ पुत्र भैरूनाथ, नाथ, पुष्कर	,, चागगेट	68–69	110955	–	–	–	–	–	,,
160.	,, ,, ,,	,, ,,	69–70	78032	–	–	–	–	–	,,
161.	सेवाराम पुत्र गेहीमल, सिंधी नीवाई	,, नटवाड़ा	67–68	1532	–		–		–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	श्रवण पुत्र सायर, कंजर, मण्डावरा	श. दु. मुथड़ा	67–68	2300	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था।
163.	शंकरलाल पुत्र अमरचन्द टांक, टोंक	,, पीपलू	67–68	–	–	8590	–	स्थगन आदेश		,,
164.	सीताराम पुत्र मदनलाल देरोगा, डिग्गी	,, नगर	71–72	–	–	–	3295	उप जिलाधीश मालपुरा		,,
165,	सुरज्या पुत्र रामा बलाई, देवलीया	,, बरूदनी	67–68	2378	–	–	–	–	–	,,
166.	सत्यपाल पुत्र तुलसीराम चौधरी, शाहपुरा	,, सागरिया	67–68	5614	–		–	–	–	,,
167.	सोहनलाल पुत्र हीरालाल कलाल, बंडला	,, भीमलाव खेजडी व मुशयला	67–68	3897	–		–			,,
168.	सुरजमल पुत्र भूरालाल कलाल, राता कोट	,, ,,	67–68	3897	–		–			,,

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.	सोहनलाल पुत्र राजू कलाल, देवपुरी	श. दु.	आमली	67–68	–	–	3523	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		इस वर्ष जामिन का प्राव-
170.	सत्यपाल पुत्र तुलसीराम चौधरी, शाहपुरा	,,	सांगरिया	68–69	3674	–	–	–	–	–	धान नहीं था
171.	संग्रामसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत, भूणास	,,	गांगलास	63–64	390	–	–	–	–	–	,,
172.	सूरजमल पुत्र भूरसिंह रावत, चतरपुरा	,,	ओझियाना	67–68	1469	–	–	–	–	–	,,
173.	सोहनलाल पुत्र हीरालाल कलाल, शम्भूगढ़	,,	शंभूगढ़ व यज नगर	67 68	2736	–	–	–	–	–	,,
174.	शोभालाल पुत्र दौलतराम जयसवाल, बागोर	,,	टक्का दादिया	67–68	1000	–	–	–	–	–	,,
175.	,, ,, ,,	,,	दागीर	67–68	10214	–	–	–	–	–	,,
176.	शिवदानसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत, भादू	,,	भादू	70–71	–	–	9623	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	शम्भूसिंह पुत्र शक्तिसिंह राजपूत, अमरगढ़	ग्रा. दु. अमरगढ़ व कुराडिया	67–68	9087	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्राव-धान नहीं था
178.	सितारा‌म पुत्र भूरा कलाल, पीपलून्द	,, पीपलून्द	67–68	1096	–	–	–	–	–	,,
179.	शम्भूसिंह पुत्र शक्तिसिंह राजपूत, अमरगढ़	,, अमरगढ़	69–70	1064	–	–	–	–	–	,,
180.	हीरानन्द पुत्र घनश्यामदास सिंधी, अजमेर	,, विकृत प्रासव डयूटी	63–64	–	–	9600	–	उच्च न्यायालय जयपुर		,,
181.	हीरालाल पुत्र हजारीलाल टांक, ब्यावर	मेवाडीगेट	67-68	75656	–	–	–	–	–	,,
182.	——" ,,——	,, ,,	60-70	4156	–	–	–	–	–	,,
183.	हीरानन्द पुत्र घनश्यामदास सिन्धी, अजमेर	विकृत प्रासव डयूटी	71-72	–	–	35080	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
184.	हीरा पुत्र रामा बलाई, सिंगोली	,, सिंगोली	67-68	1487	–	–	–	–	–	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	हनुमानसिंह पुत्र जयसिंह परिहार, शाहपुरा	विकृत प्रासव ड्यूटी सांगरिया	73-74	10730	–	–	–	–	–	इस वर्ष जामिन का प्रावधान नहीं था
186.	हरिसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत, बहादुरपुर	,, पालडी	68-69	1555	–	–	–	–	–	,,
187.	हेमराज पुत्र भूरालाल कलाल, मसूदा	,, उंचा	67-68	–	–	5510	–	राजस्व मण्डल अजमेर		,,
188.	हजारी पुत्र धुलीराम कलाल, माईला सरसरिया	,, माईला सरसरिया	67-68	2200	–	–	–	–	–	,,
189.	हनुमान पुत्र लाभचन्द टांक राजपूत	,, जहाजपुर	67-68	–	–	22213	–	उच्च न्यायालय जोधपुर		,,
190.	त्रिलोकचन्द पुत्र गजानन्द कलाल	,, उनियारा	67-68	8119	–	–	–	–	–	,,
191.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री	,, अजमेर	81-82	–	–	1688534.36	–	स्थगन रेवेन्यू	1. श्री बाबूलाल	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भवरलाल एण्ड पार्टी, अजमेर शहर ग्रुप									बोर्ड, अजमेर पुत्र श्री जगन्नाथ ब्राह्मण गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर (जयपुर) 2. श्री मोहम्मद पटेल पुत्र श्री जहीर खां निवासी, निम्बाहेड़ा 3. श्री ओमप्रकाश पुत्र भगवान पूनिया (जाट) स्टेशन रोड, 4-डी, विला, जयपुर 4. राजकुमार पुत्र त्रिलोकचन्द 4- क, 227, जवाहर नगर जयपुर ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										5. नन्दकिशोर पुत्र किशनचन्द 305, टिक्की वालों का रास्ता, जयपुर ।
										6. श्री भीकमचन्द पुत्र श्री चिमनीराम घासमण्डी जोधपुर
										7. श्री इन्द्रलाल शर्मा एडवोकेट जालोर ।
										8. जगदीश प्रसाद पुत्र शंकरलाल टांक गंज अजमेर ।
192.	श्री गोपालसिंह एण्ड पार्टी नसीराबाद	विकृत प्रासव ड्यूटी नसीराबाद नं. 2	81-82	–	–	259744.28	–	स्थगन रेवेन्यू बोर्ड अजमेर	–	श्री दिलीप कुमार पुत्र हीरालाल टांक निवासी पर्लसानिया रोड नसीराबाद

311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	श्री सत्यनारायण मांगीलाल	वि. म. दु. बनेठा	–	588.72	–	–	–	–	–	श्री सुखदेव पुत्र घासी जाति गैरवा निवासी फुलेता टौंक
194.	,, ,,	,, सूथड़ा	–	5166.60	–	–	–	–	–	,, ,,
195.	अम्बालाल पुत्र चुन्नीलाल गूजर नि. बून्दी, जहाजपुर	,, जहाजपुर	,,	1280.00	–	–	–	–	–	श्री रामप्रसाद पुत्र लादूराम निवासी जहाजपुरा, जिला भीलवाड़ा
196.	श्री टोपनदास एण्ड पार्टी अजमेर	वि. म दु. अजमेर	82.83	15770.18	–	–	–	–	–	श्री किशनचन्द पुत्र श्री चणामल, जाति सिंधी, देहली गेट के अन्दर, अजमेर।
197.	श्री अशोक कुमार पुत्र भगवान दास एण्ड पार्टी अजमेर	वि. म. दु. खुदरा अजमेर	82-83	45872.49	–	–	–	–	–	श्री टोपनदास पुत्र चणामल, जाति सिंधी, देहली गेट के अन्दर, अजमेर
198.	श्री हीरालाल एण्ड पार्टी	वि. म. दु.	,,	18831.85	–	–	–	–	–	श्री विष्णुमल पुत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		भीलवाड़ा नं. 1								भोजूमल, गांधीनगर, भीलवाड़ा
199.	श्री हीरालाल एण्ड पार्टी	वि. म. दु भीलवाड़ा नं. 2	82-83	22948.09	–	–	–	–	–	,, ,,
200.	श्री विजय कुमार सुवाणा	,, सुवाणा	,,	5025.05	–	–	–	–	–	श्री तुलसीदास पुत्र नारायणदास सिंधी, प्रताप होटल, भीलवाडा
201.	श्री लक्ष्मीचन्द माण्डल	,, माण्डल	,,	5175.61	–	–	–	–	–	,, ,,
202.	श्री उधवदास पुत्र रिज्जूमल सिंधी, टौंक	,, टौंक नं. 1	,,	29956.04	–	–	–	–	–	श्री सोहनलाल पुत्र अमरचन्द कलाल पुराना टौंक संघपुरा टौंक
203.	,, ,,	,, टौंक नं. 2	,,	459.75	–	–	–	–	–	श्री चूहडमल पुत्र श्री भैरूमल जाति सिंधी मंदिर सिंधी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										यान गली, काफला टोंक
204.	श्री उधवदास पुत्र रिज्जूमल सिंधी टोंक	वि. म. दु. निवाई नं 1	82-83	9261.82 –	–	–	–	–		,, ,,
205.	श्री पहूराम पुत्र श्री नाथूमल सिंधी	,, निवाई नं 2	,,	8807.59 –	–	–	–	–		श्री सोहनलाल पुत्र श्री अमरचंद कलाल पुराना टोंक संघपुरा टोंक
206.	श्री तोलाराम अशोक कुमार एण्ड पार्टी नसीराबाद ग्रुप	,, नसीराबाद	,,	16798.47 –	–	–	–	–		1. श्री दामोदर प्रसाद सुवालका पुत्र श्री भूरालाल देवली सिटी 2. श्री ओमप्रकाश पुत्र छोटूजी शर्मा वान्दनवाड़ा, अजमेर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										मोडा गुर्जर पीपलांज (अजमेर)
207.	श्री लालचन्द पुत्र बुलचन्द सिंधी, शाहपुरा	वि. म. दु. शाहपुरा	82-83	24789,38	–	–	–	–	–	छतामल पुत्र तीर्थदास सिंधी, शाहपुरा
208.	श्री गोपाल एण्ड पार्टी बघेरा केकडी	दे. म. दु. बघेरा ग्रुप	,,	6072.32	–	–	–	–	–	1. श्री छगनलाल पुत्र धन्नालाल कलाल निवासी खोरिया, तहसील सरवाडा जिला अजमेर 2. श्री नाथूलाल पुत्र श्री घासीलाल कलाल नि. बड़गांव, तहसील केकडी, जिला अजमेर 3. श्री कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल कलाल

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
										नि. अराई, त. किशन-गढ़, अजमेर ।
209.	जगदीशलाल एण्ड पार्टी सावर, तहसील केकड़ी	दे. म. दु, सावर	,,	14653.32	–	–	–	–	–	श्री रतनलाल पुत्र महादेव जाति मीणा, नि. दूदावास तहसील देवली, जिला टोंक
210.	तख्तसिंह पुत्र मूलसिंह धून्धरी	,, धून्धरी	,,	13515.20	–	–	–	–	–	श्री महेन्द्रकुमार पुत्र भंवरलाल निवासी रोहट, जिला पाली
211.	केसरा पुत्र छोटूमीणा एण्ड पार्टी, निवासी सतूर, बून्दी	,, जहाजपुर	,,	48780.34	–	–	–	–	–	श्री प्रेमराज पुत्र लादूराम टांक, निवासी जहाजपुर
212.	राजमल पुत्र रामलाल कलाल एण्ड पार्टी, नि. देवगढ़	,, बदनौरग्रुप	,,	40060.00	–	–	–	–	–	श्री रतनलाल पुत्र नन्दलाल कलाल, निवासी देवगढ़, जिला उदयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.	लालचन्द पुत्र बुलचन्द सिंघी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा	दे. म. दु. शाहपुरा	82-83	4101.00	–	–	–	–	–	श्री ज्ञानचन्द पुत्र श्री बूलचन्द सिंघी, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 558 की सूची

अजमेर नगर की देशी मदिरा के लाईसेन्सधारी (श्री शंकरलाल एण्ड पार्टी) से प्राप्त जमानत का विवरण वर्ष 1983—84

क्र. सं.	जमानती का नाम व पता	उनके द्वारा दी गई जमानत की राशि
1.	श्री मिसरीखां पुत्र भूरेखां जाति मुसलमान निवासी मोची मोहल्ला सूरतगढ़, उम्र 40 वर्ष, पेशा व्यापार	1,25,000
2.	श्री नन्नेखां पुत्र मेहमूद खां जाति मुसलमान, निवासी रेलवे स्टेशन के पास सूरतगढ़, उम्र 50 वर्ष, पेशा व्यापार	1,50,000
3.	श्री हबीब खां पुत्र सुल्तानखां जाति मुसलमान निवासी नई आबादी सूरतगढ़, उम्र 48 वर्ष, पेशा व्यापार	1,00,000
4.	श्री भानूकुमार पुत्र मोडाराम जाति कलाल, निवासी चिवांची गेट के अन्दर, रावतों का बास, जोधपुर उम्र 25 वर्ष, व्यवसाय व्यापार	1,50,000
5.	श्री सत्यनारायण पुत्र लालचन्द जाति कलाल, निवासी चिवांची गेट के अन्दर, रावतों का बास, जोधपुर उम्र 27 वर्ष, पेशा व्यापार	2,00,000
6.	श्री जयसिंह पुत्र भंवरलाल जाति कलाल, निवासी रातानाड़ा, जोधपुर मूल ग्राम रोहट जिला पाली उम्र 32 वर्ष, पेशा व्यापार	6,00,000

1	2	3
7.	श्री झांगीराम पुत्र रूपचन्द जाति सिन्धी, निवासी 4 जनता कालोनी जयपुर, आयु 45 वर्ष, व्यवसाय व्यापार	2,17,110
		15, 42, 110/—

अजमेर नगर की विदेशी मदिरा के लाईसेन्सधारी से प्राप्त जमानत का विवरण वर्ष 1983—84

अजमेर नगर थोक दुकान:– (अनुज्ञापत्रधारी का नाम-रामेश्वरलाल एण्ड पार्टी)

क्र. सं.	जमानती का नाम व पता	उनके द्वारा दी गई जमानत की राशि
1.	श्री लेखराज पुत्र लालचन्द जाति कलाल, निवासी रावतों का बास जोधपुर, उम्र 36 वर्ष, पेशा व्यापार	81,000

अजमेर नगर खुदरा दुकान:– (अनुज्ञापत्रधारी का नाम-अश्वनी कुमार एण्ड पार्टी)

क्र. सं.	जमानती का नाम व पता	उनके द्वारा दी गई जमानत की राशि
1.	श्री दिलीपकुमार तामड़ा पुत्र श्री बालाबक्ष जाति टांक निवासी भजनगंज अजमेर, उम्र 46 वर्ष, पेशा सिनेमा	3,00,000
2.	श्री भीकमचन्द पुत्र चिसनीराम जाति कलाल, निवासी घासमण्डी, जोधपुर उम्र 40 वर्ष, व्यवसाय खेती	6,00,000

1	2	3
3.	श्री मंधाराम पुत्र श्री रेवाचन्द जाति सिन्धी, निवासी लोहागलरोड, अजमेर, उम्र 40 वर्ष, व्यवसाय भवन निर्माण के ठेकेदार	60,000
4.	श्री मंधाराम पुत्र श्री झमटमल जाति सिंधी, निवासी लोहागलरोड, अजमेर, उम्र 36 साल, मैनेजर, प्लाजा सिनेमा, अजमेर	60,000
5.	श्री खुशालदास पुत्र चेलाराम जाति सिंधी निवासी लोहागलरोड, अजमेर मूल निवासी खारी कुई, अजमेर, उम्र 48 वर्ष, व्यवसाय बस आपरेटर	60,000
6.	श्री गिरराज पुत्र बंशीधर मित्तल, निवासी सदर बाजार नसीराबाद, उम्र 46 वर्ष, व्यवसाय व्यापार	42,230
		11,22,230

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 559 का विवरण

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि.,
जनजाति विकास भवन, प्रतापनगर, उदयपुर

वाणिज्य बैंक से विभेदी ब्याज पर ऋण प्राप्त वितरण

..ीय कार्यालय	राशि	तहसील	1980-81	1981-82	1982-83
2	3	4	5	6	7
बांसवाड़ा	6 लाख	बांसवाड़ा	—	25000	—
		गढ़ी	—	50000	—
		घाटोल	—	75000	—
		बागीदोरा	—	85000	—
		कुशलगढ़	—	80000	—
		योग :—	—	315000	—
उदयपुर (पूर्व)	6.50 लाख	गिर्वा	14000	126000	—
		झाड़ोल	4300	125000	59130
उदयपुर (पश्चिम)	6.50 लाख	सलुम्बर	25000	145000	—
		खैरवाड़ा	22000	—	—
		धरियावद	25000	90000	—
		सराड़ा	—	—	—
		कोटड़ा	40000	17980	67790
		योग :—	170300	503980	126920
		प्रतापगढ़	30000	60000	—
		आबूरोड	—	40000	6000
		योग :—	30000	100000	6000

1	2	3	4	5	6	7
3.	डूंगरपुर	3.50 लाख	डूंगरपुर	—	—	—
			आसपुर	—	—	-
			सागवाड़ा	—	—	—
			सीमलवाड़ा	—	—	—
4.	बारां	2 लाख	बारां	—	—	—
			शाहबाद	—	--	—

ह./–
प्रबन्ध निदेशक,
राजस. संघ लि., उदयपुर

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 561 की सूची

चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हरिजन बस्तियों की सूची जहां पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति एवं नगरपालिका क्षेत्र	संख्या हरिजन बस्ती
1.	पंचायत समिति प्रतापगढ़	39
2.	,, ,, अरनोद	7
3.	,, ,, बेगूं	12
4.	,, ,, भैंसरोडगढ़	37
5.	,, ,, बड़ी सादड़ी	3
6.	,, ,, राशमी	19
7.	,, ,, कपासन	100
8.	,, ,, भूपालसागर	39
9.	,, ,, निम्बाहेड़ा	91
10.	,, ,, डूंगला	49
11.	,, ,, भदेसर	57
12.	,, ,, छोटीसादड़ी	112
13.	,, ,, चित्तौड़गढ़	109
	नगरपालिका क्षेत्र	—
1.	नगरपालिका निम्बाहेड़ा	1
2.	,, प्रतापगढ़	1
3.	,, बड़ी सादड़ी	2
4.	,, बेगूं	3
5.	,, कपासन	8
6.	,, चित्तौड़गढ़	—
7.	,, छोटी सादड़ी	—
	योग	687

चितौड़गढ़ जिले में स्थित हरिजन बस्तियों की सूची जहां पर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति व नगरपालिका क्षेत्र	संख्या हरिजन बस्ती
1	पंचायत समिति प्रतापगढ़	17
2	,, ,, अरनोद	6
3	,, ,, बेगू	31
4	,, ,, भैंसरोडगढ़	37
5	,, ,, बड़ी सादड़ी	–
6	,, ,, राशमी	40
7	,, ,, कपासन	99
8	,, ,, भूपालसागर	5
9	,, ,, निम्बाहेड़ा	96
10	,, ,, डूंगला	45
11	,, ,, भदेसा	74
12	,, ,, छोटीसादड़ी	59
13	,, ,, चितौड़गढ़	94
	नगरपालिका क्षेत्र	
1	नगरपालिका निम्बाहेड़ा	–
2	,, प्रतापगढ़	–
3	,, बड़ीसादड़ी	–
4	,, बेगूं	3
5	,, कपासन	8
6	,, चितौडगढ़	–
7	,, छोटीसादडी	–
	कुल	614

325

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 563 की सूची

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

वर्ष 1971 व 1973 के कुल पंजीकरण, आवंटन व शेष

नाम शहर	वर्ष	आ. द. म. आ. वर्ग	पंजीकरण अल्प	मध्यम	उच्च	योग	जनता/ आ. द. म. आ. वर्ग	आवंटन अल्प	मध्यम	उच्च	योग	रिफण्ड	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. अजमेर	1971	186	73	23	9	391	35	10	9	—	54	332	5
	1973	492	222	92	–	806	256	68	11	–	335	395	76
2. अलवर	1971	77	58	36	10	181	400	22	3	–	133	48	–
	1973	417	288	69	21	795	262	73	40	6	381	50	364
3. भीलवाड़ा	1971	55	33	12	–	100	25	11	2	–	38	57	5
	1973	210	119	51	–	380	152	68	25	–	245	35	100
4. बीकानेर	1971	60	23	–	–	83	29	4	–	–	33	35	15
	1973	710	350	127	6	1193	640	304	36	2	982	108	103
5. कोटा	1971	201	86	69	13	369	188	53	48	9	298	65	6
	1973	1325	643	310	48	2326	945	556	289	28	1818	418	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6. उदयपुर	1971	244	61	35	10	350	155	45	26	2	228	120	2
	1973	810	330	260	13	1413	745	316	245	8	1314	49	50
7. जोधपुर	1971	155	109	60	42	366	101	89	43	25	258	100	8
	1973	1868	612	110	21	2611	1390	410	68	10	1878	431	302
8. जयपुर	1971	735	1753	963	–	3451	430	1411	920	68	2829	582	40
	1973	12382	2476	1506	90	16454	2848	1839	2121	382	7190	3473	5741
	योग	19927	7236	3823	283	31269	8309	5279	3886	540	18014	6297	6908

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 564 की सूची

(जून 1980 से दिसम्बर 1983 तक 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लघु उद्योग के लिये दिये गये ऋण व अनुदान का विवरण)

क. सं.	उन व्यक्तियों के नाम जिनको लघु उद्योगों के लिये रुपया दिया गया	दिये गये ऋण का विवरण		दिये गये अनुदान का विवरण		उस उद्योग का नाम जिनके लिये ऋण, अनुदान दिया गया	उद्योग कायम हो चुका है अथवा नहीं यदि हां तो कब
		राशि	भुगतान की तिथि	राशि	भुगतान की तिथि		
1.	2	3	4	5	6	7	8
				पंचायत समिति रानी स्टेशन			
1.	मूदर । चिमना भाभी बालराई	600	26.2.83	500	26.2.83	चर्म जूता उद्योग	फरवरी, मार्च तथा अप्रेल, 83 में उद्योग प्रारम्भ किये जा चुके हैं
2.	नेरिग । उमा भाभी नवा गुडा	600	,,	500	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हैना । जेठा भाभी माउल	600	26.2.83	500	26.2.83	चर्म जूता उद्योग	फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 83 में उद्योग प्रारम्भ किये जा चुके हैं
4.	अचला । खिमा भाभी माडंल	600	,,	–	–	,,	
5.	भूरा । भला मंबी किशनपुरा	600	,,	500	,,	,,	
6.	भीमा । खेता भावी किशनपुरा	600	,,	500	,,	,,	,,
7.	मुला । टिकम भाभी किशनपुरा	600	,,	500	,,	,,	
8.	छोगा । केना भाभी ,, किशनपुरा	600	,,	500	,,	,,	
9.	गोमी । देवा भाभी बिजोवा	600	,,	500	,,	,,	
10.	प्रेमा । धुला ,, ,,	3000	,,	1500	,,	चर्म रंगाई उद्योग	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	माना । भेरा भामी बिजोवा	600	26-2-83	500	26-2-83	चर्म जूता उद्योग	फरवरी, मार्च तथा अप्रेल, 83 में उद्योग प्रारम्भ किये जा चुके हैं।
12.	दूदा । दौला ,, ,,	600	,,	--	--	,,	,,
13.	बस्तीमल । पुखराज रानी	600	,,	--	--	,,	,,
14.	चन्दनलाल । पुखराज, रानी	600	,,	–	–	,,	,,
15.	हुकमा । नगा भाभी मांडल	600	,,	–	–	,,	,,
16.	हजा । शेर भावी बिजोवा	600	,,	--	--	,,	,,
17.	भलका ।। फुमा भाभी जिवन्दकला	600	,,	500	,,	,,	,,
18.	बाला । किका भाभी ,,	600	,,	500	,,	,,	,,
19.	केशा । सुखा भाभीं नवगुडा	500	,,	--	--	,,	,,
20.	नाथाराम । चेना कुमार रानी	2000	31-3-83	1200	31-3-83	लोहारी उद्योग	

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	अचलचन्द । गुलाबचन्द लुहार रानी	1600	31-3-83	600	31-3-83	लोहारी उद्योग	फरवरी, मार्च व अप्रेल, 83 में प्रारंभ
22.	बालाल । हुकमाजी सुथार ,,	1600	,,	600	,,	,,	,,
	योगः —	19200		9400			
			पंचायत समिति देसूरी				
23.	दौलाराम । भीमाजी मेघवाल सादडी	21000	1983	8000	--	आटा चक्की	हां
24.	हिम्मताराम । दूदूरामजी मेघवाल गुडा मांगलीवास	19000	,,	8000	--	,,	हां
25.	शिल फ्लोर मिल्स	7000	,,	--	--	आटा की चक्की	हां
26.	बिजाराम मेघवाल केशुली	8000	1983	–	–	आटा की चक्की	हां
27.	मोहनलाल सुथार, बागोर	30000	,,	–	–	स्टील वर्क्स	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	जुगराज जैन नाडोल	1,00,000	1983	–	–	मैटल इन्डस्ट्रीज हेतु	हां
	योग :—	207000		16000			
			पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन				
30.	मै. जगदम्बा कुसिन	11000	8-8-80	24600	7-6-80	पत्थर पिसाई	हां
	श्री देवीचन्द राठौड मन्सा बावड़ी	–	–	900	27-8-80	,,	,,
31.	मरूधर परफ्यूमरी वर्क्स (दुलेराज आऊजा)	10000	16-6-80	–	–	अगरबत्ती निर्माण हेतु	,,
32.	लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन	6300	9-7-80	–	–	–	हां (श्री हुक्मतराम (खारची)
33.	कोठारी केमीकल्स व इन्डस्ट्रीज श्री पारसमल कोठारी खारची	41000) 14590)	27-9-80	10780	20-11-80	,,	हां

331

1	2	3	4	5	6	7	8
		14560	3-11-80	7270	5-1-81	अगरबत्ती निर्माण हेतु	हां
		18150	10-11-80	17150	28-1-81	,,	,,
		25000	28-11-80	6000	5-5-81	,,	,,
		55000	20-12-80	4000	17-6-81	,,	,
		57000	2-1-81	4000	12-7-81	,,	,,
				3000	16-6-82	,,	,,
		30000) 75000) 8000)	28-1-81	3000	30-8-82	केमिकल्स	हां
		10000) 10000)	22-4-81	–	–	–	–
		10000) 10000)	23-4-81	–	–	–	–
		5000) [illegible]	5-5-81	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		9000) 15700)	29-6-81 30-9-82	– –	– –	– –	– –
34.	डी. एम. वी. इन्डस्ट्रीज श्री के. वी. व्यास खारची	90000	2-1-81	2475) 36525)	8-12-81	कांटेतार निर्माण हेतु	हां
		45000	12-3-81				
		18000	11-5-81				
		6000	30-5-81				
		16124	17-6-81				
		6000	18-7-81				
		6000	9-9-81				
35.	विजय लक्ष्मी इंजीनियर कं.	12000	15.4.81	–	–	कार्य शाला	हां
	श्री मदनलाल आऊवा	4000	18.4.81	–	–		हां
36.	सुथार कुस्तरमल पूनमचन्द जोजावर	21000	28.7.84	–	–	टाइल्स निर्माण	हां
		3000	10.8.81	–	–	,,	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	देवेन्द्र फ्लोर टाइल्स	11000	28.7.81	–	–	–	हां
	श्री सम्पतजैन राणावास	4000	1.10.81	–	–	तेल मिल्स	
	(मो. पठान आऊवा)						
38.	पठान इन्डस्ट्रीज आऊवा	7000	8.9.81	4000	26.6.82	–	(श्री मोहम्द पठान)
39.	नाकोडा उद्योग (ताराचन्द जैन)	4700	30.10.81	–	–	पत्थर का कार्य	हां
40.	सूरजमल लौहार खारची	26000	26.11.81	21000	15.5.82		
		10000	4.1.82				
		39000	13.1.82				
		12000	30.1.82				
		4000	23.2.82	–	–		–
		7000	4 4.82	–	–		–
41.	श्री सोहनराज घोका आऊचा देवली	4000	21.12.81	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	ज़र सम्पतराज खारची	63000	1.1.82	19000	30.12.82	–	–
		6000	4.2.82	18000	30.12.82	–	–
		59000	15.2.82	6000	14.1.83	–	–
		10000	8.4.82	3500	4.6.83	–	–
		5000	13.4.82	11762	23.7.83	–	–
		17000	15.4.82	1238	20.7.83	–	–
		7000	15.4.82	–	–	–	–
		17000	1.6.82	1000	11.11.83	–	–
		14000	8.1.82	–	–	–	हां
43.	गुलाब फ्लोर मिल्स आऊवा	3000	18.1.82	–	–	चक्की	हां
44.	रामचन्द्र जी खारची	20000	12.3.82	–	–	प्रेस प्रिन्टिंग	हां
		5000	13.8.82	–	–	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	चन्द्रमल गुमजिया खारची	21000	17.6.82	8000	2.11.82	स्क्रू निर्माण	हां
		99000	24.8.82	4000)	4.1.82		
		31000	2.11.82	7000)	21.2.83		
		9000	2.11.82	450)	21.2.83		
		16500) 3500)	4.1.83				
46.	मुरली वाला प्रिंटिंग प्रेस	–	–	5000	15-2-83	पेपर प्रिंटिंग	हां
47.	बरकत इन्डस्ट्रीज आऊवा	33000	2-6-83	--	--	कार्यशाला	हां
48.	मालवीय मेकेनिक एण्ड इलैक्ट्रिक्स	6000	15-6-83	--	--	कार्यशाला	हां
49.	सुरेन्द्र कुमार पंवार	2000	7-9-83	12400	7-9-83	कार्यशाला	हां
				32960			

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	बुदाराम चिमनाजी आऊवा देवली	1000	16-11-83	--	--	चक्की	हां
51.	मोहम्मद हुसेन	11000	22-6-83	--	--	आइस (कुल्फी)	हां
	योगः—	1662824		337410			

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न सं. 566 की सूचना

क्र. सं.	नाम ग्राम	कृषि या गोचर भूमि में निर्मित पंचायत भवनों, स्कूलों व सब सेन्टरों का विवरण			
		भूमि का प्रकार	भवन का विवरण	तिथि जब से बने हुए हैं	क्या इसका पट्टा दिया जा चुका है।
1	2	3	4	5	6
1.	सरनाऊ	गोचर	पंचायत भवन	1980	विचाराधीन
2.	हाड़ेचा	,,	,,	1981	नियमित हो चुका है।
3.	गोलासन	,,	,,	1980	विचाराधीन
4,	चौरा	,,	,,	1981	नियमित हो चुका है।
5.	परावा	,,	,,	1980	विचाराधीन
6.	डावल	,,	,,	1980	,,
7.	धमाणा	,,	स्कूल	1871	,,
8.	गोलासन	,,	,,	1975	,,
9.	खारा	,,	,,	1970	नियमित हो चुका है।
10.	वासन देवड़ा	,,	,,	1976	,,
11.	परावा	,,	,,	1970	विचाराधीन
12.	अरणय	,,	,,	1977	,,
13.	डावल	,,	सब सेन्टर	1980	,,
14.	कारोला	,,	,,	1979	,,
15.	मालवाड़ा	,,	,,	1981	,,

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 569 की सूची

नाम तहसील	नाम ग्राम पंचायत	ऐसे ग्रामों के नाम जिनकी आबादी 300 या इससे अधिक है परन्तु जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं	यह ग्राम सड़क से जुड़ा हुआ है या नहीं	यह ग्राम हैण्ड पम्प युक्त है या नहीं
1	2	3	4	5
1- सांगानेर	1. कलवाड़ा	1. सूरतपुरा	नहीं	है
	2. मांग्यावास	2. नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास	"	है
	3. जयसिंहपुरा	1. मोहनपुरा	"	है
	4. कल्याणपुरा	1. कल्याणपुरा	"	है
	5. पंवालिया	1. जयसिंह पुरा उर्फ रूपवास	"	नहीं
		2. हरगुण की नांगल उर्फ (चारणवास)	"	है
	6. लाखना	1, सीतारामपुरा	"	है
	7. दादिया	1. भाटेड	"	है
		2. ग्वार ब्राह्मणान	"	है
		3. सूरजपुरा	"	है
	8. शिकारपुरा	1. जौतडावाला.	"	है
		2. गोविन्दपुरा बास बम्बाला	"	है
	9. श्रीराम की नांगल	1. दहलावास	"	नहीं
	10. जयपुरा	1. नृसिंहपुरा रिक्सा	"	है
	11. विघाणी	1. रामचन्द्रपुरा	"	है

1	2	3	4	5
	12. बीलवा	1. रामपुरा उर्फ कंवरपुरा	नहीं	है
2- चाकसू	1. वाडापदम पुरा	1. रामपुरा खुर्द	,,	हां
	2. तितरिया	1. बृजनाथपुरा	,,	नहीं
	3. कादेडा	1. ढसरी	,,	नहीं
	4. रूपाहडी	1. गोडका वास	,,	हां
	5. महादेवपुरा	1. दामोदर का वास	,,	हां
	6. हरिपुरा	1. रामकृष्णपुरा उर्फ थूणी मंगलदास	,,	नहीं
	7. बडोदिया	1. वृन्दावनपुरा उर्फ रूपावास	,,	नहीं
	8. दहलाला	1. नरोत्तमपुरा	,,	हां